VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

जुलाई 2025

# मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी
हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

# मासिक समसामयिकी रिवीजन कक्षाएं 2026

GS प्रीलिम्स और मेन्स

| हिन्दी माध्यम | English Medium |
|---|---|
| 30 AUG \| 2 PM | 23 AUG \| 2 PM |

अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें

Live/Online Classes are available

## Lakshya

लक्ष्य प्रीलिम्स और मेन्स इंटीग्रेटेड मेंटरिंग प्रोग्राम 2026

**प्रारंभः 29 अगस्त**

- जीएस प्रीलिम्स और मेन्स के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस हेतु 12 महीने की रणनीतिक योजना।
- यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन्स के सिलेबस का संपूर्ण कवरेज।
- सीनियर मेंटर्स की अत्यधिक अनुभवी और योग्य टीम द्वारा मार्गदर्शन।
- प्रीलिम्स और मेन्स के लिए अधिक स्कोरिंग क्षमता वाले विषयों पर बल।
- ठोस प्रैक्टिस के माध्यम से करेंट अफेयर्स और सीसैट की तैयारी पर ध्यान।
- लक्ष्य प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट (LPPT) और लक्ष्य मेन्स प्रैक्टिस टेस्ट (LMPT) की उपलब्धता।
- 25,000+ प्रश्नों के व्यापक संग्रह के साथ संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज।

UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2026 के लिए रणनीतिक रिवीजन, प्रैक्टिस और परामर्श हेतु 12 माह का कार्यक्रम)

- बेहतर उत्तर लेखन कौशल का विकास।
- प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के लिए विषय–वार रणनीतिक डॉक्यूमेंट और स्मार्ट कंटेंट।
- निबंध और नीतिशास्त्र के प्रश्नपत्र पर विशेष बल।
- ग्रुप और व्यक्तिगत परामर्श सत्र।
- लाइव प्रैक्टिस, साथी अभ्यर्थियों के साथ डिस्कशन और स्ट्रेटजी पर चर्चा।
- नियमित मूल्यांकन, निगरानी और प्रदर्शन में सुधार।
- आत्मविश्वास निर्माण और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयारी पर बल।
- टॉपर्स, नौकरशाहों और शिक्षाविदों के साथ इंटरैक्टिव सत्र।

WWW.VISIONIAS.IN 8468022022

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

# विषय सूची


**1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance).....4**

1.1. डिजिटल उपनिवेशवाद.....4

1.2. ऑनलाइन कंटेंट का विनियमन .....6

1.3. राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 .....8

1.4. पंचायती राज संस्थाओं का वित्त-पोषण.....10

1.5. अंतर्राज्यीय जल विवाद.....12

1.6. भारत में राजनीति की लागत.....14

1.7. मताधिकार हेतु आयु सीमा में कटौती .....16

1.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां .....17

1.8.1. संसद में व्यवधान.....17

1.8.2. उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों को हटाना .....18

1.8.3. सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक .....19

1.8.4. बिल ऑफ लैडिंग बिल 2025.....20

**2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) .....21**

2.1. भारत-यूनाइटेड किंगडम (यूके) व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) .....21

2.2. भारत-मालदीव संबंध .....23

2.3. ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की जलविद्युत परियोजना.....25

2.4. भारत-अफ्रीका संबंध.....27

2.5. भारत-लैटिन अमेरिकी-कैरेबियाई देशों के मध्य संबंध ....28

2.5.1. भारत-ब्राजील .....30

2.6. ब्रिक्स रियो डी जनेरियो घोषणा-पत्र.....31

2.7. AUKUS के तहत गीलोंग ट्रीटी .....33

2.8. गिरमिटिया समुदाय .....34

2.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां .....35

2.9.1. कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट.....35

2.9.2. US ने UNESCO से बाहर निकलने का फैसला किया .....36

2.9.3. ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स .....37

2.9.4. पैक्ट फॉर फ्यूचर .....37

2.9.5. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय.....37

2.9.6. E3 देश.....37

2.9.7. ग्लोबल पीस इंडेक्स, 2025.....39

2.9.8. लाल सागर .....39

2.9.9. न्यू कैलेडोनिया.....40

2.9.10. M23 विद्रोही .....40

2.9.11. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025.....41

**3. अर्थव्यवस्था (Economy) ..... 42**

3.1. प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना.....42

3.2. भारत में सार्वजनिक ऋण.....44

3.3. भारत में लोगों की रोज़गार-प्राप्ति क्षमता और कौशल विकास.....46

3.4. फ्यूचर ऑफ वर्क.....48

3.5. अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना .....50

3.6. भारत में वित्तीय समावेशन.....53

3.7. डिजिटल इंडिया मिशन.....55

3.8. भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार .....57

3.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां.....60

3.9.1. वैकल्पिक निवेश कोष.....60

3.9.2. डिजिटल भुगतान सूचकांक.....62

3.9.3. वित्तीय स्थिति सूचकांक.....63

3.9.4. ग्लोबल फाइंडेक्स 2025.....64

3.9.5. स्टेबलकॉइन्स.....65

3.9.6. क्रॉपिक.....65

3.9.7. OECD-FAO ने 'एग्रीकल्चर आउटलुक 2025-2034' जारी किया.....66

3.9.8. अपतटीय क्षेत्रों में परमाणु खनिजों के संचालन अधिकार नियम, 2025 अधिसूचित.....66

3.9.9. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स.....66

3.9.10. दूरसंचार विभाग (DoT) ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (NTP)-2025.....67

3.9.11. एल्यूमीनियम और कॉपर ..... 68
**4. सुरक्षा (Security) ..... 70**
4.1. क्वांटम साइबर रेडीनेस ..... 70
4.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ..... 71
4.2.1. ऑपरेशन महादेव ..... 71
4.2.2. ऑपरेशन- मेड मैक्स ..... 72
4.2.3. प्रोजेक्ट 17A ..... 72
4.2.4. एक्सटेंडेड रेंज एंटी-सबमरीन रॉकेट ..... 72
4.2.5. अस्त्र मिसाइल ..... 72
4.2.6. प्रलय मिसाइल ..... 73
4.2.7. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास ..... 73
**5. पर्यावरण (Environment) ..... 75**
5.1. अर्बन रेसिलिएंस ..... 75
5.2 एथेनॉल मिश्रण ..... 77
5.3. वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना ..... 79
5.4. वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ..... 81
5.5. पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ..... 82
5.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ..... 84
5.6.1. सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 ..... 84
5.6.2. नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क (NIF) प्रगति रिपोर्ट 2025 ..... 84
5.6.3. कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के लिए मसौदा नियम जारी ..... 85
5.6.4. दूषित स्थल प्रबंधन के लिए नए नियम अधिसूचित किए गए ..... 86
5.6.5. ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 जारी ..... 86
5.6.6. उत्तराखंड में पहली बार नैनीताल जिले की 'पर्यटक वहन क्षमता' का आकलन किया जाएगा ..... 87
5.6.7. ICJ ने जलवायु परिवर्तन से निपटने से जुड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय दिया ..... 88
5.6.8. ADEETIE योजना शुरू की गई ..... 89
5.6.9. बाढ़ की बदलती प्रकृति ..... 89
5.6.10. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने सी-फ्लड (C-FLOOD) नामक 'एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली' का उद्घाटन किया. 90
5.6.11. रिक्लेम फ्रेमवर्क ..... 91
5.6.12. वेदर डेरिवेटिव्स ..... 91
5.6.13. मानव निर्मित बांधों ने पृथ्वी के ध्रुवों में बदलाव किया है ..... 91
5.6.14. विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट ..... 92
5.6.15. करियाचल्ली द्वीप ..... 93
5.6.16. चिनाब नदी ..... 93
5.6.17. टोकारा द्वीप ..... 93
5.6.18. बिट्रा द्वीप ..... 93
**6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) ..... 95**
6.1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के 5 वर्ष ..... 95
6.2. छात्रों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं ..... 98
6.3. सामाजिक विलगाव ..... 100
6.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ..... 101
6.4.1. सामाजिक संगठनों की भूमिका ..... 101
6.4.2. बाल दत्तक ग्रहण ..... 102
6.4.3. "नशा मुक्त भारत के लिए युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन" में काशी घोषणा-पत्र पारित हुआ ..... 103
6.4.4. तलाश पहल ..... 104
6.4.5. विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (SOFI, 2025) रिपोर्ट जारी की गई ..... 104
**7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) ... 106**
7.1. नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) उपग्रह ... 106
7.2. ब्लैक होल विलय ..... 108
7.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ..... 109
7.3.1. ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग ..... 109
7.3.2. AI अलायंस नेटवर्क ..... 110
7.3.3. WHO ने "3 बाय 35" पहल शुरू की ..... 110
7.3.4. टीकाकरण पर WHO/ UNICEF के आंकड़े ..... 111
7.3.5. फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक ..... 111
**8. संस्कृति (Culture) ..... 113**
8.1. चोल गंगम झील ..... 113
8.2. मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ..... 115

8.3. अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) शतरंज चैंपियनशिप .....117
8.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां .....118
8.4.1. कश्मीरी पश्मीना शॉल.....118
8.4.2. पिपरहवा अवशेष.....118
**9. नीतिशास्त्र (Ethics)..... 120**
9.1. सेलिब्रिटीज़ और उत्पादों का प्रचार ..... 120
**10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) ..... 123**
10.1. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना..... 123
**11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News) ..... 125**

## नोट:

**प्रिय अभ्यर्थियों,**

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना आर्टिकल्स को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

| | |
|---|---|
| | विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है। |
| | पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे याद रखने के लिए प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए हम मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में स्मार्ट क्विज़ को शामिल करते हैं। |
| | विषय को आसानी से समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इंफोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी। |
| | सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी। |

# फाउंडेशन कोर्स
# सामान्य अध्ययन

**प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2026**

**इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम**

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

**Scan the QR CODE** *to* **download VISION IAS app**

**DELHI : 28 अगस्त, 2 PM** | **JAIPUR : 20 जुलाई**

**JODHPUR : 10 अगस्त**

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

# SANDHAN

## Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज

*(UPSC प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस और समग्र तैयारी हेतु ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)*

- UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ–साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 25,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्नों का विशाल संग्रह
- अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार करने की सुविधा
- परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टेस्ट (PIT)
- टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर फीडबैक

अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

| 2026 | ENGLISH MEDIUM<br>24 AUGUST | हिन्दी माध्यम<br>24 अगस्त |
|---|---|---|

# 1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

## 1.1. डिजिटल उपनिवेशवाद (Digital Colonialism)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति ने **डिजिटल उपनिवेशवाद** को लेकर चिंता व्यक्त की है कि किसी देश की **संप्रभुता को सबसे बड़ा खतरा** बाह्य आक्रमण से नहीं, बल्कि **विदेशी डिजिटल अवसंरचना पर निर्भरता** से है।

**डिजिटल उपनिवेशवाद के बारे में**

- **अर्थ:** यह एक **सैद्धांतिक फ्रेमवर्क** है। यह फ्रेमवर्क बिग टेक कंपनियों का **डिजिटल प्रौद्योगिकियों में प्रभुत्व** स्थापित करता है। ये कंपनियां अपने लाभ और बाजार में प्रभाव के लिए उपयोगकर्ताओं के **डेटा को एकत्रित** करती हैं, उसका **विश्लेषण** करती हैं तथा उस पर अपना **स्वामित्व** रखती हैं।
- इसमें व्यक्तियों से उनकी स्पष्ट सहमति के साथ या उसके बिना डेटा का **विकेन्द्रीकृत संग्रहण और प्रबंधन** शामिल है। इससे **राज्य एवं व्यक्तिगत स्वायत्तता** को खतरा उत्पन्न होता है।

**डिजिटल उपनिवेशवाद के प्रमुख स्तंभ**

- **आर्थिक प्रभुत्व:** बिग टेक कंपनियां **तकनीकी निर्भरता** पैदा करके **अन्य देशों के संसाधनों** पर कब्जा कर लेती हैं।
  - उदाहरण के लिए- सर्च इंजन (गूगल); डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम (माइक्रोसॉफ्ट विंडोज); सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक, ट्विटर) आदि का **एकाधिकार।**
- **तकनीकी ढाँचे पर साम्राज्यवादी नियंत्रण:** स्वामित्व-आधारित सॉफ्टवेयर और गैर-स्वतंत्र/ कठोर लाइसेंसिंग नियम अन्य देशों को सॉफ्टवेयर को बदलने/ अपनाने से रोकते हैं। इससे वे डिजिटल आत्मनिर्भरता से वंचित रह जाते हैं।
  - उदाहरण के लिए- **ऐप स्टोर नीतियां** (ऐप्पल/ गूगल) यह तय करने के लिए एकतरफा निर्णय लेती हैं कि कौन-सा ऐप या फीचर चलेगा और कौन-सा नहीं।।
- **वैश्विक निगरानी पूंजीवाद:** एडवांसड डेटा साइंस और मशीन लर्निंग कंपनियों को **उपयोगकर्ताओं के व्यवहार पर नज़र रखने** तथा वैश्विक निगरानी के आधार पर **अनुकूल व्यावसायिक निर्णय** लेने में सक्षम बनाते हैं।
  - उदाहरण के लिए- **फेसबुक** ने कैंब्रिज एनालिटिका जैसी थर्ड पार्टी को **बड़े पैमाने पर डेटा संग्रहण** करने की अनुमति दी थी, जिससे चुनाव प्रभावित हुए थे।
- **तकनीकी आधिपत्य:** कुछ बिग टेक कंपनियां **इस बात पर ज़ोर** देती हैं कि प्रौद्योगिकी का विस्तार कैसे होना चाहिए और इस तरह के विस्तार के **आर्थिक परिणामों** को कैसे निर्धारित किया जाना चाहिए।
  - उदाहरण के लिए- अमेज़न (AWS), माइक्रोसॉफ्ट (Azure), और गूगल क्लाउड **दुनिया भर में क्लाउड सेवाओं के बड़े हिस्से को नियंत्रित** करते हैं। इससे उन्हें वैश्विक डेटा भंडारण, प्रॉसेसिंग एवं विश्लेषण पर विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है।
- **सांस्कृतिक साम्राज्यवाद:** शक्तिशाली तकनीकी कंपनियों द्वारा निर्मित यह प्रभुत्व उस सांस्कृतिक एकरूपता और श्रेष्ठता के दावे में झलकता है, जहां उनकी तकनीकें अन्य समाजों की भाषा, मूल्यों और संस्कृति को प्रभावित कर उन पर हावी हो जाती हैं।
  - उदाहरण के लिए- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्यूरेशन और एल्गोरिदम का झुकाव अक्सर ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देता है जो ताक़तवर/ प्रमुख संस्कृतियों के मूल्यों से मेल खाए।

- **'परोपकार' का विमर्श:** डिजिटल प्रौद्योगिकियों को **स्पष्ट रूप से अच्छा तथा कनेक्टिविटी को प्रगति और मानवाधिकार** से जोड़कर प्रस्तुत करना।
    - उदाहरण के लिए- **अफ्रीका में फेसबुक के "फ्री बेसिक्स" रोलआउट** को परोपकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसकी आलोचना इस बात के लिए की गई कि यह संभावित रूप से बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाने और उपयोगकर्ताओं के डेटा को प्राप्त करने के एक साधन के रूप में कार्य कर रहा है।

**डिजिटल उपनिवेशवाद से संबंधित प्रमुख मुद्दे**

- **उत्तरी गोलार्ध-दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ती असमानता:** डेटा मोनेटाइजेशन कार्यों से प्रेरित तीव्र डिजिटलीकरण ने **पहले से मौजूद गंभीर असमानताओं** को और बढ़ा दिया है, क्योंकि अधिकांश बिग टेक कंपनियां विकसित देशों (समृद्ध उत्तर) में अवस्थित हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** स्थानीय डिजिटल अवसंरचना की कमी से महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में सुभेद्यताओं और विदेशी हस्तक्षेप का खतरा बढ़ जाता है।
- **गोपनीयता और डिजिटल अधिकार:** विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर निर्भरता से गोपनीयता एवं डिजिटल अधिकारों के उल्लंघन का खतरा रहता है। इसमें राज्य स्तर पर निगरानी का खतरा भी शामिल है।
- **स्थानीय व्यवसाय के समक्ष अस्तित्व का खतरा:** वैश्विक प्लेटफॉर्म्स का प्रभुत्व ऑनलाइन विज्ञापनों, परिवहन, रिटेल और न्यूज़ में प्रतिस्पर्धा को कम करता है, जिससे स्वदेशी उद्यमों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है।
- **आर्थिक नुकसान:** डिजिटल टेक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS)[1] का उपयोग करके अपने मुनाफे को कम टैक्स या जीरो टैक्स वाले देशों में स्थानांतरित कर देती हैं, जहां उनका वास्तविक कारोबार नहीं होता। इससे भारत जैसे देशों में कर संग्रहण घटता है।
- **विनियमन में कठिनाई: साइबरस्पेस** की सीमा-पार प्रकृति के कारण मौजूदा कानूनी साधन उसे प्रभावी ढंग से **विनियमित करने में असमर्थ** हैं।
- **नेटवर्क प्रभाव:** जब कोई बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है, तो उसके यूज़र लगातार बढ़ते रहते हैं और वे उसी में फँस जाते हैं। इस वजह से नए स्थानीय प्रतिस्पर्धियों को मौका नहीं मिलता।

**डिजिटल उपनिवेशवाद से निपटने के लिए विभिन्न देशों द्वारा किए गए कुछ उपाय**

- **भारत:**
    - **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP अधिनियम):** यह व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण और उसकी प्रॉसेसिंग के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क स्थापित करता है। यह **भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा की प्रॉसेसिंग** पर भी लागू होता है, यदि ऐसा डेटा भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश से संबंधित होता है।
    - **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002:** इसे अनुचित व्यापार कार्यों/ पद्धतियों को रोकने, उपभोक्ताओं की सुरक्षा करने और मुक्त व्यापार सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
    - **वैश्विक समर्थन:** भारत ने G-20, ब्रिक्स और विश्व व्यापार संगठन जैसे मंचों पर डेटा लोकलाइजेशन, डिजिटल संप्रभुता और न्यायसंगत नियमों के लिए सशक्त रूप से आवाज उठाई है।
        - उदाहरण के लिए- भारत की G-20 अध्यक्षता के दौरान, वैश्विक स्तर पर **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** के विस्तार के लिए एक **टास्क फोर्स** का गठन किया गया था।
    - **अन्य प्रयास:**
        - **ONDC (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स)-** ई-कॉमर्स एकाधिकार के एक विकल्प के रूप में;
        - **इंडिया स्टैक-** यह भारत का अपना आधारभूत **DPI** है।
- **अन्य देश:**
    - **यूरोपीय संघ:** यूरोपीय नागरिकों के डेटा अधिकारों की रक्षा और डिजिटल स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए **डेटा एक्ट, डेटा गवर्नेंस एक्ट, AI एक्ट और जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR)** लागू किए गए हैं।
    - **चीन:** डिजिटल सिल्क रोड **चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव** का एक प्रमुख घटक है। इसका उद्देश्य उभरते बाजारों वाले देशों के साथ **दूरसंचार, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, निगरानी प्रौद्योगिकियों और अन्य उच्च तकनीकी क्षेत्रों** में घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है।
    - **रूस: सॉवरेन इंटरनेट कानून (2019)** ने रूस में इंटरनेट के केंद्रीकृत राज्य प्रबंधन के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया है।

**आगे की राह**

- **डिजिटल संप्रभुता:** राज्यों को अपनी **सभी डिजिटल परिसंपत्तियों** पर प्राधिकार स्थापित करना चाहिए, जिसमें **डेटा, अवसंरचना, संचालन, आपूर्ति श्रृंखला और ज्ञान की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला** शामिल है।

[1] Base Erosion and Profit Shifting

- **डेटा स्थानीयकरण:** डेटा का **संग्रहण, स्थानांतरण और प्रॉसेसिंग** केवल राष्ट्रीय सीमाओं एवं कानूनी अधिकार क्षेत्रों के भीतर ही होने चाहिए।
- **गवर्नेंस के लिए व्यापक फ्रेमवर्क:** डेटा निर्माण, संरक्षण, साझाकरण और अवसंरचना के लिए उपयुक्त फ्रेमवर्क्स तैयार करने चाहिए।
- **सीमा-पार डेटा प्रवाह का प्रबंधन:** देशों को अपनी नीतियों को निरंतर इस प्रकार **संतुलित करना होगा कि विकास, जनहित और वैश्विक तकनीकी एकीकरण** के बीच सामंजस्य बना रहे।
- **डेटा लाइफ साइकिल में सुधार:** डेटा के इष्टतम उपयोग के लिए डेटा के सृजन से लेकर उसे नष्ट करने/ पुनः उपयोग तक समेकित प्रबंधन किया जाना चाहिए।
- **समावेशी डिजिटल भविष्य: डिजिटल विभाजन को समाप्त करना, समावेशिता को बढ़ावा देना** और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए आवश्यक **नैतिक मानकों को बनाए** रखना जरूरी है।

**निष्कर्ष**

डिजिटल संप्रभुता से जुड़ा **विनियामकीय परिदृश्य काफी जटिल** है और इसके कारण देशों ने **स्प्लिंटरनेट** जैसे उपाय अपनाए हैं, जो इंटरनेट को भू-राजनीतिक आधार पर विभाजित कर देता है। **वैश्विक डिजिटल संचार और कनेक्टिविटी के महत्त्व** को देखते हुए, **डिजिटल एकजुटता** सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता है।

***नोट:** DPDP अधिनियम, 2023 तथा DPI के बारे में और अधिक जानकारी के लिए जनवरी, 2025 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 4.2. तथा जुलाई, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.1. देखें।*

## 1.2. ऑनलाइन कंटेंट का विनियमन (Online Content Regulation)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MoI&B)** ने अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग के लिए कई OTT प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- मंत्रालय ने **निम्नलिखित कानूनों के तहत** इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है:
    - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT अधिनियम, 2000), तथा
    - सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम[2], 2021
- **रंजीत डी. उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य वाद (1965)** में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अश्लीलता के मद्देनजर **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) पर युक्ति-युक्त प्रतिबंध** लगाया जा सकता है।

**ऑनलाइन कंटेंट का विनियमन करने की आवश्यकता क्यों है?**

- **सामाजिक पहुंच और प्रभाव:** भारत में 950 मिलियन से अधिक लोगों की इंटरनेट तक पहुंच है, ऐसे में अविनियमित कंटेंट समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित कर सकता है।
- **हिंसा और हिंसक व्यवहार पर रोक लगाना:** उदाहरण के लिए- 2010 के एक अध्ययन में पोर्नोग्राफी वीडियो का विश्लेषण किया गया तथा यह पाया गया कि लगभग 90 प्रतिशत दृश्यों में शारीरिक आक्रामकता दिखाई गई थी।
- **सुभेद्य वर्गों की सुरक्षा:**
    - **बच्चे:** कम उम्र में अश्लील कंटेंट के संपर्क में आने से बच्चों में रिश्तों के बारे में समझ बिगड़ सकती है और सेक्सुअलिटी की समझ विकृत हो जाती है।
    - **महिलाएं:** ऐसा कंटेंट अक्सर महिलाओं को वस्तु की तरह प्रस्तुत करता है, जिससे लैंगिक असमानता और महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा मिलता है।
    - **अल्पसंख्यक:** उदाहरण के लिए- ऑनलाइन हेट स्पीच समाज में दरारें गहरा सकते हैं और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा एवं अधिकारों को जोखिम में डाल सकते हैं।
- **नैतिक अनिवार्यता:** अशोभनीय कंटेंट का अनियंत्रित प्रसार सामाजिक मानदंडों, मूल्यों, पारिवारिक संस्थाओं आदि को प्रभावित कर सकता है।
    - **समाज को हानि:** उदाहरण के लिए- **2021 की "बुली बाई (Bulli Bai)" ऐप घटना,** जहां महिलाओं की तस्वीरों की ऑनलाइन नीलामी की गई थी।

[2] Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules

- **जे. एस. मिल का हानि सिद्धांत** व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तब सीमित करने की अनुमति देता है, जब इससे दूसरों को हानि पहुंचती है या सामाजिक कल्याण में गिरावट आती है।

- **मनुष्य एक साधन के रूप में:** ऐसा कंटेंट जो लोगों को **यौन रुचि** तक सीमित कर देता है, **कांट के निरपवाद कर्तव्यादेश (Categorical Imperative) के सिद्धांत** का उल्लंघन करता है। यह सिद्धांत मानवता का एक साध्य के साधन के रूप में उपयोग करने को नकारता है।
- **असमान प्रभाव:** इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन के अनुसार, निम्न-आय वाले लोग और जिनकी डिजिटल साक्षरता कम है, वे अश्लील कंटेंट के संपर्क में अधिक आते हैं।

**अश्लील कंटेंट के विनियमन के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क**

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000**
  - **धारा 67 एवं धारा 67A:** ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील कंटेंट के प्रकाशन और प्रसारण पर नियंत्रण रखते हैं।
  - **धारा 69A:** यह केंद्र सरकार को विशिष्ट आधारों पर सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने का निर्देश देने का अधिकार देती है।
  - **धारा 79:** OTT प्लेटफॉर्म्स सहित मध्यवर्तियों को तृतीय-पक्ष कंटेंट के प्रति जिम्मेदारी से "सुरक्षा कवच" (safe harbour) प्रदान करती है।
    - हालांकि, यदि वे सरकार से सूचना मिलने पर अवैध कंटेंट हटाने में विफल रहते हैं, तो यह सुरक्षा वापस ली जा सकती है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) द्वारा जारी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत IT नियम 2021:** ये डिजिटल न्यूज मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) के अधीन रखते हैं।
- **भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 294:** यह संहिता 'अश्लील' शब्द को परिभाषित करती है और ऐसे कंटेंट के प्रसार को अपराध घोषित करती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित कंटेंट भी शामिल है।
- **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012:** यह अधिनियम बाल अश्लील कंटेंट की बिक्री और वितरण को अवैध घोषित करता है।
- **महिला अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986:** यह महिलाओं के अश्लील चित्रण वाले कंटेंट के प्रकाशन और वितरण पर प्रतिबंध लगाता है।

**कंटेंट को विनियमित करने में आने वाली चुनौतियां**

- **विनियामकीय चुनौतियां:**
  - **विनियामकीय ओवरलैप:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (जो IT नियम बनाता है) तथा सूचना प्रौद्योगिकी ब्यूरो (जो कंटेंट का पर्यवेक्षण करता है) के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन न होने से तालमेल की कमी रहती है।
  - **परिभाषाओं में व्यक्तिपरकता:** उदाहरण के लिए- अश्लीलता की अलग-अलग व्याख्या की जा सकती है और इससे सरकार द्वारा मनमाने कदम उठाए जा सकते हैं।
- **तकनीक संबंधी चुनौतियां:**
  - **एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और गोपनीयता सुविधाएं** बिना किसी जांच के अवैध सामग्री के प्रसार की अनुमति देती हैं।
  - **सोशल मीडिया एल्गोरिदम** उपयोगकर्ताओं को एक **फीडबैक लूप** में फंसा देते हैं, यानी यदि कोई उपयोगकर्ता गलती से आपत्तिजनक कंटेंट देख लेता है, तो एल्गोरिदम और ऐसे कंटेंट का रिकमंडेशन करने लगता है।
  - **वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN)** उपयोगकर्ताओं को विनियामकीय निगरानी से बचने में सक्षम बनाते हैं, जिससे उन्हें प्रतिबंधित वेबसाइट्स और कंटेंट तक पहुंच मिलती है।
- **रचनात्मक स्वतंत्रता:** प्रतिबंध और कठोर विनियमन रचनात्मक स्वतंत्रता को बाधित कर सकते हैं तथा अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन कर सकते हैं।
  - **उदाहरण के लिए-** फायर (समलैंगिकता पर आधारित फिल्म) जैसी फिल्मों पर लगाया गया प्रतिबंध।

**आगे की राह**

- **बहु-हितधारक परामर्श:** डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, कंटेंट क्रिएटर्स आदि के साथ परामर्श किया जाना चाहिए, ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक संवेदनशीलताओं के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** OTT प्लेटफॉर्म्स स्वचालित प्रोफनिटी फ़िल्टर (अभद्र भाषा फ़िल्टर), यूजर्स-रिपोर्ट आधारित कंटेंट स्कैनर और AI-संचालित कंटेंट विश्लेषण जैसे साधनों का उपयोग कर सकते हैं।
- **स्व-विनियमन को मजबूत करना:** कंटेंट मानक तैयार करने और लागू करने के लिए उद्योग-आधारित स्व-विनियामकीय संस्थाओं को सशक्त बनाना चाहिए। इससे सरकार के सीधे हस्तक्षेप की आवश्यकता कम होगी।

- **सर्वोत्तम पद्धतियों/ कार्यों से सीखना:** यूरोपीय संघ का ऑडियो-विज़ुअल मीडिया सर्विसेज़ डायरेक्टिव पारंपरिक प्रसारण मानकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक विस्तारित करता है, जबकि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) के माध्यम से मजबूत गोपनीयता सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।

***नोट:** अश्लील कंटेंट के प्रभाव के बारे में और अधिक जानकारी के लिए फरवरी, 2025 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 9.1. देखें।*

## 1.3. राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 (National Cooperative Policy 2025)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने **राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025** का अनावरण किया।

**नीति की मुख्य विशेषताएं**

- NCP, 2025 सहकारिता क्षेत्रक के लिए **2002 के बाद से जारी की गई दूसरी नीति** है।
- **विज़न: सहकार-से-समृद्धि** के माध्यम से **विकसित भारत 2047** के लिए सहकारिता को प्रमुख प्रेरक बनाना।
- **लक्ष्य:** 50 करोड़ नागरिकों, जो या तो सहकारी क्षेत्रक के सदस्य नहीं हैं या निष्क्रिय हैं, को सक्रिय भागीदारी में लाना।
- नीति में **छः रणनीतिक मिशन स्तंभों** (इन्फोग्राफिक देखें) की परिकल्पना की गई है।
- **नीति की अन्य प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं-**
  - **विधायी एवं संस्थागत सुधार:** पारदर्शिता, स्वायत्तता और व्यापार करने में सुगमता के लिए राज्यों को सहकारी कानूनों में संशोधन करने हेतु प्रोत्साहित करना।
  - **वित्तीय सशक्तीकरण:** सहकारी करों में कमी लाना और सहकारी समितियों को कॉर्पोरेट्स के लिए उपलब्ध क्षेत्रक-विशिष्ट वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए पात्र बनाना।
  - **व्यावसायिक इकोसिस्टम का विकास:** राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को कम-से-कम एक आदर्श सहकारी गाँव विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना; **'भारत'** ब्रांड के तहत ब्रांडिंग का समर्थन करना, आदि।
  - **भविष्य की तैयारी और प्रौद्योगिकी: एग्री-स्टैक** और **डेटाबेस** के साथ एकीकृत एक राष्ट्रीय **'सहकारी स्टैक'** विकसित करना।
  - **नए क्षेत्रक:** स्वच्छ ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रौद्योगिकी सहित नए क्षेत्रकों में सहकारी समितियों के विस्तार पर विचार करना।
  - **समावेशिता:** महिलाओं, युवाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की समावेशी भागीदारी को बढ़ावा देना।
  - **अन्य: वर्ष 2034** तक सहकारी क्षेत्रक के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान को **तिगुना करना;** सहकारी समितियों की संख्या में **30% की वृद्धि** करना, आदि।

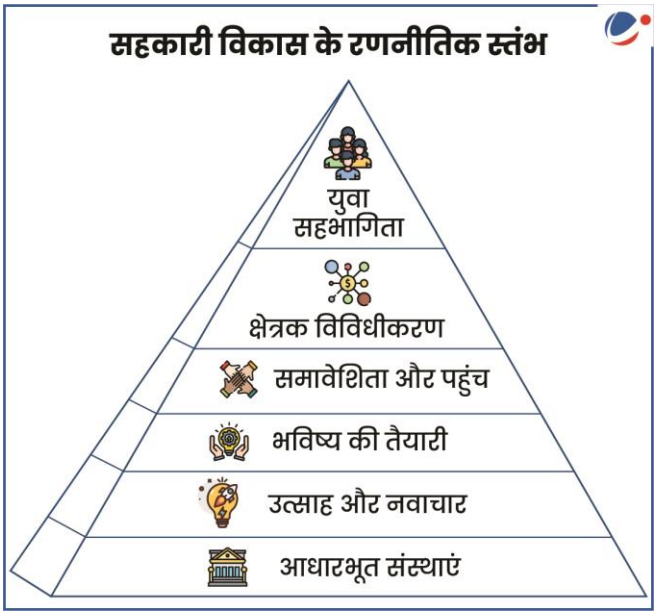


- **कार्यान्वयन:** सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत **'कार्यान्वयन प्रकोष्ठ'** द्वारा।
- **निगरानी:** केंद्रीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता वाली **'सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय संचालन समिति'** द्वारा।

**भारत में सहकारिता**

- **उत्पत्ति:** को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट, 1904 के साथ।
- **परिभाषा:** यह व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ होता है। ये संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से सदस्य-नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी साझी आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट होते हैं।
- **स्थिति**
  - भारत में **8 लाख से अधिक सहकारी समितियां** हैं। इनमें **2 लाख क्रेडिट कोऑपरेटिव्स** (जैसे कि **PACS – प्राथमिक कृषि ऋण समितियां)** और **6 लाख नॉन-क्रेडिट कोऑपरेटिव्स** (जैसे कि **उपभोक्ता समितियां, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, आदि)** शामिल हैं।
  - भारत में **30 करोड़ से अधिक लोग सहकारी समितियों से जुड़े** हुए हैं।
  - **शीर्ष 3 सहकारी क्षेत्रक:** आवास, डेयरी और प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS)।

- **संवैधानिक स्थिति: 97वें संविधान संशोधन, 2011** ने निम्नलिखित प्रावधानों के साथ सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था-
  - **मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 19(1)(c)** में "सहकारी समितियां" शब्द जोड़ा गया।
  - **राज्य की नीति के निदेशक तत्व:** सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए संविधान में **अनुच्छेद 43B** जोड़ा गया।
  - **नया भाग IXB:** सहकारी गवर्नेंस के लिए संविधान में **अनुच्छेद 243ZH से 243ZT** जोड़े गए।
- **गवर्नेंस या शासन संरचना:**
  - **बहु-राज्य सहकारी समितियां:** ये संविधान की **संघ सूची** के अंतर्गत आती हैं तथा **बहु-राज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 2002** द्वारा शासित होती हैं।
  - **राज्य सहकारी समितियां:** ये संविधान की **राज्य सूची** के अंतर्गत आती हैं तथा **संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों** द्वारा शासित होती हैं।

**सहकारी समितियों का महत्त्व**

- **ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का उत्थान: वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर।** उदाहरण के लिए- भारत की लगभग 1/3 ग्रामीण आबादी सीधे सहकारी समितियों से जुड़ी हुई है।
- **किसानों की आय में वृद्धि:** संसाधनों के एकत्रीकरण में सक्षम बनाकर और सौदेबाजी की क्षमता में वृद्धि करके। उदाहरण के लिए- गुजरात का अमूल मॉडल।
- **सामाजिक प्रभाव**
  - **महिलाओं का सशक्तीकरण:** उदाहरण के लिए- सेवा सहकारी बैंक सूक्ष्म वित्त को सक्षम बनाता है। इससे महिलाओं को रोजगार और लैंगिक समानता मिलती है।
  - **सतत विकास:** उदाहरण के लिए- केरल की उरालुंगल श्रम अनुबंध सहकारी समिति (ULCCS), अवसंरचना के विकास में हरित प्रथाओं का कार्यान्वयन आदि।
- **मजबूत सामुदायिक संबंध:** सहकारी समितियां सामुदायिक भावना को बढ़ावा देती हैं, जिससे सामाजिक पूंजी का निर्माण होता है।
- **मूल्यों का संचार:**
  - **समानता: "एक व्यक्ति-एक वोट"** प्रणाली **समानता** सुनिश्चित करती है।
  - **नेतृत्व:** सहकारी समितियां लोकतांत्रिक तरीके से नेताओं का चुनाव करती हैं। इससे नेतृत्व कौशल विकसित करने में मदद मिलती है (उदाहरण के लिए- महाराष्ट्र में कई विधायक सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए हैं)।

**सहकारी समितियों के समक्ष चुनौतियां**

- **सीमित क्षमता और संसाधन:** विशेष रूप से उभरती या ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में, सहकारी समितियों के पास प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण एवं तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव हो सकता है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** राजनीतिक दलों और नेताओं का हस्तक्षेप अक्सर पारदर्शिता को प्रभावित करता है तथा अकुशलता को जन्म देता है।
- **जटिल विनियामक आवश्यकताएं:** यह नौकरशाही से जुड़ी हुई बाधाओं और सहकारी समितियों के धीमे विकास का कारण बनती हैं।
- **डिजिटल उपकरणों से परिचित न होना:** आंकड़े दर्शाते हैं कि केवल 45% सहकारी सदस्य ही डिजिटल उपकरणों से परिचित हैं।
- **क्षेत्रीय असंतुलन:** शीर्ष 5 राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक) में सभी सहकारी समितियों का 57% हिस्सा है।
- **अन्य चुनौतियां:** कुशल कार्यबल की कमी, सहकारी समितियों के बीच सहयोग का अभाव, सीमित सदस्यता व संसाधन आदि।

**निष्कर्ष**

अवसंरचना को बढ़ावा देने और उन्नत तकनीक तक पहुंच प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहित करके सहकारी समितियों को मजबूत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, समावेशिता को बढ़ावा देकर, कमजोर समाजों को एकजुट करके, और सहकारी शासन सूचकांक (CGI) तथा सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम जैसे उपायों के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करके भी सहकारी समितियों को मजबूत किया जा सकता है।

## 1.4. पंचायती राज संस्थाओं का वित्त-पोषण (PRI Finances)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति** ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत **निधियों के अंतरण (Devolution of funds)** पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि **73वें संविधान संशोधन** के तीन दशक बीत जाने के बावजूद, **पंचायतों को 3Fs (कार्य, निधि और पदाधिकारी) का हस्तांतरण** अभी भी अधूरा, बिखरा हुआ एवं राज्यों के स्तर पर असमान बना हुआ है।
- इसके अलावा, इसमें पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के सामने अभी भी मौजूद **वित्तीय समस्याओं** पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

**PRIs के वित्त-पोषण संबंधी मुद्दे**

- **PRIs को घटता बजटीय आवंटन:** लगातार आने वाले केंद्रीय बजटों ने PRIs के लिए आवंटित निधियों में कमी की है। इससे राजकोषीय विकेंद्रीकरण को खतरा पैदा हो गया है।
- **बंधे और खुले अनुदानों में असंतुलन: 15वें वित्त आयोग के तहत PRIs को दिए जाने वाले अनुदान दो भागों में बांटे गए हैं:**
  - **बिना शर्त अनुदान (40%):** स्थानीय जरूरतों के अनुसार उपयोग किया जा सकता है।
  - **सशर्त अनुदान (60%):** यह अनुदान **स्वच्छता जैसे विशिष्ट उद्देश्यों** के लिए उपयोग किया जाता है।
    - हालांकि, इसका कई बार पूर्ण उपयोग भी नहीं हो पाता है।
- **पंचायत चुनावों में देरी:** ऐसा कानूनी या प्रशासनिक बाधाओं के कारण होता है। जैसे- तेलंगाना में OBC आरक्षण के कार्यान्वयन में देरी हुई है।
  - यह निधियों के प्रभावी उपयोग में एक बड़ी बाधा है।
- **जिला नियोजन समिति (DPC) के कामकाज में समस्याएं:** इसके परिणामस्वरूप, खंडित नियोजन और निधियों का कम उपयोग हुआ है।
  - नगरपालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए राज्य द्वारा जिला स्तर पर DPC की स्थापना की जाती है।
- **राज्य वित्त आयोगों (SFCs) का अनियमित गठन:** संवैधानिक आदेशों के बावजूद, केवल 9 राज्यों ने ही **छठे राज्य वित्त आयोग** का गठन किया है।
  - इसके परिणामस्वरूप, PRIs को वित्तीय अंतरण में देरी हो रही है।
- **ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) को अपलोड करने में खराब अनुपालन:** इससे PRIs को 15वें वित्त आयोग (FC) द्वारा अनुशंसित अनुदान जारी करने में बाधा आई है।
- **स्वयं के स्रोतों से (OSR)[3] कम राजस्व सृजन:** RBI के अनुसार, पंचायत उनके कुल राजस्व का केवल 1.1 प्रतिशत ही अपने स्वयं के स्रोतों से सृजित कर पाती हैं।
  - इसके परिणामस्वरूप, उनकी **वित्तीय स्वायत्तता कम** हुई है।

[3] Own-Source Revenue

### PRIs के लिए वित्त का महत्व

- **ग्रामीण विकास:** PRIs वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करके और उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं से जोड़कर केंद्र एवं राज्य की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करते हैं।
- **कृषि विकास:** PRIs सहकारी कृषि विकास का समर्थन करती हैं। जैसे- पंचायत स्तर पर शुरू किया गया अमूल; सामाजिक वानिकी जैसी संधारणीय प्रथाओं का समर्थन आदि।
- **सतत विकास लक्ष्य (SDGs-2030):** पंचायतें, SDGs के स्थानीयकरण द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं।
- **स्वास्थ्य:** PRIs स्वास्थ्य केंद्रों, क्लीनिकों और औषधालयों का रखरखाव एवं स्थापना करके तथा स्थानीय स्वास्थ्य समुदाय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण आदि प्रदान करके स्वास्थ्य में योगदान देती हैं।
  - RBI के अनुसार, जिन राज्यों की पंचायतों को स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता में उच्च अंक मिले हैं, वहां **ग्रामीण शिशु मृत्यु दर भी कम** है।
- **शिक्षा:** PRIs शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण और रखरखाव; नामांकन को प्रोत्साहित करने; स्कूल छोड़ने की दर को कम करने; शैक्षिक गुणवत्ता की निगरानी करने आदि के लिए जिम्मेदार होती हैं।
- **महिला सशक्तीकरण:** PRIs महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण निर्धारित करके शासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाती हैं।
  - अध्ययनों से पता चला है कि जब महिलाएं स्थानीय शासन में शामिल होती हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल कल्याण जैसे नीतिगत क्षेत्रकों में अक्सर महिलाओं की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने के साथ सुधार होता है।

**PRIs की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु पहलें**

- **ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन:** इसे **पंचायती राज मंत्रालय (MoPR)** द्वारा पंचायत लेखाओं का ऑनलाइन ऑडिट करने के लिए लॉन्च किया गया है।
- **स्वयं के राजस्व स्रोतों से राजस्व वृद्धि हेतु**
  - स्वामित्व (SVAMITVA) डेटा का उपयोग संपत्ति कर निर्धारण के लिए किया जाता है।
  - जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि को PRIs के साथ साझा किया जाता है।
- **PRIs के लिए रैंकिंग प्रणाली:** कार्य निष्पादन अनुदान हेतु पात्रता मानदंड तय करना।
- **ई-ग्राम स्वराज पोर्टल:** पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए PRIs की सभी GPDPs अपलोड की जाती हैं।

### रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें

- **पुनःआवंटन लचीलापन:** वित्त के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए निर्धारित उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी सशर्त निधियों के उपयोग की अनुमति देनी चाहिए।
  - पिछड़ेपन, क्षेत्र जैसे वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित सूत्र-आधारित तंत्र के माध्यम से समय पर और पर्याप्त सशर्त निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।
- **चुनाव में देरी की स्थिति में निरंतरता:** चुनाव समय पर होने चाहिए; हालांकि, अपरिहार्य देरी की स्थिति में, निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
  - उदाहरण के लिए- स्पष्ट रूप से परिभाषित जिम्मेदारियों के साथ एक नामित प्रतिनिधि की नियुक्ति करनी चाहिए।
- **राज्य वित्त आयोगों (SFCs) का नियमित गठन:** राज्य वित्त आयोगों का समय पर गठन करने और एक समान एवं सरल प्रारूपों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उच्चतम स्तर पर राज्यों को शामिल करना चाहिए।
- **समय पर GPDPs अपलोड सुनिश्चित करना:** GPDPs की उचित तैयारी और प्रस्तुति के लिए पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षित करना, तथा उन्हें ब्लॉक/जिला योजनाओं के साथ संरेखित करना।
- **पर्याप्त हस्तांतरण:** प्रत्येक राज्य द्वारा PRIs को शक्तियों के हस्तांतरण के लिए एक समयबद्ध रोडमैप तैयार करना चाहिए। उदाहरण के लिए- स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे स्थानीय कार्मिकों पर प्रशासनिक नियंत्रण पंचायतों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
  - साथ ही, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य में 3Fs पर प्रगति को मापने वाली **"हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट"** तैयार करनी चाहिए।
- **स्वयं के स्रोतों से राजस्व सृजन को मजबूत करना:** राजस्व सृजन के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए; पंचायतों को अधिक शक्तियां हस्तांतरित करनी चाहिए, और अच्छा प्रदर्शन करने वाली PRI को प्रोत्साहित करना चाहिए।

न्यूज़ टुडे
यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है।
हिंदी ऑडियो, VISIONIAS हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

## 1.5. अंतर्राज्यीय जल विवाद (Inter State Water Dispute: ISWD)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्र सरकार ने **पंजाब, हरियाणा और राजस्थान** के बीच जल-बंटवारा विवाद का समाधान करने के लिए गठित **'रावी और ब्यास जल अधिकरण'** के कार्यकाल को बढ़ा दिया है।

- यह अधिकरण 1986 में **अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (ISRWD) अधिनियम,** 1956 के तहत गठित किया गया था।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- इसके अलावा, केंद्र सरकार **पोलावरम बनकाचेरला लिंक परियोजना (PBLP) और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के बीच लंबित अन्य अंतर्राज्यीय जल मुद्दों** से जुड़ी चिंताओं की जांच के लिए एक **उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति** का गठन करेगी।
- इसके अतिरिक्त, **ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने महानदी जल विवाद** को 'सौहार्दपूर्ण' ढंग से सुलझाने की इच्छा व्यक्त की है।
- भारत में अंतर्राज्यीय जल विवाद का इतिहास ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से जुड़ा है, जब ब्रिटिश-नियंत्रित **मद्रास प्रेसीडेंसी और मैसूर रियासत के बीच कावेरी जल विवाद** हुआ था।

**अंतर्राज्यीय जल विवाद (ISWD) के लिए उत्तरदायी कारक**

- **नदी जल संसाधनों तक असमान पहुंच**
  - **भौगोलिक कारक:** जब कोई नदी दो राज्यों से होकर बहती है, तो सामान्यतः नदी के उद्गम स्रोत के निकटवर्ती राज्य को अधिक लाभ होता है। इससे नदी के उद्गम स्रोत के निकटवर्ती राज्य और नदी के उद्गम स्रोत से दूर अवस्थित राज्य के बीच विषमता उत्पन्न होती है।
  - **राज्य पुनर्गठन:** स्वतंत्रता के बाद राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन ने नदी बेसिन-आधारित सीमा वितरण पर कम जोर दिया है।
- **बढ़ती मांग:** तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कृषि विस्तार, शहरीकरण और आर्थिक विकास ने जल की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
- **विकास परियोजनाएं:** जब कोई राज्य बड़ी जल परियोजनाएँ (जैसे बाँध बनाना) शुरू करता है, तो दूसरे राज्यों के साथ विवाद खड़े हो जाते हैं (जैसे- नर्मदा, कावेरी आदि नदी बेसिन विवाद)।
- **जल प्रशासन की बिखरी हुई व्यवस्था:**
  - **केंद्र सरकार:** अंतर्राज्यीय जल विवादों के प्रबंधन के लिए कोई ठोस ढांचा नहीं है।
  - **राज्य सरकार:** जल प्रबंधन को लेकर अलग-अलग और संकीर्ण सोच।।
  - **अवैज्ञानिक दृष्टिकोण:** नदी बेसिन (पूरे नदी क्षेत्र) के आधार पर पानी का प्रबंधन नहीं किया जाता।।
- **उचित आंकड़ों का अभाव:** नदी के बहाव, नदी में पानी की मात्रा आदि के आंकड़े अलग-अलग तरीके से इकट्ठा होते हैं, जिससे विवाद और गहराते हैं।

**विवाद समाधान हेतु कानूनी और संवैधानिक ढांचा**

- **अनुच्छेद 262:** अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करता है।
  - **अनुच्छेद 262(1):** संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय जल विवाद के न्यायनिर्णयन का प्रावधान कर सकती है।
  - **अनुच्छेद 262(2):** संसद यह भी प्रावधान कर सकती है कि न तो सुप्रीम कोर्ट और न ही कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी विवाद या शिकायत के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा।
- संविधान के **अनुच्छेद 262** के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने निम्नलिखित दो कानून बनाए हैं-
  - **नदी बोर्ड अधिनियम, 1956:** यह अधिनियम केंद्र सरकार को राज्यों के साथ परामर्श से अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास के लिए **नदी बोर्ड** स्थापित करने का अधिकार देता है।
  - **अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956:** राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने पर केंद्र सरकार अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए एक अधिकरण स्थापित कर सकती है।
- **सातवीं अनुसूची**
  - **संघ सूची की प्रविष्टि 56:** केंद्र सरकार **अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों का विनियमन एवं विकास** कर सकती है।
  - **राज्य सूची की प्रविष्टि 17:** "राज्य जल, अर्थात् जल-आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी एवं तटबंधों, जल भंडारण तथा जल-शक्ति विषयों पर कानून बना सकते हैं। हालांकि, ये विषय **सूची-I (संघ सूची) की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन हैं।**

### ISWD के समाधान में चुनौतियां

- **विलंब:** अत्यधिक देरी एक प्रमुख मुद्दा है, जो निम्नलिखित तीन मुख्य क्षेत्रों में होती है-
  - **अधिकरणों का गठन:** उदाहरण के लिए- दशकों से लंबित अनुरोधों के बाद कावेरी अधिकरण का गठन 1990 में किया गया था।
  - **अधिकरण के निर्णय की अवधि:** उदाहरण के लिए- नर्मदा: 9 वर्ष, कृष्णा: 4 वर्ष, गोदावरी: 10 वर्ष आदि।
  - **निर्णय की अधिसूचना और प्रवर्तन:** अधिकरणों का आदेश सरकारी गजट में देर से प्रकाशित होता है (उदाहरण: कृष्णा विवाद में 3 साल, गोदावरी विवाद में 1 साल की देरी)। इससे फैसले को लागू करने पर भी अनिश्चितता बनी रहती है।
    - ISRWD अधिनियम, 1956 निर्दिष्ट करता है कि किसी अधिकरण का निर्णय एक बार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद, **"सुप्रीम कोर्ट के आदेश या डिक्री के समान ही प्रभावी होगा।"**
- **राजनीतिकरण:** जल विवादों को अक्सर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से निपटाया जाता है, जिसमें पर्यावरणीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं की अनदेखी की जाती है।
- **हितधारकों की भागीदारी का अभाव:** पारंपरिक दृष्टिकोण अक्सर राज्य सरकारों, स्थानीय समुदायों, देशज आबादी और अन्य हितधारकों के हितों एवं चिंताओं की अनदेखी करते हैं।
- **सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप:** राज्यों द्वारा मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने से अधिकरणों का निर्णय व्यावहारिक रूप से अप्रभावी हो जाता है।
  - हालांकि, सुप्रीम कोर्ट मूल विवाद का निर्णय नहीं कर सकता। वह अधिकरण के निर्णयों की व्याख्या कर सकता है, और यदि आवश्यक हो, तो पक्षों को आगे स्पष्टीकरण के लिए अधिकरण के पास वापस भेज सकता है।
  - उदाहरण के लिए- कावेरी जल विवाद अधिकरण ने 2007 में अपनी रिपोर्ट और निर्णय प्रस्तुत कर दिए थे। इसके अलावा, संबंधित राज्यों ने कावेरी अधिकरण की रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की थी। परिणामस्वरूप, सुप्रीम कोर्ट ने जल वितरण संबंधी इस विवाद पर अंतिम निर्णय दिया है, जिसमें जल आवंटन में मामूली बदलाव भी शामिल है।

### ISWD के समाधान हेतु किए गए अन्य उपाय

- **अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019**
  - अंतर्राज्यीय विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए विवाद समाधान समिति।
  - बहु-पीठों वाले एकल अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना।
  - निर्णय पूरा करने के लिए सख्त समय-सीमा।
  - प्रत्येक नदी बेसिन के लिए केंद्रीय स्तर पर डेटा बैंक।
- **ड्राफ्ट नदी बेसिन प्रबंधन विधेयक, 2018**
  - **उद्देश्य:** यह विधेयक भागीदारी, सहयोग, जल के न्यायसंगत और सतत उपयोग, एकीकृत नदी-बेसिन प्रबंधन आदि के सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता है।
  - नदी बेसिन मास्टर प्लान का निर्माण।
  - नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना।
- **राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना:** इसका उद्देश्य जल अधिशेष क्षेत्र से जल की कमी वाले क्षेत्र में जल स्थानांतरित करना है। इससे अंतर्राज्यीय जल विवादों में संभावित रूप से कमी आएगी।

### आगे की राह

- **सहकारी संघवाद:** केंद्र सरकार को राज्यों के बीच पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने के लिए मध्यस्थ और सुविधाकर्ता की भूमिका निभानी चाहिए।
  - ISWDs पर संवाद और चर्चा के लिए **नीति आयोग के तहत एक मंच का गठन** करना चाहिए।
- **नीतिगत हस्तक्षेप**
  - ISWDs को **अंतर्राज्यीय परिषद** के अंतर्गत लाना (अनुच्छेद 263) चाहिए।
  - अधिकरणों के कामकाज को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए **अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन** करना चाहिए।
- **अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन विधेयक) और नदी बेसिन प्रबंधन विधेयक, 2018:** विवाद समाधान में तेजी लाने तथा मौजूदा अधिकरण प्रणाली में विलंब को दूर करने के लिए इन प्रस्तावित कानूनों पर परामर्श किया जाना चाहिए।

- **डेटा बैंक और सूचना प्रणाली:** नदी घाटियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डेटा बैंक और सूचना प्रणाली बनाई जानी चाहिए, ताकि बेहतर निर्णय लिए जा सकें।
  - नदी बेसिन से जुड़े हुए डेटा को एकत्र करने, जल प्रवाह का प्रबंधन करने और नदी जल के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए AI का उपयोग करना चाहिए।
- **हितधारक जुड़ाव:** जल संसाधनों की योजना बनाने और प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

वाटर गवर्नेंस के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए
वीकली फोकस#125
भारत के वाटर गवर्नेंस में सुधार: उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए अनिवार्य

## 1.6. भारत में राजनीति की लागत (Cost of Politics in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) ने वेस्टमिंस्टर फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी (WFD)** के साथ मिलकर भारत में "राजनीति की लागत" पर एक महत्वपूर्ण केस स्टडी प्रस्तुत किया है। इस केस स्टडी का मुख्य केंद्र बिंदु **राजनीतिक पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा किया जाने वाला भारी-भरकम खर्च** है।

**अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**

- **चुनाव अभियान खर्च में बहुत अधिक वृद्धि:** लोक सभा चुनाव में बड़े दलों के प्रत्याशी औसतन 5 से 10 करोड़ रुपये तक व्यय करते हैं। प्रतिस्पर्धी अथवा संपन्न राज्यों (जैसे- तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि) में यह आंकड़ा और भी बढ़ जाता है।
- **नियमित राजनीतिक गतिविधियों का बढ़ता खर्च:** इसमें सामुदायिक आयोजनों में उपस्थिति, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की सहायता करना और दल की गतिविधियों को निरंतर चलाना जैसे नियमित खर्चे शामिल हैं, जो लगातार बढ़ रहे हैं।
- **सोशल मीडिया पर व्यय:** तकनीकी विशेषज्ञों को काम पर रखना, इन्फ्लुएंसर्स को भुगतान करना और ऑनलाइन विज्ञापनों पर खर्च करना आवश्यक हो गया है। हालांकि, यह पारंपरिक तरीकों जैसे रैलियों, परिवहन और कार्यकर्ताओं पर होने वाले खर्च से अब भी कम है।
- **मतदाताओं को प्रलोभन देने की बढ़ती प्रवृत्ति:** चुनावों के ठीक पहले नकद या अन्य वस्तुओं के वितरण का चलन तेजी से बढ़ा है। इस प्रतिस्पर्धा में, अनिच्छुक उम्मीदवारों पर भी ऐसा करने का दबाव बनता है।
- **राजनीतिक खर्च को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक:** चुनाव से पहले जनता तक पहुंच बनाना; अभियान के लिए लॉजिस्टिक्स प्रबंधन; मीडिया में प्रचार और समर्थकों के नेटवर्क को बनाए रखने के लिए चुनावी संरक्षण (Patronage) जैसे कारक इस लागत को बढ़ाते हैं।
- **वित्तीय संसाधनों के स्रोत:**
  - **मुख्य स्रोत:** उम्मीदवारों की अपनी संपत्ति तथा परिवार, मित्रों और समर्थकों द्वारा दिया गया योगदान।
  - **अन्य स्रोत:** व्यावसायिक समूहों से उधार, क्राउडफंडिंग, और अपनी संपत्ति बेचकर या ऋण लेकर धन जुटाना।
  - अधिकांश राजनीतिक दल (कुछ बड़े दलों को छोड़कर) यह अपेक्षा करते हैं कि उम्मीदवार अपने चुनाव का खर्च स्वयं उठाएं।
    - यह व्यवस्था धनी और वंशवादी उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाती है तथा हाशिए पर मौजूद समूहों के लिए राजनीति में प्रवेश को कठिन बनाती है।

**महंगे चुनावों के दुष्परिणाम**

- **शासन व्यवस्था पर प्रभाव**
  - **बढ़ता व्यापार-राजनीति गठजोड़:** जब चुनावों में कॉर्पोरेट जगत का धन लगता है, तो नीतियां आम जनता की बजाय वित्त-पोषकों के हितों (जैसे करों में छूट, नियमों में ढील आदि) की ओर झुक सकती हैं, जिससे सामाजिक असमानता और बढ़ती है।
    - खनन, कोयला और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रकों के अमीर कारोबारी अब सीधे राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं तथा धन के बल पर पार्टी का टिकट या निर्दलीय जीत हासिल कर रहे हैं।
  - **कर्तव्यों से ध्यान भटकना:** निर्वाचित प्रतिनिधि अपने विधायी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय भविष्य के चुनावों के लिए धन जुटाने और पिछले चुनावी खर्च की भरपाई करने में लगे रहते हैं।
  - **भ्रष्टाचार का जोखिम:** चुनावी अभियानों में काले धन का बढ़ता उपयोग चुनावी भ्रष्टाचार की नींव रखता है।
    - उल्लेखनीय है कि **ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 करप्शन पर्सेप्शन्स इंडेक्स में भारत 96वें स्थान** पर था।

- **लोकतांत्रिक अखंडता पर प्रभाव**
  - **जनता के विश्वास में कमी:** चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता न होने से पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर से मतदाताओं का विश्वास कमजोर होता है और वे इससे विमुख हो सकते हैं।
  - **सत्ता का केंद्रीकरण:** बड़े दल भारी फंडिंग के दम पर बड़े पैमाने पर वोट खरीदने और व्यापक मीडिया अभियान चलाने में सक्षम होते हैं।
    - इससे छोटे और क्षेत्रीय दलों को प्रतिस्पर्धा का समान अवसर नहीं मिल पाता, जिससे मतदाताओं के पास विकल्पों की कमी हो जाती है।
  - **वंचित वर्गों के लिए बाधा:** चुनावी खर्च इतना अधिक हो गया है कि यह महिलाओं, युवाओं और सामान्य पृष्ठभूमि के योग्य उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी बाधा बन गया है।

**आगे की राह**

- **व्यय सीमाओं का कठोरता से अनुपालन:** भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए अधिक संसाधन, शक्ति और न्यायिक समर्थन दिया जाना चाहिए।
  - उदाहरण के लिए- यूनाइटेड किंगडम में सभी स्तरों के चुनावों में खर्च की सीमाएं और ऑडिट बहुत सख्ती से लागू किए जाते हैं।
- **राजनीतिक दलों को संवैधानिक दायरे में लाना:** दलों को एक औपचारिक विनियामक और संस्थागत जांच के अधीन लाया जाना चाहिए।
- **चुनावों का राजकीय वित्त-पोषण:** कॉर्पोरेट प्रभाव को सीमित करने और छोटे दलों को समान अवसर देने के लिए, प्राप्त मतों के अनुपात में पार्टियों को सरकारी फंडिंग दी जा सकती है (जैसा कनाडा और जर्मनी में होता है)। इस विचार का समर्थन कई समितियों ने किया है:
  - चुनावों के राजकीय वित्त-पोषण पर **इंद्रजीत गुप्ता समिति** (1998);
  - चुनावी कानूनों में सुधार पर **विधि आयोग की रिपोर्ट** (1999);
  - **संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग** (2001);
  - **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग** (2008) आदि।
- **मतदाताओं के बीच जागरूकता का प्रसार:** चुनावों में धन-बल के दुरुपयोग को रोकने के लिए नागरिक समाज, मीडिया और ECI को मिलकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाने चाहिए।
- **दान की जानकारी तत्काल सार्वजनिक करना:** पारदर्शिता को अधिकतम करने के लिए दान मिलते ही उसकी जानकारी सार्वजनिक करने का प्रावधान (अमेरिकी मॉडल की तरह) लागू किया जा सकता है।

**निष्कर्ष**

संक्षेप में, भारत की चुनावी वित्त-पोषण प्रणाली अत्यधिक खर्च, कुछ हाथों में संसाधनों के संचय और काले धन के व्यापक इस्तेमाल जैसी गंभीर समस्याओं से ग्रस्त है। यह स्थिति देश के लोकतंत्र, शासन प्रणाली और सामाजिक समानता के लिए एक बड़ा संकट है। अतः लोकतंत्र की सुरक्षा हेतु कॉर्पोरेट चंदे पर कड़े नियम बनाने जैसे तत्काल और व्यापक सुधारों की अविलंब आवश्यकता है।

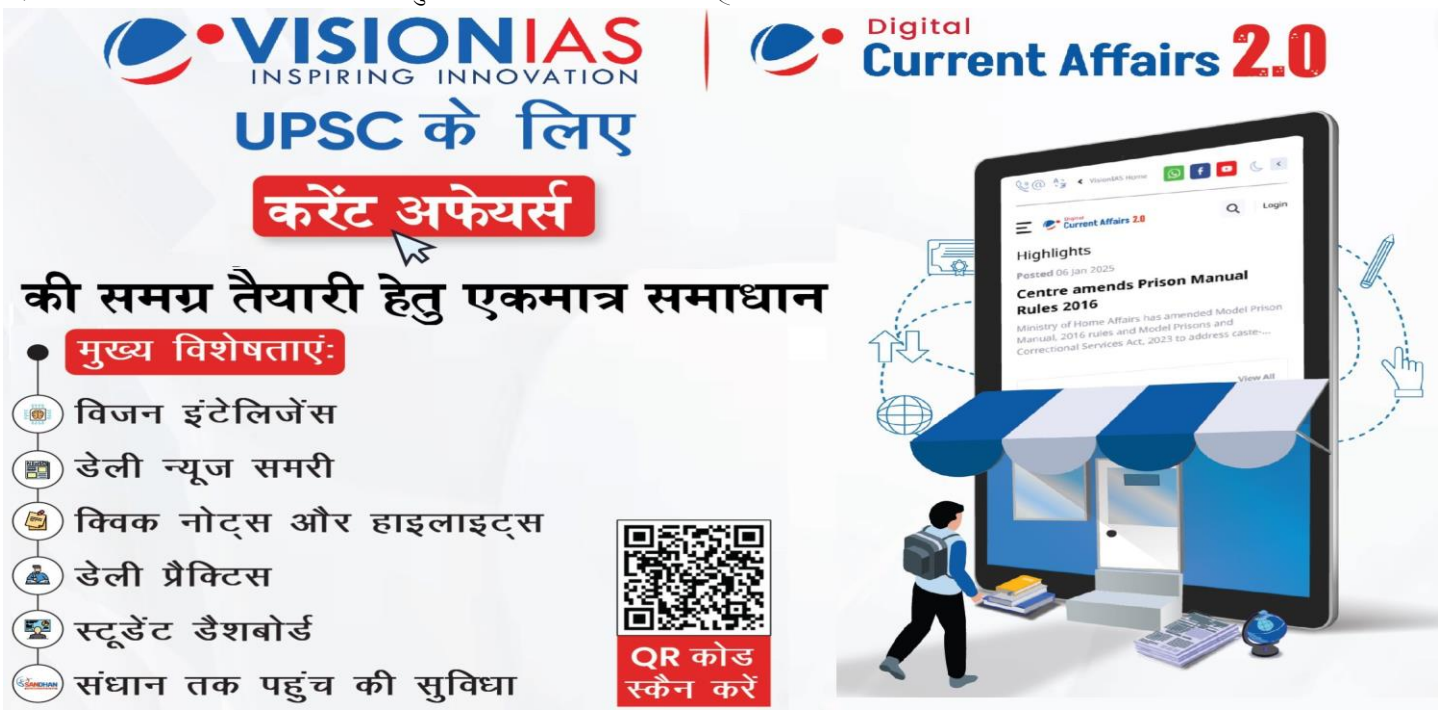

## 1.7. मताधिकार हेतु आयु सीमा में कटौती (Lowering of Age for voting)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति देखी जा रही है, जहां **जर्मनी, ऑस्ट्रिया, माल्टा, एस्टोनिया, अर्जेंटीना और निकारागुआ** जैसे कई राष्ट्रों ने अपने नागरिकों के लिए **मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष** निर्धारित कर दी है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- इसी क्रम में, हाल ही में **यूनाइटेड किंगडम** द्वारा भी मताधिकार की आयु को **18 से 16 वर्ष** करने की घोषणा की गई है।
- भारत में, मतदान की आयु को **18 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष** करने के लिए **अनुच्छेद 326** में संशोधन हेतु एक **संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020** प्रस्तुत किया गया था।
  - यह एक **गैर-सरकारी सदस्य विधेयक** था।

**भारत में मतदान की आयु से संबंधित संवैधानिक प्रावधान**

- भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 326** देश के प्रत्येक उस नागरिक को **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** प्रदान करता है, जो **18 वर्ष की आयु पूरी** कर चुका हो।
  - भारत में मतदान की आयु को **61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष** किया गया था।
  - **'मतदान का अधिकार'** एक **वैधानिक अधिकार** है, जिसे संसद के **साधारण कानून** द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

**मतदान की आयु कम करने के पक्ष और विपक्ष में तर्क**

| पक्ष में तर्क | विपक्ष में तर्क |
|---|---|
| **बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक क्षमता:** विशेषज्ञों का एक वर्ग यह मानता है कि 16 वर्षीय किशोरों में राजनीतिक मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु आवश्यक संज्ञानात्मक परिपक्वता एवं तार्किक क्षमता विकसित हो जाती है। | **अपरिपक्वता एवं सूचना का अभाव:** आलोचकों का मत है कि किशोरों में अपेक्षित परिपक्वता, सूचनात्मक गहराई और राजनीतिक जागरूकता का अभाव होता है। इससे वे राजनीतिक हेरफेर के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। |
| **अंतर-पीढ़ीगत न्याय का सिद्धांत:** वर्तमान व्यवस्था में कई देशों में वयस्कों के लिए मतदान की कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है, जबकि युवाओं को 18 वर्ष तक बाहर रखा जाता है। यह एक ऐसा पूर्वाग्रह रचता है, जहां राजनीतिक तंत्र वृद्ध मतदाताओं का पक्षधर हो जाता है। इससे भविष्योन्मुखी नीतियों के निर्माण में बाधा आती है। | **मतदान के प्रति उदासीनता:** 2024 के लोक सभा चुनावों के आंकड़े दर्शाते हैं कि 18-19 आयु वर्ग के 40% से भी कम युवाओं ने मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया था, जो कम राजनीतिक रुचि को इंगित करता है। |
| **नीतियों पर सकारात्मक प्रभाव:** आयु सीमा घटाने से राजनीतिक दलों को अपने घोषणा-पत्रों में बाल अधिकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे विषयों को अधिक प्रमुखता देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। | **अन्य कानूनी आयु सीमाओं से टकराव:** यदि मतदान की आयु घटाई जाती है, तो यह विवाह, वाहन चलाने, मद्यपान करने, सैन्य सेवा या स्वयं चुनाव लड़ने जैसी अन्य गतिविधियों के लिए निर्धारित कानूनी आयु को भी कम करने की बहस को जन्म दे सकती है। |
| **लोकतांत्रिक भागीदारी व प्रतिनिधित्व का विस्तार:** कम उम्र में मतदान का अधिकार देने से युवाओं में नागरिक जिम्मेदारी की भावना जल्दी विकसित होगी, मतदान एक आदत बनेगी तथा इसके परिणामस्वरूप, लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी। | **प्रशासनिक और लॉजिस्टिकल बोझ:** 16-17 वर्ष के किशोरों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी पंजीकरण अभियान, जागरूकता कार्यक्रम और मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी। इससे सरकारी खजाने पर भार और प्रशासनिक जटिलता दोनों में वृद्धि होगी। |

**निष्कर्ष**

मताधिकार की आयु घटाने संबंधी विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए यह अनिवार्य है कि इससे जुड़े सभी प्रयास साक्ष्य-आधारित हों तथा निर्णय-प्रक्रिया में स्वयं किशोरों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। विद्यालयों में दी जाने वाली आरंभिक व व्यापक नागरिक शिक्षा और निरंतर चलने वाले पंजीकरण अभियान, युवाओं एवं प्रवासी आबादी के बीच राजनीतिक चेतना जागृत करके व्यापक लोकतांत्रिक सहभागिता को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

# 1.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

## 1.8.1. संसद में व्यवधान (Disruption of Parliament)

17वीं लोक सभा के सत्र में, लोक सभा ने **अपने निर्धारित समय का 88% कार्य किया, जबकि राज्य सभा ने अपने निर्धारित समय का 73%** कार्य किया।

- 1950 के दशक में भारतीय संसद की बैठक **प्रतिवर्ष 120-140 दिनों** के लिए होती थी, जबकि **अब यह घटकर 60 से 70 दिन** रह गई है।

**संसदीय व्यवधान से उत्पन्न समस्याएं**

- **लोकतांत्रिक जवाबदेही का कमजोर होना:** संसदीय बहसों से निर्वाचित नेता सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन व्यवधान इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करते हैं।
- **मौद्रिक लागत:** संसद चलाने की लागत लगभग 2.5 लाख रुपये प्रति मिनट है।
- **संसद में जनता के विश्वास में कमी:** बार-बार व्यवधान के कारण सांसदों का ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाने से हटकर कार्यवाही को रोकने पर केंद्रित हो जाता है।

**संसद में व्यवधान को दूर करने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपाय**

- **विपक्ष के लिए समर्पित समय सुनिश्चित करना:** उदाहरण के लिए- ब्रिटिश संसद विपक्ष द्वारा एजेंडा तय करने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 दिन का समय निर्धारित करती है।
- **नैतिक समितियों को मजबूत करना:** इससे व्यवधानों की निगरानी करने और रिपोर्ट करने तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
- **वार्षिक संसदीय कैलेंडर:** सीमित लचीलेपन के लिए बैठकों का कैलेंडर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में घोषित किया जाना चाहिए।

## 1.8.2. उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों को हटाना (Removal of Judges in Higher Judiciary)

विभिन्न दलों के संसद सदस्यों ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश किया।

- न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ संविधान के **अनुच्छेद 124, 217 और 218** के तहत **कुल 145 लोक सभा सदस्यों** ने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इसके अलावा, न्यायमूर्ति वर्मा को न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए **राज्य सभा के 50 से अधिक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव राज्य सभा के सभापति** को सौंप दिया गया है।

**न्यायाधीशों को पद से हटाने से संबंधित संवैधानिक प्रावधान**

- **अनुच्छेद 124(4):** यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित है।
  - **हटाने के आधार:** सिद्ध कदाचार और अक्षमता।
- **अनुच्छेद 124(5):** यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह **अनुच्छेद 124(4) के तहत किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत किए जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जांच और सिद्ध करने की प्रक्रिया का कानून के जरिए विनियमन** कर सकेगी।
  - यह प्रक्रिया **न्यायाधीश जांच अधिनियम (1968) द्वारा विनियमित** होती है। यह अधिनियम संसद ने **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(5)** के तहत बनाया है।
- **अनुच्छेद 217(1)(b):** यह **हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने** से संबंधित है।
  - इसमें प्रावधान किया गया है कि किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा उसी रीति से उसके पद से हटाया जा सकता है, जिसे **सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड (4) में उपबंधित** किया गया है।
- **अनुच्छेद 218:** यह **अनुच्छेद 124 के खंड (4) और खंड (5) की प्रयोज्यता** को हाई कोर्ट्स तक बढ़ाता है।

**न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया के चरण**

| | |
|---|---|
| **प्रारंभ** | • **लोक सभा के 100 सदस्यों या राज्य सभा के 50 सदस्यों** द्वारा हस्ताक्षरित पद से हटाने का प्रस्ताव अध्यक्ष/ सभापति के समक्ष भेजा जाता है। |
| **समिति का गठन और जांच** | • यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो आरोपों की जांच के लिए **एक तीन सदस्यीय समिति का गठन** किया जाता है।<br>• इस तीन सदस्यीय समिति में **सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद** शामिल होते हैं।<br>• यदि समिति न्यायाधीश को **कदाचार या अक्षमता** का दोषी पाती है, तो सदन प्रस्ताव पर विचार करता है। |
| **संसदीय अनुमोदन** | • प्रस्ताव को पेश करने वाला सदन उसे **विशेष बहुमत (उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत)** से पारित करता है। फिर इस प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाता है, वहां भी इसे **विशेष बहुमत** से पारित करना होता है। |
| **राष्ट्रपति का आदेश** | • दोनों सदनों से पारित होने के बाद, पद से हटाने के लिए एक संबोधन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। **इसे उसी सत्र में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाना होता है।**<br>• इसके बाद राष्ट्रपति पद से हटाने का आदेश जारी करता है। |
| **नोट- संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए 'महाभियोग'** शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। | |

## 1.8.3. सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक (National Standards For Civil Service Training Institutes: NSCSTI)

हाल ही में केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्री ने '**सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 (NSCSTI 2.0)**' फ्रेमवर्क जारी किया।

**सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानकों के बारे में**

- ये मानक **मिशन कर्मयोगी** के तहत **क्षमता निर्माण आयोग (CBC)** द्वारा विकसित किए गए हैं।
  - **मिशन कर्मयोगी** का उद्देश्य एक सक्षम और भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है, जो प्रभावी लोक सेवा प्रदान करने तथा 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में काम करे।
- **NSCSTI के प्राथमिक उद्देश्य हैं:**
  - केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के भीतर क्षमताओं का एक आधारभूत स्तर स्थापित करना;
  - इन संस्थानों के प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए एक संरचित उपकरण प्रदान करना; तथा
  - सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित करके क्षमता निर्माण को मानकीकृत करना।
- **NSCSTI 2.0 फ्रेमवर्क कुछ नई विशेषताओं को पेश करता है:**
  - हाइब्रिड और AI -संचालित शिक्षण मॉडल्स;
  - यह सभी स्तरों के सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपयुक्त एक समावेशी डिजाइन को अपनाता है; तथा
  - यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों के बीच की बाधाओं को हटाकर सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देता है।

### 1.8.4. बिल ऑफ लैडिंग बिल 2025 (Bills of Lading Bill 2025)

हाल ही में, संसद ने '**बिल ऑफ लैडिंग विधेयक 2025'** पारित किया।

**बिल्स ऑफ लैडिंग बिल 2025 के बारे में**

- इसका उद्देश्य शिपिंग डाक्यूमेंट्स के लिए **कानूनी फ्रेमवर्क को अपडेट करना और सरल** बनाना है।
- इसे **इंडियन बिल्स ऑफ लैडिंग एक्ट, 1856** की जगह लाया गया है।
- **बिल ऑफ लैडिंग** एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो **मालवाहक कंपनी (freight carrier)** द्वारा **भेजने वाले (shipper)** को जारी किया जाता है।
    - इसमें अग्रलिखित जानकारियाँ शामिल होती हैं: भेजी जाने वाली वस्तु का प्रकार, वस्तु की मात्रा, स्थिति, गंतव्य स्थान।

| SMART QUIZ | विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। | |
|---|---|---|

# 2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

## 2.1. भारत-यूनाइटेड किंगडम (यूके) व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) {India-United Kingdom (UK) Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने **व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA)** पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उनकी साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- **CETA के अलावा कुछ अन्य प्रमुख सहयोग:**
  - **भारत–यूके विज़न 2035** अपनाया गया है, जो आने वाले दशक में अर्थव्यवस्था, तकनीक, रक्षा, जलवायु, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रकों में सहयोग का मार्गदर्शन करेगा।
  - रक्षा उत्पादों के सह-डिज़ाइन, सह-विकास और सह-उत्पादन के लिए **रक्षा औद्योगिक रोडमैप** अपनाया गया।

**व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) की मुख्य विशेषताएं**

- **व्यापक स्तर पर प्रशुल्क (टैरिफ) की समाप्ति और बाजार तक पहुंच**
  - **प्रशुल्क समाप्ति:** भारत के लगभग संपूर्ण व्यापार बास्केट को कवर करते हुए **99% से अधिक टैरिफ लाइनें समाप्त** हो जाएंगी।
    - इस बीच, भारत ने अपनी **89.5% टैरिफ लाइनें खोल** दी हैं, जो **यूके के 91% निर्यात** को कवर करती हैं।
  - **संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा:** भारत ने दुग्ध उत्पाद, अनाज, मिलेट्स, सोना, आभूषण, लैब में बने हीरे जैसे संवेदनशील क्षेत्रकों को संरक्षित किया है।
  - **द्विपक्षीय रक्षोपाय प्रावधान:** घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचाने की संभावना वाली अचानक आयात वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय अपनाए गए हैं।
- **सेवाएं**
  - **बड़े पैमाने पर बाजार तक पहुंच:** भारतीय आईटी, वित्त, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को यूके में व्यापक अवसर दिए गए हैं।
  - **व्यापक प्रतिबद्धताएं:** भारत ने यूके से सभी 12 प्रमुख सेवा क्षेत्रकों को कवर करने वाली व्यापक प्रतिबद्धताएं सुनिश्चित की हैं।
- **परस्पर मान्यता और पेशेवर गतिशीलता**
  - **पारस्परिक मान्यता समझौता (Mutual Recognition Agreement):** दोनों देश एक वर्ष के भीतर **नर्सिंग, लेखाशास्त्र (Accountancy), और वास्तुकला** जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक योग्यताओं को मान्यता देंगे। इससे पेशेवरों का आवागमन आसान होगा और बाधाएं कम होंगी।
  - **पेशेवरों के लिए अस्थायी प्रवेश:** यूके और भारत एक दूसरे के बिजनेस विज़िटर, किसी एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर होने वाले कंपनी के कर्मचारी, सेवा प्रदाता, स्वतंत्र पेशेवर और निवेशकों को 90 दिन से 3 साल तक रुकने की अनुमति देंगे, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है।
  - **डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन (DCC):** यह भारतीय कामगारों और उनके नियोक्ताओं को यूनाइटेड किंगडम में **तीन वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट प्रदान** करता है।
  - **उत्पत्ति के नियमों का सरलीकरण:**
    - निर्यातक उत्पाद की उत्पत्ति का स्व-प्रमाणन कर सकते हैं;
    - £1,000 (एक हज़ार पाउंड) से कम के निर्यात के लिए किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होगी;
    - उत्पाद-विशिष्ट उत्पत्ति के नियमों (PSRs) को वस्त्र, मशीनरी, दवाएं और प्रसंस्कृत खाद्य जैसे क्षेत्रकों के लिए भारत की मौजूदा सप्लाई चेन के अनुरूप बनाया गया है आदि।

**भारत के लिए CETA का महत्त्व**

- **निर्यात वृद्धि:** वस्त्र, आभूषण, मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रकों में **निर्यात में 20 से 40% तक बढ़ोतरी** होने की संभावना है।
- **भौगोलिक संकेतक (GI) की सुरक्षा:** भारत के GI उत्पाद जैसे **फेणी, ताड़ी और नासिक वाइन** को सुरक्षा मिलेगी।
- **बाजार तक पहुंच:** यह समझौता यूके के 37.5 बिलियन डॉलर के कृषि आयात बाजार को भारतीय उत्पादकों के लिए खोलता है। इसमें 95% से अधिक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को शुल्क मुक्त (ड्यूटी-फ्री) पहुंच मिलेगी।
- **कामगार लाभ:** CETA कामगारों के अधिकारों की रक्षा करता है, जिसमें जागरूकता, निष्पक्ष अधिकरणों तक पहुंच और पारदर्शी कार्यान्वयन शामिल है।
    - कार्यस्थल पर **महिला कामगारों को भेदभाव-रहित परिवेश और लैंगिक समानता** के प्रावधानों से लाभ मिलेगा।

**MSME और क्षेत्रीय विकास:** व्यापार बढ़ने से प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को फायदा होगा जैसे **तिरुप्पुर (कपड़ा), कोलकाता (चमड़ा), और सूरत–भरूच (रसायन)।**

**भारत–यूके संबंधों का महत्त्व**

- **आर्थिक सहयोग:** भारत और यूके के बीच 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है, और **2030 तक इसे दोगुना** करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
    - **निवेश: यूके** भारत में **छठा सबसे बड़ा आंतरिक निवेशक (Inward investor)** है। सितंबर 2024 तक यूके ने भारत में कुल 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है।

- **भू-राजनीतिक सहयोग:** भारत और यूके **संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), G-20, राष्ट्रमंडल (Commonwealth) और इंडो-पैसिफिक** जैसे मंचों पर मिलकर काम करते हैं।
  - यूके, **UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता** का समर्थन करता है।
- **रक्षा सहयोग:** भारत और यूके नियमित सैन्य अभ्यास करते हैं, जैसे **कोंकण (नौसेना), कोबरा वॉरियर (वायु सेना) और अजेय वॉरियर (थल सेना)।**
- **भारतीय प्रवासी:** यूके में भारतीयों की बहुत बड़ी आबादी निवास करती है। 2021 की जनगणना के अनुसार वहां पर भारतीय मूल के **18.64 मिलियन** लोग रहते हैं।
- **शिक्षा सहयोग: यूके के कई विश्वविद्यालय** भारत में **कैंपस खोलने** की योजना बना रहे हैं। जैसे- **साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय का गुरुग्राम परिसर नई शिक्षा नीति के तहत पहला परिसर होगा।**
  - इस समय लगभग **1.7 लाख भारतीय छात्र** यूके में पढ़ रहे हैं।
- **स्वास्थ्य सहयोग:** उदाहरण के तौर पर- यूके की कंपनी **एस्ट्राजेनेका** और भारत के **सीरम इंस्टीट्यूट** ने लाइसेंसिंग समझौते के तहत **कोविड-19 वैक्सीन** का विकास और उत्पादन किया है।
  - **स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल पर सहयोग के लिए भारत-यूके फ्रेमवर्क समझौता** नर्सों, संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों आदि की भर्ती और प्रशिक्षण का समर्थन करता है।

**भारत–यूके संबंधों में चुनौतियां**

- **विदेश नीति में मतभेद:** जैसे- रूस-यूक्रेन संघर्ष पर दोनों देशों की स्थिति अलग-अलग है।
- **यूके की आंतरिक राजनीति:** यूके में कश्मीर और भारत के आंतरिक मामलों पर की गई राजनीतिक बहस एवं टिप्पणियां कभी-कभी तनाव पैदा करती हैं तथा प्रवासी भारतीयों के साथ रिश्तों को भी प्रभावित करती हैं।
- **खालिस्तान अलगाववाद:** यूके में **खालिस्तान समर्थक तत्वों** की गतिविधियों को लेकर भारत चिंतित है, क्योंकि उन्हें भारत अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है।
- **प्रत्यर्पण संबंधी मुद्दे:** प्रत्यर्पण संधि होने के बावजूद कानूनी देरी के कारण विजय माल्या जैसे हाई-प्रोफाइल भगोड़े यूके में ही रह रहे हैं। इससे, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय विश्वास पर असर पड़ रहा है।

**निष्कर्ष**

**भारत–यूके विज़न 2035** के तहत किया गया **CETA समझौता** द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे व्यापार, तकनीक, रक्षा, जलवायु, शिक्षा जैसे क्षेत्रकों में सहयोग और मजबूत होगा। यूके जहां P-5, G-7 और फाइव आइज़ जैसे शक्तिशाली समूहों का सदस्य है, वहीं भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में दोनों देश एक रणनीतिक मोड़ पर खड़े हैं। यदि भारत और यूके बदलते वैश्विक परिदृश्य में मिलकर काम करें और विज़न 2035 के तहत साझा पहलों को आगे बढ़ाएं, तो वे अपनी साझेदारी को नए एवं ऐतिहासिक स्तर तक ले जा सकते हैं। साथ ही, लंबित चुनौतियों का समाधान भी निकाल सकते हैं।

## 2.2. भारत-मालदीव संबंध (India-Maldives Relations)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में **भारत-मालदीव राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर** प्रधान मंत्री ने मालदीव की यात्रा की।

**यात्रा के मुख्य परिणाम:**

- मालदीव को **4,850 करोड़ रुपये की लाइन ऑफ क्रेडिट** की सुविधा दी गई। भारत सरकार से लिए गए **ऋणों के वार्षिक भुगतान को कम** करने के लिए एक समझौता किया गया।
- **भारत–मालदीव के बीच मुक्त व्यापार समझौते (IMFTA)** पर वार्ता शुरू करने और उसके विचारार्थ विषयों पर चर्चा की गई।
- **NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण** के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत मालदीव में **UPI** लॉन्च करने पर सहमति बनी।
- **मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि; मौसम विज्ञान; डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना; भारतीय फार्माकोपिया** आदि क्षेत्रकों के संबंध में समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया।

**सहयोग के क्षेत्र**

भारत और मालदीव के बीच लंबे समय से **नृजातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं व्यावसायिक संबंध** रहे हैं। भारत मालदीव को 1965 में स्वतंत्रता मिलने के बाद उसे मान्यता देने और उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला देश था।

- **सामरिक स्थिति और निकटता:** मालदीव भौगोलिक रूप से **पश्चिमी हिंद महासागर (अदन की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य) और पूर्वी हिंद महासागर (मलक्का जलडमरूमध्य)** के बीच एक 'टोल गेट' की तरह अवस्थित है।
  - भारत के पश्चिमी तट से मालदीव की निकटता और हिंद महासागर के प्रमुख समुद्री मार्गों के केंद्र में होने के कारण मालदीव भारत के लिए रणनीतिक व सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है।
- **समग्र सुरक्षा प्रदाता:** भारत को मालदीव के लिए एक **"समग्र सुरक्षा प्रदाता" (Net Security Provider)** के रूप में देखा जाता है। इसकी पुष्टि इसलिए की गई है, क्योंकि मालदीव भारत की **"पड़ोसी प्रथम" (Neighbourhood First)** नीति में एक विशेष स्थान रखता है। साथ ही, यह भारत के **विज़न महासागर/ MAHASAGAR (क्षेत्रों में सुरक्षा और संवृद्धि की पारस्परिक एवं समग्र उन्नति)** में भी योगदान देता है। यह विज़न **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR)** में सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- **रक्षा सहयोग और सुरक्षा:** भारत और मालदीव ने **2016 में डिफेंस एक्शन प्लान** पर हस्ताक्षर किए थे। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी और मजबूत हुई है।
  - दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे **कुवेरिन और एकाथा** का आयोजन किया जाता है।
  - मालदीव **कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव** का संस्थापक सदस्य भी है।
- **आर्थिक एकीकरण:** 2023 में भारत–मालदीव का द्विपक्षीय व्यापार **548.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक हो गया था। 2023 में ही भारत, **मालदीव का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** बनकर उभरा।
- **मानवतावादी कूटनीति और संकट में "प्रथम सहायता प्रदाता":** संकट के समय भारत हमेशा मालदीव का **"पहला मददगार"** रहा है। इसमें **1988 के तख्तापलट प्रयास, 2004 की सुनामी, 2014 का माले जल संकट और कोविड-19 महामारी** के दौरान तुरंत सहायता देना शामिल है।
- **लोगों के बीच (P2P) व्यापक संबंध:** मालदीव के पर्यटन के लिए भारत अब सबसे बड़ा बाजार बन गया है। केवल 2023 में ही **2.09 लाख से अधिक भारतीय पर्यटक** मालदीव गए थे।

**द्विपक्षीय संबंधों में उत्पन्न हालिया मुद्दे**

- **मालदीव की आंतरिक राजनीति:** मालदीव का राजनीतिक परिवेश मुख्य रूप से *भारत-समर्थक व चीन-समर्थक* गुटों में बंटा हुआ है।
- **राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के नेतृत्व में रणनीतिक पुनर्गठन:**
  - **"इंडिया आउट कैंपेन"** के राष्ट्रवादी जनादेश पर निर्वाचित होने के कारण, इसने भारत विरोधी जनभावनाओं को और भड़काया। इसके कारण **हाइड्रोग्राफिकल सर्वेक्षण रद्द करना पड़ा**, **भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी** जैसी घटनाएं हुई।
  - मालदीव ने अपनी नीति को **"इंडिया फर्स्ट"** से बदलकर **"मालदीव फर्स्ट"** किया, जिसका उद्देश्य **मालदीव की विदेश नीति को विविधता** देना है।
- **चीन का प्रभाव:** मालदीव 2014 में **चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI)** में शामिल हुआ और चीन ने कई बड़ी अवसंरचनाओं में निवेश किए हैं। उदाहरण के लिए- **चाइना–मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज।**
- **आर्थिक अस्थिरता:** विश्व बैंक के अनुसार उच्च राजकोषीय घाटे और जीडीपी की धीमी संवृद्धि दर के कारण, मालदीव का सार्वजनिक ऋण 2027 तक **जीडीपी का 135.7%** होने का अनुमान है।
- **कट्टरपंथ:** साल 2023 में अमेरिका ने मालदीव में मौजूद ISIS और अलकायदा के वित्तीय सहयोगियों एवं कार्यकर्ताओं को चिन्हित (नामित) किया था।

**निष्कर्ष**

भारत और मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में साझा चुनौतियों का सामना करते हैं, जिनका दोनों देशों की सुरक्षा एवं विकास पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक साझेदार होने के नाते, दोनों देशों को समुद्री और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, ताकि भारत एवं मालदीव के लोगों के साथ-साथ पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के लिए लाभ प्राप्त हो सकें।

## 2.3. ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की जलविद्युत परियोजना (China's Hydropower Project on The Brahmaputra River)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

चीन ने **तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो (भारत में ब्रह्मपुत्र) नदी पर मेडोग (मोतुओ) मेगा डैम परियोजना** का निर्माण शुरू किया है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- यह परियोजना केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परियोजना **तिब्बत के औद्योगीकरण** संबंधी बीजिंग के लक्ष्य का भी समर्थन करती है।
- चीन, मेडोग (मोतुओ) बांध परियोजना को एक **नवीकरणीय ऊर्जा पहल और तिब्बत के लिए आर्थिक प्रोत्साहन** के रूप में प्रस्तुत करता है, जो **2060 तक कार्बन तटस्थता** के उसके लक्ष्य का समर्थन करती है।

**मेडोग हाइड्रोपावर परियोजना के बारे में**

- **विस्तार और क्षमता:** इसके बनने के बाद यह आकार में **चीन की यांग्त्ज़ी नदी पर बने 'थ्री गॉर्जेस डैम'** से भी बड़ा होगा। संभवतः उससे **तीन गुना अधिक ऊर्जा** उत्पन्न भी करेगा। **मेडोग परियोजना विश्व की सबसे बड़ी बांध परियोजना** होगी।
- **अवस्थिति:** यह परियोजना **अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी के ग्रेट बेंड** पर निर्मित की जा रही है।
- **परियोजना का डिजाइन:** इसे **रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना** के रूप में पेश किया गया है। इसमें **पांच क्रमिक (कैस्केड) हाइड्रो पावर संयंत्र** होंगे और **नदी के जल प्रवाह के आधे हिस्से तक** को मोड़ने वाली **भंडारण संरचनाएं** होंगी।

**परियोजना से जुड़ी गंभीर चिंताएं**

- **भू-राजनीतिक चिंताएं:**
  - **प्रवाह में बाधा:** नदी के प्रवाह में बदलाव से **पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि, खाद्य सुरक्षा और जलविद्युत परियोजनाएं** प्रभावित होंगी।
    - **उदाहरण:** सियांग नदी आपदा (2000)।
  - **सुरक्षा संबंधी जोखिम:** दोनों देशों के बीच तनाव के समय इसे एक संभावित **वॉटर बॉम्ब** के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **जल संसाधन पर प्रतिस्पर्धा:** ब्रह्मपुत्र बेसिन में **भारत–चीन–बांग्लादेश** के बीच जल संसाधन को लेकर प्रतिस्पर्धा है, जो कि **बांध और जल के प्रवाह को मोड़ने वाली परियोजनाओं** से प्रेरित है। इससे मानव सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर खतरा है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:**
  - गंगा–ब्रह्मपुत्र डेल्टा के लिए आवश्यक **तलछट (Sediment) प्रवाह में बाधा** उत्पन्न हो सकती है।
  - **मछलियों की लगभग 218 प्रजातियों (जैसे हिल्सा और महसीर) के समक्ष खतरा** उत्पन्न हो सकता है। इससे **20 लाख लोगों की आजीविका** खतरे में पड़ सकती है।
- **आपदा के प्रति सुभेद्यता:**
  - यह **परियोजना भूकंप क्षेत्र V में स्थित** है, जो **भूकंप और भूस्खलन** के लिए अत्यधिक संवेदनशील है।
  - ज्ञातव्य है कि दिसंबर 2024 में तिब्बत में आए **7.5 तीव्रता वाले भूकंप ने बड़े बांधों के टूटने के संभावित खतरे को उजागर** किया था।

**भारत और चीन के बीच मौजूदा नदी जल सहयोग तंत्र**

- **विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र (2006):** हर वर्ष बाढ़ के मौसम से जुड़े आंकड़ों, आपातकालीन प्रोटोकॉल और सीमा-पार नदियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है।
- **ब्रह्मपुत्र पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करना:** एक समझौते (MoU) के तहत **जून से अक्टूबर** तक तिब्बत के तीन स्टेशनों से आंकड़े साझा किए जाते हैं।
  - यह समझौता **जून 2023 में समाप्त** हो गया और इसके नवीनीकरण पर वार्ता चल रही है।

- **सतलज नदी पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करना:** एक समझौते (MoU) के तहत तिब्बत के एक स्टेशन से **जून से अक्टूबर** तक का सतलज नदी से संबंधित डेटा साझा किया जाता था।
  - यह समझौता **2020 में समाप्त** हो गया और इसका नवीनीकरण लंबित है।
- **व्यापक समझौता ज्ञापन (2013):** इसके तहत **ब्रह्मपुत्र और सतलज** के आंकड़े साझा करने की अवधि **15 मई से बढ़ाकर 15 अक्टूबर** कर दी गई और यह जल संबंधी सहयोग के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क भी प्रदान करता है।

**आगे की राह**

- **भारत की संभावित प्रतिक्रिया:**
  - **रणनीतिक कदम:** चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी हिस्से (Upstream) पर अपना अधिकार बढ़ाने के खिलाफ प्रतिक्रिया में, भारत **अरुणाचल प्रदेश में सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट)** के निर्माण की योजना बना रहा है।
    - नीति आयोग ने **2017 में सियांग क्षेत्र** में इस तरह की **बहुउद्देशीय परियोजना** का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
  - **पारदर्शिता की मांग:** भारत द्वारा चीन से **तकनीकी जानकारी, पर्यावरणीय अध्ययन और भूकंपीय सुरक्षा योजनाओं** का पूरा विवरण साझा करने की मांग की जानी चाहिए। साथ ही, जब तक इन मुद्दों का समाधान न हो जाए, तब तक परियोजना रोकने पर जोर दिया जाना चाहिए।
- **क्षेत्रीय गठबंधन:** निचले प्रवाह (Downstream) वाले देशों को एकजुट करना चाहिए, ताकि वे **1997 के संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय** के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी जल बंटवारे के समझौते की मांग कर सकें। इसमें हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करना, मिलकर पर्यावरणीय आकलन करना आदि शामिल होना चाहिए।
- **सीमा-पार सहयोग:** भारत यह प्रयास करे कि नदी जल साझाकरण पर **चीन-कज़ाखस्तान समझौते** की तरह ही एक संयुक्त तंत्र विकसित किया जाए, ताकि भारत **साझा नदियों पर अपने अधिकार (Co-riparian rights)** सुरक्षित रह सकें।
- **जल सुरक्षा ढांचा: ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा** नदी बेसिन वाले दक्षिण एशियाई देशों के लिए एक **"साउथ एशिया वाटर नाटो"** जैसे समूह के गठन का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि डेटा की पारदर्शिता, विवाद समाधान और आपदा से निपटने की तैयारी सुनिश्चित हो सके। इसमें भी सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत निहित होना चाहिए।
  - इस दिशा में **नाइल बेसिन इनिशिएटिव और मेकांग रिवर कमीशन से सर्वोत्तम पद्धतियों एवं सीख को अपनाया** जा सकता है।

**निष्कर्ष:**

यारलुंग त्सांगपो परियोजना यह दिखाती है कि जल प्रबंधन में तुरंत और मिलजुलकर सहयोग की जरूरत है। यदि पारदर्शिता और न्यायपूर्ण जल साझाकरण (जैसे नदी के प्रवाह मार्ग में स्थित मध्यवर्ती देशों के गठबंधन या साउथ एशिया वाटर नाटो) जैसी व्यवस्था नहीं बनाई जाती हैं, तो इससे पर्यावरणीय नुकसान, आर्थिक हानि तथा क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा हो सकती है।

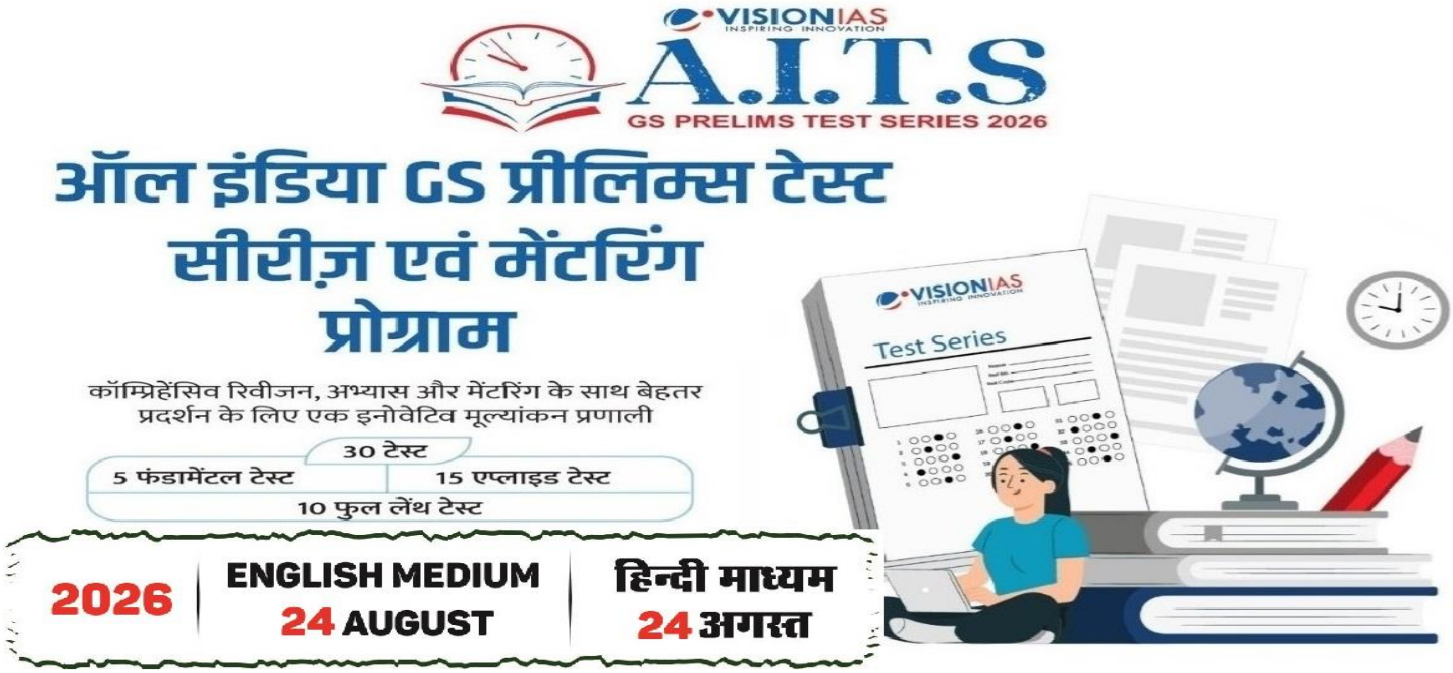

## 2.4. भारत-अफ्रीका संबंध (India-Africa Relations)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने **घाना और नामीबिया** जैसे अफ्रीकी देशों की यात्रा पूरी की तथा उन्होंने दोहराया कि **"अफ्रीका के लक्ष्य ही भारत की प्राथमिकता हैं।"**

**अन्य संबंधित तथ्य**

- प्रधान मंत्री ने **घाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित** किया। घाना के राष्ट्रपति ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान **"ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना"** से सम्मानित किया।
- प्रधान मंत्री ने **घाना-भारत संसदीय मैत्री सोसाइटी** की स्थापना का भी स्वागत किया, जो दिखाता है कि दोनों देश विधायी स्तर पर आपसी संबंध और गहरे करना चाहते हैं।
  - दोनों पक्षों ने संबंधों को और मजबूत बनाते हुए इन्हें **व्यापक साझेदारी** तक ले जाने पर सहमति बनाई।
- भारत की अफ्रीका नीति पुराने संबंधों पर आधारित है, लेकिन यह वर्तमान जरूरतों पर भी केंद्रित है। यह नीति **परामर्श आधारित और मांग-प्रधान दृष्टिकोण** अपनाती है। इसमें **दोनों देश समान भागीदार के रूप में काम** करते हैं। यह नीति **2018 में भारत के प्रधान मंत्री** द्वारा रेखांकित **कंपाला सिद्धांतों** (इन्फोग्राफिक देखें) पर आधारित है।

**भारत के लिए अफ्रीका का रणनीतिक महत्त्व**

- **रणनीतिक व सामरिक और भू-राजनीतिक महत्त्व:** अफ्रीका, भारत का **स्वाभाविक साझेदार** है। दोनों ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उठाने, संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की मांग करने तथा शांति व सुरक्षा बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं।
  - **उदाहरण:** अफ्रीकी संघ (AU) को G-20 की सदस्यता मिलना, जिससे ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति को मंच मिला और एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC)।
    - **AAGC की स्थापना 2017 में भारत और जापान** ने मिलकर की थी। इसका उद्देश्य एशिया और अफ्रीका के बीच बेहतर कनेक्टिविटी एवं सहयोग के जरिए अफ्रीका में सतत एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।
- **रक्षा क्षेत्र:** भारत और अफ्रीकी देश, **इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) और इंडियन ओशन कमीशन (IOC)** जैसे क्षेत्रीय संगठनों के ज़रिए अपने सहयोग को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा, **मिलन (MILAN), कटलैस एक्सप्रेस (Cutlass Express)** जैसे **बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यासों** में भाग ले रहे हैं।
  - हाल ही में **भारतीय नौसेना** ने अफ्रीकी देशों के साथ एक बड़े पैमाने पर **बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास** शुरू किया है। इसका नाम **अफ्रीका-इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट (AIKEYME)** है।
- **आर्थिक:** अफ्रीका एक **तरुण और तेज़ी से शहरीकृत हो रहा बाजार** है। यहां मौजूद महत्वपूर्ण खनिज **(कोबाल्ट, मैंगनीज, रेयर अर्थ्स आदि)** भारत के विनिर्माण और हरित विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
  - अफ्रीका के पास विश्व के **48.1% कोबाल्ट और 47.7% मैंगनीज** के भंडार हैं।
  - भारत **यूरोपीय संघ और चीन के बाद अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।**
- **व्यापार:** भारत से अफ्रीका को मुख्य रूप से **खनिज ईंधन, खाद्य उत्पाद, दवाइयां** आदि निर्यात किए जाते हैं। अफ्रीका से भारत **कच्चा तेल, हीरा, तांबा** आदि का आयात करता है।
- **बाज़ार तक पहुंच:** भारत पहला विकासशील देश है, जिसने **ड्यूटी-फ्री टैरिफ प्रेफरेंस (DFTP)** योजना के जरिए **अल्प विकसित देशों (LDCs) को गैर-पारस्परिक आधार पर शुल्क-मुक्त बाज़ार पहुंच** प्रदान की है।
- **भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति: भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC)** तथा **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR)** की छात्रवृत्तियां। साथ ही, **ई-विद्याभारती और ई-आरोग्यभारती (e-VBAB) नेटवर्क** के जरिए **ऑनलाइन शिक्षा एवं टेलीमेडिसिन सेवाएं** दी जा रही हैं। ये प्लेटफॉर्म्स अफ्रीका के कई देशों में **क्षमता-विकास** के प्रमुख मंच हैं।
- **प्रौद्योगिकी: डिजिटल कनेक्टिविटी** भारत और अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग का एक नया स्तंभ बनकर उभर रही है। उदाहरण के लिए- **मॉरीशस में UPI और RuPay की शुरुआत, भारत की इंडिया स्टैक तकनीकों को अफ्रीका के साथ साझा करने के विजन का ही हिस्सा** है।

- **ऊर्जा सुरक्षा:** अफ्रीका में नवीकरणीय ऊर्जा की बड़ी संभावनाएं हैं, जैसे- **10 टेरावाट सौर क्षमता, 100 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता और 15 गीगावाट भू-तापीय ऊर्जा।**
    - भारत द्वारा सह-स्थापित **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) अफ्रीका में मिनी-ग्रिड एवं विकेंद्रित सौर ऊर्जा को बढ़ावा** देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट और वित्तीय तंत्रों (जैसे- ग्लोबल सोलर फैसिलिटी, STAR-C इनिशिएटिव, वर्चुअल ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर आदि) पर काम कर रहा है।

**भारत-अफ्रीका संबंधों में मौजूद चुनौतियां**

- **परियोजनाओं के क्रियान्वयन और डिलीवरी में देरी:** भारत द्वारा वित्त-पोषित कई अवसंरचनात्मक एवं क्षमता-विकास परियोजनाएं प्रक्रियागत बाधाओं, धन वितरण की समस्याओं तथा दूर-दराज के अफ्रीकी क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियों के कारण देर से पूरी हो रही हैं।
- **वैश्विक मंचों पर कम प्रतिनिधित्व:** अफ्रीकी देशों को अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य वैश्विक निर्णयकारी संस्थाओं में स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है।
- **अन्य साझेदारों से रणनीतिक प्रतिस्पर्धा:** भारत की क्षमता-विकास और रियायती ऋण व्यवस्था (LoCs) आधारित नीति की सराहना होती है, लेकिन यह कई बार चीन की गति, विस्तार एवं बड़े निवेश के सामने कमजोर दिखाई देती है।
- **सुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता:** अफ्रीका के कुछ हिस्सों (खासकर साहेल और हॉर्न ऑफ अफ्रीका) में राजनीतिक अशांति तथा संघर्ष एवं आतंकवाद, भारतीय कामगारों व निवेशों के समक्ष सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा करते हैं।

**निष्कर्ष**

परंपरागत रूप से अफ्रीका महाद्वीप भारत की विदेश नीति में एक केंद्रीय स्थान रखता आया है और भारत के अफ्रीका में महत्वपूर्ण हित भी हैं। क्षमता-विकास, स्थानीय स्वामित्व और साझेदारी पर ध्यान देकर तथा नैतिक कूटनीति के जरिए आपसी सद्भावना बढ़ाकर, भारत एक दीर्घकालिक, सतत व उपनिवेशोत्तर दक्षिण-दक्षिण सहयोग का एक ऐसा मॉडल बनाना चाहता है, जिसमें निर्भरता कम और विश्वसनीयता ज्यादा हो।

## 2.5. भारत-लैटिन अमेरिकी-कैरेबियाई देशों के मध्य संबंध (India Latin American and Caribbean Countries Ties)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और ब्राजील** की राजकीय यात्रा की। साथ ही, ब्राजील के **रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन** में भी भाग लिया।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- **सर्वोच्च नागरिक सम्मान:** भारतीय प्रधान मंत्री को **त्रिनिदाद और टोबैगो के "ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक"** सम्मान से सम्मानित किया गया।

- **त्रिनिदाद और टोबैगो:** भारतीय प्रधान मंत्री ने **त्रिनिदाद और टोबैगो** में **प्रवासी समुदाय की छठी पीढ़ी को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड देने** की घोषणा की है।

**लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (LAC)-भारत संबंधों का महत्त्व**

- **रणनीतिक व सामरिक पक्ष:**
  - **रक्षा सहयोग:** भारत और ब्राजील ने **संयुक्त रक्षा समिति** की बैठकों के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत किया है और **2+2 राजनीतिक-सैन्य वार्ता** शुरू की है।
  - **महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा:** भारत की सरकारी कंपनी **खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) ने अर्जेंटीना में पांच लिथियम ब्लॉक्स** के अधिग्रहण के लिए वहां की कंपनी **कैमयेन (CAMYEN)** के साथ समझौता किया है। यह **किसी भारतीय सरकारी कंपनी की पहली लिथियम खोज और खनन परियोजना** है।
    - ज्ञातव्य है कि **चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया को "लिथियम ट्रायंगल"** कहा जाता है, और इनके पास **दुनिया के 75% से अधिक लिथियम के भंडार** मौजूद हैं।
  - **खाद्य सुरक्षा: लैटिन अमेरिका** भारत के लिए खाद्य पदार्थों **(विशेष रूप से खाद्य तेल और दालों)** का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गया है।
    - **अर्जेंटीना** भारत के लिए **खाद्य तेल, विशेष रूप से सोयाबीन तेल** के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक है।

- **आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध:**
  - **व्यापार और निवेश:**
    - 2023-24 में इस क्षेत्र के साथ भारत का **कुल व्यापार 35.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंच गया था।
    - **निवेश:** भारतीय कंपनियों ने **पिछले 15 वर्षों में आई.टी., फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा, खनन, विनिर्माण और कृषि-रसायन में 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का निवेश किया है।
    - भारत का MERCOSUR के साथ एक **अधिमान्य व्यापार समझौता** है।
  - **ऊर्जा सुरक्षा:** भारत द्वारा **वेनेजुएला, मेक्सिको और ब्राजील** से कच्चे तेल का आयात, इस क्षेत्र (LAC) से होने वाले भारत के कुल आयात का लगभग **30% है।**
    - **जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा:** भारत ने **कैरिकॉम/ CARICOM** (कैरेबियाई समुदाय और साझा बाजार) को **140 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट** दिया है। इसका उपयोग **सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी परियोजनाओं** में किया जाएगा।
      - **कैरिकॉम** कैरेबियन क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण और सहयोग बढ़ाने के लिए निर्मित एक **क्षेत्रीय संगठन** है।
    - भारत, **ब्राजील** के साथ मिलकर **बायोफ्यूल (जैव-ईंधन) के शोध और उत्पादन** को बढ़ावा देने के लिए **बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म** पर काम कर रहा है।
- **क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग**
  - **महत्वपूर्ण सहयोग:** भारत का **अर्जेंटीना और ब्राजील के साथ G-20 में तथा ब्राजील के साथ BRICS, IBSA एवं G-4 जैसे समूहों में मजबूत सहयोग है।**
  - **क्षेत्रीय समूह:** भारत **कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स (CELAC), कैरिकॉम और सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम (SICA)** के साथ सक्रिय भागीदारी और बैठकें करता है।

**मर्कोसुर (MERCOSUR) के बारे में**

- **परिचय:** यह लैटिन अमेरिका का एक **दक्षिणी साझा बाजार** है। MERCOSUR' स्पेनिश भाषा के **'Mercado Común del Sur'** का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है **"दक्षिणी साझा बाज़ार"।**
- **स्थापना:** इसकी स्थापना **1991** में हुई थी। इसका उद्देश्य **वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की मुक्त आवाजाही** सुनिश्चित करना था।
- **सदस्य देश:** अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे। (**वेनेजुएला** की सदस्यता फिलहाल निलंबित है)
- **एसोसिएट सदस्य:** चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पनामा, पेरू और सूरीनाम।
- **मुख्यालय:** मोंटेवीडियो (उरुग्वे)।

**चुनौतियां**

- **चीन का प्रभाव:** चीन ने लैटिन अमेरिका के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं और 2000 के बाद से दोनों के मध्य व्यापार में 35 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है।
- **क्षेत्रीय एकीकरण की कमजोरियां: मर्कोसुर (MERCOSUR)** के भीतर **आंतरिक मतभेद** हैं। जैसे- **ब्राजील और उरुग्वे** द्विपक्षीय समझौते करना चाहते हैं, वहीं **अर्जेंटीना** इससे **बाहर निकलने** की धमकी देता है।
- **परिवहन की उच्च लागत:** भौगोलिक दूरी को सीमित संबंधों का कारण माना जाता है, क्योंकि **सीधी हवाई और समुद्री सेवाएं महंगी एवं अलाभकारी** समझी जाती हैं।
- **विदेश नीति में कम महत्त्व:** लैटिन अमेरिका को अक्सर भारत की विदेश नीति के **तीन मुख्य दायरों के सबसे आखिरी हिस्से** में रखा जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र को भारत द्वारा सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है।
- **अन्य कारण:** भाषा संबंधी बाधा, प्रभावशाली प्रवासी समुदाय (डायस्पोरा) का अभाव आदि।

**आगे की राह**

- **राजनीतिक सहभागिता को प्राथमिकता देना:** उच्च-स्तरीय वार्ताओं को नियमित रूप से संस्थागत रूप देना चाहिए और लैटिन अमेरिका को विदेश नीति की प्राथमिकताओं में शामिल करना चाहिए।
- **आर्थिक संबंध मजबूत करना:** टैरिफ (शुल्क) कम करने चाहिए; विनियमों को सरल बनाना चाहिए और **मुक्त व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाना** चाहिए, ताकि आपसी निवेश को बढ़ावा मिल सके।
- **कनेक्टिविटी बढ़ाना:** सीधे समुद्री मार्ग, हवाई मार्ग और एयर फ्रेट कॉरिडोर्स विकसित करने चाहिए, ताकि लागत कम हो एवं व्यापार का प्रवाह बेहतर हो।
- **तकनीकी सहयोग का विस्तार करना:** लैटिन अमेरिका के संसाधनों और भारत की तकनीकी क्षमता का **नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, आई.टी. एवं जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता** जैसे क्षेत्रकों में उपयोग किया जा सकता है।
- **निजी क्षेत्र को सक्रिय करना:** व्यापार मिशनों, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स और निवेश प्रोत्साहनों के माध्यम से **आपसी निवेश** को बढ़ावा देना चाहिए।

**निष्कर्ष**

भारत व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करते हुए तथा लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियों को हल करते हुए, लैटिन अमेरिका के साथ अपने संबंधों को **एक सक्रिय एवं बहुआयामी रणनीति** से मजबूत बना सकता है। **लोकतांत्रिक मूल्यों** का सहारा लेकर भारत एक **सतत साझेदारी** बना सकता है, जो **साझा विकास लक्ष्यों** को आगे बढ़ाएगी तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों क्षेत्रों की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी।

## 2.5.1. भारत-ब्राजील (India-Brazil)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, भारतीय प्रधान मंत्री को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान **"ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस"** भी प्रदान किया गया।

**यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित प्रमुख समझौते**

- **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने में सहयोग** पर समझौता।
- डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर **डिजिटल तकनीकों के आदान-प्रदान** पर समझौता ज्ञापन।
- **गोपनीय जानकारी के आदान-प्रदान और उनकी सुरक्षा** को लेकर समझौता।
- **नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि अनुसंधान में सहयोग के लिए ब्राजील के एम्ब्रापा (EMBRAPA) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** के बीच समझौता ज्ञापन (MoU)।

- व्यापार, वाणिज्य और निवेश पर नज़र रखने के लिए **मंत्रिस्तरीय तंत्र की स्थापना** की भी घोषणा की गई।

**अगले दशक के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र:** रक्षा व सुरक्षा, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन, आदि।

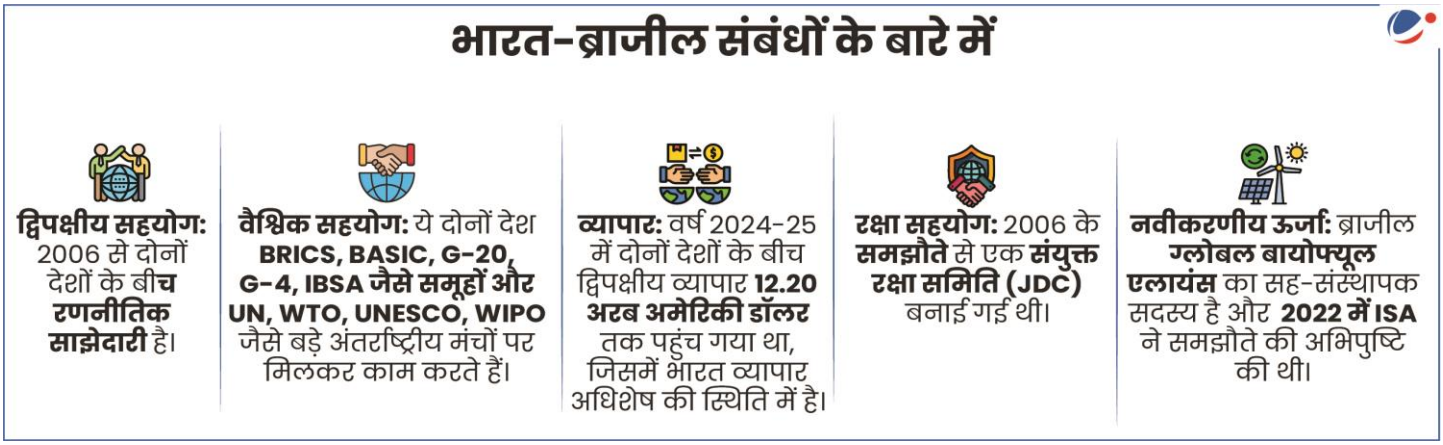


## 2.6. ब्रिक्स रियो डी जनेरियो घोषणा-पत्र (BRICS Rio De Janeiro Declaration)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, ब्रिक्स नेताओं ने **"अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना[4]"** शीर्षक से **रियो डी जेनेरियो घोषणा-पत्र** पर हस्ताक्षर किए।

**ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से संबंधित मुख्य बिंदु**

- **भागीदारी:** यह **पहला शिखर सम्मेलन** था जिसमें ब्रिक्स के सभी **11 पूर्ण सदस्य देश** और 10 साझेदार देश शामिल हुए। इसके अलावा आठ आमंत्रित राष्ट्रों और अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया।
  - **ब्रिक्स के नए सदस्य के रूप में इंडोनेशिया का स्वागत** किया गया, साथ ही बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान को **ब्रिक्स साझेदार** देशों के रूप में शामिल किया गया।
- **सामाजिक रूप से निर्धारित रोगों** (SDDs)[5] **के उन्मूलन हेतु साझेदारी की शुरुआत:** इसका उद्देश्य सहयोग को मजबूत करना, संसाधन जुटाना और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में एकीकृत तरीके से SDDs को खत्म करने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाना है।
  - SDDs का **सीधा संबंध गरीबी, असमानता और निम्न जीवन स्तर** से है, जो सतत विकास, आर्थिक स्थिरता और वैश्विक कल्याण सुनिश्चित करने में बड़ी बाधा हैं।
- **ब्रिक्स नेताओं का 'जलवायु वित्त पर फ्रेमवर्क घोषणा-पत्र':** यह घोषणा-पत्र अगले पांच वर्षों के लिए एक ऐसा रोडमैप प्रस्तुत करता है, जो ब्रिक्स की क्षमता को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संसाधन जुटाने की दिशा में स्थानांतरित कर सके।
- **ब्रिक्स नेताओं का 'AI के ग्लोबल गवर्नेंस पर घोषणा-पत्र':** इसके प्रमुख सिद्धांतों में डिजिटल संप्रभुता, संयुक्त राष्ट्र-आधारित बहुपक्षवाद, जिम्मेदारीपूर्ण विकास, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, समानता आधारित डेटा गवर्नेंस, खुले एवं संसाधन-उपयोग दक्षता आधारित आधारभूत मॉडल, पर्यावरणीय संधारणीयता और भरोसेमंद/ नैतिक AI शामिल हैं।

[4] Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance

[5] Socially Determined Diseases

**ब्रिक्स नेताओं का 'जलवायु वित्त पर फ्रेमवर्क घोषणा-पत्र'**

- **जलवायु वित्त-पोषण लक्ष्य:** विकसित देशों से कहा गया है कि उन्हें **2035 तक** विकासशील देशों को **प्रति वर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता** पूरी करनी चाहिए। साथ ही, पहले से तय किए गए लक्ष्य के तहत 2025 तक हर साल संयुक्त रूप से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता भी निभानी चाहिए।
- **नए वित्तीय साधन:** यह मिश्रित वित्त (ब्लेंडेड फाइनेंस), गारंटी, बीमा कवरेज, प्रासंगिक थीमेटिक बॉण्ड, विदेशी मुद्रा जोखिम न्यूनीकरण जैसे वित्तीय साधनों के साथ- साथ विनियामकीय व्यवस्था, नीतिगत पहलों और आर्थिक प्रोत्साहनों का भी समर्थन करता है।
- **ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड (TFFF):** यह TFFF को उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु दीर्घकालिक वित्त पोषण जुटाने की एक नई व्यवस्था के रूप में मान्यता देता है। साथ ही इसमें संभावित साझेदारों से बड़े पैमाने पर दान प्राप्त करने को भी प्रोत्साहित किया गया है।
  - इस फंड की शुरुआत **संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित COP28** में हुई, जिसका उद्देश्य **उष्णकटिबंधीय वनों वाले देशों को बड़े पैमाने पर, पूर्वानुमानित और प्रदर्शन-आधारित भुगतान** प्रदान करना है, ताकि इन वनों को संरक्षित और विस्तारित किया जा सके।
  - इस **फंड में सरकारी निवेश और निजी पूंजी, दोनों को जोड़ा जाएगा**, जिससे हर साल लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का लक्ष्य पूरा हो सके।
    - भुगतान को **प्रत्येक देश के संरक्षित उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र वन क्षेत्र के अनुपात में आवंटित** किया जाएगा।

**ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ सहयोग**

रियो डी जेनेरियो घोषणा-पत्र ग्लोबल साउथ के हितों की रक्षा के लिए ब्रिक्स के सामूहिक संकल्प को रेखांकित करता है।

- **ग्लोबल गवर्नेंस को मजबूत बनाना:** घोषणा-पत्र में विश्व में विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और संरचनाओं में **विकासशील देशों** की **भागीदारी** बढ़ाने की बात कही गई है।
  - इसमें संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के कार्यकारी प्रमुखों के पद पर चयन में पारदर्शी और समावेशी तरीका अपनाने तथा सभी क्षेत्रों को तथा महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई है।
  - इस घोषणा-पत्र में संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधारों की मांग की गयी है जिसमें सुरक्षा परिषद के सुधार भी शामिल है, साथ ही ब्राजील और भारत की भूमिका बढ़ाने संबंधी उनकी आकांक्षाओं का समर्थन भी किया गया है।
- **बहुध्रुवीयता और ग्लोबल साउथ की भूमिका:** घोषणा-पत्र में ग्लोबल साउथ के महत्व पर बल दिया गया है, जो विशेष रूप से बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक मंदी, तीव्र तकनीकी रूपांतरण, संरक्षणवादी नीतियों जैसी बड़ी चुनौतियों के बीच सकारात्मक परिवर्तन का वाहक है।
- **ब्रेटन वुड्स संस्थाओं (BWIs) में सुधार:** घोषणा-पत्र में शासी संरचना में सुधार करने, योग्यता-आधारित और समावेशी चयन प्रक्रियाओं को अपनाने तथा अलग-अलग क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है।
- **व्यापार प्रणाली:** इसमें एकतरफा टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है, साथ ही विश्व व्यापार संगठन (WTO) को अपने केंद्र में रखते हुए नियम-आधारित, खुले, पारदर्शी, निष्पक्ष, समावेशी, न्यायसंगत,भेदभाव-रहित, सर्वसम्मति-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के समर्थन को दोहराया गया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग:** घोषणा-पत्र में **ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी 2030** की रणनीति को अंतिम रूप देने पर बल दिया गया है और निवेशकों के जोखिम को कम करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के भीतर **ब्रिक्स बहुपक्षीय गारंटी (BMG)**[6] पायलट प्रोजेक्ट पर चर्चा शुरू की गई है।

**निष्कर्ष**

जलवायु परिवर्तन से लेकर डिजिटल गवर्नेंस तक, विश्व की तात्कालिक चुनौतियों का समाधान करते हुए, रियो घोषणा-पत्र समानता, सहयोग और साझा समृद्धि पर आधारित एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण करने के लिए ब्रिक्स की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह ब्रिक्स को केवल अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह नहीं मानता, बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस के भविष्य को दिशा देने वाला एक प्लेटफ़ॉर्म मानता है।

***नोट:*** *ब्रिक्स के बारे में और अधिक जानकारी के लिए अक्टूबर, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 2.5. देखें।*

न्यूज़ टुडे
यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है।
हिंदी ऑडियो, VISIONIAS हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

[6] BRICS Multilateral Guarantees

## 2.7. AUKUS के तहत गीलोंग ट्रीटी (Geelong Treaty under AUKUS)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम (UK) ने एक **द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते** पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को **गीलोंग ट्रीटी** के नाम से भी जाना जाता है। यह समझौता **AUKUS के पिलर-1** के तहत अगले 50 वर्षों के लिए किया गया है।

**गीलोंग ट्रीटी के बारे में**

- इसे **न्यूक्लियर-पावर्ड सबमरीन पार्टनरशिप एंड कोलेबरेशन ट्रीटी** के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य यूरो-अटलांटिक और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
- **उद्देश्य: SSN-AUKUS** पनडुब्बियों के **डिजाइन, निर्माण, परिसंचालन, रखरखाव और डिस्पोजल पर व्यापक सहयोग** बढ़ाना तथा **मजबूत त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखलाओं** के विकास को बढ़ावा देना।
- यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार के दायित्वों और त्रिपक्षीय **AUKUS नौसैनिक परमाणु प्रणोदन समझौता (ANNPA)**[7] के अनुरूप है।

**AUKUS के बारे में**

- यह **ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका** के बीच **2021** में शुरू किया गया एक सुरक्षा समझौता है।
- **इसके निम्नलिखित दो पिलर हैं:-**
  - **पिलर 1:** इसमें तीनों सदस्य देशों की **जहाज-निर्माण क्षमताओं के विकास** पर बल दिया गया है। इसी पिलर के तहत ऑस्ट्रेलिया को उसकी **पहली SSN सब-मरीन (परमाणु संचालित अटैक सबमरीन)** भी मिलेगी।
  - **पिलर 2:** इसमें **8 एडवांस सैन्य क्षमता क्षेत्रों में संयुक्त विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।** इनमें ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इलेक्ट्रोमैग्नेटिक युद्ध, मॉडलिंग, सिमुलेशन आदि शामिल हैं।
- इस समझौते के तहत **2030 के दशक से संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बियां बेचेगा**। इसके अलावा, **यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त रूप से नई पनडुब्बियों का निर्माण** करेंगे, जो **2040 के दशक की शुरुआत में सेवा** में शामिल की जाएंगी।
- **AUKUS का सामरिक महत्त्व**
  - **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन प्रणाली को मजबूत करता है**: यह क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही, यह फोरम इस क्षेत्र में अमेरिका का अपने सहयोगियों और अपने हितों की रक्षा के लिए की गई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
  - **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव और उपस्थिति को बढ़ाता है:** यह सोच विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया के बारे में है, जहाँ अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी का विस्तार करना चाहता है।
  - **अमेरिकी रक्षा उद्योग को बढ़ावा:** इससे ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम को अमेरिकी हथियारों की बिक्री और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के नए अवसर पैदा होते हैं।

**AUKUS के समक्ष अवसर और चुनौतियां क्या-क्या हैं?**

| AUKUS के समक्ष अवसर | AUKUS से जुड़ी चिंताएं |
|---|---|
| **सफलता की उच्च संभावनाएं:** AUKUS देशों के बीच आपसी विश्वास का स्तर बहुत ज्यादा है। उदाहरण के लिए- **फ़ाइव आइज़ एलायंस** के माध्यम से खुफिया जानकारी साझा करना। | **संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समीक्षा:** अमेरिका ने AUKUS त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते की समीक्षा शुरू कर दी है। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया पर अमेरिका ने दबाव बनाया है कि वह अपने रक्षा व्यय को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के 3.5% तक करे। उसने हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा का अधिक भार सभी के बीच साझा करने की भी वकालत की है। |
| **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में QUAD का पूरक बनते हुए हार्ड पावर पर ध्यान केंद्रित करना:** जहां QUAD और AUKUS, दोनों का उद्देश्य साझा सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना है, वहीं AUKUS विशेष रूप से 'हार्ड पावर' पर केंद्रित है। | **QUAD को कमजोर कर सकता है:** कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि AUKUS के उभरने से क्वाड की प्रासंगिकता समाप्त हो सकती है। भारत अक्सर सैन्य गठबंधनों से दूरी बनाए रखने की वजह से QUAD की पूर्ण सुरक्षा क्षमता की महत्वाकांक्षा को सीमित करने वाला देश माना जाता है। |

[7] AUKUS Naval Nuclear Propulsion Agreement

| | |
|---|---|
| **अमेरिका की क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति में बदलाव:** अमेरिका ने आत्मनिर्भर क्षेत्रीय सुरक्षा से हटकर चीन के प्रभाव को कम करने के लिए हिंद-प्रशांत के भागीदारों की क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। | **एशियाई भागीदारी का अभाव:** पर्यवेक्षकों का तर्क है कि AUKUS पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाला समूह है क्योंकि इसमें एशियाई देशों की भागीदारी नहीं है, जबकि QUAD में एशियाई देशों का भी प्रतिनिधित्व है। |
| **यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बीच तालमेल:** यह ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और ब्रिटेन की सामरिक रक्षा समीक्षा के अनुरूप है। | **समय पर पनडुब्बियों को सौंपने की चुनौतियां:** अमेरिका फिलहाल हर साल सिर्फ 1.13 की दर से वर्जीनिया-क्लास पनडुब्बियाँ बना पा रहा है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कम-से-कम 2 पनडुब्बियाँ हर साल चाहिए तथा AUKUS समझौते को पूरा करने के लिए लगभग 2.33 दर से पनडुब्बियाँ सालाना बनानी होंगी। |
| **त्वरित प्रतिक्रिया:** पारंपरिक पनडुब्बियों (6.5 नॉट्स की गति) की तुलना में परमाणु पनडुब्बियां (लगभग 20 नॉट्स की गति) संघर्ष क्षेत्रों तक बहुत तेज़ी से पहुंच सकती हैं और काफी लंबे समय तक स्टेशन पर रह सकती हैं। | **परमाणु प्रसार:** AUKUS समझौता प्रशांत क्षेत्र में हथियारों की होड़ और परमाणु प्रसार को बढ़ावा दे सकता है। |

**निष्कर्ष**

भारत के पास अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ अपने विशेष संबंध विकसित करने का एक खास अवसर है। यह भारत की व्यापक राष्ट्रीय शक्ति को मजबूत करेगा और साथ ही, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा में इसके योगदान को भी बढ़ाएगा।

## 2.8. गिरमिटिया समुदाय (Girmitiya Community)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

प्रधानमंत्री की हालिया त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा के दौरान यह घोषणा की गई कि भारत सरकार गिरमिटिया समुदाय का एक डेटाबेस तैयार करने तथा नियमित अंतराल पर विश्व गिरमिटिया सम्मेलनों का आयोजन करने की दिशा में कार्य कर रही है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- त्रिनिदाद और टोबैगो में बसे भारतीय मूल के प्रवासियों की छठी पीढ़ी को भी **OCI कार्ड** की सुविधाएँ देने की घोषणा की गई।
- इसके अतिरिक्त, त्रिनिदाद और टोबैगो कैरेबियन क्षेत्र का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने भारत की **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)** प्रणाली को अपनाया है।

**गिरमिटिया के बारे में**

- "गिरमिटिया" उन भारतीय **अनुबंधित श्रमिकों** को कहा जाता है जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश उपनिवेशों में काम करने के लिए भारत से चले गए थे। **ब्रिटिश दासता उन्मूलन अधिनियम 1833** के लागू होने के बाद उपनिवेशों में श्रमिकों की कमी को देखते हुए भारत से श्रमिकों को अन्य उपनिवेशों में ले जाया गया।
  - **"गिरमिट"** शब्दावली वास्तव में अंग्रेजी शब्द **"एग्रीमेंट"** का अपभ्रंश उच्चारण है। यह उस अनुबंध को इंगित करता है जिसके तहत इन श्रमिकों को भेजा गया था।
  - इन्हें मुख्य रूप से गन्ना और चाय के बागानों जैसे अधिक शारीरिक श्रम वाले कार्यों में मजदूरी करने के लिए ले जाया गया था। इनमें से अधिकतर श्रमिक प्रवास वाले देश में स्थायी रूप से बस गए।
- **प्रमुख गंतव्य देश:** मॉरीशस, फिजी, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और कैरिबियन देश (विशेषकर त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम, जमैका)।
- **जहां से प्रवास कर गए:** अधिकतर श्रमिक तत्कालीन पूर्वी संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) और बिहार के निवासी थे।
  - **प्रवास के कारण:** गरीबी, बेरोजगारी और कृषि संकट जैसी घरेलू आर्थिक मजबूरियों के साथ-साथ उपनिवेशों में आय के बेहतर स्रोत और बेहतर जीवन स्तर की उम्मीद उनके प्रवास के पीछे प्रमुख प्रेरक बल थे।
  - हालांकि, जब वे अन्य उपनिवेशों में पहुंचे तब उनका जीवन अत्यंत दुष्कर हो गया क्योंकि उन्हें संसाधन, जीवन निर्वाह मजदूरी, भोजन और स्वच्छ जल जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा गया। इसे तरह प्रवास देश में भी उन्हें गरीबी में ही जीवन यापन करना पड़ा।
  - **नोट:** इसी दौरान मद्रास, नागापट्टम और थोंडी से तमिल श्रमिकों को सीलोन, बर्मा और मलेशिया भेजा गया।

**भारत के लिए गिरमिटिया समुदाय का महत्त्व**

- **सांस्कृतिक जुड़ाव:** मॉरीशस, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा सूरीनाम जैसे देशों में वे बहुसंख्यक हो गए, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रीति-रिवाज स्थानीय संस्कृति के साथ गहन रूप से एकीकृत हो गए।
  - उनके **गीत, संगीत और परंपराओं में आज भी भारत की झलक** मिलती है:
    - **पर्व-त्योहार:** फिजी में दिवाली और रामलीला का आयोजन तथा त्रिनिदाद और टोबैगो का होसे उत्सव इसके जीवंत उदाहरण हैं।
    - **लोक संगीत:** उत्तर भारत के प्रसिद्ध लोकगीत जैसे; कहरवा, बिरहा, लोरिक, और फरवाही आज भी फिजी और सूरीनाम में लोकप्रिय हैं।
    - **वाद्ययंत्र:** ढोलक, हारमोनियम, धनताल और दण्डताल (पूर्वी उत्तर प्रदेश) जैसे पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्रों का उपयोग आज भी प्रचलित है।
  - **भाषाएं:** मॉरीशस, फिजी और सूरीनाम जैसे देशों में हिंदी, भोजपुरी और अवधी जैसी भाषाएँ आज भी संवाद का माध्यम हैं।
- **राजनीतिक महत्व:**
  - **सॉफ्ट पावर कूटनीति:** प्रवासी भारतीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के पक्ष का समर्थन करता है।
  - **उच्च पदों पर आसीन होना:** गिरमिटिया देशों में भारतीय मूल के लोग शासन के सर्वोच्च पदों तक पहुँचे हैं, जैसे मॉरीशस के प्रधानमंत्री (नवीनचंद्र रामगुलाम) तथा त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री (कमला प्रसाद-बिसेसर)।
- **आर्थिक महत्व:** प्रवासी समुदाय भारत के लिए परोपकारी कार्यों, सूचनाओं के आदान-प्रदान, नवाचार में निवेश और विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु समर्थन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उदाहरण के लिए, **वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में मॉरीशस का योगदान 17% रहा।**

**निष्कर्ष**

भारतीय स्कूली पाठ्यक्रम में गिरमिटिया इतिहास को सम्मिलित करने का नया प्रस्ताव अत्यंत सराहनीय कदम है। यह कदम न केवल उनकी अनूठी संस्कृति, कला और संघर्षपूर्ण इतिहास को संरक्षण प्रदान करेगा, बल्कि भारत के व्यापक सांस्कृतिक धरोहर में इस समुदाय के अमूल्य योगदान को भी रेखांकित करेगा।

## 2.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

### 2.9.1. कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (Kaladan Multimodal Transit Transport Project: KMTTP)

केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री के अनुसार KMTTP 2027 तक चालू होगा।

- इस प्रोजेक्ट को **भारत** और **म्यांमार** ने मिलकर तय किया है। यह प्रोजेक्ट भारत के **पूर्वी बंदरगाहों से म्यांमार होते हुए भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (NER)** तक सामान पहुंचाने के लिए एक **मल्टी-मॉडल** परिवहन सुविधा प्रदान करेगा।

**कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMTTP) के बारे में**

- **फ्रेमवर्क एग्रीमेंट:** इस पर 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे।
- **नोडल मंत्रालय:** विदेश मंत्रालय।
- **प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंट (PDC):** भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)।
- **पारगमन घटक :**
  - **जलमार्ग घटक:** कलादान नदी पर तथा **सित्तवे बंदरगाह (राखिन, म्यांमार) से म्यांमार में पलेत्वा** तक।
  - **सड़क घटक:** पलेत्वा से लेकर **मिजोरम में भारत-म्यांमार सीमा पर जोरिनपुई** तक।

**भारत के लिए KMTTP का महत्त्व**

- **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (NER) का भौगोलिक अलगाव समाप्त करेगा:** यह क्षेत्र **"चिकन्स नेक"** (केवल 21 किमी का संकीर्ण गलियारा) के माध्यम से शेष भारत से जुड़ा हुआ है और शेष चारों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। यह प्रोजेक्ट इस अलगाव को कम करेगा।
- **भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (AEP) के अनुरूप है:** यह नीति 2014 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य **पूर्वी एशिया और पड़ोसी देशों से भारत की कनेक्टिविटी बढ़ाना** है।
- **लॉजिस्टिक लागत और समय में कमी: कोलकाता से आइज़ोल (मिजोरम)** तक सामान पहुंचाने में लगने वाला **खर्च और समय 50% से भी ज्यादा कम** हो जाएगा।
- **उत्तर-पूर्व को व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करेगा:** इससे व्यापार बढ़ेगा, खासकर **विनिर्माण और एग्रो-प्रोसेसिंग** जैसे क्षेत्रकों में **निर्यात आधारित उद्योगों** की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा।

**उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (NER) के लिए अन्य कनेक्टिविटी परियोजनाएं**

- **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना:** यह **मोरेह (मणिपुर, भारत) को म्यांमार होते हुए माए सॉट (थाईलैंड)** से जोड़ता है।
- **प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वॉटर ट्रांजिट एंड ट्रेड (PIWT&T):** यह **भारत और बांग्लादेश** के बीच एक समझौता है। इसके तहत एक **देश के आंतरिक जलमार्ग पोत दूसरे देश के तय जलमार्गों** पर चल सकते हैं।
- **अन्य:**
  - **बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN)** मोटर यान समझौता;
  - **बांग्लादेश के चटग्राम और मोंगला बंदरगाहों** के उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) आदि।

## 2.9.2. US ने UNESCO से बाहर निकलने का फैसला किया (US Decides To Pull Out of UNESCO)

इस संस्था से बाहर होने की घोषणा यह कहते हुए की गई कि यह संस्था तथाकथित **"उत्तेजक" और विभाजनकारी मुद्दों का समर्थन** करती है। अमेरिका ने इस संस्था पर 'इजरायल विरोधी रुख' अपनाने का भी आरोप लगाया है।

- यह **तीसरी बार** है, जब अमेरिका UNESCO से अलग हो रहा है तथा वर्तमान राष्ट्रपति के नेतृत्व में यह **दूसरी बार** है।
- इसके अलावा, अमेरिका ने अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों और एजेंसियों, जैसे WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) से बाहर निकलने के लिए भी कदम उठाए हैं। साथ ही, **फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA)[8] के लिए धनराशि में भी भारी कमी** की है।

**अमेरिका के हटने के प्रभाव**

- **बजटीय प्रभाव:** अमेरिका यूनेस्को के कुल बजट में लगभग **8% का योगदान** देता है।
- **भू-राजनीतिक प्रभाव:** अमेरिका के हटने से अन्य शक्तियों, **विशेष रूप से चीन** द्वारा प्रभाव बढ़ाने की संभावना बन सकती है।
- **बहुपक्षवाद पर प्रभाव:** किसी संयुक्त राष्ट्र संस्था से बाहर निकलना **बहुपक्षीय संस्थाओं पर विश्वास कमजोर** कर सकता है और वैश्विक सहयोग से पीछे हटने का संकेत मिल सकता है।

**संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को/ UNESCO) के बारे में**

- यह **संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी** है।
- **उद्देश्य:** शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर शांति एवं सुरक्षा में योगदान देना।
- इसका मुख्यालय **पेरिस** में स्थित है, जो संगठन की मुख्य इमारत के रूप में कार्य करता है।
- इसके **194 सदस्य देश** और **12 एसोसिएट सदस्य** हैं।
- **प्रमुख रिपोर्ट्स और पहलें:**
  - वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट;
  - विश्व में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया विकास की प्रवृत्तियों पर रिपोर्ट;
  - यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल;
  - ह्यूमन एंड बायोस्फियर (MAB) कार्यक्रम

[8] United Nations Relief and Works Agency for Palestine

## 2.9.3. ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स (Group of Friends: GOF)

भारत ने **"ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स (GOF)" की बैठक** में **'संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सैनिकों' के खिलाफ** किए गए अपराधों में न्याय सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

**'ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स (GOF)' क्या है?**

- यह **भारत के नेतृत्व** में गठित एक समूह है।
- इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सैनिकों के खिलाफ होने वाली **सभी हिंसात्मक गतिविधियों के लिए जवाबदेही तय करने में मदद करना** है।
- इसे **2022 में शुरू** किया गया।
- यह समूह **'यूनाइटेड नेशन अलायन्स ऑफ सिविलाइजेशन' (UNAOC)** की एक प्रमुख शक्ति है और उसकी रणनीतिक योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

## 2.9.4. पैक्ट फॉर फ्यूचर (Pact For Future)

भारत ने **संयुक्त राष्ट्र (UN) संवाद** के दौरान **'पैक्ट फॉर फ्यूचर'** के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

**'पैक्ट फॉर फ्यूचर' के बारे में**

- इसे **2024 में "समिट ऑफ़ द फ्यूचर"** में अपनाया गया।
- **'पैक्ट फॉर फ्यूचर' में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - **ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट**: यह डिजिटल क्षेत्र में सहयोग के लिए **पहला व्यापक वैश्विक फ्रेमवर्क** है, और
  - **डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जेनरेशन्स।**
- **मुख्य विशेषता:** यह अलग-अलग मुद्दों पर **स्पष्ट प्रतिबद्धताएं** सुनिश्चित करता है और ठोस परिणामों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है।
  - इन प्रतिबद्धताओं में **मानवाधिकार, लैंगिक समानता और सतत विकास पर विशेष ध्यान** दिया जाता है।
- **यह निम्नलिखित क्षेत्रों में कई प्रतिबद्धताएं तय करता है:**
  - सतत विकास और विकास के लिए वित्तीय प्रबंधन,
  - अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा,
  - विज्ञान और प्रौद्योगिकी; इनोवेशन और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग,
  - युवा और अगली पीढ़ियां, और
  - ग्लोबल गवर्नेंस में बदलाव।

## 2.9.5. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC)

यूक्रेन 'अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय' की स्थापना करने वाली **रोम संविधि (Rome Statute)** का **125वां पक्षकार राष्ट्र** बन गया है।

**'अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय' के बारे में**

- यह **पहला स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय** है, जो ऐसे व्यक्तियों की जांच और अभियोजन करता है जिन पर नरसंहार (Genocide), युद्ध अपराध (War Crimes), मानवता के विरुद्ध अपराध (Crimes Against Humanity) और आक्रमण का अपराध (Crime of Aggression) जैसे **गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों में शामिल होने का आरोप लगा** हुआ होता है।
- इसकी स्थापना **रोम संविधि (Rome Statute)** के तहत हुई थी, जिसे **1998 में अपनाया** गया और **2002 में लागू** किया गया।
- **भारत रोम संविधि का पक्षकार देश नहीं** है।
- **मुख्यालय:** हेग (नीदरलैंड)।

## 2.9.6. E3 देश (E3 Countries)

हाल ही में **अमेरिका-ईरान परमाणु वार्ता में गतिरोध** के बीच, **E3 देशों** ने ईरान को स्नैपबैक प्रतिबंधों की चेतावनी दी है।

- स्नैपबैक प्रतिबंध (2015 के **संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA)**[9] के तहत) ऐसे प्रावधान है, जिनके अनुसार अगर ईरान अपने परमाणु समझौतों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ प्रतिबंधों को फिर से लगाया जा सकता है।

[9] Joint Comprehensive Plan of Action

**E3 देश कौन हैं?**

- **परिचय:** E3 एक **अनौपचारिक विदेश और सुरक्षा सहयोग समूह** है। इसमें **UK, जर्मनी और फ्रांस** शामिल हैं।
- **उत्पत्ति:** E3 की पहली बैठक **2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर किए गए हमले** के बाद हुई थी। इसका उद्देश्य इराक के लिए एक **त्रिपक्षीय रणनीति तैयार करना**, और ईरान से उत्पन्न हो रहे **परमाणु खतरे को रोकना** है।

## 2.9.7. ग्लोबल पीस इंडेक्स, 2025 (GLOBAL Peace Index, 2025)

**इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स (GPI) का 19वां संस्करण** जारी किया गया।

**ग्लोबल पीस इंडेक्स (GPI) के बारे में:**

- इसमें **163 देशों** को शामिल किया गया है।
- यह **3 क्षेत्रों में 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों** के आधार पर मूल्यांकन करता है। **ये तीन क्षेत्र निम्नलिखित हैं-**
  - समाज में सुरक्षा और संरक्षा का स्तर;
  - देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्षों की स्थिति; तथा
  - सैन्यीकरण की मात्रा।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:**
  - दुनिया में शांति का औसत स्तर पहले से और ज्यादा खराब हुआ है।
  - **दक्षिण एशिया,** दुनिया का **दूसरा सबसे अशांत क्षेत्र** रहा और इसमें सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है।
  - **रैंकिंग:**
    - आइसलैंड पहले स्थान पर है।
    - भारत को 115वां स्थान मिला है।
    - रूस (163वां स्थान) सबसे कम शांतिपूर्ण देश है।

## 2.9.8. लाल सागर (Red Sea)

लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर नए हमले हुए हैं, और यमन के **हूती विद्रोहियों ने एक जहाज को डुबोने का दावा** किया है।

**लाल सागर के बारे में**

- **यह हिंद महासागर** के उत्तर-पश्चिम में मौजूद एक सीमांत सागर है।
- यह **बाब अल मन्देब** जलडमरूमध्य के माध्यम से **अदन की खाड़ी से** और **स्वेज नहर** के माध्यम से **भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है।**
- **तटीय देश:**
  - पश्चिम में: **मिस्र, सूडान और इरीट्रिया,**
  - उत्तर-पूर्व में: **इजरायल और जॉर्डन-अकाबा की खाड़ी के माध्यम से,** तथा
  - पूर्व में: **सऊदी अरब और यमन**।
- **उत्तरी भाग में विभाजन:** लाल सागर अपने उत्तरी भाग में दो भागों में विभाजित हो जाता है, **स्वेज की खाड़ी** (उत्तर-पश्चिम) और **अकाबा की खाड़ी** (उत्तर-पूर्व)।
- इसमें **विश्व का सबसे अधिक खारा समुद्री जल पाया जाता है।**
- लाल सागर क्षेत्र में बहुत ही कम वर्षा होती **है** तथा इसमें **नदियों के माध्यम से जल भी नहीं** पहुँचता है।

## 2.9.9. न्यू कैलेडोनिया (New Caledonia)

फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया को अधिक स्वायत्तता देने के लिए एक समझौते की घोषणा की है।

- इस समझौते के अनुसार, न्यू कैलेडोनिया को **"ए स्टेट ऑफ न्यू कैलेडोनिया"** का दर्जा मिलेगा जो **फ्रांसीसी गणराज्य** के भीतर एक **अर्ध-स्वायत्त प्रशांत क्षेत्र** होगा। इससे इस क्षेत्र को **अधिक स्वायत्तता** मिलेगी, लेकिन **पूर्ण स्वतंत्रता नहीं** मिलेगी।

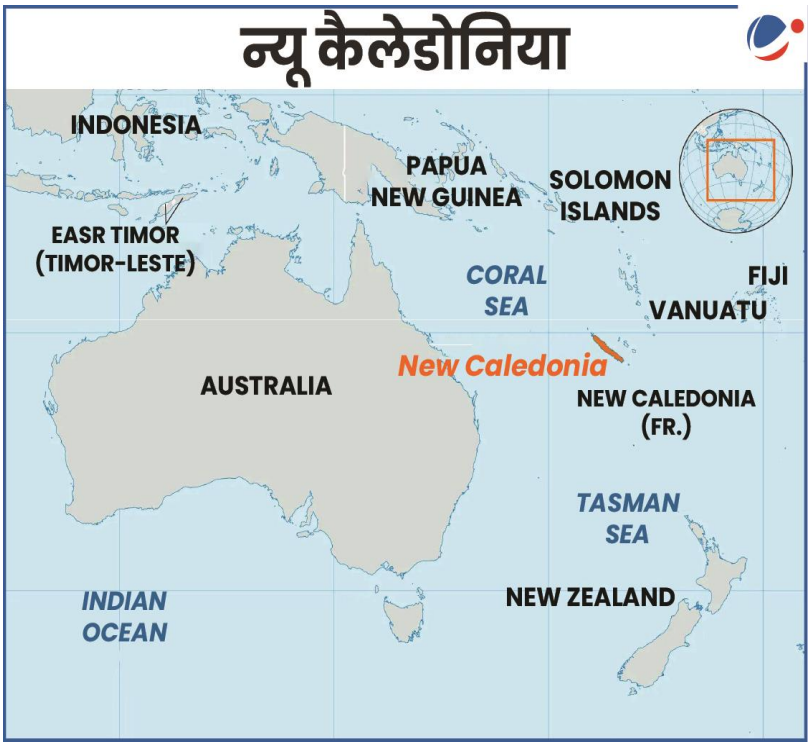


**न्यू कैलेडोनिया के बारे में**

- **अवस्थिति:** यह प्रशांत महासागर में एक **फ्रांसीसी ओवरसीज क्षेत्र** है।
- **इतिहास:** 1840 के दशक के दौरान, द्वीपवासियों को **यूरोपीय व्यापारियों द्वारा गुलाम बनाने के लिए** या **गन्ने के खेतों में जबरन श्रमिक के रूप में काम कराने** के लिए **अपहरण** किया गया।
  - 1853 में फ्रांस ने इस **द्वीप को अपने अधीन** कर लिया।
- **वर्तमान स्थिति:** इस द्वीप के **देशज कनक (Kanak) समुदाय** और **यूरोपीय निवासियों के बीच** स्वतंत्रता के मुद्दे को लेकर गहरा मतभेद है।

## 2.9.10. M23 विद्रोही (M23 Rebels)

हाल ही में, **रवांडा समर्थित M23 विद्रोही समूह** और **डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC)** ने पूर्वी कांगो में स्थायी युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्धता जताई।

**M23 विद्रोहियों के बारे में**

- **M23** को **'मार्च 23 मूवमेंट'** भी कहा जाता है। **यह मुख्य रूप से तुत्सी नृजातीय समुदाय का सशस्त्र विद्रोही समूह** है।
- यह समूह खनिज संसाधन समृद्ध **पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो** में **कांगो सेना** के खिलाफ लड़ रहा है।
- इस विद्रोही समूह का नाम वास्तव में **23 मार्च, 2009 को हुए उस समझौते से** जुड़ा है, जो तुत्सी नेतृत्व वाले विद्रोही समूह के **CNDP** और **कांगो सरकार** के बीच तुत्सी विद्रोह को समाप्त करने के लिए हुआ था।
- CNDP के पूर्व सदस्यों ने 2009 के समझौते के क्रियान्वयन में **विफलता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा**, और **संसाधनों के समान वितरण** के मुद्दों को लेकर वर्ष 2012 में **M23 मूवमेंट** की शुरुआत की।

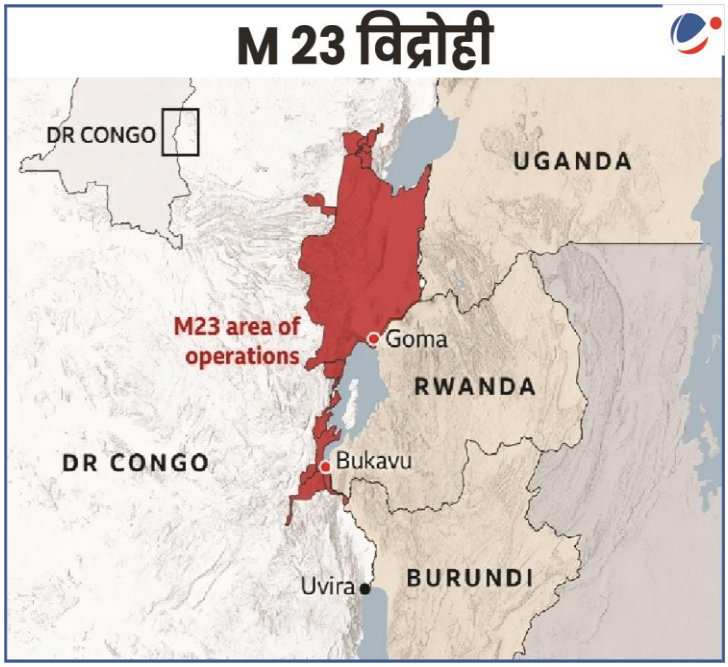

## 2.9.11. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 (Henley Passport Index 2025)

**हेनले पासपोर्ट इंडेक्स** में भारत की रैंकिंग **85 (2024)** से सुधरकर **77 (2025)** हो गई है।

- भारतीय नागरिक अब पहले से **वीजा प्राप्त किए बिना 59 देशों की यात्रा** कर सकते हैं।

**हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में**

- यह दुनिया के सभी पासपोर्ट्स की एक **प्रामाणिक और मूल रैंकिंग** है, जो यह दर्शाती है कि किसी देश का पासपोर्ट धारक **कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के** यात्रा कर सकता है।
- यह रैंकिंग **अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA)** के विशेष डेटा पर आधारित होती है।
- **सिंगापुर इस सूचकांक में शीर्ष स्थान** पर है।

| | | |
|---|---|---|
| QUIZ SMART QUIZ | विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। | |

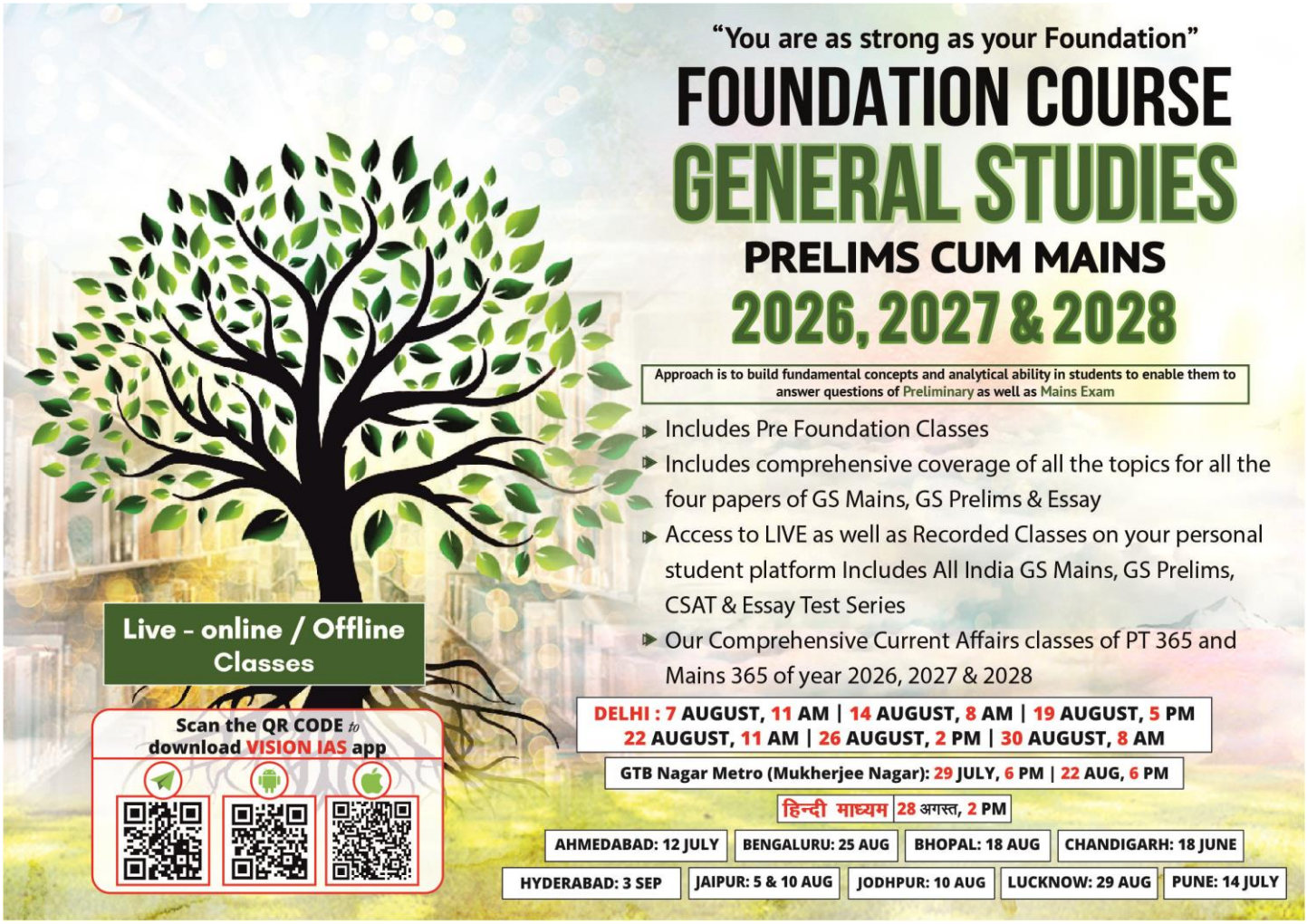

# 3. अर्थव्यवस्था (Economy)

## 3.1. प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना {Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana (PMDDKY)}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्रीय बजट 2025–26 की घोषणा के अनुरूप, प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) को छह वर्षों की अवधि के लिए मंज़ूरी दी गई है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- **नीति आयोग** के **आकांक्षी जिला कार्यक्रम** की तर्ज पर शुरू की गई यह योजना **'कृषि और संबद्ध क्षेत्रों'** के लिए है।
- इस योजना में **कृषि क्षेत्र में कमतर प्रदर्शन करने वाले 100 ऐसे जिले** शामिल किए गए हैं, जो कम फसल पैदावार, पानी की कमी तथा सीमित संसाधन जैसी समस्याएं झेल रहे हैं।

**योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:**

- **बजटीय आवंटन:** वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होकर छह साल की अवधि के लिए हर साल **24,000 करोड़** रुपये।
- **कार्यान्वयन:** यह योजना केंद्रीय **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय** द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और इसकी निगरानी निम्नलिखित त्रिस्तरीय संरचना के माध्यम से की जाएगी:
  - **राष्ट्रीय स्तर के निरीक्षण निकाय**
  - राज्य-स्तरीय नोडल समितियां
  - जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में **जिला धन-धान्य समितियां**।
    - ये समितियां व्यापक हितधारकों से परामर्श के बाद **जिला कृषि और संबद्ध गतिविधियां योजना** तैयार करेंगी।
  - नीति आयोग भी जिला योजनाओं की समीक्षा और मार्गदर्शन करेगा। प्रत्येक जिले के लिए नियुक्त **केंद्रीय नोडल अधिकारी** नियमित आधार पर योजना की समीक्षा करेंगे।
- **सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचना और योजनाओं में समन्वय:** यह योजना 11 मंत्रालयों की **36 मौजूदा कृषि योजनाओं** (जैसे- पीएम-किसान,प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, आदि), राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय साझेदारियों में समन्वय सुनिश्चित करती है।
- **प्रगति की निगरानी:** प्रत्येक धन-धान्य जिले की प्रगति की 117 **प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों** के आधार पर निगरानी की जाएगी।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** डिजिटल डैशबोर्ड, किसान ऐप और जिला रैंकिंग प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
- **जिलों के चयन का मापदंड:** नीति आयोग निम्न मापदंडों के आधार पर 100 जिलों का चयन करेगा:
  - **कम फसल-उत्पादकता:** जिनकी उपज राष्ट्रीय औसत से कम है।
  - **सामान्य फसल-गहनता:** जिनकी फसल गहनता राष्ट्रीय औसत (155%) से कम है।
  - **कम ऋण वितरण:** जहां बैंक ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कम हुआ है।
- **भौगोलिक प्रतिनिधित्व:** प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कम-से-कम एक जिले का चयन किया जाएगा।

**प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना का महत्व**

| कृषि की समस्याएं | जिम्मेदार कारक | PMDDKY के प्रावधान |
|---|---|---|
| **कम फसल-उत्पादकता** | • मृदा की उर्वरता कम होना, खेती के पुराने तरीके का उपयोग, सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं होना, भूखंड का छोटा आकार (लगभग 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, NSSO 2019)।<br>• **उदाहरण:** सीमांचल (बिहार) में धान की पैदावार औसतन 1.8 टन प्रति हेक्टेयर है जो 2.7 टन के राष्ट्रीय औसत से कम है। | उच्च उत्पादकता वाले बीज, जैव उर्वरक, और सीड ड्रिल जैसे आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएँगे। |
| **सिंचाई की कमी** | **भारत की 52% कृषि भूमि सिंचाई के लिए मानसूनी वर्षा** पर निर्भर है। उदाहरण के लिए- बुंदेलखंड में 2023 के सूखे में 30% फसलें बर्बाद हो गईं। | सूखा क्षेत्रों में सालभर खेती संभव बनाने के लिए **ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियां उपलब्ध** कराई जाएंगी। |
| **वित्तीय सहयोग की कमी** | **उच्च गुणवत्ता वाले बीज**, जैव उर्वरक और ट्रैक्टर/ हार्वेस्टर जैसे आधुनिक उपकरण महंगे होने के कारण किसान खरीद नहीं पाते हैं। | **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)** और नाबार्ड (NABARD) के माध्यम से सब्सिडी और ऋण की सुविधा। |
| **भंडारण की कमी** | **ICAR 2023 के अनुसार** टमाटर और आम जैसी **20%** फसलें कोल्ड स्टोरेज की सुविधा की कमी के कारण खराब हो जाती हैं। | गाँव और ब्लॉक स्तर पर गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि फसल खराब न हो। |
| **किसानों की कम आय** | बाज़ार की जानकारी नहीं होना और बिचौलियों पर निर्भरता आदि वजहों से किसानों का लाभ घटता है। | दाल और सब्जियों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा, तथा e-NAM व नई PMDDKY ऐप जैसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसानों को खरीदारों से सीधे जोड़ा जाएगा। |
| **असंधारणीय कृषि-पद्धतियाँ** | रसायनों, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग और एक ही फसल की खेती पर अधिक निर्भरता। | जैव-उर्वरकों का उपयोग बढ़ाया जाएगा, जल की बचत करने वाली सिंचाई पद्धति और जलवायु-अनुकूल फसलों की खेती को अपनाने पर ज़ोर दिया जायेगा। |
| **प्रशिक्षण और कौशल विकास की कमी** | निरक्षरता, जानकारी की कमी और विशेषकर कौशल कार्यक्रमों में महिलाओं की कम भागीदारी। | • **निःशुल्क कार्यशाला:** कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), कृषि विश्वविद्यालय और निजी साझेदारों द्वारा आधुनिक खेती, ड्रोन उपयोग और मधुमक्खी पालन जैसी सहायक गतिविधियों पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी।<br>• **विश्व के उदाहरणों से सीखना:** इजरायल (ड्रिप सिंचाई), जापान (प्रिसिजन फार्मिंग), और नीदरलैंड (ग्रीनहाउस तकनीक) जैसे देशों में 500 किसानों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा और इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी।<br>• **महिला सशक्तिकरण:** 10,000 महिला कृषि-उत्पादक समूहों को प्रशिक्षण और ऋण उपलब्ध कराया जाएगा; तथा डेयरी, जैविक खेती जैसी गतिविधियों के लिए कृषि मंडी से जोड़ने में सहायता की जाएगी। |

**निष्कर्ष**

प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) भारतीय कृषि का कायाकल्प करने की एक प्रमुख पहल है। इस योजना से कृषि क्षेत्र में 100 पिछड़े जिलों के **1.7 करोड़ किसानों** को लाभ मिलेगा। सिंचाई, भंडारण, ऋण, प्रशिक्षण, बाज़ार तक पहुँच और आधुनिक तकनीक के माध्यम से यह योजना लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाती है तथा संधारणीय और लाभकारी खेती को प्रोत्साहित करती है।

## 3.2. भारत में सार्वजनिक ऋण (Public Debt in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी **द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR)[10] 2025** में भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ते सार्वजनिक ऋण को रेखांकित किया है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- **FSR** रिपोर्ट **वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC)[11]** की उप-समिति द्वारा भारत की वित्तीय प्रणाली की ताकत और इसकी स्थिरता के समक्ष जोखिमों का आकलन प्रस्तुत करती है।
- **FSDC** की स्थापना 2010 में हुई थी। इसकी अध्यक्षता **केंद्रीय वित्त मंत्री** करते हैं, और इसमें **RBI, SEBI, PFRDA, और IRDAI जैसी विनियामक संस्थाओं** के प्रमुख शामिल होते हैं।
  - इसका मुख्य कार्य वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और विनियामक संस्थाओं के बीच समन्वय बनाए रखना है।

**रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**

- **भारत वैश्विक संवृद्धि का नेतृत्व कर रहा है:**
  - **मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था**: उच्च घरेलू मांग और निवेश गतिविधियों में तेज़ी के कारण, भारत की वास्तविक GDP संवृद्धि दर, **2025-26 में 6.5%** रहने का अनुमान है।
  - **मज़बूत वित्तीय संस्थान**: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) का **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA)[12]** अनुपात और **निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NNPA)[13]** अनुपात कम होकर क्रमशः 2.3% और 0.5% हो गए जो विगत कई दशकों में सबसे कम है।
  - **कॉर्पोरेट क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन**: बड़े कर्जदार समूहों का GNPA अनुपात सितंबर 2023 के 3.8% से घटकर मार्च 2025 में 1.9% रह गया।
- **मुद्रास्फीति संबंधी रुझान**:
  - **घरेलू मुद्रास्फीति दर**: मई 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति दर 2.8% थी जो पिछले 6 वर्षों में सबसे कम है।
  - **आयातित मुद्रास्फीति दर**: धीमी वैश्विक संवृद्धि से कमोडिटी और तेल की कीमतें कम हो सकती हैं, हालांकि मध्य-पूर्व में तनाव के कारण कुछ अनिश्चितता बनी हुई है।
- **बढ़ता सार्वजनिक ऋण**: **2024 में** भारत का सार्वजनिक ऋण **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** का 80% से अधिक रहा है जो अन्य **उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं (EMEs)[14]** की तुलना में काफ़ी अधिक है।
  - IMF के अनुसार, वैश्विक सार्वजनिक ऋण **2025 में 95%** से अधिक रहने और 2030 के **अंत तक 100% तक पहुँचने** का अनुमान है।

**भारत में सार्वजनिक ऋण के बारे में**

- **सार्वजनिक ऋण** को 'राष्ट्रीय ऋण' भी कहते हैं। यह **सरकार** तथा **सार्वजनिक क्षेत्रक की अन्य संस्थाओं** द्वारा निजी क्षेत्र और विदेशी सरकारों से लिए गए ऋण की कुल संचित राशि है।

---

[10] Financial Stability Report

[11] Financial Stability and Development Council

[12] Gross non-performing asset

[13] Net non-performing asset

[14] Emerging Market Economies

- इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, दोनों का ऋण शामिल होता है, लेकिन अंतर-सरकारी देनदारियां (एक सरकार का दूसरी सरकार पर बकाया ऋण) शामिल नहीं होती हैं।

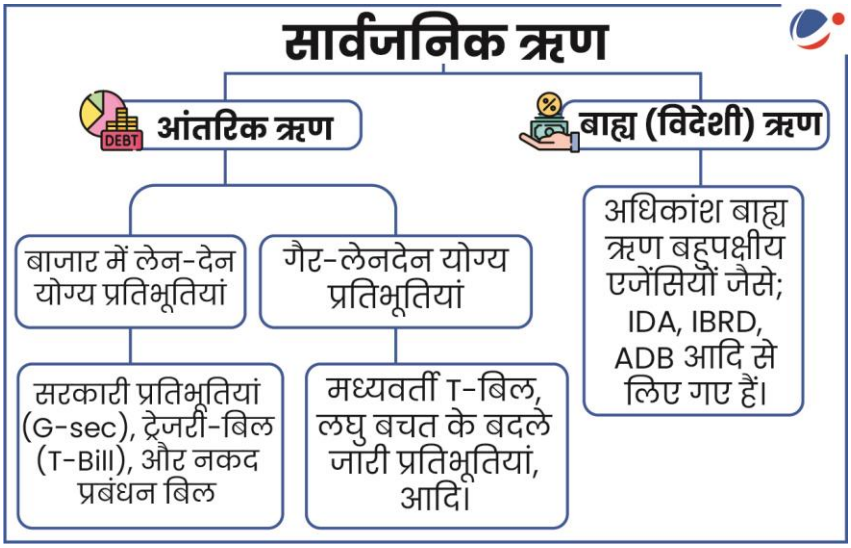


- **सार्वजनिक ऋण दो प्रकार का हो सकता है**:
  - **आंतरिक (Internal) ऋण**: भारत में ही लिया गया ऋण।
  - **बाह्य या विदेशी (External) ऋण**: विदेशी स्रोतों से लिया गया ऋण।
  - केंद्रीय बजट 2025-2026 के अनुसार, भारत के कुल सार्वजनिक ऋण 18,174,284 करोड़ रुपये में से **96.59% आंतरिक** और **3.41% बाह्य ऋण** है।
- **उच्च सार्वजनिक ऋण के प्रभाव**:
  - ब्याज भुगतान की राशि बढ़ जाती है।
  - सार्वजनिक व्यय के लिए वित्तीय संसाधन कम पड़ जाते हैं।
  - मुद्रास्फीति दर बढ़ सकती है।
  - निजी निवेश कम हो सकता है।
  - आर्थिक संवृद्धि कम हो सकती है और आने वाली पीढ़ी पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है।

**भारत में सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन का विधिक फ्रेमवर्क**

- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003**: इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे और फिर ऋण को मध्यम अवधि में वहनीय स्तर तक कम करने के लिए कानूनी प्रावधान करना है।
  - इसके तहत 2024-25 तक केंद्र सरकार के ऋण को GDP के 40% और **कुल सार्वजनिक ऋण** को **GDP के 60%** तक सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
- **RBI अधिनियम, 1934**: इस अधिनियम की धारा 20 के तहत, RBI को केंद्र सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करने का दायित्व दिया गया है।
- **सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006**: यह अधिनियम सरकारी प्रतिभूतियों और RBI द्वारा उनके प्रबंधन से संबंधित क़ानूनों में संशोधन करता है। इस संशोधन के बाद सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1944 सरकारी प्रतिभूतियों पर लागू होना बंद हो गया।

**भारत में उच्च सार्वजनिक ऋण के कारण**

- **सतत राजकोषीय घाटा**: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार का **सकल राजकोषीय घाटा 15.77 लाख करोड़** रुपये था, जबकि संशोधित अनुमान 15.69 लाख करोड़ रुपये था।
- **उच्च राजस्व व्यय**: कुल व्यय **46.56 लाख करोड़ रुपये** था, जिसमें से राजस्व व्यय **36.04 लाख करोड़ रुपये** दर्ज किया गया।
  - **सब्सिडी** (खाद्य, उर्वरक, ईंधन) तथा वेतन और पेंशन भुगतान पर अधिक व्यय होता है।
- **बाह्य ऋण में वृद्धि**: RBI के अनुसार, भारत का बाह्य ऋण मार्च 2024 के अंत में 668.8 बिलियन डॉलर था, जो मार्च 2025 के अंत तक **10% की वृद्धि** के साथ **736.3 बिलियन डॉलर** हो गया है।
- **महामारी के दौरान व्यय**:कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य-देखभाल और कल्याणकारी कार्यक्रमों पर व्यय बढ़ने के कारण केंद्र सरकार के ऋण में वृद्धि हुई है।

**सार्वजनिक ऋण को प्रबंधित और कम करने के लिए आगे की राह**

- **'ऋण-GDP अनुपात' का राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित रखना**: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत से 31 मार्च, 2031 तक ऋण-GDP अनुपात को **50±1 %** तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है।
- **बॉण्ड स्विचिंग के ज़रिए सक्रिय ऋण प्रबंधन**: बॉन्ड स्विचिंग एक ऐसी **प्रक्रिया** है जिसके तहत सरकार कम अवधि में मैच्योर होने वाले सरकारी बॉण्ड को बेचकर लंबी अवधि में मैच्योर होने वाले बॉण्ड खरीदती है।

- केंद्र सरकार पर बकाया बाज़ार उधारी की भारित औसत परिपक्वता अवधि (मूलधन चुकाने का औसत समय) 2018-19 में 10.4 साल थी, जो बढ़कर 2024-25 में 13.2 साल हो गई है।

- **सब्सिडी का बेहतर तरीके से प्रबंधन और कर सुधार**: जैसे, सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए **पहल (PAHAL) योजना** के तहत **4 करोड़** से अधिक डुप्लीकेट LPG कनेक्शन निरस्त किए गए; GST अनुपालन में सुधार (ई-चालान, AI-आधारित एनालिटिक्स आदि) के प्रयास किए गए।
- **सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्राधिकरण[15] की स्थापना**: इससे RBI अपने मुख्य कार्य, यानी मौद्रिक नीति प्रबंधन और बैंकों के विनियमन पर ध्यान केंद्रित कर पाएगा।

**निष्कर्ष**

लगातार राजकोषीय घाटे और अधिक व्यय की वजह से भारत का सार्वजनिक ऋण उच्च स्तर पर बना हुआ है। हालांकि इससे आर्थिक संवृद्धि और कल्याण कार्यक्रमों को जारी रखने में मदद मिली है, लेकिन अब यह राजकोष पर बोझ बनता जा रहा है और इसका उच्च स्तर पर बने रहना जोखिम पैदा कर सकता है। आगे चलकर, ऋण स्तरों को कम करते हुए दीर्घकालिक विकास को समर्थन देने के लिए लक्षित राजकोषीय संयम, राजस्व जुटाने में सुधार और व्यय का प्रभावी तरीके से प्रबंधन जैसे कदम आवश्यक हो गए हैं।

## 3.3. भारत में लोगों की रोज़गार-प्राप्ति क्षमता और कौशल विकास (Employability and Skilling In India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ELI)[16]** को मंज़ूरी दी है। इस योजना से युवाओं की रोज़गार प्राप्ति क्षमता बढ़ने, कौशल का विकास होने और निजी क्षेत्र में उनकी नौकरी सुरक्षित होने में मदद मिलने का अनुमान है।

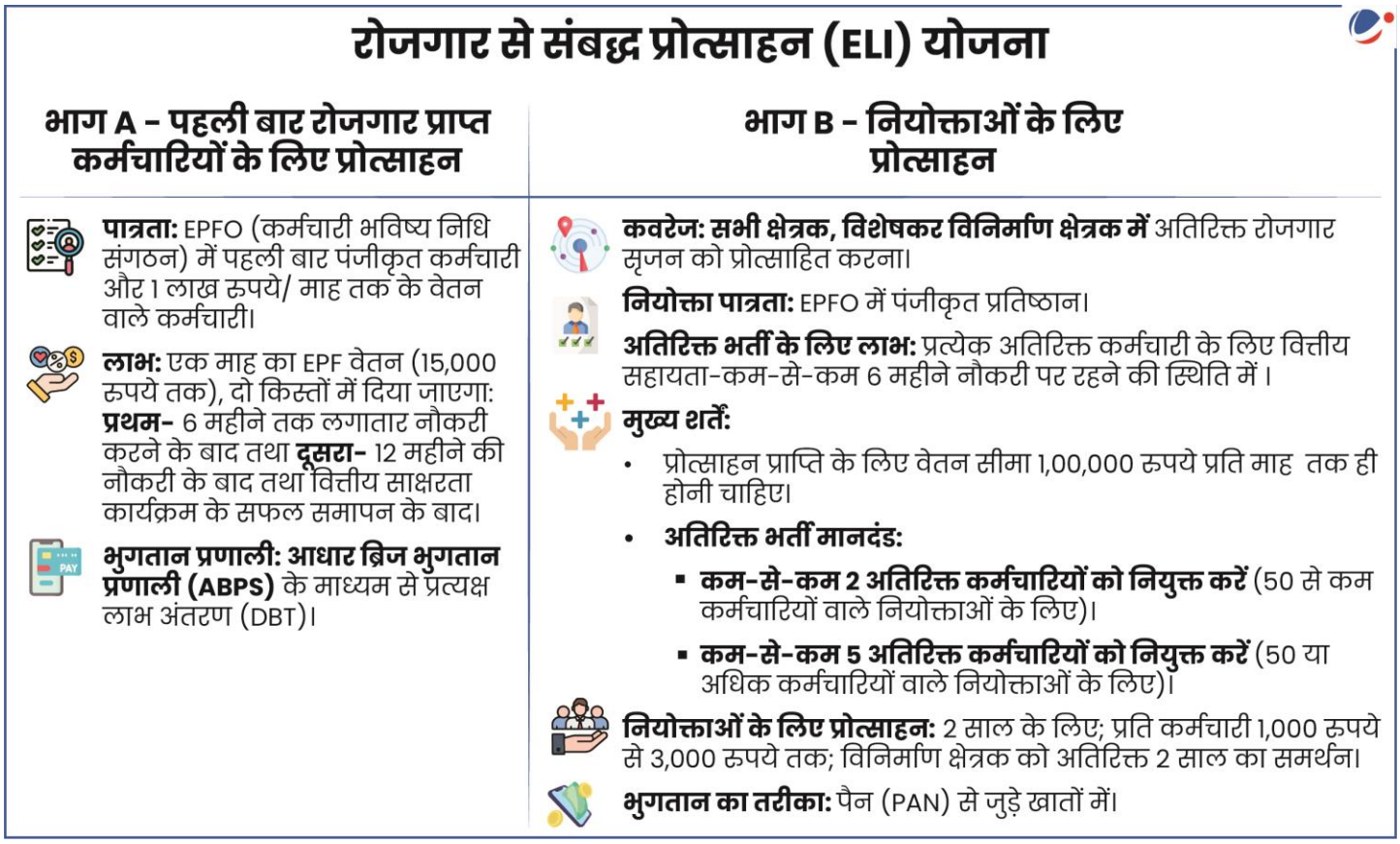


[15] Public Debt Management Authority

[16] Employment Linked Incentive

**रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ELI) के बारे में**

- **पृष्ठभूमि**: यह योजना युवाओं के लिए रोज़गार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने वाली **'प्रधानमंत्री की पाँच योजनाओं के पैकेज' के हिस्से के रूप में केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित** की गई थी।
- **नोडल मंत्रालय**: केंद्रीय श्रम और रोज़गार मंत्रालय।
- **उद्देश्य**: रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना, युवाओं की रोज़गार-प्राप्ति क्षमता बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना। इसके तहत विनिर्माण क्षेत्रक पर विशेष बल दिया जाएगा।
- **लक्ष्य**: 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करना (जिसमें पहली बार नौकरी करने वाले भी शामिल हैं)।

**भारत में रोज़गार-प्राप्ति क्षमता और कौशल विकास के बारे में**

**इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार:**

- **रोज़गार प्राप्ति क्षमता (Employability)**: 2024 में **50% से अधिक स्नातक (पुरुषों में 53.47%** और **महिलाओं में 46.53%**) रोज़गार प्राप्ति कौशल रखते हैं, जो एक दशक पहले 33% था। इस तरह 17% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- **संवृद्धि के कारक**: **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑटोमेशन** जैसी नई प्रौद्योगिकियां।

**भारत में रोज़गार-प्राप्ति क्षमता और कौशल विकास के क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियां**

अगले एक दशक में भारत के रोजगार बाजार में प्रतिवर्ष 10 मिलियन कर्मियों (वर्कर्स) के जुड़ने का अनुमान है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 में केवल 4.67 करोड़ नौकरियां ही सृजित हुईं। जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा लाभ उठाने में, कुछ प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं:

- **शिक्षा व्यवस्था और उद्योग जगत की मांग में असंगति**: भारत में विश्वविद्यालय सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक और व्यावहारिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने पर कम ध्यान देते हैं। स्नातकों में अक्सर व्यावहारिक अनुभव और तकनीकी दक्षता की कमी होती है, जिससे तकनीकी क्षेत्रों में उनकी रोज़गार-प्राप्ति क्षमता कम हो जाती है।
- **ऑटोमेशन का ख़तरा**: AI और डेटा साइंस जैसे उच्च-मांग वाले क्षेत्रों में भी, स्नातक तकनीकी कार्यों के लिए बहुत कम तैयार होते हैं। विश्व बैंक के अनुसार, भारत में 69% नौकरियों पर ऑटोमेशन का खतरा है।
- **सॉफ्ट स्किल के विकास पर कम ध्यान देना**: संचार/संवाद-कौशल, टीम वर्क और आलोचनात्मक सोच जैसे सॉफ्ट स्किल्स की महत्ता बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कई विश्वविद्यालयों के कोर्स में इसे अधिक महत्ता नहीं दी गई है।
    - इस अनदेखी के कारण विश्वविद्यालयों से **ऐसे स्नातक तैयार होते हैं जिनमें न केवल तकनीकी दक्षता की कमी होती है, बल्कि उनमें कार्यस्थल पर प्रगति के लिए आवश्यक पारस्परिक संवाद कौशल की भी कमी** होती है।

**रोज़गार प्राप्ति क्षमता बढ़ाने और कौशल विकास के लिए प्रमुख पहलें**

- **स्किल इंडिया मिशन (SIM)**: इसे केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इस पुनर्गठित योजना में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 4.0, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme: NAPS) और जन शिक्षण संस्थान (JSS) शामिल हैं।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 4.0**: इसका उद्देश्य प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके अलग-अलग करियर चुनने के लिए सशक्त बनाना और इसके लिए उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करना है।
- **राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS)**: यह प्रशिक्षुओं को मानदेय (स्टाइपेंड) के रूप में वित्तीय सहायता देकर प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) को बढ़ावा देता है। प्रशिक्षण के तहत बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योगों में नौकरी के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण, दोनों शामिल होते हैं।
- **जन शिक्षण संस्थान (JSS)** : यह निरक्षर, स्कूल छोड़ने वाले और वंचित समूहों (15–45 वर्ष की आयु) के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। 2018–19 से 26 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।
- **स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) प्लेटफ़ॉर्म**: इसे कौशल, शिक्षा, रोज़गार और उद्यमिता प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए शुरू किया गया।

- **इंडिया स्किल्स एक्सीलरेटर** : यह केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय **(MSDE)** द्वारा **विश्व आर्थिक मंच (WEF)** के सहयोग से शुरू किया गया सार्वजनिक-निजी सहयोग प्लेटफॉर्म है।
- **स्किल इम्पैक्ट बॉण्ड**: इसे **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)**[17] के नेतृत्व में शुरू किया गया। यह **कौशल प्रशिक्षण और जॉब प्लेसमेंट पर भारत का पहला डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉण्ड** है।

**निष्कर्ष**

जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने के लिए युवाओं को बेहतर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य-देखभाल सेवा और सामाजिक सुरक्षा में तुरंत निवेश बढ़ाना चाहिए। मानव पूंजी को मज़बूत करना, श्रम बाज़ार की मांगों को पूरा करना और कार्यबल की ज़रूरतों के अनुरुप प्रौद्योगिकी से जोड़ना समावेशी और सतत विकास को गति देगा।

## 3.4. फ्यूचर ऑफ वर्क (The Future of Work)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) द्वारा हाल ही में **12,000 कर्मचारियों की छंटनी** की घोषणा ने **'फ्यूचर ऑफ वर्क'** पर विमर्श बढ़ा दिया है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- कई विशेषज्ञों का मानना है कि **'फ्यूचर ऑफ वर्क'** वर्तमान के **ऑटोमेशन और AI के कारण नौकरियों में परिवर्तन** से प्रभावित हो सकता है, जिसके कारण अलग-अलग क्षेत्रकों में छँटनी बढ़ सकती है।
- TCS के अलावा, मेटा, अमेज़ॅन जैसी कई **बहुराष्ट्रीय कंपनियों** ने इस साल दुनिया भर में **1,05,000 से अधिक पद** समाप्त कर दिए हैं।
  - इनमें से **20% छंटनी भारत में हुई**, और लगभग 45% छंटनी मानव संसाधन (HR), सपोर्ट स्टाफ, कंटेंट क्रिएशन और कोडिंग जैसे क्षेत्रकों से हुई है।
  - हालाँकि TCS ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला **कौशल की कमी के कारण लिया गया है, न कि AI के कारण।** फिर भी यह वर्तमान और आने वाले वर्षों में हमारे **युवाओं की रोज़गार-प्राप्ति क्षमता और 'फ्यूचर ऑफ वर्क'** को लेकर चिंताएँ पैदा करता है।

**छंटनी (Layoffs) के बारे में**

- छँटनी का मतलब है कि एक नियोक्ता द्वारा अलग-अलग कारणों (जैसे कोयले, बिजली या कच्चे माल की कमी या प्राकृतिक आपदा आदि) से अपने कर्मचारियों की सूची में शामिल **किसी कर्मचारी का रोज़गार जारी रखने में विफलता या इनकार करना है।**

**छंटनी से संबंधित कानूनी प्रावधान**

- **औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947**: यह भारत में **छंटनी को प्रशासित करने वाला एक प्रमुख कानून** है।
  - **आयकर आयुक्त बनाम टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने **सॉफ्टवेयर इंजीनियरों** को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत **'कर्मी' (वर्कमैन)** माना।
- **चार श्रम संहिताएं**
  - **औद्योगिक संबंध संहिता (Code on Industrial Relations)**: यह छंटनी के लिए नोटिस की अवधि, सरकार से मंज़ूरी (कुछ संस्थानों में) और कर्मचारी-नियोक्ता विवाद समाधान के नियम निर्धारित करके छँटनी की प्रक्रिया को प्रशासित करती है।
  - **वेतन संहिता (Code on Wages)**: यह सुनिश्चित करती है कि छँटनी से प्रभावित कामगारों को समय पर मज़दूरी और मुआवज़ा मिले, जिससे उन्हें अचानक आय के नुकसान से सुरक्षित किया जा सके।
  - **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता (Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions)**: यह अनिवार्य बनाती है कि छंटनी या प्रतिष्ठान के बंद के बाद भी, नियोक्ता को कुछ समय तक (प्रक्रिया पूरी होने तक) कर्मचारियों के लिए कुछ सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय प्रदान करते रहना चाहिए।
  - **सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security)**: यह छँटनी हुए कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और बेरोज़गारी भत्ता जैसे लाभ प्रदान करती है।

[17] National Skill Development Corporation

**'फ्यूचर ऑफ वर्क' के बारे में**

- **'फ्यूचर ऑफ वर्क'** वास्तव में उस बदलाव को दर्शाता है, जिसमें तकनीकी, आर्थिक और जनसांख्यिकीय बदलावों के कारण कार्य करने, संगठित होने और कार्य अनुभव का तरीका बदल रहा है।

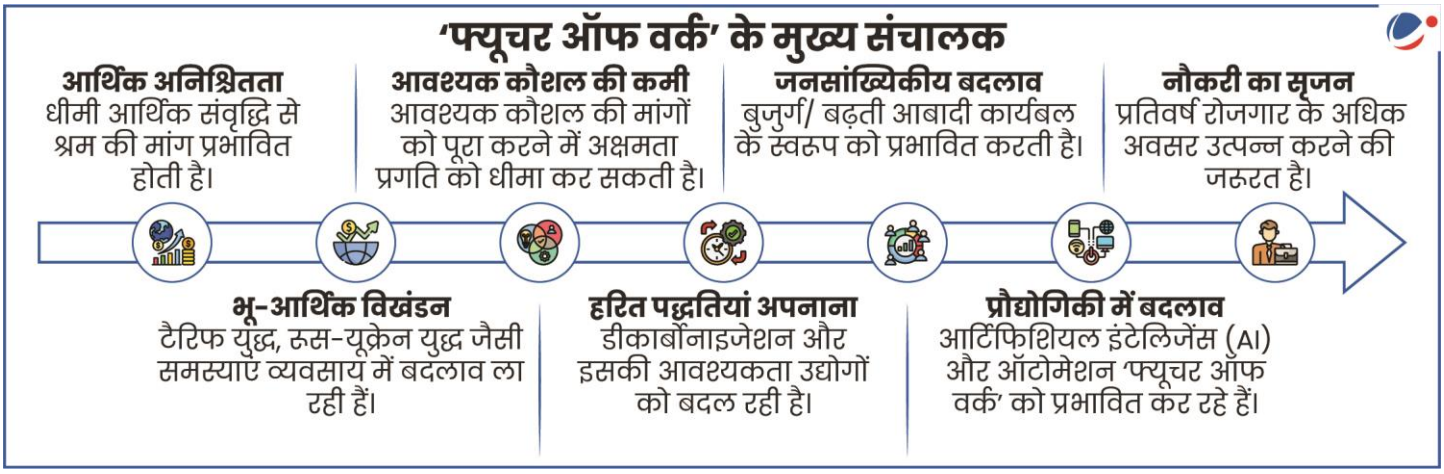


**'फ्यूचर ऑफ वर्क' को निम्नलिखित कारक कैसे प्रभावित करते हैं?**

- **आर्थिक प्रभाव**
  - **नौकरी के प्रकारों में बदलाव**: 170 मिलियन नई नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। पारंपरिक और मैन्युअल रोजगार की जगह उच्च-कौशल, ज्ञान-आधारित और सेवा-आधारित कार्यों की प्रमुखता बढ़ रही है, जैसे बिग डेटा स्पेशलिस्ट, फिनटेक इंजीनियर आदि।
  - **जिन नौकरियों पर खतरा है**: माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ताओं का तर्क है कि लेखन, अनुसंधान, और संचार से जुड़ी **नौकरियों (**अनुवादक, पत्रकार और इतिहासकार) की जगह **AI टूल्स** ले सकता है।
  - **उत्पादकता में वृद्धि**: मैकिन्से की रिपोर्ट के अनुसार, जनरेटिव AI हर साल अर्थव्यवस्था में लगभग **2.6–4.4 ट्रिलियन डॉलर** जोड़कर उत्पादकता को बढ़ावा दे सकता है।
  - **रोजगार के नए क्षेत्रक**: ILO का अनुमान है कि 2021 और 2030 के बीच 54 मिलियन ग्रीन जॉब्स सृजित होंगे।
- **कार्यबल और कौशल पर प्रभाव**
  - **री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग**: भविष्य की जरूरत के अनुरूप कार्यबल को एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और चुनौतियों से निपटने के कौशल से युक्त होना आवश्यक है।
  - **कौशल में बदलाव**: विश्व आर्थिक मंच (WEF) के अनुसार, 2030 तक 39% कार्य बल के मूल कौशल में बदलाव आएगा।
- **सामाजिक प्रभाव**
  - **असमानता की चिंताएँ**: उच्च-कौशल और निम्न-कौशल वाले कर्मचारियों के वेतन और अवसरों की संख्या में अंतर बढ़ सकता है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर और डेटा एंट्री ऑपरेटर के बीच अंतर।
  - **लैंगिक असमानता बढ़ सकती है**: ILO के अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि भारत में पुरुषों और महिलाओं के औसत पारिश्रमिक में लगभग 34% का अंतर है, जबकि वैश्विक औसत 20% है।
  - **आदिवासी विकास पर प्रभाव**: अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर भारत की औसत साक्षरता दर से 13% कम है, जिससे उनके कौशल विकास पर असर पड़ता है।
- **नैतिक प्रभाव**
  - **सामाजिक ज़िम्मेदारी**: IT कंपनियों की सामाजिक ज़िम्मेदारी है कि वे निष्पक्ष और मानवीय कार्यबल प्रबंधन कार्यपद्धतियां सुनिश्चित करें, खासकर कार्यबल के विकास में किए गए अधिक निवेश को देखते हुए।
  - **श्रमिकों के अधिकार**: "हायर एंड फायर" (काम पर रखना और निकालना) के इस युग में व्यावसायिक दक्षता और कर्मचारी कल्याण के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।
  - **मनोवैज्ञानिक प्रभाव**: नौकरी और घरेलू जीवन के बीच संतुलन बिगड़ सकता है; कमर्चारियों में चिंता, तनाव और कई अन्य मानसिक बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं।

**'फ्यूचर ऑफ वर्क' के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें**

- **स्किलिंग, अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग**
  - **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)**: यह शॉर्ट-टर्म ट्रेनिंग (STT) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और रिकग्निशन ऑफ़ प्रायर लर्निंग (RPL) के माध्यम से अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है।
  - **फ्यूचरस्किल्स प्राइम**: यह नैसकॉम तथा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) की एक डिजिटल कौशल पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल प्रतिभा वाला राष्ट्र बनाना है।
- **नई और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए पहलें:**
  - **AI फॉर इंडिया 2030 पहल**: यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई हैं।
  - **राष्ट्रीय इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स मिशन (NM-ICPS)**: भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के इस मिशन का उद्देश्य नए क्षेत्रकों में स्टार्टअप, मानव संसाधन और स्किल-सेट्स को बढ़ावा देना है।
- **स्वास्थ्य-देखभाल और सेहतमंदी के लिए पहलें**
  - **राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Tele Mental Health Programme)**: इसका उद्देश्य मानसिक रोगियों को बेहतर काउंसलिंग और बेहतर देखभाल सेवाएं प्रदान करना है।

**निष्कर्ष**

व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और कार्यबल के कल्याण के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और नैतिक कॉर्पोरेट पद्धतियों में लगातार निवेश करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फ्यूचर ऑफ वर्क समावेशी, मजबूती और न्यायसंगत बना रहे।

***नोट:*** *कार्यस्थल स्वचालन (Workplace Automation) के बारे में और अधिक जानकारी के लिए अप्रैल, 2025 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 6.1. देखें।*

## 3.5. अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना {Research Development and Innovation (RDI) Scheme}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपये की निधि वाली '**अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI)** योजना को मंज़ूरी दी।

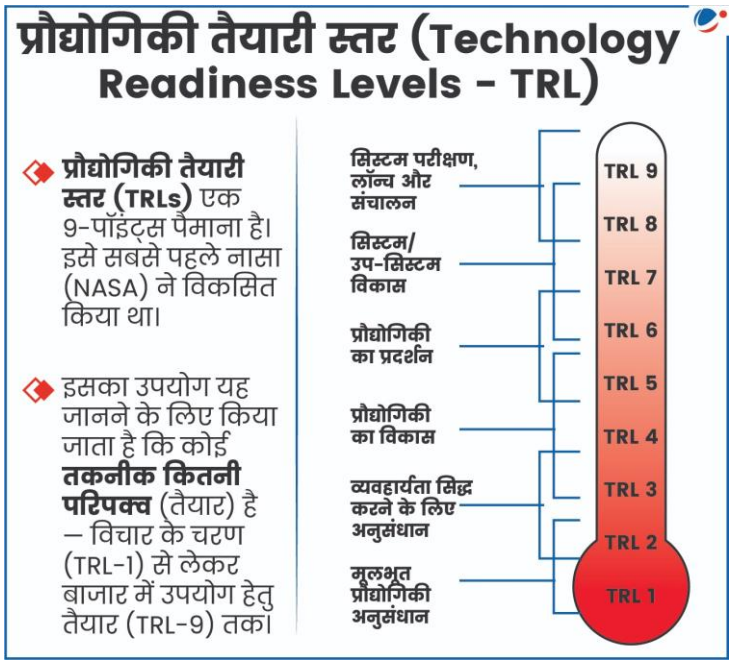


**अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना के बारे में**

- **नोडल विभाग**: भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग।
- **योजना के प्रमुख उद्देश्य**:
  - **निजी क्षेत्र को** आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक उद्देश्यों और आत्मनिर्भरता के लिए **उभरते क्षेत्रों (sunrise domains)** और अन्य ज़रूरी क्षेत्रकों में अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) को **बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना।**
  - **टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल (TRL)** के उच्चतर स्तर पर रूपांतरणकारी परियोजनाओं को वित्त-पोषण प्रदान करना।
  - उन प्रौद्योगिकियों की प्राप्ति का समर्थन करना जो **अति-महत्वपूर्ण या उच्च रणनीतिक महत्व की** हैं।
  - **डीप-टेक फंड ऑफ़ फंड्स** की स्थापना को सुविधाजनक बनाना।
- **वित्त-पोषण और वित्तीय सहायता**:
  - **कुल बजट**: 1 लाख करोड़ रुपये।

- **वित्तपोषण के तरीके**:
  - कम या शून्य ब्याज दर पर **दीर्घकालिक ऋण** प्रदान करना।
  - **इक्विटी निवेश**, विशेष रूप से स्टार्टअप के मामले में।
  - डीप-टेक फंड ऑफ़ फंड्स में योगदान।
- **क्या शामिल नहीं है**: अनुदान (Grants) और अल्पकालिक ऋण इसमें शामिल नहीं हैं।
- **कवरेज**:
  - TRLs 4 और उससे ऊपर की रूपांतरणकारी RDI परियोजनाओं के लिए आकलन की गई परियोजना लागत के 50% तक का वित्तपोषण किया जा सकता है।
  - अधिकार प्राप्त सचिवों के समूह (EGoS) अन्य योजनाओं को मंज़ूरी दे सकता है।

- **कार्यान्वयन संरचना**:
  - **विशेष प्रयोजन कोष**[18]: इसे **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF)** के तहत पहले स्तर के संरक्षक के रूप में स्थापित किया जा रहा है।
    - ANRF का गवर्निंग बोर्ड भी RDI योजना को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
  - **दूसरे स्तर के फंड प्रबंधक**: इनमें वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs)[19], विकास वित्तीय संस्थान (DFIs)[20], गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनीज़ (NBFCs) या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड (TDB), IIT रिसर्च पार्क्स या इसी तरह की अन्य संस्थाएँ शामिल हो सकती हैं।

**योजना का महत्व**

- **अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका को पहचानना**: यह योजना विकास और जोखिम पूंजी प्रदान करके निजी क्षेत्र के समक्ष वित्तपोषण की बाधाओं और चुनौतियों का प्रत्यक्ष समाधान करती है।
- **निजी क्षेत्र के निवेश के लिए उत्प्रेरक**: ANRF के साथ साझेदारी में शुरू की गई, RDI योजना का उद्देश्य अनुसंधान और विकास (R&D) में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना है।
  - R&D पर सरकारी खर्च में वृद्धि वास्तव में निजी क्षेत्र को भी R&D गतिविधियों में निवेश के लिए प्रेरित कर सकती है।
- **व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना**: सरकारी R&D के विपरीत, औद्योगिक R&D मुख्य रूप से बाज़ार में बिकने वाले, लाभदायक उत्पादों पर केंद्रित होता है, जो वास्तविक आर्थिक प्रभाव के लिए आवश्यक है।
- **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा**: यह उन प्रौद्योगिकियों का समर्थन करती है जहाँ रणनीतिक या आर्थिक कारणों से **स्वदेशीकरण ज़रूरी है।** यह **आत्मनिर्भरता** के लक्ष्य के अनुरूप है।
- **रोजगार के अवसर सृजित करना और रोजगार सुरक्षित रखना**: R&D को प्रोत्साहित करने से खासकर स्नातकों के लिए, अधिक अवसर पैदा होंगे।

**भारत में अनुसंधान और विकास संबंधी चुनौतियां**

- **R&D में कम निवेश और R&D में विविधता का अभाव**: पिछले दो दशकों में भारत का R&D व्यय GDP के केवल 0.6–0.7% के बराबर रहा है, जो दक्षिण कोरिया (4.8%) और इज़राइल (5.6%) जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है।
  - इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 में, **सकल R&D व्यय (GERD)[21] में** निजी क्षेत्रक का **योगदान केवल 36.4%** था, जबकि अमेरिका और चीन जैसे देशों में यह 70% से अधिक है।
- **राज्यों में R&D में कम निवेश**: 2020-21 के दौरान, राष्ट्रीय R&D व्यय में राज्यों का योगदान केवल 6.7% था।

**क्या आप जानते हैं?**

> **ट्रिपल हेलिक्स का अर्थ है – तीन क्षेत्रों के बीच आपसी सहयोग और तालमेल:**
- **विश्वविद्यालय / अकादमिक क्षेत्र–** जो ज्ञान और शोध में संलग्न हैं।
- **उद्योग–** जो व्यावसायिक वस्तुओं के उत्पादन और उन्हें बाजार में भेजने पर ध्यान देता है।
- **सरकार / नीति–** जो ऐसा बाजार विनियामक परिवेश बनाती है, जिससे आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा मिले।

[18] Special Purpose Fund

[19] Alternate Investment Funds

[20] Development Finance Institutions

[21] Gross Expenditure on Research and Development

- **उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सीमित सहयोग**: भारत में **"ट्रिपल हेलिक्स" मॉडल** (जो अमेरिका में देखा जाता है) अभी भी अविकसित अवस्था में है, जिससे व्यावसायीकरण और नवाचार में बाधा आती है।
- **फंड का सीमित उपयोग**: जैव-प्रौद्योगिकी विभाग और विज्ञान-प्रौद्योगिकी विभाग ने 2022-23 में अपने बजट का क्रमशः केवल 72% और 61% उपयोग ही किया है, जो कार्यकुशलता में कमी को दर्शाता है।
- **वैज्ञानिक प्रतिभा की अपर्याप्त पहचान**: यद्यपि, भारत में सालाना 40,000 से अधिक लोग PhD करते हैं, लेकिन बोझिल नौकरशाही और प्रोत्साहनों की कमी जैसी व्यवस्थागत बाधाएं उपलब्ध मानव पूंजी के बावजूद नवाचार को हतोत्साहित करती हैं।

**आगे की राह**

- **R&D में वित्तपोषण बढ़ाना और उसमें विविधता लाना**: राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के लक्ष्यों के अनुरूप 2030 तक सकल R&D व्यय (GERD) को बढ़ाकर GDP के 2% तक करना चाहिए।
  - कर छूट, नवाचार संबंधी वित्तपोषण और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से R&D में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **राज्य-विशिष्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी (S&T) ज़रूरतों की पहचान**: स्थानीय R&D रोडमैप तैयार करने के लिए राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार परिषदों की स्थापना करनी चाहिए।
  - केरल के स्टार्टअप मिशन या बेंगलुरु के बायोटेक क्लस्टर जैसे क्षेत्रीय नवाचार हब को बढ़ावा देना चाहिए।
- **संस्थाओं को मज़बूत करना**: विशेषज्ञों को आकर्षित करने और अनुसन्धान में दोहराव से बचने के लिए CSIR नवाचार हब जैसे अनुसंधान क्लस्टर मॉडल लागू करने की आवश्यकता है।
- **उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देना**: उद्योग और सरकार द्वारा वित्तपोषित संयुक्त R&D केंद्र स्थापित करना चाहिए (जैसे- सेमीकंडक्टर मिशन साझेदारी)।
  - सैटेलाइट बनाने में ISRO-उद्योग साझेदारी जैसे मॉडल को अपनाना चाहिए।
- **संसाधन का प्रभावी तरीके से उपयोग**: फंड प्रदान करने के लिए आउटपुट मानदंड को अपनाना चाहिए। संस्थाओं को बजटीय आवंटन शोध प्रकाशनों, पेटेंट और सामाजिक प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए।
- **वैज्ञानिक प्रतिभा को पहचानना और उन्हें संस्थाओं से जोड़े रखना**: प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप (PMRF) जैसी योजनाओं का विस्तार करना चाहिए और विश्व भर में भारत की प्रतिभाओं को देश में वापस लाने के लिए योजनाएं शुरू करनी चाहिए।
  - CURIE और KIRAN जैसी योजनाओं के माध्यम से युवा इनोवेटर्स और महिला वैज्ञानिकों के लिए फ़ास्ट-ट्रैक फंडिंग प्रदान करनी चाहिए।

**भारत में R&D को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई सरकारी पहलें:**

- **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF)**: इसे ANRF अधिनियम, 2023 के तहत शुरू किया गया। इसका उद्देश्य R&D फंडिंग को बढ़ाना तथा शोधकर्ताओं, उद्योगों और विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी को मजबूत करना है।
- **राष्ट्रीय AI मिशन**: यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह बेहतर नवाचार और सेवाओं के लिए स्वास्थ्य-देखभाल सेवा, कृषि, शिक्षा और गवर्नेंस में AI को लागू करता है।
- **अटल इनोवेशन मिशन (AIM)**: यह नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देता है। यह स्कूलों में **अटल टिंकरिंग लैब्स (ATLs)** और युवा उद्यमियों के लिए इनक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित करता है।
- **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM)**: इस मिशन के तहत **चार विषयगत हब (T-Hubs)** स्थापित किए गए हैं; **क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी** तथा **क्वांटम मैटेरियल्स और डिवाइसेज।**

## 3.6. भारत में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का **वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index)** 2025 में बढ़कर **67** हो गया, जो 2021 से अब तक 24.3% की वृद्धि दर्शाता है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- **FI-Index** देश भर में वित्तीय समावेशन का मापन करता है। इसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, पेंशन आदि क्षेत्रों को शामिल किया जाता है।
- सूचकांक में हुई वृद्धि इसके तीनों उप-सूचकांकों-**पहुँच (Access)**, **उपयोग (Usage)** और **गुणवत्ता (Quality)** में हुई प्रगति को दर्शाती है।
- वित्त वर्ष 2025 में FI-Index में सुधार का कारण मुख्य रूप से **उपयोग और गुणवत्ता** से जुड़े पहलुओं में सुधार है। यह दर्शाता है कि वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता से जुड़ी पहलें मजबूत हो रही हैं।

**वित्तीय समावेशन सूचकांक के बारे में**

- RBI का **FI-Index** भारत में वित्तीय समावेशन का एक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है।
  - योजना आयोग (2009) ने वित्तीय समावेशन को **"उचित लागत पर अलग-अलग वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच"** के रूप में परिभाषित की थी। इन सेवाओं में बैंकिंग, बीमा और इक्विटी उत्पाद शामिल हैं।
- **सूचकांक का स्कोर:** यह **0 से 100 के स्केल** प्रदान करता है।
  - 0 का अर्थ 'वित्तीय सेवाओं से पूर्ण रूप से वंचित' है और 100 स्कोर का अर्थ 'पूर्ण वित्तीय समावेशन' है।
- **कोई आधार वर्ष नहीं:** इसे 2021 से हर साल जारी किया जा रहा है। यह वर्षों से वित्तीय समावेशन की दिशा में सभी हितधारकों के योगदान और प्रगति की सूचना प्रदान करता है।
- **सूचकांक की संरचना:** इसमें तीन व्यापक पैरामीटर (उप-सूचकांक) शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक उप-सूचकांक लिए भारांश निर्धारित हैं और इनके कई संकेतक हैं।

| उप-सूचकांक | संकेतक | भारांश | घटक |
|---|---|---|---|
| पहुंच (Access) | 26 | 35% | यह **वित्तीय समावेशन के आपूर्ति-पक्ष** को दर्शाता है, जो **बैंकिंग, डिजिटल, पेंशन और बीमा सेवाओं** में भौतिक एवं डिजिटल अवसंरचना की उपलब्धता पर केंद्रित है। |
| उपयोग (Usage) | 52 | 45% | यह **वित्तीय समावेशन के मांग-पक्ष** का प्रतिनिधित्व करता है। यह मापता है कि व्यक्ति कितनी बार वित्तीय अवसंरचना का उपयोग करता है। उदाहरण: UPI लेन-देनों की संख्या। |
| गुणवत्ता (Quality) | 19 | 20% | यह **वित्तीय समावेशन की गुणवत्ता** का आकलन करता है तथा नागरिकों को वित्तीय सेवाओं, उनके अधिकारों और प्रभावी शिकायत-निवारण तंत्र के बारे में शिक्षित करने के प्रयासों को दर्शाता है। |

**भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक**

**सरकार की पहलें**

- **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) (2014):** इसके तहत 56 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए गए हैं।
- **राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI 2019-2024):** यह वित्तीय सेवाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है।
- **आधार (Aadhaar):** इसने KYC प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। इस वजह से बैंक खाता खोलने और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में सहायता मिलती है। इसने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) को प्रभावी और सुगम बनाया है।
- **डिजिटल इंडिया:** इसने डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुँच का विस्तार किया है।

**प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका**

- **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI):** विशेष रूप से 18-35 वर्ष की आयु के ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत के लगभग 38% व्यक्तियों के लिए UPI ऑनलाइन लेन-देन का सबसे पसंदीदा माध्यम है।
- **JAM ट्रिनिटी (जन धन-आधार-मोबाइल):** इसने मोबाइल के बढ़ते उपयोग का लाभ उठाने के लिए आवश्यक '**डिजिटल पब्लिक गुड्स अवसंरचना** प्रदान की है। यह डिजिटल वित्तीय समावेशन का आधार बन गई है।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML):** AI समावेशी क्रेडिट स्कोरिंग, चैटबॉट्स, वॉयस असिस्टेंट, धोखाधड़ी का पता लगाने आदि के माध्यम से वित्तीय सेवाओं में क्रांति ला रहा है।

**वित्तीय संस्थानों की भूमिका**

- **माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFIs):** माइक्रोफाइनेंस ग्राहकों के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान (चीन के बाद) पर है। 140 मिलियन से अधिक लोग इस नेटवर्क का फायदा उठा रहे हैं।
- **स्व-सहायता समूह (SHGs):** भारत में 2023 तक, 13.4 मिलियन से अधिक SHGs हैं। इनमें से 84.25% महिलाएं द्वारा संचालित हैं, जो 160 मिलियन परिवारों को लाभ प्रदान करते हैं।
  - ये बचत और ऋण के लिए प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करते हैं, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देते हैं, और अधिक ब्याज दर वाले अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम करते हैं।
  - **"बैंक सखी" (महिला बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स)** लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी में योगदान करती हैं।
- **वाणिज्यिक बैंक:**
  - RBI ने कृषि और MSMEs जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों को प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण (PSL)[22] देने का अनिवार्य प्रावधान बनाया है।

**वित्तीय समावेशन के लिए चुनौतियां**

- **निष्क्रिय बैंक एकाउंट्स:** 2021 में भारत में लगभग **35%** बैंक खाते बैंक पर विश्वास की कमी, अधिक दूरी, अपर्याप्त धनराशि और खातों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में समस्या के कारण निष्क्रिय थे।
- **लैंगिक असमानताएं:** डिजिटल भुगतान में लैंगिक स्तर पर अंतर बना हुआ है। **45%** पुरुषों ने या तो डिजिटल भुगतान किया या प्राप्त किया, महिलाओं में यह अनुपात केवल **32%** है।
- **ग्रामीण और भौगोलिक अवरोध:** दूरदराज के क्षेत्रों में भौतिक अवसंरचना की कमी और कम डिजिटल डिवाइस होने की वजह से सभी को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं नहीं प्राप्त हो पाई हैं।
- **वित्तीय निरक्षरता:** महिलाओं में वित्तीय साक्षरता का स्तर पुरुषों की तुलना में कम है, जिससे शिक्षा में महिलाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता और बढ़ जाती है।
- **डिजिटल डिवाइड:** इंटरनेट-से जुड़े स्मार्टफोन की कमी और कम डिजिटल साक्षरता जैसी तकनीकी बाधाएं, कुछ वर्गों को डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने से रोकती हैं।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में **82% परिवारों के पास** और शहरी क्षेत्रों में **91% परिवारों के पास** स्मार्टफोन है।

[22] Priority Sector Lending

- **अन्य चुनौतियां:** ज्ञान की कमी के कारण ऋण प्राप्ति में समस्या; लेन-देन की उच्च लागत; सेवाओं की गुणवत्ता की कमी; विश्वास नहीं होना, डाक्यूमेंट्स नहीं होना; जोखिम से कम सुरक्षा, आदि।

**आगे की राह**

सार्वभौमिक और सार्थक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए, भारत को बहुआयामी और सहयोग आधारित व्यवस्था की आवश्यकता है:

- **कम बैंकिंग सेवाओं और बिना बैंकिंग सेवा वाले वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना:** कम बैंकिंग सेवाओं वाले व्यक्तियों के लिए लक्ष्य होना चाहिए कि वे अधिक वित्तीय उत्पादों का उपयोग करें। बिना बैंकिंग सेवाओं वाले व्यक्तियों के लिए प्राथमिकता यह हो कि उन्हें सरल आवेदन प्रक्रिया और कम लागत पर बैंक खाता उपलब्ध हो।
- **तकनीक आधारित वित्तीय प्रणाली विकसित करना:** ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में व्यक्तिगत, सुलभ और सुरक्षित वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए AI और एडवांस्ड ऑटोमेशन का लाभ उठाया जाना चाहिए।
  - उदाहरण के लिए: चीन में रोबोट इन्वेस्टमेंट असिस्टेंट (RIAs) और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा युआन (e-CNY) का उपयोग सफल रहा है।
- **ओपन सिस्टम को बढ़ावा देना:** इनोवेशन और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (**ONDC**) और ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क (**OCEN**) जैसे इंटर-ऑपरेबल ओपन बैंकिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इन्हें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए।
- **उपभोक्ताओं का संरक्षण:** व्यक्तियों की वित्तीय जानकारी की सुरक्षा के लिए डेटा प्राइवेसी कानूनों और साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।
- **लक्षित नीतियां:** बैंकों को महिलाओं, लघु और सीमांत किसानों, सूक्ष्म उद्यमों और अनौपचारिक क्षेत्र को कम ब्याज दर पर और सुलभ तरीके से ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  - वित्तीय संस्थान कम आय वाले समूहों की जरूरतों के अनुरूप **माइक्रोइंश्योरेंस**, **पेंशन योजनाएं** जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** सरकारों, वित्तीय संस्थानों और दूरसंचार कंपनियों के बीच सहयोग से वित्तीय समावेशन को गति मिल सकती है।
  - सरकारी नीतियों के माध्यम से मोबाइल मनी सेवाएँ और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म प्रदान करने में **निजी क्षेत्र की भागीदारी** को प्रोत्साहित करना चाहिए।

**निष्कर्ष**

लगातार चुनौतियों का समाधान करते हुए और सफल रणनीतियों को अपनाकर, भारत सार्थक वित्तीय सहभागिता को मजबूत बना सकता है, चुनौतियों का समाधान कर सकता है और सभी नागरिकों के लिए अधिक आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देते हुए समावेशी वित्त के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनने की दिशा में अपनी प्रगति को जारी रख सकता है।

## 3.7. डिजिटल इंडिया मिशन (Digital India Mission)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में भारत में **डिजिटल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ** मनाई गई। यह मिशन **2015 में शुरू** हुआ था।

**डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में**

- **नोडल कार्यान्वयन मंत्रालय:** केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (**MeitY**)।
- **उद्देश्य:** भारत को **डिजिटल रूप से सशक्त समाज** और **ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था** में बदलना।
- **प्रकृति:** यह एक **अम्ब्रेला प्रोग्राम** है जो अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों की ई-गवर्नेंस पहलों को एक साथ जोड़ता है।
- **निजी क्षेत्र का सहयोग:** ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को लागू करने के लिए जहाँ भी संभव हो, **सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP)** को प्राथमिकता दी जाती है।
- **लक्ष्य:**
  - भारत को **डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था** में बदलना।
  - **डिजिटल पहुँच, डिजिटल समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करना** और डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना।
  - यह सुनिश्चित करना कि **सरकारी सेवाएँ नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध** हों।
- **इसका विजन निम्नलिखित तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है:**
  - प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना
  - मांग आधारित शासन और सेवाएँ
  - नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण।

**मिशन की प्रमुख उपलब्धियां**

- **डिजिटल अर्थव्यवस्था: भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024 रिपोर्ट** के अनुसार, भारत अब डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। 2030 तक इसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 20% का योगदान करने का अनुमान है।
- **बढ़ता इंटरनेट कनेक्शन:** भारत में 2014-2024 के दौरान इंटरनेट कनेक्शन में 285% की वृद्धि हुई है। वहीं डेटा की लागत 308 रुपये प्रति GB से घटकर 9.34 रुपये प्रति GB हो गई है। इस तरह डेटा बहुत किफायती हो गया है।
- **वित्तीय समावेशन:** भारत रीयल-टाइम पेमेंट्स में विश्व में अग्रणी है। 2023 में 49% वैश्विक डिजिटल लेनदेन भारत में दर्ज किया गया। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से मई 2025 तक 44 लाख करोड़ रुपये लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए गए। DBT ने अपात्र लाभार्थियों को हटाकर वास्तविक लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है।
- **समावेशन और स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होना: भाषिनी (BHASHINI)** जैसी पहलें अलग-अलग AI मॉडल्स के माध्यम से 30 से अधिक भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं।
  - इसे **IRCTC** टिकटिंग, **NPCI** भुगतान प्रणालियों और पुलिस डॉक्यूमेंटेशन जैसे प्लेटफॉर्म्स में एकीकृत किया गया है।

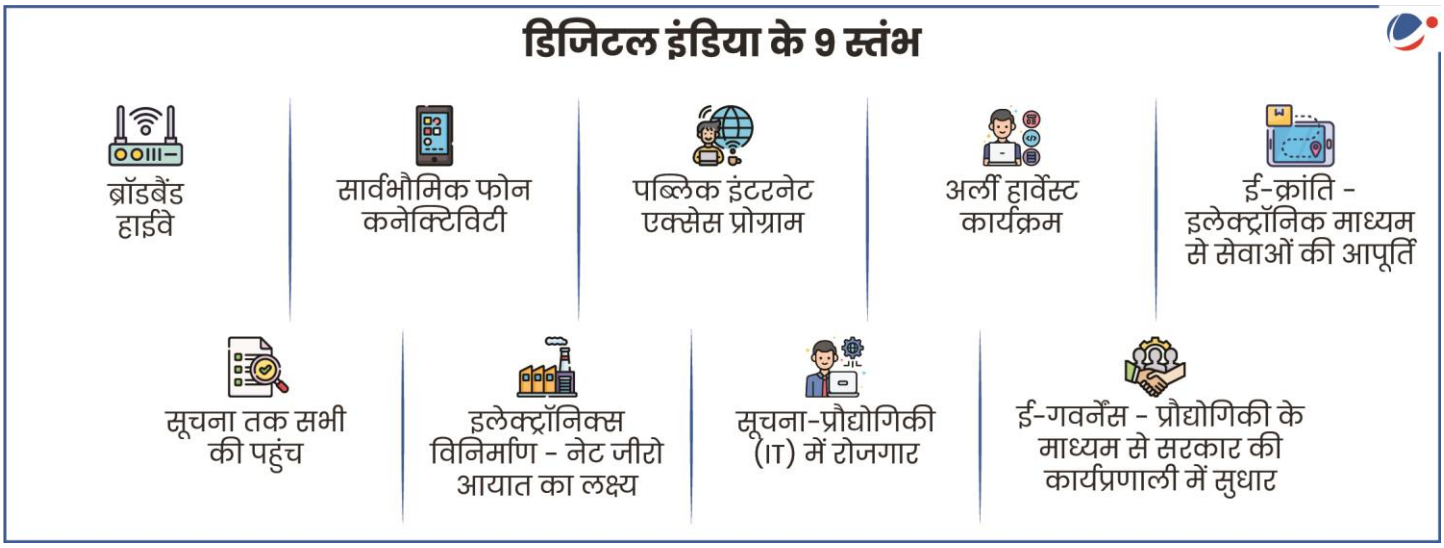


**चुनौतियाँ जो पूर्ण क्षमता का उपयोग करने में बाधा डालती हैं**

- **डिजिटल साक्षरता की कमी:** भारत के केवल **38%** परिवार डिजिटल रूप से साक्षर हैं।
  - **ऑक्सफैम 2022** के अनुसार, इंटरनेट का उपयोग असमान है, जहां शहरी क्षेत्रों में 67% लोग इंटरनेट सेवाओं का लाभ उठा रहे है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात मात्र 31% है।
- **खराब कनेक्टिविटी और ब्रॉडबैंड गुणवत्ता:** आउटेज, कॉल ड्रॉप और कमजोर सिग्नल के कारण कनेक्टिविटी अक्सर अस्थिर रहती है।
  - भारत में ब्रॉडबैंड की परिभाषा अभी भी **2 Mbps** है, जबकि वैश्विक मानक **25 Mbps+** है।
- **साइबर सुरक्षा जोखिम:** भारत की साइबर विनियामक व्यवस्था मजबूत नहीं है। इस वजह से हैकिंग और **डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस (DDoS)** अटैक का खतरा बना रहता है।
  - डेटा के अनधिकृत पहुंच से होने वाला औसत नुकसान 2025 में **13%** बढ़कर 220 मिलियन डॉलर हो गया।
- **हेल्थकेयर डिजिटलीकरण की समस्या:** कमजोर अवसंरचना और कम साक्षरता के कारण राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (**NDHM**) और **ई-संजीवनी जैसे प्रोजेक्ट्स** बाधा का सामना कर रही हैं।
  - **CoWIN टीकाकरण अभियान** में वे लोग छूट गए जिनके पास स्मार्टफोन या डिजिटल ज्ञान नहीं था।

**पूर्ण क्षमता का लाभ उठाने के लिए आगे की राह**

- **यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड और कनेक्टिविटी: भारतनेट फेज-II परियोजना** को राज्य के नेतृत्व में, निजी क्षेत्र के सहयोग से और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSU) मॉडल के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

- रेडियो और सैटेलाइट आधारित प्रौद्योगिकियां सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड कम कर सकती हैं।

- **सेवा की गुणवत्ता में सुधार:** अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने पर ध्यान देना चाहिए और पर्याप्त निरंतर स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाना चाहिए।
  - नेटवर्क सुधार में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए डिवाइसेज और डेटा को किफायती बनाए रखा जाना चाहिए।
- **ई-सेवाओं का विस्तार और मानकीकरण:** सेवा वितरण मानकों में सुधार करने के लिए **MeitY** के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग को समय-समय पर राज्यों द्वारा नियमों के अनुपालन का ऑडिट करना चाहिए।
- **साइबर सुरक्षा को मजबूत करना:** डेटा सुरक्षा और शिकायत निवारण के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क विकसित करना चाहिए। राष्ट्रीय और सीमा-पार साइबर अपराध से निपटने वाली टीमों को मजबूत बनाया जाना चाहिए।
  - सुरक्षित IT नेटवर्क सुनिश्चित करने के लिए **अनुसंधान और विकास पर व्यय बढ़ाने** के जरूरत है।
- **डिजिटल साक्षरता और कौशल को बढ़ावा देना:** डिजिटल साक्षरता को स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे अपने समुदायों में इस ज्ञान का प्रसार कर सके।
  - सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

डिजिटल समावेशन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

**वीकली फोकस #113**

भारत में डिजिटल समावेशन: एक कनेक्टेड और सशक्त राष्ट्र का निर्माण

## 3.8. भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारत में पिछले पांच वर्षों में बौद्धिक संपदा (**IP**) फाइलिंग में **44%** की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण भौगोलिक संकेतकों (GI) में **380%** की बढ़ोतरी है।

**बौद्धिक संपदा में वृद्धि के कारण**

- **कानूनी और प्रक्रियात्मक सरलीकरण:** बौद्धिक संपदा कानूनों और नियमों का सरलीकरण किया गया है। जैसे, पेटेंट परीक्षण की समय-सीमा को 48 महीने से घटाकर 31 महीने की गई है। पेटेंट डाक्यूमेंट्स के लिए अनिवार्य ई-सबमिशन शुरू किया गया है।
- **बौद्धिक संपदा कार्यालयों का आधुनिकीकरण:** व्यापक ई-फाइलिंग प्रणाली के साथ बौद्धिक संपदा कार्यालयों का डिजिटलीकरण किया गया है। इसकी वजह से **95%** से अधिक आवेदन अब ऑनलाइन दाखिल किए जाते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानक:** जैसे, औद्योगिक डिजाइनों के लिए **लोकार्नो एग्रीमेंट** के तहत अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण को अपनाया है।
  - **लोकार्नो एग्रीमेंट** विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (**WIPO**)[23] के तहत 1968 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
- **जागरूकता और क्षमता निर्माण:** जैसे, **SPRIHA**[24]**योजना** का उद्देश्य देश भर के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में **IPR** शिक्षा को एकीकृत करना है।
  - **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (IP) पुरस्कार:** उत्कृष्ट IP निर्माण और उसके व्यावसायीकरण में योगदान देने वाले शीर्ष लोगों को मान्यता दी जाती है और पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
- **अन्य:**
  - **शुल्क में छूट** (ऑनलाइन फाइलिंग के लिए **10%** शुल्क में कमी),
  - डिजिटल पहल (**IP सारथी चैटबॉट** आवेदक की सहायता के लिए और **IP डैशबोर्ड** रियल टाइम आधार पर IP डेटा प्रदान करने के लिए) और
  - **AI तथा मशीन लर्निंग (ML) का उपयोग** आदि।

[23] World Intellectual Property Organization

[24] Scheme for Pedagogy & Research in IPRS for Holistic. Education & Academia

**बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)**

- **परिभाषा:** बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्तियों को उनके मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न रचनाओं पर दिए गए अधिकार हैं। वे आमतौर पर निर्माता को एक निश्चित अवधि के लिए अपनी रचना के उपयोग पर विशेष अधिकार देते हैं।
  - **IPRM व्यवस्था के तहत 8 प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं:** (i) पेटेंट, (ii) ट्रेडमार्क, (iii) औद्योगिक डिजाइन, (iv) कॉपीराइट, (v) भौगोलिक संकेतक, (vi) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, (vii) व्यापार रहस्य, और (viii) पादप किस्में।
- **प्रशासन:** केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के **औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP)** के अधीन **पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक** द्वारा प्रशासित है।
  - **इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट-डिजाइन पर अधिनियम** का प्रशासन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (**MeitY**) द्वारा किया जाता है।
  - **पादप किस्म पर अधिनियम** का प्रशासन केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

| बौद्धिक संपदा के प्रकार | विषय | कानूनी प्रावधान | सुरक्षा अवधि |
|---|---|---|---|
| **भौगोलिक संकेतक (GI)** | उन वस्तुओं को प्रदान की जाती हैं जिनकी अनन्य विशेषताएं किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती हैं, जैसे कृषि उत्पाद, प्राकृतिक वस्तुएँ, निर्मित वस्तुएँ, हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थ। | भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 और GI नियम 2002 (2020 में संशोधित)। | 10 वर्ष, अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर आगे 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत। |
| **डिजाइन** | नए या मूल डिजाइन (मानव नेत्र से दिखने वाली सजावटी / दृश्य) जिन्हें औद्योगिक रूप से दोहराया जा सकता है। | डिजाइन अधिनियम, 2000 और डिजाइन (संशोधन) नियम 2021 | 10 + 5 वर्ष |
| **पेटेंट** | ऐसे आविष्कार जो नवीन, आविष्कार योग्य हो जिनकी औद्योगिक क्षेत्र में उपयोगिता हो। | पेटेंट अधिनियम, 1970 और पेटेंट नियम, 2003 (2014, 2016, 2017, 2019, 2020 और 2021 में संशोधित)। | 20 वर्ष |
| **कॉपीराइट** | रचनात्मक, कलात्मक, साहित्यिक, संगीत और ऑडियो-विजुअल कृतियां। | कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और कॉपीराइट नियम 2013 (2021 में संशोधित)। | लेखक - आजीवन + 60 वर्ष; निर्माता (प्रोड्यूसर) - 60 वर्ष; कलाकार - 50 वर्ष |
| **ट्रेडमार्क** | किसी व्यवसाय या वाणिज्यिक उद्यम के ब्रांड नाम, लोगो और डिजाइन की सुरक्षा करता है। | ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 और ट्रेडमार्क नियम 2017। | 10 वर्ष, अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर 10 और वर्षों के लिए नवीनीकृत। |
| **सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट-डिजाइन (SICLD)** | ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किट तत्वों का लेआउट, जिसमें उन्हें जोड़ने वाली लीड तारें भी शामिल हों। साथ ही जिन्हें सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट में किसी भी तरह से व्यक्त किया गया है। | सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट-डिजाइन अधिनियम, 2000 और नियम, 2001 | 10 वर्ष |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **व्यापार रहस्य** | वाणिज्यिक मूल्य वाली गोपनीय जानकारी। | सामान्य विधि दृष्टिकोण (अनुबंध अधिनियम, IP अधिनियम और कॉपीराइट आदि के माध्यम से कवर)। | जब तक गोपनीयता सुरक्षित है। |
| **पादप किस्म** | पारंपरिक किस्में और स्थानीय प्रजातियां (Landraces); वे सभी विकसित प्रजातियां (गैर-पारंपरिक और गैर-स्थानिक प्रजातियाँ) जो 1 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष या 18 वर्ष (वृक्ष और लताओं के मामले में) से कम अवधि से व्यापार/ उपयोग में हों, और नई पादप किस्में। | पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (**PPVFRA**), 2001 | 6-10 वर्ष |

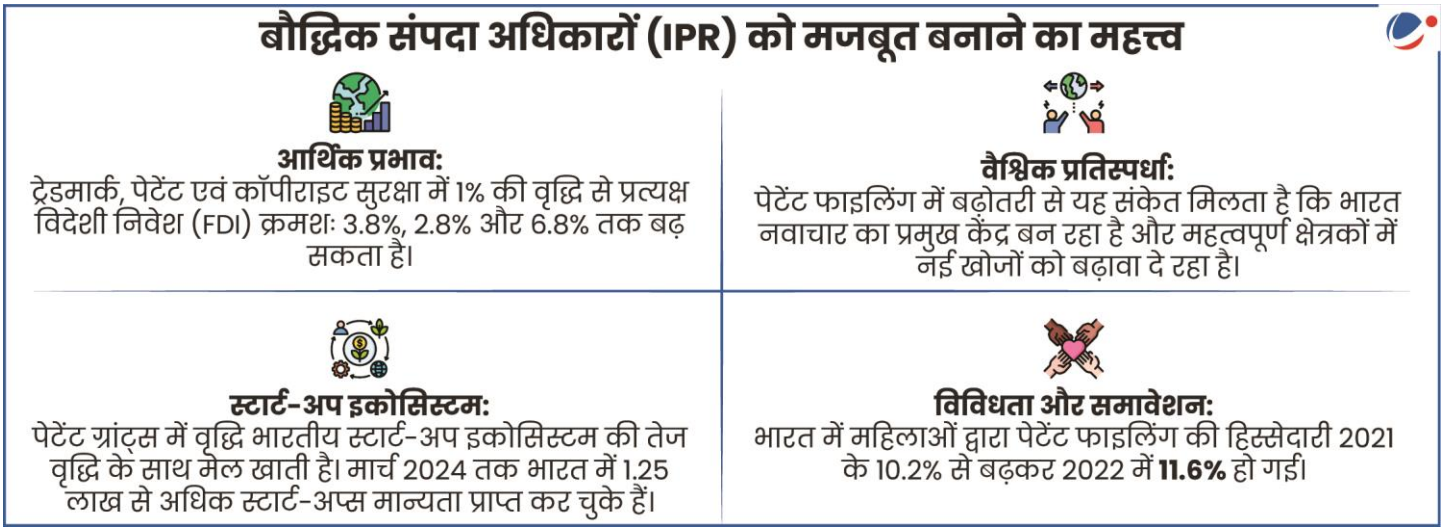


**भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) से संबंधित चुनौतियां**

- **अनुसंधान और विकास (R&D) पर कम खर्च:** भारत अपनी **GDP** का केवल **0.7%** अनुसंधान और विकास पर खर्च करता है। यह चीन (2.1%) और ब्राजील (1.3%) जैसे देशों की तुलना में काफी कम है।
- **पेटेंट विवाद और एवरग्रीनिंग:** दवा कंपनियां अक्सर पेटेंट **एवरग्रीनिंग** का सहारा लेती हैं। **एवरग्रीनिंग** के तहत दवा कंपनियां अपनी दवाई की पेटेंट अवधि बढ़ाने के लिए मौजूदा दवाओं में मामूली बदलाव कर देती हैं।
  - **पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3(d)** ऐसे कृत्य पर रोक लगाती है। इससे अक्सर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ विवाद चलता रहता है।
- **अनिवार्य लाइसेंसिंग की चिंताएँ:** दवा क्षेत्रक में, सरकार पेटेंट धारक की सहमति के बिना पेटेंट युक्त उत्पादों के उत्पादन की अनुमति दे सकती है।
  - यह प्रावधान सभी के लिए जीवन रक्षक आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। हालांकि इसकी वजह से विश्व की बड़ी दवा कंपनियों के साथ अक्सर तनाव पैदा होता रहता है।
- **IP के बदले वित्त-पोषण अभी भी शुरुआत चरण में होना:** इसके मुख्य कारण हैं; जागरूकता की कमी, IP उत्पाद की वैल्यू आकलन को लेकर जटिलताएँ, पारंपरिक भौतिक संपदाओं पर निर्भरता, और कोलेटरल के रूप में IP रखने से इसकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं।
  - **IP वित्त-पोषण** का अर्थ है- ट्रेडमार्क, डिज़ाइन राइट्स, पेटेंट और कॉपीराइट जैसी बौद्धिक संपदाओं के बदले ऋण प्राप्त करना।
- **"लंबित पेटेंट" पर अस्पष्टता:** संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के विपरीत, भारत में उत्पादों के लिए **"लंबित पेटेंट"** की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। इससे पेटेंट का दुरुपयोग हो सकता है।
- **अन्य चुनौतियां:**
  - IPR प्रदान करने में देरी और लंबित मामलों की अधिकता;

- IPR कानूनों का सही से लागू नहीं होना;
- **वाणिज्यीकरण की कमी:** अधिक पेटेंट फ़ाइलिंग होने के बावजूद बाजार में तैयार उत्पादों की सफलता सीमित रहती है।

**आगे की राह**

- **राष्ट्रीय IPR नीति की समग्र समीक्षा:** नवाचार में नई और उभरती प्रवृत्तियों को शामिल करने, क्रियान्वयन में आयी खामियों को दूर करने और नवाचार इकोसिस्टम एवं IP वित्त-पोषण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय IPR नीति की समग्र समीक्षा की आवश्यकता है।
- **राज्य सरकारों की भागीदारी बढ़ाना:** राज्यों को अपनी खुद की IPR नीतियां बनाने और लागू करने, जागरूकता प्रसार, शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार, राज्य-स्तरीय नवाचार परिषदों की स्थापना, और IP से जुड़े अपराधों पर अंकुश लगाने के संबंध में अधिकार प्रदान करने की जरूरत है।
- **प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना:** कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सीमा शुल्क संगठनों और IP कार्यालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और विशेष IPR प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। तकनीकी रूप से प्रशिक्षित न्यायाधीश युक्त विशेष IPR न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए।
- **IP निधि की स्थापना:** दूरदराज और पारंपरिक ज्ञान-समृद्ध क्षेत्रों, जैसे आदिवासी क्षेत्र, पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में IP संस्कृति को बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन करने के लिए अलग से **IP निधि** स्थापित करने की आवश्यकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना:** उदाहरण के लिए, वैश्विक IP संस्थाओं (जैसे, **WIPO**) के साथ सहयोग करना और सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों को अपनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
  - यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यापार समझौते के IP प्रावधान नवाचार, लोक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय हित के बीच संतुलन स्थापित करना।
- **अन्य उपाय:**
  - अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन (कर छूट, अनुदान) देकर नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए,
  - बौद्धिक सम्पदा अधिकार की ऑनलाइन चोरी से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा और डिजिटल IPR संरक्षण को मजबूत करना चाहिए,
  - शैक्षिक पहलों के माध्यम से बौद्धिक संपदा के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहिए, आदि।

## 3.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

### 3.9.1. वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Fund: AIF)

RBI ने संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर विनियमित संस्थाओं द्वारा AIF योजना की कुल राशि के 20% तक निवेश करने की सीमा तय कर दी है।

**वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के बारे में**

- यह **भारत में पंजीकृत फंड आधारित संस्था** है, जो **निजी रूप से निवेश** जुटाती है। साथ ही, ये अपने **निवेशकों के लाभ के लिए निर्धारित निवेश नीति के अनुसार, निवेश करने हेतु भारतीय या विदेशी अनुभवी निवेशकों से फंड** भी एकत्रित करता है।
- AIF का विनियमन **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)** द्वारा SEBI (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के तहत किया जाता है।

**AIF की श्रेणियां**

- **श्रेणी I AIF:** ये स्टार्ट-अप्स, सोशल वेंचर, लघु और मध्यम उद्यम (SME) आदि में निवेश करते है।
  - इनके उदाहरण हैं- वेंचर कैपिटल फंड, एंजेल फंड, SME फंड, अवसंरचना फंड, आदि।
- **श्रेणी II AIF:** वे अपने दैनिक परिचालन खर्चों को पूरा करने के अलावा किसी अन्य प्रकार के ऋण या ऋण प्रतिभूतियों में निवेश का उपयोग नहीं करते हैं।

- इनके उदाहरण हैं: रियल एस्टेट फंड, ऋण निवेश फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड आदि।

- **श्रेणी III AIF:** ये फंड्स रिटर्न बढ़ाने के लिए उधारी लेकर निवेश करते हैं, जिनमें सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध डेरिवेटिव्स में निवेश भी शामिल है।
  - इनके उदाहरण हैं: हेज फंड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी (PIPE) फंड आदि।

## 3.9.2. डिजिटल भुगतान सूचकांक (Digital Payments Index: DPI)

पिछले 6 वित्तीय वर्षों में भारतीय डिजिटल भुगतान व्यवस्था में 65,000 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन हुए हैं, जिनका मूल्य लगभग 12,000 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

**डिजिटल भुगतान सूचकांक (DPI) के बारे में**

- RBI ने DPI (जो आधिकारिक रूप से हर छमाही आधार पर प्रकाशित होता है) को भारत में डिजिटल भुगतान सुविधा को अपनाने में हुई प्रगति को मापने के लिए विकसित किया है।
- **DPI में निम्नलिखित व्यापक पैरामीटर शामिल हैं:** भुगतान सक्षमकर्ता; भुगतान अवसंरचना - मांग-पक्ष कारक और आपूर्ति-पक्ष कारक; भुगतान प्रदर्शन; उपभोक्ता केंद्रीयता।
- नवीनतम RBI-DPI के अनुसार, 2018 से अब तक डिजिटल भुगतान की पैठ में चार गुना वृद्धि हुई है।

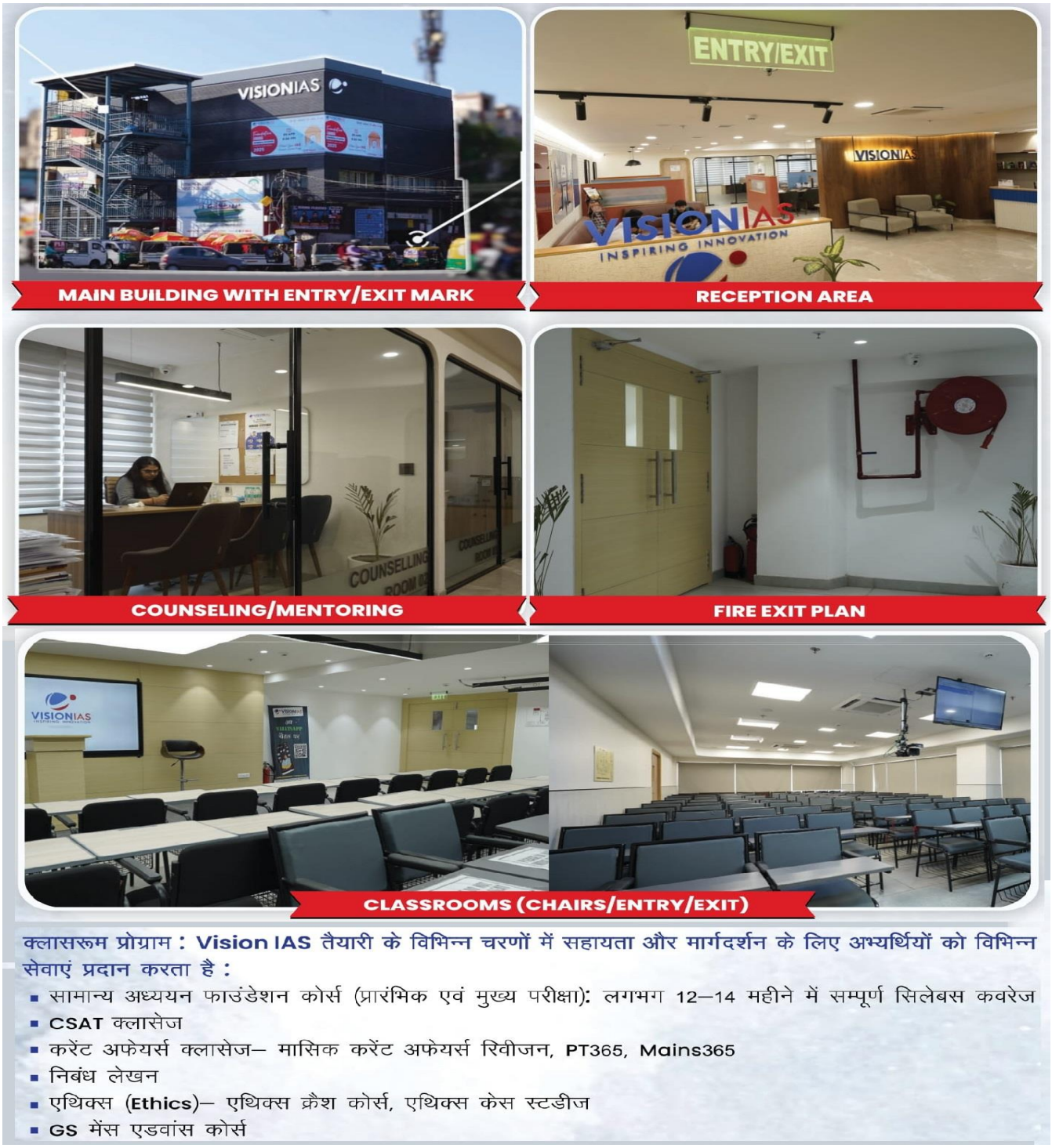

## 3.9.3. वित्तीय स्थिति सूचकांक (Financial Conditions Index: FCI)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के एक अध्ययन में दैनिक आधार पर बाजार के रुझानों पर नज़र रखने के लिए वित्तीय स्थिति सूचकांक (FCI) की शुरुआत का प्रस्ताव दिया गया है।

**वित्तीय स्थिति सूचकांक (FCI) के बारे में**

- यह **2012 के बाद से** ऐतिहासिक औसत के संदर्भ में **अपेक्षाकृत** कठिन या आसान **वित्तीय बाजार स्थितियों के स्तर** का आकलन करता है।
- इसमें चुने हुए संकेतक पांच बाजार खंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं: **मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार, कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार** और इक्विटी बाजार।
- FCI का **उच्च सकारात्मक मान** यह दर्शाता है कि **बाजार की स्थिति अधिक नियंत्रित** है।

**ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज (All India Test Series) :** इस परीक्षा में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु हर तीन में से दो चयनित अभ्यर्थियों द्वारा इसे चुना जाता रहा है। **VisionIAS** पोस्ट टेस्ट एनालिसिस ठोस सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराता है एवं प्रदर्शन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है। उत्तर लेखन में सुधार एवं मार्गदर्शन के लिए **Vision IAS** के **Innovative Assessment System™** द्वारा अभ्यर्थी को फीडबैक दिया जाता है।

- ऑल इंडिया सामान्य अध्ययन (**GS Mains**) टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- ऑल इंडिया **GS** प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- **CSAT** टेस्ट सीरीज
- वैकल्पिक विषय टेस्ट सीरीज– दर्शनशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समाजशास्त्र
- संधान टेस्ट सीरीज
- ओपन टेस्ट (**Open Test**)
- **Abhyaas**– **Abhyaas Prelims & Mains**

**मेंटरिंग कार्यक्रम** – **UPSC** सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार की एकेडेमिक या गैर–एकेडेमिक समस्या के समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए मेंटर की भूमिका बढ़ गई है। इसलिए **Vision IAS** प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम लेकर आया है।

- दक्ष (**Daksha**): आगामी वर्षों में मुख्य परीक्षा देने वाले
- लक्ष्य (**Lakshya**): मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए।
- लक्ष्य प्रीलिम्स एवं मेंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम।

**करेंट अफेयर्स (Current Affairs)**– सिविल सेवा परीक्षा में प्रायः प्रश्नों को करेंट अफेयर्स से जोड़कर पूछा जाता है। इसलिए **Vision IAS** द्वारा प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक आधार पर करेंट अफेयर्स के अलग–अलग स्रोत अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिनमें टॉपिक के स्टैटिक के साथ करेंट अफेयर्स के टॉपिक में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों, सरकारी प्रकाशनों एवं वेब साइट का विश्लेषण सम्मिलित होता है।

- मासिक मैगजीन
- वीकली फोकस
- न्यूज टुडे
- **PT** 365
- **Mains** 365

**स्टडी मैटेरियल**– सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए **Vision IAS** द्वारा विभिन्न मैटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं।

- क्लासरूम स्टडी मैटेरियल
- वैल्यू एडेड मैटेरियल
- मासिक मैगजीन, वीकली फोकस, न्यूज टुडे
- **PT** 365 एवं **Mains** 365
- केन्द्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण सारांश
- विगत वर्षों के प्रश्नों (**PYQs**) का विस्तृत विश्लेषण
- टॉपर्स कॉपी

**Student Wellness Cell** – देश की प्रतिष्ठित सेवा एवं उसकी भर्ती प्रक्रिया कई बार बोझिल हो जाती है, जिससे अभ्यर्थी चिंता, तनाव, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। जिसे ध्यान में रखकर **Vision IAS** द्वारा स्टूडेंट वेलनेस सेल की स्थापना की गई है। इसमें अभ्यर्थी प्रशिक्षित काउंसलर और प्रोफेशनल मनोविशेषज्ञ से मिलकर अपनी समस्या साझा करते हुए समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

## 3.9.4. ग्लोबल फाइंडेक्स 2025 (Global Findex 2025)

हाल ही में विश्व बैंक की **'ग्लोबल फाइंडेक्स 2025'** रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट **डिजिटल और वित्तीय समावेशन में उपलब्धियों** को दर्शाती है।

**रिपोर्ट में भारत से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**

- भारत में लगभग **90%** लोग खाताधारक (Account ownership) हैं अर्थात वे वित्तीय प्रणाली से जुड़ चुके हैं।
- **16% खाताधारकों** के खाते निष्क्रिय हैं यानी इनमें कोई लेनदेन नहीं होता है। अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में यह अनुपात केवल **4%** है।
- **2021 से 2024 के बीच**, केवल निष्क्रिय खाते रखने वाली महिलाओं और पुरुषों का अनुपात कम हुआ है।
- **मोबाइल फोन नहीं रखने में मुख्य बाधाएं हैं –**
  - डिवाइस की ऊँची कीमत
  - भरोसेमंद मोबाइल नेटवर्क कवरेज की कमी।

## 3.9.5. स्टेबलकॉइन्स (Stablecoins)

यू.एस. कांग्रेस ने स्टेबलकॉइन्स को **विनियमित करने** के लिए 'जीनियस एक्ट' पारित किया। यह एक्ट स्टेबलकॉइन्स के लिए एक **विनियामक ढाँचा (नियम और कानून)** स्थापित करेगा।

- स्टेबलकॉइन एक प्रकार की **क्रिप्टोकरेंसी** है, जिसका मूल्य किसी अन्य मुद्रा, वस्तु या वित्तीय साधन से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए- **टेथर (USDT),** जिसकी कीमत अमेरिकी डॉलर से जुड़ी होती है।
- इनसे भुगतान करने में **आसानी और तेजी** आ सकती है।

**स्टेबलकॉइन्स का उपयोग क्यों बढ़ा है?**

- **आधारभूत/ अंतर्निहित परिसंपत्ति (Underlying Asset) से संबद्ध:** इससे स्टेबलकॉइन्स अपनी कीमत को ज्यादा स्थिर बनाए रखते हैं। इसी वजह से वे बिटकॉइन जैसी ज्यादा उतार-चढ़ाव वाली क्रिप्टोकरेंसी की तुलना में लेन-देन के लिए ज्यादा भरोसेमंद बन गए हैं।
  - आधारभूत/अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पीछे सामान्यतः कोई संस्था या जारीकर्ता होता है, जो उनकी कीमत की गारंटी देता है। इसके विपरीत, कई क्रिप्टोकरेंसी (जैसे बिटकॉइन) किसी केंद्रीय संस्था या जारीकर्ता द्वारा समर्थित नहीं होतीं। इसी कारण स्टेबलकॉइन्स के जारीकर्ता की पहचान करना अपेक्षाकृत सरल होता है।
  - जारीकर्ता कोई **बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, या बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां** हो सकती हैं।
- **विनियमन (Regulation):** स्टेबलकॉइन्स से जुड़े नियमों और फैसलों को आमतौर पर एक **संचालन निकाय** द्वारा तय किया जाता है।

**भारत में क्रिप्टोकरेंसी या क्रिप्टो परिसंपत्तियों का विनियमन:**

- वर्तमान में, भारत में **क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए कोई प्रत्यक्ष विनियमन नहीं** है।
- हालांकि, सरकार ने **वित्त अधिनियम, 2022** के माध्यम से **वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों (VDAs)** के लेन-देन के लिए एक **व्यापक कराधान व्यवस्था** लागू की है।
- इस व्यवस्था के जरिए **VDAs** से होने वाले **पूंजीगत लाभ पर 30% कर** लगाया गया है।
  - **आयकर अधिनियम, 1961** के अनुसार VDA का अर्थ है– क्रिप्टोग्राफिक माध्यमों या अन्य माध्यमों से उत्पन्न कोई भी जानकारी, कोड, संख्या या टोकन जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर, स्टोर या ट्रेड किया जा सके। उदाहरण: **क्रिप्टोकरेंसी, नॉन-फंजिबल टोकन (NFT)** आदि।
- 2023 में, VDAs को **धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002** के दायरे में भी ला दिया गया था।

***नोट:*** *क्रिप्टोकरेंसी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मार्च, 2025 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.2. देखें।*

## 3.9.6. क्रॉपिक (Cropic)

यह पहल वित्तीय सक्षमता बढ़ाने के लिए कृषि में डिजिटल नवाचारों का हिस्सा है।

**क्रॉपिक (फसलों के रियल टाइम अवलोकन और फोटो का संग्रह) पहल के बारे में**

- **यह प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** के अंतर्गत **कृषि मंत्रालय** द्वारा लॉन्च किया गया **एक मोबाइल ऐप** है।
  - **फसल चक्र के दौरान 4-5 बार फसलों की जियो-टैग की** गई तस्वीरें लेना।
- इसमें फोटो का विश्लेषण करने और उससे आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु AI-आधारित क्लाउड प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा और इसे वेब-आधारित एक डैशबोर्ड पर देखा जा सकेगा।

- **वित्त-पोषण:** यह PMFBY के अंतर्गत नवाचार एवं प्रौद्योगिकी कोष (FIAT) के माध्यम से किया जाएगा।

## 3.9.7. OECD-FAO ने 'एग्रीकल्चर आउटलुक 2025-2034' जारी किया (Agricultural Outlook 2025-2034 Released by OECD-FAO)

- **जारीकर्ता: OECD और FAO द्वारा।**
- यह आउटलुक **राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर कृषि आधारित उत्पादों (मछली सहित) तथा उनके बाजारों के लिए दस साल की संभावनाओं** का व्यापक आकलन प्रदान करता है।
- **इस आउटलुक के अनुसार वैश्विक बाजार रुझानों (2024) पर एक नजर**
  - **जैव ईंधन:** इसकी मांग में **प्रतिवर्ष 0.9% की वृद्धि** होने का अनुमान है, जिसका नेतृत्व **भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया** कर रहे हैं।
  - **कपास:** वैश्विक स्तर पर कपास के उपयोग में वृद्धि हुई है। साथ ही, **भारत चीन को पछाड़कर कपास का शीर्ष उत्पादक बनने की ओर अग्रसर है।**

## 3.9.8. अपतटीय क्षेत्रों में परमाणु खनिजों के संचालन अधिकार नियम, 2025 अधिसूचित (Offshore Areas Atomic Minerals Operating Right Rules, 2025 Notified)

ये नियम **अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002** के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किए गए हैं।

**नियमों के बारे में:**

- **उद्देश्य-** अपतटीय क्षेत्रों में **यूरेनियम और थोरियम जैसे परमाणु खनिजों** के अन्वेषण एवं खनन को विनियमित करना।
- ये नियम तभी लागू होंगे, जब **परमाणु खनिजों का संकेंद्रण एक निश्चित न्यूनतम स्तर से अधिक** होगा।
- नियमों के तहत सरकार द्वारा नामित संस्थाओं को ही **अन्वेषण लाइसेंस या उत्पादन पट्टे** दिए जा सकते हैं।
  - यदि **कोई विदेशी संस्था अन्वेषण कार्य** करना चाहती है, तो उसे पहले सरकारी प्राधिकारियों से **अनुमोदन** लेना होगा।

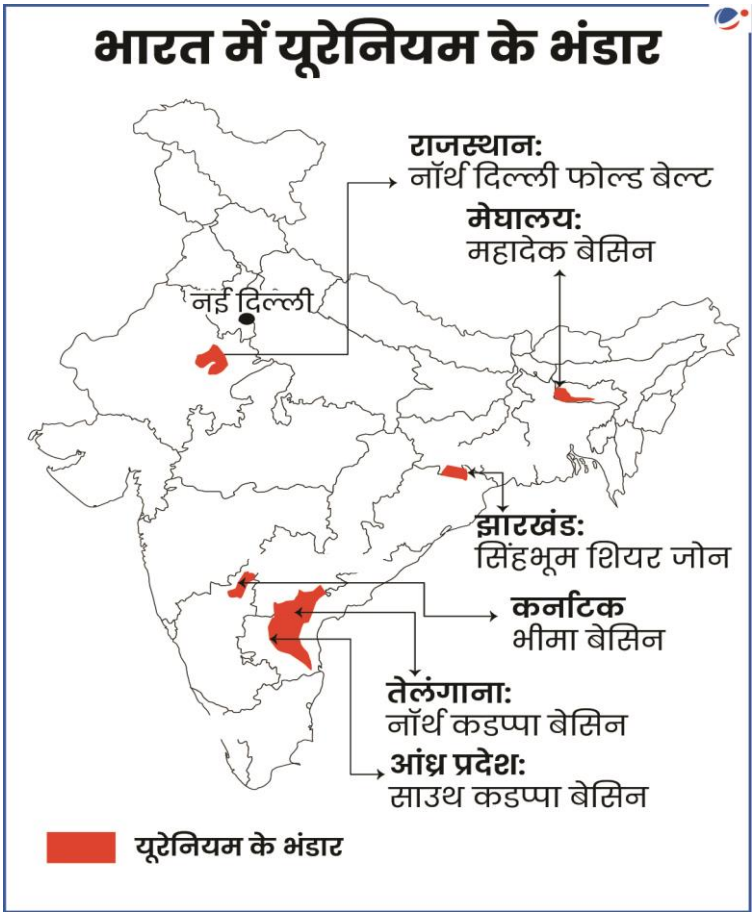


**भारत में प्रमुख परमाणु खनिज**

- **यूरेनियम:**
  - **मुख्य भंडार:** झारखंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय, राजस्थान आदि।
    - **जादूगोड़ा (झारखंड)** देश की **पहली** खदान है, जहां वाणिज्यिक स्तर पर **यूरेनियम** निकाला गया।
  - **अन्य महत्वपूर्ण खदानें: लांबापुर-पेड्डागट्टू** (आंध्र प्रदेश), **बगजाता खदान** (झारखंड) आदि।
  - भारत में अधिकतर यूरेनियम भंडार छोटे हैं और दुनिया के प्रमुख यूरेनियम उत्पादक देशों की तुलना में काफी कम गुणवत्ता वाले हैं।
- **थोरियम:**
  - भारत में **यूरेनियम के भंडार सीमित** हैं, लेकिन **थोरियम के प्रचुर भंडार** हैं।
  - **मोनोजाइट** में लगभग **8-10% थोरियम** होता है।
  - **केरल और ओडिशा** के समुद्र तटों की रेत में **मोनोजाइट** के समृद्ध भंडार पाए जाते हैं।

## 3.9.9. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (Global Capability Centre: GCC)

वित्त मंत्री ने **ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs)** की स्थापना को बढ़ावा देने और अधिक फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भारत में आकर्षित करने के लिए उद्योग एवं सरकार से मिलकर काम करने का आग्रह किया है।

- वर्ष 2024 में, भारत में **हर सप्ताह औसतन 1 नया GCC स्थापित हुआ था।**

**GCC क्या है**

- GCC को **ग्लोबल इन-हाउस सेंटर या कैप्टिव (GIC)** भी कहा जाता है।
- ये **वैश्विक कंपनियों द्वारा बनाए गए विदेशी केंद्र** होते हैं, जो अपनी **मूल कंपनी** को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं।
  - जैसे- IT सेवाएं, अनुसंधान और विकास (R&D) सेवाएं, ग्राहक सहायता इत्यादि।
- ये केंद्र वैश्विक कॉरपोरेट संगठन की आंतरिक संगठनात्मक संरचना के अंतर्गत कार्य करते हैं।
- **भारत में GCC वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक:**
  - कम लागत में सेवाएं मिलना;
  - डिजिटल और नीतिगत तैयारी (स्मार्ट सिटीज़, डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम);
  - कुशल और सस्ता कार्यबल (अंग्रेजी जानने वाले युवा);
  - बड़ा उपभोक्ता बाजार आदि।

**भारत में GCC के विकास में चुनौतियां**

- टियर-II और टियर-III शहरों में कुशल कार्यबल की सीमित उपलब्धता;
- अवसंरचना की कमी (भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी);
- जटिल विनियामक संरचनाएं;
- साइबर सुरक्षा खतरे आदि।

**आवश्यक रणनीतिक हस्तक्षेप**

- **नई तकनीकों को अपनाना:** जैसे- AI, ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि।
- **भू-राजनीतिक जटिलताओं से निपटना:** जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्यों और परिणामी विनियामक अनिश्चितता से निपटने के लिए अति सक्रिय गवर्नेंस मॉडल अपनाना चाहिए।
- **कार्यबल रणनीतियों को पुनर्परिभाषित करना:** इसमें प्रतिभा का कौशल विकास करना, नए कौशल सिखाना और हाइब्रिड वर्क मॉडल अपनाना आदि शामिल हैं।
- **संधारणीयता:** GCC को पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस (ESG) लक्ष्यों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

## 3.9.10. दूरसंचार विभाग (DoT) ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (NTP)-2025 {Dot Releases Draft National Telecom Policy (NTP)-2025}

NTP-2025 का उद्देश्य **राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018** में हुई प्रगति को आगे बढ़ाना है।

- इस नीति के जरिए 5G/ 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), क्वांटम कम्युनिकेशंस, सैटेलाइट नेटवर्क और ब्लॉकचेन जैसी **उन्नत तकनीकों से उत्पन्न होने वाली नई चुनौतियों का समाधान पेश** किया गया है।
- यह नीति **"भारत-एक दूरसंचार उत्पाद राष्ट्र"** के दृष्टिकोण के तहत भारत को दूरसंचार प्रौद्योगिकी के लिए **"पसंदीदा राष्ट्र"** के रूप में स्थापित करने का प्रयास करती है।

**NTP-2025 के बारे में**

- **विज़न:** सार्वभौमिक और सार्थक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करके तथा सुरक्षित व संधारणीय दूरसंचार नेटवर्क्स का निर्माण करके भारत को एक **डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था** में बदलना।
- **मिशन: इसमें छह रणनीतिक मिशनों की रूपरेखा दी गई है:**
  - **सार्वभौमिक और सार्थक कनेक्टिविटी:** दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार करना, सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना तथा समावेशी डिजिटल भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना।
  - **नवाचार:** अनुसंधान, स्टार्ट-अप्स और उद्योग-शैक्षिक जगत-सरकार के बीच संबंधों को मजबूत करना।
  - **घरेलू विनिर्माण:** कुशल कार्यबल, निवेश और डिजाइन-आधारित विनिर्माण के माध्यम से आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देना।
  - **सुरक्षित एवं विश्वसनीय दूरसंचार नेटवर्क:** सुरक्षा बढ़ाना, साइबर हाइजीन को बढ़ावा देना और एक लचीला व भरोसेमंद दूरसंचार इकोसिस्टम का निर्माण करना।
  - **ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस:** दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाना, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना और व्यापार के अनुकूल माहौल बनाना।
  - **संधारणीय दूरसंचार:** दूरसंचार के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए हरित प्रौद्योगिकियों, चक्रीय अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना।

## 3.9.11. एल्यूमीनियम और कॉपर (Aluminium and Copper)

हाल ही में, केंद्र सरकार ने एल्यूमीनियम और कॉपर विज़न डाक्यूमेंट्स जारी किए।

**एल्यूमीनियम और कॉपर विज़न डाक्यूमेंट्स के बारे में**

- ये डाक्यूमेंट्स **बढ़ती घरेलू मांग** को पूरा करने के लिए **दीर्घकालिक रणनीति** प्रदान करेंगे। साथ ही, कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
- **कॉपर (तांबा) विज़न डॉक्यूमेंट:** वर्ष 2047 तक देश में तांबे की मांग में **छह गुना वृद्धि** का अनुमान है। साथ ही, 2030 तक **5 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) अतिरिक्त कॉपर स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग क्षमता** जोड़ने की योजना है।

- **एल्यूमीनियम विज़न डॉक्यूमेंट:** इसमें वर्ष 2047 तक **एल्युमिनियम उत्पादन को छह गुना बढ़ाने** का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, **बॉक्साइट उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 150 मिलियन टन प्रति वर्ष** करने का लक्ष्य रखा गया है।

**तांबा और एल्यूमीनियम के उत्पादन क्षेत्र**

**एल्यूमीनियम/ बॉक्साइट**

- **भारत:**
  - **भंडार:** भारत में बॉक्साइट का सबसे अधिक **41% भंडार ओडिशा** में है। इसके बाद **छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश** में हैं।
    - **ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक** राज्य है। ओडिशा में **भारत का 73% बॉक्साइट उत्पादन** होता है।
- **विश्व:**
  - **चीन एल्यूमीनियम का सबसे बड़ा उत्पादक** है। वहां **विश्व का 58%** एल्यूमीनियम उत्पादन होता है। इसके बाद **ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत** का स्थान है।

**तांबा**

- **भारत:**
  - **भंडार:** भारत में **तांबे का सबसे अधिक 52.25% भंडार राजस्थान** में है। इसके बाद **मध्य प्रदेश और झारखंड** का स्थान है।
  - **उत्पादन:** वर्ष 2022-23 में **मध्य प्रदेश तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य** (देश का 57%) था। इसके बाद **राजस्थान (43%)** का स्थान था।
- **विश्व:**
  - **विश्व में चिली के पास तांबे का सबसे बड़ा भंडार (19%)** है। इसके बाद **पेरू और ऑस्ट्रेलिया (10%)** का स्थान है।

QUIZ
SMART QUIZ
विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
न्यूज़ टुडे
रोजाना 9 PM पर न्यूज़ टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए
न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए
न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए
अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची
"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:
NEWS
किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे मे बेहतर समझ विकसित करने के लिए
न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है
टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

Vision Publication
Igniting Passion for Knowledge..!
Scan the QR code to explore our collection and start your journey towards success.

# 4. सुरक्षा (Security)

## 4.1. क्वांटम साइबर रेडीनेस (Quantum Cyber Readiness)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In: CERT-In)[25] और साइबर सुरक्षा कंपनी **SISA** ने **"ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडीनेस"** शीर्षक से एक श्वेत-पत्र जारी किया है। इसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकियों, विशेषकर साइबर सुरक्षा पर उनके व्यापक परिवर्तनकारी प्रभावों से निपटने के लिए तैयारी करना है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- इस श्वेत-पत्र में इस बात को लेकर चेतावनी दी गयी है कि क्वांटम कंप्यूटर मौजूदा एन्क्रिप्शन एल्गोरिद्म के लिए गंभीर खतरा हैं क्योंकि वे **रिवेस्ट-शमीर-एडलमैन (RSA)** जैसे **असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल को तोड़** सकते हैं।
  - क्वांटम कंप्यूटर जटिल और **कठिन गणितीय समस्याओं को हल** कर सकते हैं तथा मशीन लर्निंग, ऑप्टिमाइज़ेशन और लॉजिस्टिक्स जैसे कार्य पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में कई गुना तेजी से कर सकते हैं।
- श्वेत-पत्र के अनुसार, कोई भी डेटा जिसे **2030 के बाद तक सुरक्षित रखना आवश्यक है**, उसे तत्काल असुरक्षित माना जाना चाहिए अर्थात् अभी से उसकी सुरक्षा के लिए मजबूत और नई तकनीकें अपनानी होंगी।

**क्वांटम तकनीक से जुड़े साइबर खतरे**

- **हार्वेस्ट नाउ, डिक्रिप्ट लैटर (HNDL) अटैक**: इन साइबर अटैक में विरोधी वर्तमान में एन्क्रिप्टेड डेटा इकट्ठा और संग्रहित करते हैं, ताकि भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर संचालित होने पर उसे डिक्रिप्ट किया जा सके।
- **सिक्योर चैनल डिक्रिप्शन**: क्वांटम कंप्यूटिंग, एन्क्रिप्टेड नेटवर्क संचार को तोड़ सकती है और गोपनीय संवादों (जैसे रक्षा संचार) को "सुनने" में सक्षम हो सकती है।
- **हस्ताक्षर प्रतिरूपण (Signature impersonation)**: क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से अटैकर्स नकली डिजिटल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जिससे वे **मैलवेयर** फैला सकते हैं और **लक्षित फिशिंग अटैक** कर सकते हैं।
- **नए "ज़ीरो-डे" का खतरा**: इसमें ऐसे अज्ञात क्वांटम एल्गोरिदम की संभावना शामिल है, जो मौजूदा क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को तोड़ सकते हैं और क्वांटम-प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफी को अपनाने के समक्ष भी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।

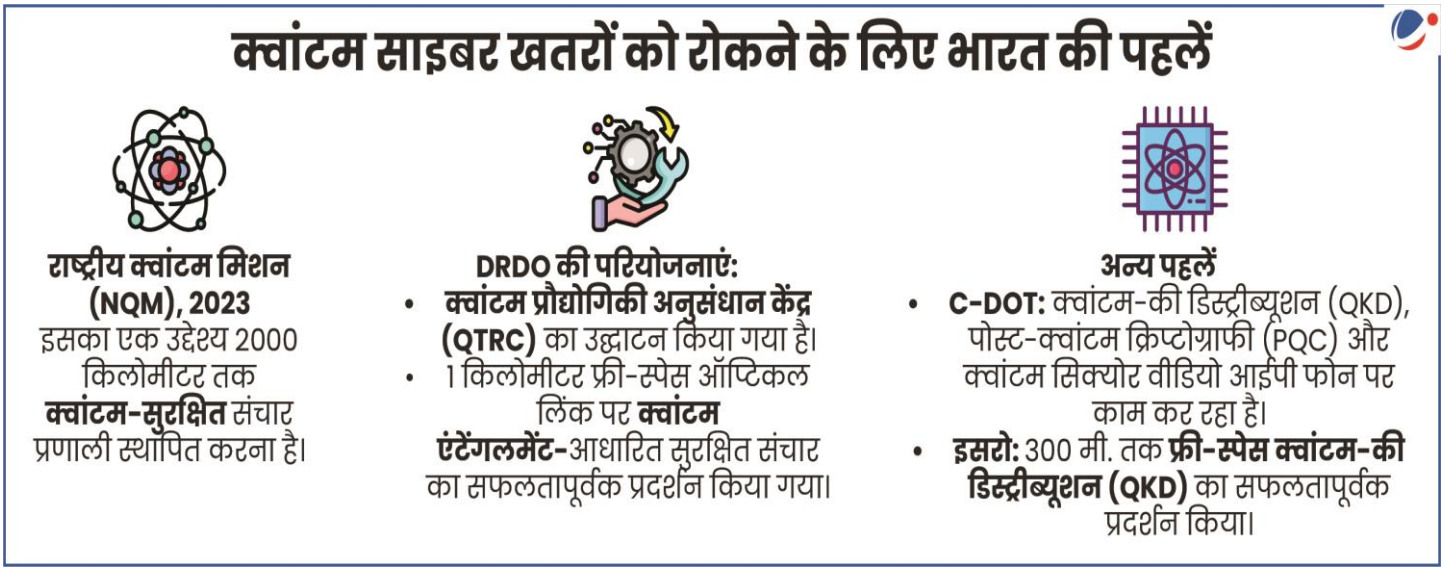


[25] Indian Computer Emergency Response Team

**आगे की राह: श्वेत-पत्र द्वारा अनुशंसित क्वांटम साइबर रेडीनेस का रोडमैप**

| क्षेत्र | सिफारिशें |
|---|---|
| आधारभूत मूल्यांकन एवं रणनीतिक योजना | • **क्वांटम बिल ऑफ मटेरियल्स (QBOM):** इसका उपयोग जोखिम के संबंध में प्राथमिकता तय करने, पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी संबंधी सिस्टम की खरीदारी करने, सिस्टम को अपग्रेड करने संबंधी योजना बनाने और सिस्टम की सुरक्षा का ऑडिट (compliance audits) करने में किया जा सकता है।<br>• **AI-समर्थित जोखिम मूल्यांकन:** इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है ताकि क्रिप्टोग्राफिक उपयोग में पैटर्न को पहचानने में मदद मिल सके। इसका उद्देश्य क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम में किसी भी सुरक्षा संबंधी जोखिम को जल्दी से पता लगाना है। |
| प्रौद्योगिकी की तत्परता एवं क्षमता निर्माण | • संगठन को **पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफ़ी (PQC)** को उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल करने से पहले उनका सटीकता के साथ परीक्षण और प्रमाणित करना चाहिए।<br>• **हाइब्रिड क्रिप्टोग्राफी को अपनाना:** यह संगठनों को एक बेहतर उपाय प्रदान करता है, जिसके तहत क्वांटम-सुरक्षित प्रणाली को अपनाने के ट्रांजिशन चरण के दौरान क्लासिकल और क्वांटम-प्रतिरोधी, दोनों प्रकार के एल्गोरिद्म को उपयोग में लाया जा सकता है। |
| संगठनों में चरणबद्ध रूप से लागू करना | • **पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफ़ी (PQC):** इसे सॉफ़्टवेयर विकास, स्वचालित की (key) प्रबंधन, और साइनिंग प्रक्रियाओं में शामिल करना चाहिए, ताकि सभी प्रक्रियाएँ सुरक्षित बनी रहें।<br>• **मुख्य कार्य:** सुरक्षा और सूचना-संचार तकनीक (ICT) नीतियों को अपडेट करने में मानक संस्थाओं द्वारा स्वीकृत PQC एल्गोरिदम का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। संगठन में कौन से टूल्स और सॉफ्टवेयर सुरक्षित और स्वीकृत हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करना चाहिए। ये सभी मानक और विनियमन केवल अपने सिस्टम में ही नहीं बल्कि जिन विक्रेताओं के साथ व्यापार किया जाता है, उनके सिस्टम्स में भी अनिवार्य रूप से लागू करवाना चाहिए। |
| मजबूत, निगरानी एवं भविष्य के जोखिमों से निपटने के लिए तैयारी | • **क्वांटम-की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) अन्वेषण**: यह क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित एक अतिरिक्त सुरक्षा मॉडल प्रदान करता है।<br>• **ML-DSA (मॉड्यूल लैटिस-बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम) और SLH-DSA (स्टेटलेस हैश-बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम), दोनों का उपयोग करना:** ये दो ऐसे डिजिटल सिग्नेचर तकनीकें हैं जिन्हें खासतौर पर क्वांटम कंप्यूटर के खतरे से बचाने के लिए बनाया गया है। ये एल्गोरिदम डिजिटल सिग्नेचर के लिए विशाल क्रिप्टोग्राफिक डेटा का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए काफी अधिक कम्प्यूटेशनल गणना की आवश्यकता होती है। इन्हें महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर डिजिटल साइन करने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे- सरकारी दस्तावेज, वित्तीय लेन-देन, और कानूनी दस्तावेज। |

**निष्कर्ष**

क्वांटम क्रांति अपरिहार्य है। ऐसे में जो संगठन निर्णायक रूप से और रणनीति बनाकर कार्य करेंगे, वे न केवल अपने डेटा को क्वांटम कंप्यूटिंग के खतरों से बचा सकेंगे, बल्कि क्वांटम-अनुकूल भविष्य को दिशा देने में भी अग्रणी भूमिका निभाएंगे।

***नोट:** क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिसंबर, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.2. देखें।*

## 4.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

### 4.2.1. ऑपरेशन महादेव (Operation Mahadev)

केंद्र सरकार ने लोक सभा में बताया कि पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार तीन पाकिस्तानी आतंकवादी ऑपरेशन महादेव में मारे गए हैं।

**ऑपरेशन महादेव के बारे में**

- यह भारतीय सेना, CRPF और जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी मिशन है।
- **उद्देश्य:** लश्कर-ए-तैयबा जैसे पाकिस्तान-आधारित समूहों के समर्थन से कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने वाले विदेशी आतंकवादियों का सफाया करना।

### 4.2.2. ऑपरेशन- मेड मैक्स (Operation- MED MAX)

यह ऑपरेशन **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा** दवाओं के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए शुरू किया गया था।

- इस ऑपरेशन के तहत, NCB ने एक **अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह का राजफाश** किया, जो **चार महाद्वीपों में** सीमित उपयोग वाली दवाओं की तस्करी करता था।
- यह गिरोह **एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ड्रॉप शिपिंग मॉडल और क्रिप्टोकरेंसी** का इस्तेमाल करके इन दवाओं की तस्करी करता था।
- यह नेटवर्क दिखाता है कि आज के समय में अवैध व्यापार किस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्रिप्टोकरेंसी और ट्रांसनेशनल लॉजिस्टिक्स के मेल से और भी जटिल और संगठित होता जा रहा है।

### 4.2.3. प्रोजेक्ट 17A (Project 17A)

INS उदयगिरी, जो प्रोजेक्ट 17A के स्टील्थ फ्रिगेट्स में दूसरा युद्धपोत है, भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया।

**प्रोजेक्ट 17A**

- यह परियोजना शिवालिक क्लास (प्रोजेक्ट 17) फ्रिगेट्स का अगला चरण है, जो पहले से सेवा में सक्रिय हैं।
    - **फ्रिगेट** एक **बहु-भूमिका वाला युद्धपोत** होता है। इसका उपयोग समुद्र में अन्य युद्धपोतों या हवाई खतरों से बेड़े (जैसे विमान वाहक, विध्वंसक आदि) की सुरक्षा के लिए किया जाता है।
- **प्रोजेक्ट 17A के जहाजों** की विशेषताएं- **बेहतर स्टील्थ** और **अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस**, जो प्रोजेक्ट 17 क्लास की तुलना में एक महत्वपूर्ण उन्नति है।
- ये मल्टी-मिशन फ्रिगेट्स हैं, जो **'ब्लू वॉटर' वातावरण (गहरे समुद्रों) में संचालन करने में सक्षम हैं**, और भारत के समुद्री हितों वाले क्षेत्रों में **पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों तरह के खतरों** से निपट सकते हैं।

### 4.2.4. एक्सटेंडेड रेंज एंटी-सबमरीन रॉकेट (Extended Range Anti-Submarine Rocket)

भारत ने **स्वदेशी एंटी-सबमरीन रॉकेट प्रणाली का परीक्षण** किया है।

**एक्सटेंडेड रेंज एंटी-सबमरीन रॉकेट (ERASR) के बारे में**

- यह एक पूर्णतया **स्वदेशी पनडुब्बी-रोधी रॉकेट है।** इसका उपयोग शत्रुओं की **पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए** किया जाता है। इसे **भारतीय नौसेना के जहाजों से दागा** जाता है।
- इसमें **ट्विन-रॉकेट मोटर कॉन्फ़िगरेशन** होता है, जो उच्च सटीकता और निरंतरता के साथ **अलग-अलग दूरी पर स्थित लक्ष्यों को निशाना** बना सकता है।
- इसमें स्वदेशी रूप से विकसित **इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज** का उपयोग किया गया है।
- इसका डिजाइन और विकास **DRDO की पुणे स्थित आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ARDE)** द्वारा किया गया है।

### 4.2.5. अस्त्र मिसाइल (Astra Missile)

**DRDO** और **भारतीय वायु सेना (IAF)** ने **Su-30 Mk-I** लड़ाकू विमान से **'अस्त्र'** मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। यह मिसाइल **स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) सीकर** से लैस है।

**अस्त्र मिसाइल के बारे में**

- यह **स्वदेशी "बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल" (BVRAAM)** है।
- इसका उपयोग **बहुत तेज गति और दिशा बदलने वाले सुपरसोनिक विमानों** को मार गिराने के लिए किया जाता है।
- इसे **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)** ने विकसित किया है।

- यह मिसाइल **दिन-रात और हर मौसम** में कार्य करने में सक्षम है।
- इस मिसाइल की **मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक** है। यह अत्याधुनिक **मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणालियों से लैस** है।

## 4.2.6. प्रलय मिसाइल (Pralay Missile)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा तट पर **प्रलय मिसाइल** के लगातार दो सफल उड़ान परीक्षण किए।

**प्रलय मिसाइल के बारे में**

- **प्रलय** एक **सतह-से-सतह पर मार करने वाली कम दूरी की ठोस प्रणोदक क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल** है, जो **हाइपरसोनिक गति (मैक 5 से ऊपर)** से उड़ान भर सकती है।
  - **क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल्स** ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो कम ऊंचाई पर बैलिस्टिक मार्ग अपनाती हैं। ये उड़ान के दौरान जरूरत पड़ने पर दिशा और मार्ग बदल सकती हैं।
- **स्वदेशी रूप से विकसित:** इसे हैदराबाद स्थित DRDO की सुविधा **रिसर्च सेंटर इमारत** ने अन्य सुविधाओं के सहयोग से विकसित किया है।
- **मारक क्षमता:** 150 से 500 कि.मी.

## 4.2.7. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास (Exercises in News)

| | |
|---|---|
| **अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र (Exercise Bold Kurukshetra)** | **भारत और सिंगापुर** के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, **'अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025'** का **14वां संस्करण** 27 जुलाई, 2025 को शुरू हुआ।<br>**अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के बारे में**<br>• इस अभ्यास को **एक टेबल टॉप अभ्यास और कंप्यूटर-आधारित युद्ध खेल** के रूप में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य **मशीनीकृत युद्ध के लिए परिचालन प्रक्रियाओं को सत्यापित** करना है। |
| **भारत NCX (Bharat NCX)** | हाल ही में **'भारत NCX 2025' का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन** किया गया।<br>**राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास (भारत NCX 2025) के बारे में**<br>• यह **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS)** द्वारा **राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU)** के सहयोग से आयोजित किया गया।<br>• **उद्देश्य:**<br>  ○ देश की **साइबर सुरक्षा क्षमता और साइबर अटैक से निपटने की तैयारी** को मजबूत करना, और<br>  ○ **वास्तविक साइबर अटैक जैसी स्थितियों का अभ्यास** कराना।<br>• **मुख्य विशेषताएं:** लाइव-फायर साइबर सिमुलेशन, AI-एकीकृत साइबर डिफेंस प्रशिक्षण। |
| **सिंबेक्स अभ्यास (SIMBEX Exercise)** | **भारतीय नौसेना** सिंगापुर में आयोजित **32वें सिंगापुर–भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (SIMBEX)** में भाग ले रही है।<br>**सिंबेक्स अभ्यास के बारे में**<br>• **शुरुआत:** यह **'लायन किंग अभ्यास'** के नाम से 1994 में शुरू हुआ था।<br>• यह **भारतीय नौसेना** और **सिंगापुर नौसेना** के बीच **हर साल** आयोजित होने वाला अभ्यास है।<br>  ○ भारत इस **समुद्री अभ्यास में काफी लंबे वक्त से भाग ले रहा** है।<br>  ○ यह अभ्यास भारत के **सागर/SAGAR (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन)** विजन और **एक्ट ईस्ट नीति** के अनुरूप है। |
| **टैलिसमैन सेबर अभ्यास (Exercise Talisman Sabre)** | ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास **"टैलिसमैन सेबर 2025" सिडनी में आधिकारिक रूप से शुरू** हुआ।<br>**'टैलिसमैन सेबर अभ्यास' के बारे में**<br>• इसमें **19 देश और 35,000 से अधिक सैन्य कर्मी** भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास **भूमि, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष और साइबरस्पेस** में आयोजित किया जाता है।<br>• **मुख्य भागीदार:** संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, **भारत**, इंडोनेशिया, जापान, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम आदि। |

| | |
|---|---|
| | ○ **पर्यवेक्षक राष्ट्र:** मलेशिया और वियतनाम।<br>• इस अभ्यास में लाइव-फायर अभ्यास, फील्ड ट्रेनिंग गतिविधियां, एम्फीबियस लैंडिंग, थल सेना की चतुराई तथा हवाई युद्ध और सामुद्रिक क्षेत्र में संचालन शामिल हैं। |
| **जा-माता/जा माटा (Jaa Mata)** | जापान का तट रक्षक जहाज **"इत्सुकुशिमा" संयुक्त युद्धाभ्यास 'जा माता' में भाग लेने** के लिए चेन्नई पहुंच गया है।<br>**'जा माता' के बारे में**<br>• जापानी भाषा में इसका अर्थ है- **"फिर मिलेंगे"**।<br>• यह **जापान** और **भारत तटरक्षक बल** के बीच **संयुक्त समुद्री युद्ध अभ्यास है।**<br>• **उद्देश्य:** प्रभावी संयुक्त अभियानों के लिए परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना**, युद्ध कौशल को निखारना** और **इंटर-ऑपरेबिलिटी क्षमता को मजबूत करना है।** |

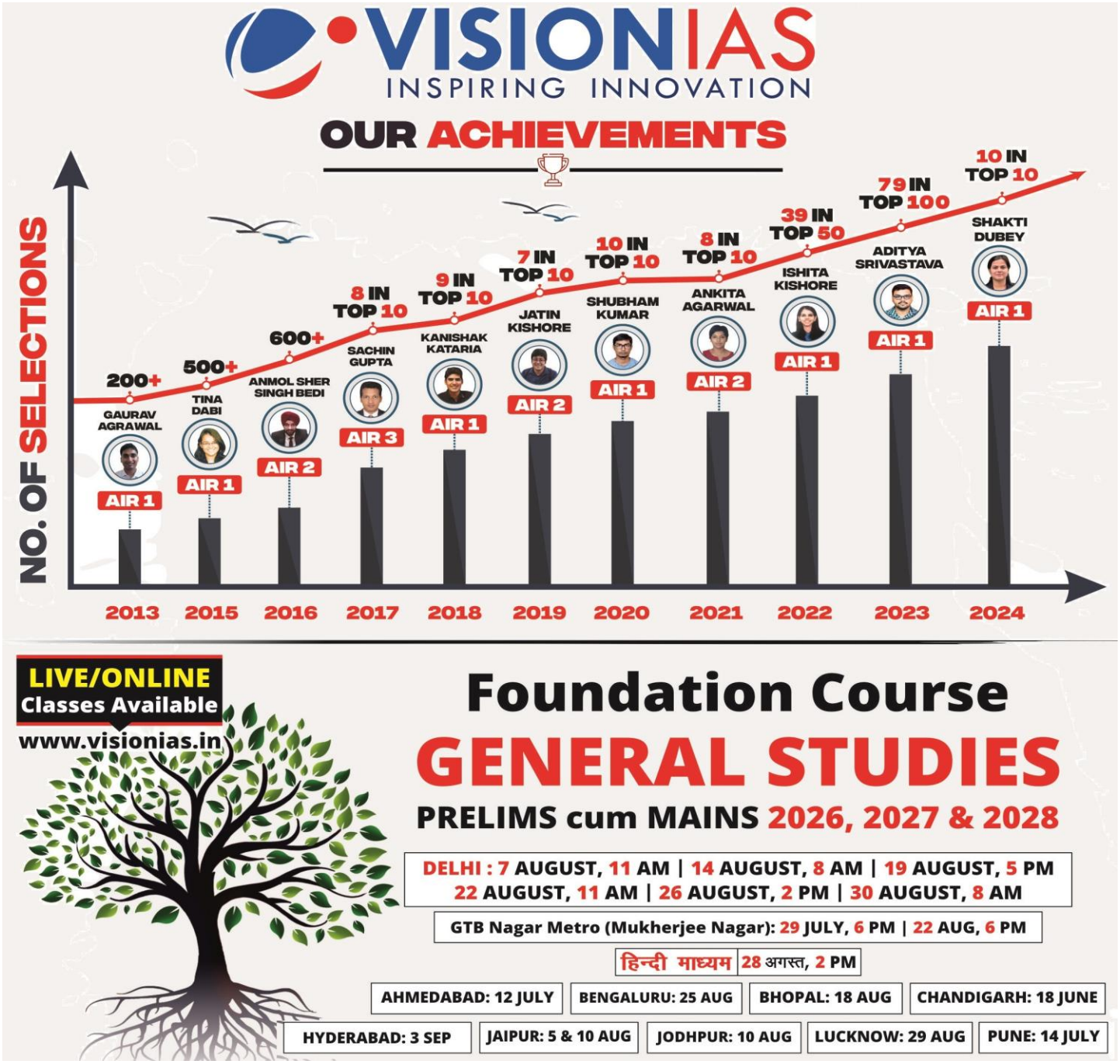

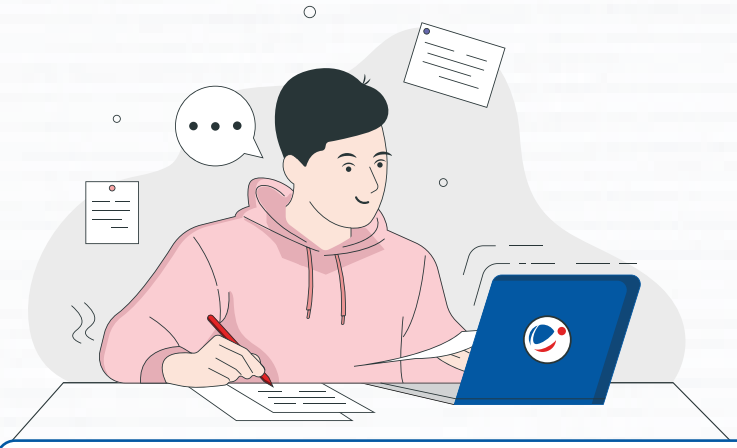

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

# UPSC प्रीलिम्स

## की तैयारी की स्मार्ट और प्रभावी रणनीति

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (सामान्य अध्ययन और CSAT) शामिल होते हैं, जो अभ्यर्थी के ज्ञान, उसकी समझ और योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।

यह चरण अभ्यर्थियों को व्यापक पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने और बदलते पैटर्न के अनुरूप ढलने की चुनौती देता है। साथ ही, यह चरण टाइम मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन को याद रखने और प्रीलिम्स की अप्रत्याशितता को समझने में भी महारत हासिल करने की चुनौती देता है।

इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत के साथ–साथ तैयारी के लिए एक समग्र और निरंतर बदलते दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।

तत्काल व्यक्तिगत मेंटरिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

## प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मुख्य रणनीतियां

**तैयारी की रणनीतिक योजना:** पढ़ाई के दौरान सभी विषयों को बुद्धिमानी से समय दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय हो। अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दीजिए।

**अनुकूल रिसोर्सेज का उपयोग:** ऐसी अध्ययन सामग्री चुनिए जो संपूर्ण और टू द पॉइंट हो। अभिभूत होने से बचने के लिए बहुत अधिक कंटेंट की जगह गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए।

**PYQ और मॉक टेस्ट का रणनीतिक उपयोग:** परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के ट्रेंड्स को समझने के लिए विगत वर्ष के प्रश्न–पत्रों का उपयोग कीजिए। मॉक टेस्ट के साथ नियमित प्रैक्टिस और प्रगति का आकलन करने से तैयारी तथा टाइम मैनेजमेंट में सुधार होता है।

**करेंट अफेयर्स की व्यवस्थित तरीके से तैयारी:** न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए करेंट अफेयर्स से अवगत रहिए। समझने और याद रखने में आसानी के लिए इस ज्ञान को स्टेटिक विषयों के साथ एकीकृत कीजिए।

**स्मार्ट लर्निंग:** रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से याद रखने के लिए निमोनिक्स, इन्फोग्राफिक्स और अन्य प्रभावी तरीकों का उपयोग कीजिए।

**व्यक्तिगत मेंटरिंग:** व्यक्तिगत रणनीतियों, कमजोर विषयों और मोटिवेशन के लिए मेंटर्स की मदद लीजिए। मेंटरशिप स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मददगार होता है, ताकि आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखते हुए परीक्षा पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकें।

UPSC प्रीलिम्स की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, Vision IAS ने अपना बहुप्रतीक्षित "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" शुरू किया है। इस प्रोग्राम में नवीनतम ट्रेंड्स के अनुरूप संपूर्ण UPSC सिलेबस को शामिल किया गया है।

## इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- UPSC सिलेबस का व्यापक कवरेज
- टेस्ट सीरीज का फ्लेक्सिबल शेड्यूल
- टेस्ट का लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन डिस्कशन और पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस
- प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए आंसर–की और व्यापक व्याख्या
- अभ्यर्थी के अनुरूप व्यक्तिगत मेंटरिंग
- ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ इनोवेटिव अस्सेस्मेंट सिस्टम और परफॉरमेंस एनालिसिस
- क्विक रिविजन मॉड्यूल (QRM)

अंत में, एक स्मार्ट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस, सही रिसोर्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को मिलाकर बनाई गई रणनीतिक तथा व्यापक तैयारी ही UPSC प्रीलिम्स में सफलता की कुंजी है।

"ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए

# 5. पर्यावरण (Environment)

## 5.1. अर्बन रेसिलिएंस (Urban Resilience)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, विश्व बैंक की रिपोर्ट **"टुवर्ड्स रेसिलिएंट एंड प्रॉपरस सिटीज़ इन इंडिया"**[26] में बताया गया है कि भारत के शहर तेज़ी से हो रहे शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

**अन्य संबंधित तथ्य:**

- भारत तेज़ी से शहरीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। 2020 में शहरी आबादी 48 करोड़ थी, जो 2050 तक लगभग दोगुनी होकर 95.1 करोड़ और 2070 तक 110 करोड़ तक पहुँच सकती है।
  - इस व्यापक जनसांख्यिकीय बदलाव के कारण **2030 तक भारत में लगभग 70% से ज़्यादा नई नौकरियां शहरों में ही पैदा** हो सकती हैं।

**अर्बन रेसिलिएंस क्या है?**

- अर्बन रेसिलिएंस उस क्षमता को कहते हैं, जिसके तहत कोई शहरी प्रणाली:
  - किसी आपदा या संकट के समय अपनी ज़रूरी कार्यप्रणालियों को बनाए रख सके या जल्दी से सामान्य रूप में वापस आ सके,
  - परिस्थितियों में बदलाव के साथ खुद का अनुकूलन कर सके,
  - और उन व्यवस्थाओं को जल्दी से बदल सके जो भविष्य में इसकी अनुकूलन क्षमता को सीमित करती हैं।

**संवेदनशील भारतीय शहरों के संबंध में रिपोर्ट में उजागर किए गए मुख्य बिंदु:**

- **शहरी बाढ़ (Urban Flooding):** प्लुवियल (वर्षा जनित बाढ़) का जोखिम तेज़ी से बढ़ रहा है। 2070 तक यह 3.6 से 7 गुना तक बढ़ सकता है।
  - वर्तमान में, इससे हर साल लगभग **4 अरब डॉलर** का नुकसान होता है, जो 2030 तक **5 अरब डॉलर** तक पहुँच सकता है।
- **तटीय बाढ़ (Coastal Flooding):** भारत की लगभग **40% आबादी तट से 100 किमी** के दायरे में रहती है।
  - तटीय शहरी इलाकों में बाढ़ से होने वाले नुकसान की लागत 2010 में **2.4 अरब डॉलर** थी, जो 2030 तक **21 अरब डॉलर** और 2050 तक **75 अरब डॉलर** हो सकती है।
- **बढ़ता शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव (Urban Heat Island: UHI):** बड़े शहरों में रात का तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों से **3°C से 4°C** ज़्यादा रहता है। इससे शहरी क्षेत्रों में तापमान जनित समस्याओं में वृद्धि होती है।
  - इससे काम करने की क्षमता घटती है और आर्थिक नुकसान होता है। जैसे, **चेन्नई को 2050 तक अपने GDP के 3.2% का नुकसान** हो सकता है।

[26] Towards Resilient and Prosperous cities in India

- **अवसंरचना संबंधी क्रमिक विफलता:** शहरी व्यवस्था की प्रणालियां आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे, अगर बाढ़ आती है तो सड़कों पर आवागमन बाधित हो जाता है, बिजली चली जाती है और आर्थिक गतिविधियाँ रुक जाती हैं। इससे पूरा शहर ठप हो सकता है।
- **शहरों में बढ़ती कंक्रीट की अवसंरचना:** इससे शहरी बाढ़, शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव आदि उत्पन्न होते हैं, जिससे जलवायु संबंधी चरम घटनाएं एवं जोखिम संबंधी कारक और गंभीर हो जाते हैं।

**शहरों की आपदा-रोधी क्षमता सुनिश्चित करने के समक्ष चुनौतियाँ:**

- **गवर्नेंस में समन्वय का अभाव:** शहरों के विकास, आपदा प्रबंधन और जलवायु संबंधी कार्रवाई का दायित्व अलग-अलग विभागों एवं स्तरों पर बंटा हुआ होता है, जिससे समन्वय के साथ कार्रवाई करना कठिन हो जाता है।
- **मास्टर प्लान और तकनीकी क्षमता की कमी:** भारत के आधे से ज्यादा (लगभग 52%) शहरों और कस्बों के पास स्वीकृत मास्टर प्लान नहीं है। साथ ही, शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)[27] में योजना बनाने वाले दक्ष कर्मियों की भी भारी कमी है।
- **नगर निगम वित्त की कमी:** शहरों का स्वयं का राजस्व सृजन बहुत कम (GDP का लगभग 1%) है और यह अक्सर परिचालन लागत को कवर करने के लिए अपर्याप्त होता है।
- **जर्जर अवसंरचना:** जैसे, अपर्याप्त सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम भारी वर्षा का सामना करने में असमर्थ हैं।
- **निजी क्षेत्रक की सीमित भागीदारी:** शहरी अवसंरचना में निजी क्षेत्रक का योगदान केवल 5% है, जबकि उनके पास परियोजना संबंधी नियोजन और दक्षता काफी अधिक है।
- **अन्य समस्याएं:** इसमें स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अवसंरचना की कमी, विभागों (जैसे, पानी, परिवहन, ऊर्जा विभाग) का तालमेल के बिना काम करना और निजी निवेश में ठहराव की स्थिति आदि शामिल है।

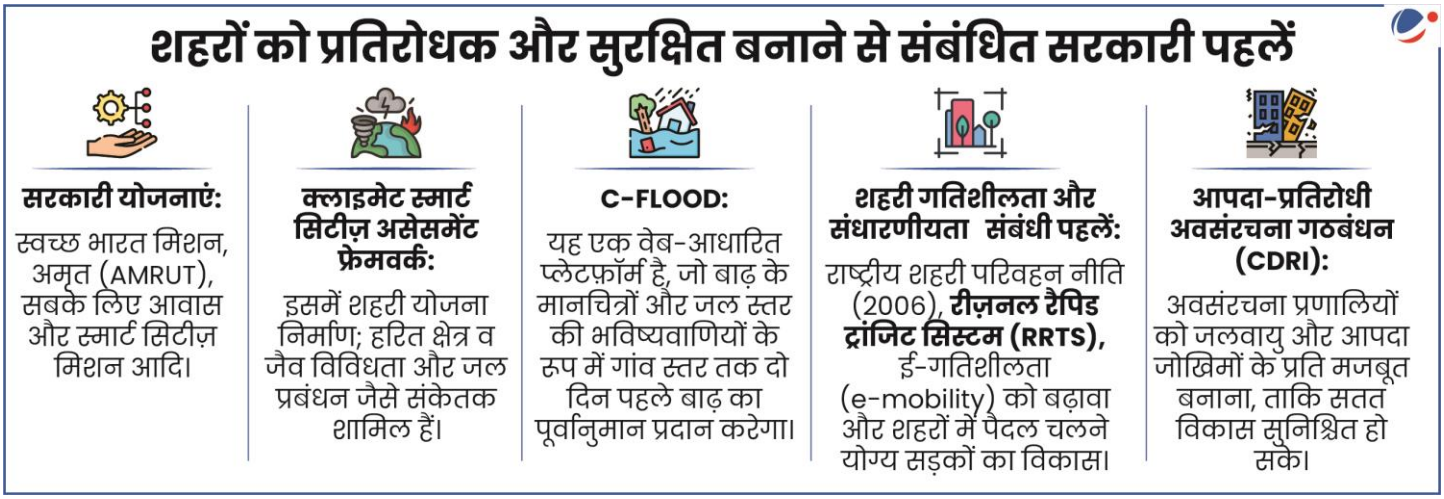


**रिपोर्ट में की गई सिफारिशें:**

- **बाढ़ और अत्यधिक गर्मी से बचाव हेतु प्रोग्राम:** संधारणीय शहरी विकास के लिए शहर के हर स्तर पर व्यापक जलवायु कार्रवाई योजनाएँ बनानी चाहिए।
- **74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों का विस्तार:** शहरी नियोजन संबंधी कार्य को राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित शहरी स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए, ताकि वित्त पोषण और रणनीति विकसित किए जा सकें।
- **नगरपालिका सेवाओं की लागत वसूली और वित्तीय स्थिरता में सुधार:** नगरपालिका द्वारा प्रदान की जाने वाली पानी, सड़क, स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन जैसी सेवाओं के बदले शुल्क वसूली में सुधार एवं राजस्व अर्जन को बेहतर किया जाना चाहिए।
    - 2050 तक भारतीय शहरों को जलवायु परिवर्तन रोधी अवसंरचना और सेवाओं के लिए लगभग 2.4 ट्रिलियन डॉलर निवेश की आवश्यकता होगी।

[27] Urban Local Bodies

- **शहरी शासन व्यवस्था को नए सिरे से गठित करना:** विभिन्न प्राधिकरणों के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन और सेवाओं के वितरण में तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए।
- **वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करना:** जैसे, SDG[28] लक्ष्य 11 (शहरों को समावेशी, सुरक्षित, रेजिलिएंट और संधारणीय बनाना) और हैबिटैट III (2016) में अपनाई गई नई शहरी नीति।
- **समावेशी विकास:** इसके तहत टियर 2 और टियर 3 शहरों का विकास, उपग्रहीय नगरों का निर्माण, सर्कुलर इकोनॉमी पर ध्यान और मिश्रित तथा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) को अपनाया जाना चाहिए।

**निष्कर्ष:**

आइए शहरीकरण को अवसर के रूप में देखें। अब वह समय नहीं रहा जब इसे चुनौती या बाधा माना जाता था। शहर केवल के विकास केंद्र नहीं हैं, बल्कि हमारे शहर गरीबी कम करने की क्षमता और ताकत रखते हैं। – प्रधान मंत्री मोदी

## 5.2 एथेनॉल मिश्रण (Ethanol Blending)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने भारत द्वारा पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- यह लक्ष्य एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP)[29] कार्यक्रम के तहत निर्धारित किया गया था।
- पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण 2014 के 1.5% से बढ़कर 2025 में 20% हो गया है। यह लगभग 13 गुना वृद्धि को दर्शाता है।

**एथेनॉल के बारे में:**

- **परिभाषा:** एथेनॉल ($C_2H_5OH$) एक नवीकरणीय ईंधन है। यह गन्ना, मक्का, गेहूं और अन्य उच्च स्टार्च वाली फसलों से निर्मित एक निर्जल (Anhydrous) एथिल अल्कोहल है।
- **उत्पादन:** यह प्राकृतिक रूप से **शर्करा के** खमीर द्वारा **किण्वन (fermentation)** या **पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं** जैसे एथिलीन हाइड्रेशन से भी तैयार किया जाता है।

**एथेनॉल के प्रकार:**

- **प्रथम पीढ़ी का एथेनॉल (1st Generation):** इसे खाद्य फसलों, जैसे- अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार), गन्ना, चुकंदर आदि से बनाया जाता है।
- **द्वितीय पीढ़ी का एथेनॉल (2nd Generation):** यह लिग्नो-सेल्युलोसिक या लकड़ी जैसे बायोमास या कृषि अवशेषों/ अपशिष्ट (जैसे गेहूं का भूसा, मक्का की फसल के अवशेष, लकड़ी आदि) से बनाया जाता है।
- **तृतीय पीढ़ी का एथेनॉल (3rd Generation):** इसमें जलीय बायोमास जैसे शैवाल से निर्मित एथेनॉल शामिल है।
- **चतुर्थ पीढ़ी का एथेनॉल (4th Generation):** यह अनुवांशिक रूप से संशोधित पादपों और सूक्ष्मजीवों से बनाया जाता है।

**एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के बारे में:**

- **शुरुआत:** यह कार्यक्रम **2003** में पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।
- **एथेनॉल मिश्रण का क्या अर्थ है:**
  - **परिभाषा:** एथेनॉल मिश्रण के तहत पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाया जाता है, ताकि ईंधन को अधिक संधारणीय और कम प्रदूषण फ़ैलाने वाला बनाया जा सके।
  - **इसके प्रकार:**
    - **E10:** 10% एथेनॉल बाय वॉल्यूम मिश्रित ईंधन

[28] Sustainable Development Goals

[29] Ethanol Blended Petrol

- **E20:** 20% एथेनॉल मिश्रित ईंधन
- **E85:** 85% एथेनॉल बाय वॉल्यूम मिश्रित ईंधन

- **लाभ:** E20 ईंधन, E10 की तुलना में बेहतर एक्सेलरेशन, बेहतर राइडर अनुभव और कार्बन उत्सर्जन में लगभग 30% की कटौती प्रदान करता है।

- **लक्ष्य: राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति, 2018** को 2022 में संशोधित करते हुए पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 से पहले यानी 2025-26 तक पूरा करना तय किया गया था।
  - **राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति**
    - इस नीति के तहत **गन्ने के रस, चुकंदर, कसावा और खराब अनाज, सड़े हुए आलू जैसी मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त सामग्री** से एथेनॉल बनाने की अनुमति दी गई है।
    - **अधिशेष खाद्यान्न का उपयोग एथेनॉल उत्पादन** के लिए किया जा सकता है।
    - **उपलब्धि:** एथेनॉल उत्पादन 2014 के 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 2025 में 660 करोड़ लीटर से अधिक हो गया।

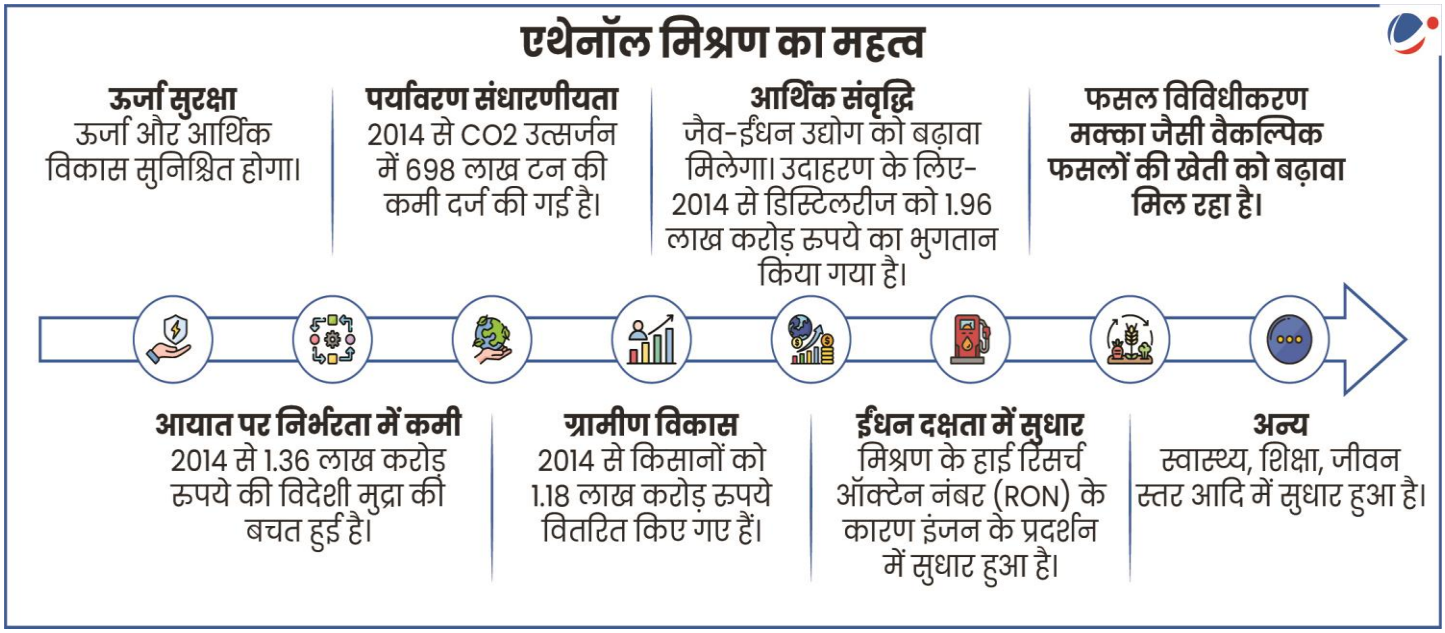


**भारत में एथेनॉल मिश्रण के समक्ष चुनौतियाँ**

- **खाद्य सुरक्षा और मुद्रास्फीति:** FAO रिपोर्ट 2023 के अनुसार, बायोफ्यूल या जैव ईंधन के अधिक उत्पादन से विशेष रूप से सुभेद्य आबादी के लिए खाद्य असुरक्षा बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, एथेनॉल उत्पादन के लिए खाद्य फसलों का अत्यधिक उपयोग करना।
- **पर्यावरण:** भारत में एथेनॉल बनाने के लिए मुख्य रूप से गन्ने का उपयोग होता है। गन्ना एक जल-गहन फसल है, जिससे भूजल स्तर और जल स्रोतों पर दबाव बढ़ता है।
- **प्रौद्योगिकी और वाहन संबंधी लागत:** वाहनों को E20 और उससे अधिक के एथेनॉल मिश्रण से चलने में सक्षम बनाने के लिए इंजन के डिजाइन और ईंधन प्रणाली में काफी बदलाव करने की आवश्यकता होती है। ये काफी महंगे साबित हो सकते हैं।
  - कई पुराने वाहन और दो-पहिया वाहनों में एथेनॉल के अनुकूल कंपोनेंट नहीं होते हैं, जिससे वे उच्च एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन के प्रति अनुकूल नहीं रह जाते हैं।
- **ईंधन दक्षता और वाहन की संपूर्णता:** एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा घनत्व कम होता है, जिससे वाहन के माइलेज में थोड़ी कमी आती है।
  - पुराने इंजनों को एथेनॉल मिश्रित ईंधन के साथ एयर-फ्यूल एडजस्टमेंट में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इससे वाहन चलाने में समस्या और उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है।
  - एथेनॉल में पानी सोखने और फेज सेपरेशन की प्रवृत्ति होती है, जिससे ईंधन प्रणाली में जाम एवं विफलताओं का खतरा बढ़ जाता है।

- **एथेनॉल की आपूर्ति:**
  - **देशभर में एथेनॉल की उपलब्धता:** उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों में फीडस्टॉक या संबंधित उद्योगों की अनुपलब्धता या लॉजिस्टिक्स की उच्च लागत के कारण एथेनॉल मिश्रण को नहीं अपनाया गया है।
  - **एथेनॉल के अंतर-राज्यीय परिवहन पर प्रतिबंध है**, क्योंकि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के संशोधित प्रावधानों को सभी राज्यों द्वारा लागू नहीं किया गया है।
  - एथेनॉल को अलग-अलग जगहों पर ले जाने में **लॉजिस्टिक्स की लागत और परिवहन से होने वाले उत्सर्जन की मात्रा** भी अधिक होती है।
  - मार्केटिंग टर्मिनलों/ डिपो में एथेनॉल के लिए **भंडारण अवसंरचना** की आवश्यकता होती है।

**एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने वाली पहलें**

- **PM-JIVAN (जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण[30] योजना:** इस योजना के तहत **दूसरी पीढ़ी (2G)** के एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना के लिए एकीकृत बायो-एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है।
- **एथेनॉल ब्याज सबवेंशन योजनाएँ (EISS):** इन योजनाओं को विशेष रूप से **समर्पित एथेनॉल संयंत्रों (DEPs)** की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।
- **EBP कार्यक्रम हेतु एथेनॉल पर GST में कमी:** एथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम (EBP) के लिए इस्तेमाल होने वाले एथेनॉल पर **GST को 18% से घटाकर 5%** कर दिया गया है। हालांकि, अपरिष्कृत एथेनॉल पर अभी भी 18% GST लगता है।
- **उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में संशोधन:** इस अधिनियम में संशोधन किया गया है, ताकि देश भर में एथेनॉल के परिवहन को सुगम बनाया जा सके।

**निष्कर्ष**

भारत की एथेनॉल मिश्रण के प्रति प्रतिबद्धता ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संबंधी संधारणीयता और आर्थिक विकास के लिए एक निर्णायक दृष्टिकोण को दर्शाती है। भविष्य में बायोडीजल के उपयोग की संभावना को देखते हुए, एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल से संबंधित चुनौतियों का ध्यान रखना जरूरी है। वर्तमान में, इनके उपयोग को **चरणबद्ध तरीके से लागू करने** की आवश्यकता है।

## 5.3. वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (CSS-Integrated Development of Wildlife Habitats Scheme: CSS-IDWH)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, घड़ियाल और स्लॉथ बेयर को "वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (CSS-IDWH)[31]" के तहत 'प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम[32]' में शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है।

**वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (CSS-IDWH) के बारे में**

- **नोडल मंत्रालय:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- **प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना
- **उद्देश्य:** वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित गतिविधियां संचालित करना।
- **वित्तीय सहायता:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो कि:
  - संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व) को समर्थन प्रदान करते हैं;
  - संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों का संरक्षण करते हैं;

[30] Jaiv Indhan- Vatavaran Anukool fasal Awashesh Nivaran

[31] Centrally Sponsored Scheme- Integrated Development of Wildlife

[32] Species Recovery Programme

- क्रिटिकली एनडेंजर्ड प्रजातियों और उनके पर्यावासों को बचाने के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम संचालित करते हैं।
  - अब तक **प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम** के अंतर्गत **हिम तेंदुआ, एशियाई शेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आदि सहित 22 प्रजातियों** की पहचान की गई है।

- **मुख्य घटक:** वन्यजीव पर्यावासों का विकास; प्रोजेक्ट टाइगर; प्रोजेक्ट एलिफेंट।

| घड़ियाल | स्लॉथ बेयर |
|---|---|
| **पर्यावास:** घड़ियाल गहरी, तेज बहाव वाली नदियाँ पसंद करते हैं।<br>• **प्राकृतिक पर्यावास वाले क्षेत्र:**<br>○ **नेपाल:** राप्ती-नारायणी नदी<br>○ **भारत (गंगा की सहायक नदियाँ):** गिरवा (उत्तर प्रदेश), सोन (मध्य प्रदेश), रामगंगा (उत्तराखंड), गंडक (बिहार), चम्बल (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान), महानदी (ओडिशा)।<br>• **विशेषताएँ:**<br>○ मछलियाँ पकड़ने के लिए विशेष प्रकार के दाँत।<br>○ मगरमच्छों में सबसे पतली और सबसे लंबी थूथन वाली प्रजाति।<br>○ वयस्क नर के थूथन के सिरे पर एक बल्ब जैसी संरचना होती है, जिसे "घड़ा (GHARA)" कहा जाता है।<br>○ नर और मादा घड़ियाल की शारीरिक बनावट में स्पष्ट अंतर होता है।<br>○ यह सभी मगरमच्छ प्रजातियों में सबसे अधिक जल में रहना पसंद करते हैं।<br>• **खतरे:**<br>○ बांध, बैराज और नदी के जल मोड़ने जैसी गतिविधियों के कारण पर्यावास का नष्ट होना।<br>○ लंबी थूथन के कारण मछली पकड़ने के जाल में फँसने और डूबने का खतरा होता है।<br>• **संरक्षण की स्थिति:**<br>○ **IUCN रेड लिस्ट:** क्रिटिकली एनडेंजर्ड<br>○ **CITES:** परिशिष्ट I<br>○ **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची I<br>• **संरक्षण के प्रयास:**<br>○ UNDP और FAO द्वारा समर्थित प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल (1975)।<br>○ घड़ियाल संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम।<br>○ राष्ट्रीय घड़ियाल संरक्षण और प्रबंधन योजना।<br>**घड़ियाल**<br> | • **पर्यावास:** ये वनों और घास के मैदानों में पाए जाते हैं।<br>• **प्राकृतिक पर्यावास वाले क्षेत्र:** ये भारत, नेपाल और श्रीलंका के स्थानिक हैं।<br>• **विशेषताएँ:**<br>○ इसका नाम लंबे पंजों और असामान्य दाँतों से पड़ा है, जो स्लॉथ (एक प्रकार का जानवर) जैसा दिखता है।<br>○ इनका शरीर काले फर से ढका होता है और थूथन लंबी होती है।<br>○ ये दीमक और चीटियां खाने में माहिर होते हैं।<br>○ अन्य भालू प्रजातियों के विपरीत, ये शीतनिद्रा (Hibernate) में नहीं जाते हैं।<br>○ ये अकेले रहते हैं और ज्यादातर रात में ही सक्रिय होते हैं।<br>○ ये बहुत फुर्तीले होते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे आक्रामक जीवों में से एक माने जाते हैं।<br>• **खतरे**<br>○ पर्यावास का नुकसान और क्षरण।<br>○ मानव-भालू संघर्ष के कारण इंसानों द्वारा बदले की भावना में हमला करना।<br>○ दुनिया में इनकी आबादी 20,000 से भी कम होने का अनुमान है।<br>• **संरक्षण स्थिति**<br>○ **IUCN रेड लिस्ट:** वल्नरेबल<br>○ **CITES::** परिशिष्ट I<br>○ **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची I<br>• **संरक्षण के प्रयास**<br>○ कर्नाटक में स्थित **दारोजी स्लॉथ बेयर अभयारण्य**, एशिया का पहला स्लॉथ बेयर अभयारण्य है।<br>**स्लोथ भालू**<br> |

## 5.4. वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)[33] के 50 वर्ष पूरे हुए।

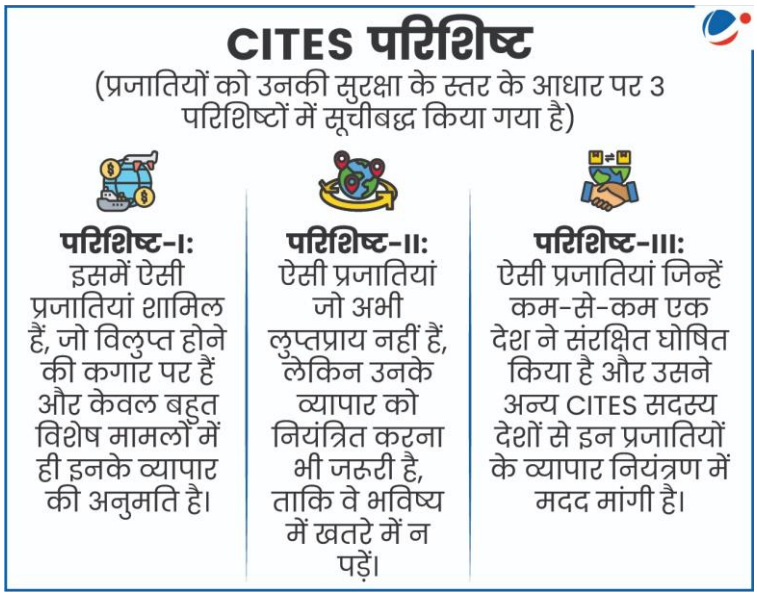


**CITES के बारे में**

- इस कन्वेंशन का विचार सबसे पहले **1963 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)**[34] की बैठक में आया था। यह **1975** में लागू हुआ था।
- **उद्देश्य:** यह सरकारों के बीच एक **स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता** है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **वन्य जीवों और पादपों के नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उन प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा** न बने।
  - यह **लाइसेंसिंग प्रणाली** के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर **कुछ नियंत्रण** स्थापित करता है, जिसमें **आयात, निर्यात, पुनः निर्यात** आदि सभी शामिल हैं।
- **सचिवालय:** इसे **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)**[35] **द्वारा जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड)** से संचालित किया जाता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) **CITES सचिवालय को वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग** प्रदान करता है।
- **पक्षकार (Parties):** इसमें **185** देश या क्षेत्रीय आर्थिक संगठन शामिल हैं। **भारत ने 1976 में इसकी अभिपुष्टि** की थी।
  - हालांकि, CITES **सभी पक्षकारों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी** है, लेकिन यह किसी देश के राष्ट्रीय कानूनों का स्थान नहीं लेता है, बल्कि प्रत्येक देश इसे अपने **राष्ट्रीय कानूनों** के जरिए लागू करता है।
- **कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (CoP):** यह CITES का **निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय** है। **CoP-3 (तीसरी बैठक) 1981 में नई दिल्ली** में आयोजित हुआ था।
- **CITES ट्रेड डाटाबेस:** इसे **CITES सचिवालय** की ओर से **UNEP का वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर (UNEP-WCMC)** संचालित करता है।

**CITES की मुख्य पहलें:**

- CITES अपनी अनुसूचियों (Appendices) के माध्यम से **40,000 से अधिक पशु और पादप प्रजातियों की रक्षा** करता है। (इन्फोग्राफिक देखें)
- **MIKE कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम हाथी रेंज वाले देशों की प्रबंधन और प्रवर्तन से जुड़े निर्णय लेने में मदद करता है। इसका उद्देश्य **अफ्रीका और एशिया में हाथियों के अवैध शिकार** की प्रवृत्तियों की निगरानी करना है।
  - **उदाहरण के लिए:** भारत में MIKE साइट्स हैं - चिरांग-रिपू हाथी रिजर्व और दिहिंग-पटकाई हाथी रिजर्व।
- **रणनीतिक विजन 2021-2030:** यह CITES के प्रयासों को मार्गदर्शन प्रदान करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वन्यजीवों का व्यापार वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों और सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करे।
- **CITES ट्री स्पीशीज प्रोग्राम (CTSP):** इसका उद्देश्य CITES-सूचीबद्ध वृक्ष प्रजातियों के संधारणीय और वैधानिक व्यापार का समर्थन करना है।

---

[33] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

[34] International Union for Conservation of Nature

[35] UN Environment Programme

- **वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (ICCWC)[36], 2010:** इसका गठन आपराधिक न्याय प्रणालियों को मजबूत करने और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव और वन अपराध से लड़ने के लिए समन्वित सहयोग प्रदान करने हेतु किया गया था।

**निष्कर्ष**

अपनी विकसित होती रणनीतियों, MIKE प्रोग्राम और ICCWC जैसे सहयोगी तंत्रों तथा सदस्य देशों द्वारा कार्यान्वित एक मजबूत कानूनी ढांचे के माध्यम से, CITES जैव विविधता की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है।

## 5.5. पैसिफिक रिंग ऑफ फायर (Pacific Ring of Fire)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास 8.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। कामचटका प्रायद्वीप भूकंपीय रूप से सक्रिय पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। इस भूकंप के कारण सुनामी लहरें उठीं, जिन्होंने रूस और जापान के तटीय शहरों को प्रभावित किया।

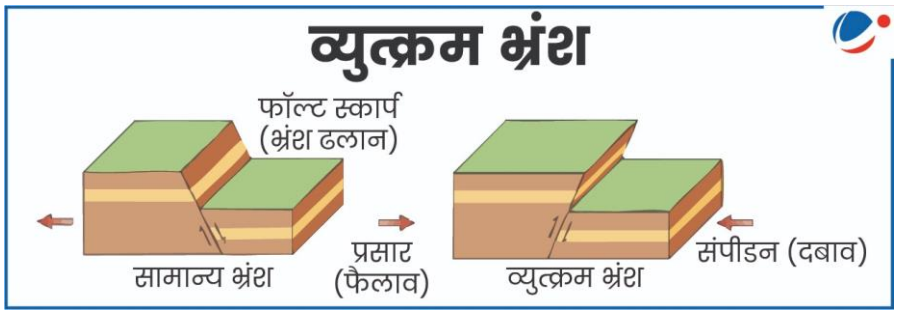


**अन्य संबंधित तथ्य**

- वैज्ञानिकों का मानना है कि यह भूकंप **पृथ्वी के धरातल से कम गहराई में (उथला) घटित व्युत्क्रम भ्रंश (Reverse Faulting)** के कारण आया था।
- व्युत्क्रम भ्रंश (या थ्रस्ट फॉल्टिंग) के तहत संपीडन बल के कारण पृथ्वी की भू-पर्पटी का एक खंड दूसरे खंड के ऊपर आ जाता है।
- पृथ्वी की सतह के पास घटित भ्रंश (rupture) **"उथला" व्युत्क्रम भ्रंश (Reverse Faulting)** कहलाता है।
    - इससे जमीन में तेज कंपन, भूकंप के बाद के तीव्र झटके, सुनामी आ सकती है और अवसंरचना को गंभीर नुकसान हो सकता है।

**पैसिफिक रिंग ऑफ फायर**

- इसे **परि-प्रशांत मेखला**[37] भी कहा जाता है। यह प्रशांत महासागर बेसिन की परिधि में घोड़े की नाल के आकार का एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ तीव्र भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधियाँ घटित होती हैं।
- यहाँ दुनिया के **लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद** हैं। दुनिया के **लगभग 90% भूकंप इसी क्षेत्र में** आते हैं।

**अवस्थिति और विस्तार**

- यह प्रशांत महासागर के चारों ओर **लगभग 40,000 किमी** में फैला हुआ है।
- यहाँ कई **विवर्तनिक प्लेटों** की सीमाएं मिलती है, जिनमें प्रशांत महासागर प्लेट, जुआन डे फ़्यूका प्लेट, कोकोस प्लेट, इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नाज़का प्लेट, उत्तरी अमेरिकी और फिलीपींस प्लेट शामिल हैं।

**परि-प्रशांत मेखला की विशेषताएँ**

- **भूगोल:** इस क्षेत्र में पर्वतों, द्वीप समूहों और महासागरीय गर्त का निर्माण हुआ है, जैसे कि **मारियाना गर्त** (दुनिया का सबसे गहरा स्थान)।
- **भू-तापीय ऊर्जा का स्रोत:** दुनिया के **40% से अधिक भू-तापीय ऊर्जा संसाधन** इसी क्षेत्र में मौजूद हैं।
- **खनिज:** इस क्षेत्र में कई समृद्ध खनिज भंडार मौजूद हैं, जिनमें सोना, तांबा, मोलिब्डेनम और अन्य धातुएँ शामिल हैं।
- **कृषि संबंधी महत्व:** यहाँ की ज्वालामुखी से निकली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जो चावल और कॉफी जैसी फसलों के लिए अच्छी होती है।

[36] International Consortium on Combating Wildlife Crime

[37] Circum-Pacific Belt

**पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में बार-बार भूकंप आने और ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण**

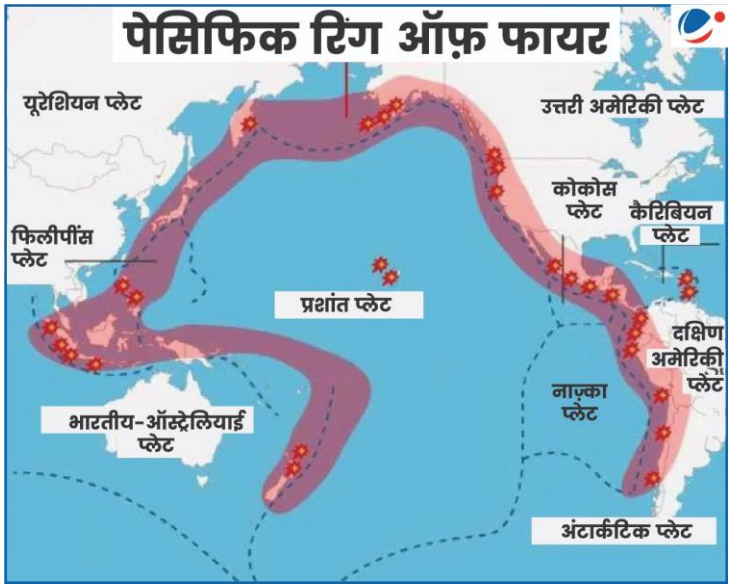


- **क्षेपण मंडल या सबडक्शन ज़ोन:** रिंग ऑफ फायर की परिधि में विवर्तनिक प्लेटें एक-दूसरे के टकराती हैं और अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे समा जाती हैं। इसे **अभिसारी सीमाएँ (Convergent Boundaries)** या सबडक्शन ज़ोन कहते हैं।
  - क्षेपण मंडल में जाने वाली प्लेट की चट्टानें पृथ्वी की सतह से कम गहराई में पिघलकर **मैग्मा में तब्दील हो** जाती है, जिससे ज्वालामुखी गतिविधि के लिए एक आदर्श स्थिति बन जाती है। उदाहरण के लिए, **न्यूजीलैंड के पास ताउपो ज्वालामुखी आर्क**[38], जहाँ अधिक घनत्व वाली प्रशांत महासागरीय प्लेट, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के नीचे समा रही है।
- **रूपांतरित सीमाएं /भ्रंश का क्षेत्र (Zone of Transform Boundary/ Fault):** कैलिफोर्निया में **सैन एंड्रियास फॉल्ट** जैसी जगहों पर प्लेटें एक-दूसरे के करीब गति करती हैं। इस घर्षण वाली गति के कारण शक्तिशाली भूकंप आते हैं, लेकिन ज्वालामुखी गतिविधि कम ही घटित होती है।
- **मध्य-महासागरीय कटक/ अपसारी सीमाएं (Mid-oceanic Ridges/Divergent Boundaries):** जब विवर्तनिक प्लेटें एक-दूसरे से दूर (अपसारी गति) जाती हैं, तो समुद्र नितल का विस्तार और भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है।
  - **पूर्वी प्रशांत कटक (East Pacific Rise)** इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जो रिंग ऑफ फायर में स्थित है। यह वह जगह है जहाँ प्रशांत महासागरीय प्लेट वस्तुतः कोकोस, नाज़का और अंटार्कटिक प्लेटों से दूर जा रही है या अपसारी गति कर रही है। यहाँ ज्वालामुखी और हाइड्रोथर्मल वेंट दोनों पाए जाते हैं।
- **हॉट स्पॉट (Hot Spots):** ये पृथ्वी की गहराई में मेंटल में स्थित होते हैं, जहां दबाव के कारण बढ़ता तापमान ऊपरी मेंटल में चट्टान को पिघला देता है। यह मैग्मा भूपर्पटी की दरारों से बाहर निकलकर ज्वालामुखी गतिविधियों के रूप प्रकट होता है।

**निष्कर्ष**

रिंग ऑफ फायर पृथ्वी की गतिशील भू-विज्ञान (Geology) का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ विवर्तनिकी प्लेटों में अभिसारी गति दुनिया के अधिकांश ज्वालामुखी विस्फोटों और भूकंपीय गतिविधियों को जन्म देती है, जिसने प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की सभ्यताओं और पारिस्थितिकी तंत्रों को गहराई से प्रभावित किया है।

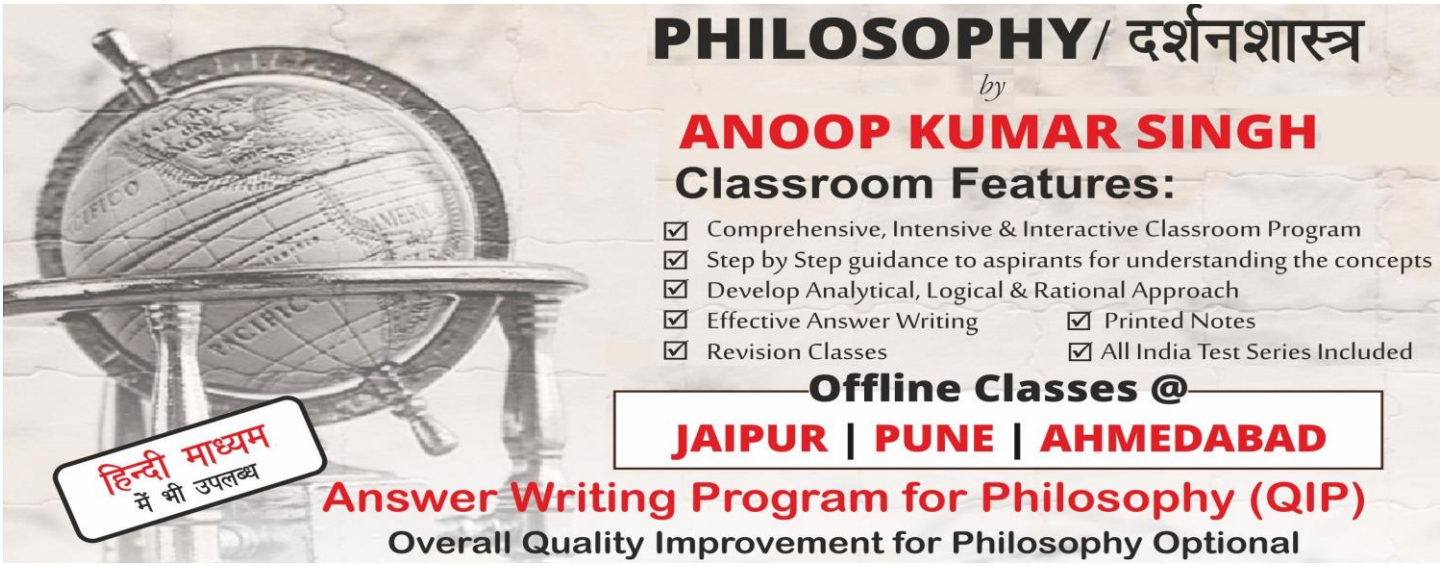


[38] Taupo Volcanic Arc

# 5.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

## 5.6.1. सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 (Sustainable Development Goals Report 2025)

यह **2030 के सतत विकास एजेंडा पर वैश्विक प्रगति की निगरानी** करने वाली संयुक्त राष्ट्र की **एकमात्र आधिकारिक** रिपोर्ट है।

**रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**

| | |
|---|---|
| **लक्ष्य 1: गरीबी उन्मूलन** | 8.9% आबादी अभी भी चरम गरीबी में रह रही है। |
| **लक्ष्य 2: शून्य भुखमरी** | 2023 में विश्व भर में लगभग 11 में से 1 व्यक्ति को भुखमरी का सामना करना पड़ा था। |
| **लक्ष्य 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** | • 2015 से अब तक 110 मिलियन से अधिक बच्चे और युवा स्कूल में प्रवेश ले चुके हैं।<br>• 2023 में 272 मिलियन बच्चे और युवा स्कूल से बाहर रहे थे। |
| **लक्ष्य 5: लैंगिक समानता** | वैश्विक स्तर पर, प्रबंधकीय पदों में महिलाओं की हिस्सेदारी एक तिहाई से भी कम है। |
| **लक्ष्य 8: सम्मानजनक कार्य और आर्थिक संवृद्धि** | • 2024 में बेरोजगारी दर 5.0% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई थी।<br>• लगभग 58% कामगार अनौपचारिक क्षेत्रक में कार्यरत हैं। |
| **लक्ष्य 10: असमानताओं में कमी** | 2024 में, दुनिया भर में 57% कामकाजी आयु वर्ग के लोग कार्यरत थे, जिसका 3.6 बिलियन कामगारों और उनके परिवारों के जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ा। |
| **लक्ष्य 11: संधारणीय शहर और समुदाय** | विश्व भर में लगभग 3 अरब लोग रहने के लिए आवास हेतु संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा, 1.12 अरब लोग झुग्गी-झोपड़ियों या अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं। |
| **लक्ष्य 13: जलवायु कार्रवाई** | 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा। इस साल तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से लगभग 1.55°C अधिक रहा था। |
| **लक्ष्य 16: शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं** | 2024 में संघर्ष के कारण लगभग 50,000 लोगों की मृत्यु हुई थी तथा 123.2 मिलियन लोगों को मज़बूरीवश विस्थापित होना पड़ा था। |

**नोट:** सतत विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2025 वस्तुतः सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट (SDR) 2025 से अलग है। SDR 2025 का प्रकाशन SDG ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर द्वारा किया गया है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क (SDSN) की एक पहल है।

## 5.6.2. नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क (NIF) प्रगति रिपोर्ट 2025 {National Indicator Framework (NIF) Progress Report 2025}

MoSPI द्वारा जारी NIF भारत की **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर SDGs की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण आधार के रूप में भी काम करता है।

**रिपोर्ट में उजागर की गई प्रमुख प्रगति:**

| | |
|---|---|
| **जीरो हंगर (SDG-2)** | • **कृषि उत्पादकता में सुधार** हुआ है। प्रति श्रमिक आय 61,247 (2015–16) से बढ़कर 94,110 रुपये (2024–25) हो गई। |
| **स्वच्छ जल और स्वच्छता (SDG-6)** | • **ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल तक पहुंच** 94.57% (2015–16) से बढ़कर **99.62% (2024–25)** हो गई। |

| | |
|---|---|
| **स्वच्छ ऊर्जा (SDG-7)** | • कुल स्थापित बिजली उत्पादन में **नवीकरणीय ऊर्जा** की हिस्सेदारी 16.02% (2015–16) से बढ़कर **22.13% (2024–25)** हुई।<br>• **नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 64.04 वॉट प्रति व्यक्ति** (2014–15) से बढ़कर **156.31 वॉट प्रति व्यक्ति (2024–25)** हो गई। |
| **गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक संवृद्धि (SDG-8)** | • **सामाजिक सुरक्षा कवरेज** 2016 में 22% से बढ़कर **2025 में 64.3%** हो गया। |
| **उद्योग और नवाचार (SDG-9)** | • **GDP की उत्सर्जन तीव्रता** 2005 से 2020 के बीच **36% कम** हुई है। इसका मतलब है कि अब **पर्यावरण के अनुकूल यानी हरित विकास** हो रहा है। |
| **असमानता कम करना (SDG 10)** | • 2011-12 से 2023-24 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में **घरेलू खर्च का गिनी गुणांक 0.283 से घटकर 0.237 हो गया और शहरी क्षेत्रों में यह 0.363 से घटकर 0.284** हो गया। |
| **जिम्मेदार उपभोग (SDG-12)** | • संसाधित अपशिष्ट का प्रतिशत **2015-16 के 17.97% से बढ़कर 2024-25 में 80.7%** हो गया। |
| **भूमि पर जीवन (SDG-15)** | • **वन आवरण 21.34% (2015) से बढ़कर 21.76% (2023) हो गया।** |

## 5.6.3. कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के लिए मसौदा नियम जारी (Draft Rules for Carbon Credit Trading Scheme Issued)

MoEFCC ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) के तहत उद्योगों के लिए उत्सर्जन लक्ष्य नियमों का मसौदा जारी किया।

- **CCTS योजना** के तहत **ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम, 2025** का मसौदा जारी किया गया है।

**मुख्य मसौदा नियमों पर एक नज़र**

- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI)** को **उत्पादन या उत्पादन की प्रति इकाई के संबंध में प्रति टन उत्सर्जित $CO_2$ के बराबर** के रूप में परिभाषित किया जाएगा।
- इसके तहत **400 से अधिक औद्योगिक संस्थाओं के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी GHG उत्सर्जन संबंधी लक्ष्य** का प्रस्ताव किया गया है।
- **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) उत्सर्जन लक्ष्यों** को निर्धारित करेगा।
- ये नियम **एल्यूमीनियम, लोहा व इस्पात, पेट्रोलियम शोधन, पेट्रोकेमिकल्स और वस्त्र** जैसे क्षेत्रकों पर लागू होंगे।
- इसका पालन न करने पर **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (EPA 1986)** के अंतर्गत **वित्तीय दंड** लगाया जाएगा।

**कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) के बारे में**

- **लक्ष्य:** कार्बन मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देकर GHG उत्सर्जन को कम करना, अर्थात GHG **उत्सर्जन पर निर्धारित शुल्क वसूला जाएगा।**
- **कानूनी आधार: ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम (ECA), 2022** के तहत **केंद्र सरकार** को **BEE के साथ परामर्श कर CCTS लागू करने का अधिकार है।**
- **इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:**
  - **अनुपालन तंत्र (बाध्यकारी संस्थाओं के लिए):** इसके तहत बाध्यकारी संस्थाओं को अपने लक्ष्य से कम उत्सर्जन करने पर **कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट** मिलता है।
  - **स्वैच्छिक ऑफसेट तंत्र:** यह **अन्य क्षेत्रकों को GHG उत्सर्जन में कटौती करने, उन्हें समाप्त करने और उन्हें रोकने के लिए अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत कराने में** सक्षम बनाता है। इसके बदले उन्हें **कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट** मिलता है।
- **प्रशासक: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)**
- **कार्बन ट्रेडिंग का विनियामक:** केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC)

- **महत्व:** यह योजना **भारतीय कार्बन बाजार** (इन्फोग्राफिक देखें) की नींव रखती है। साथ ही, यह **UNFCCC और पेरिस समझौते के तहत भारत के दायित्वों के अनुरूप** भी है।

विश्व बैंक की **"स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025" रिपोर्ट में वैश्विक जलवायु वित्त एवं कार्बन मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क** को आकार देने में **भारत की बढ़ती भूमिका** को सराहा गया है।

## 5.6.4. दूषित स्थल प्रबंधन के लिए नए नियम अधिसूचित किए गए (New Rules for Contaminated Site Management Notified)

**पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने **पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025** अधिसूचित किए हैं।

- ये नियम यह सुनिश्चित करेंगे कि **दूषित स्थलों की सफाई (उपचार) जिम्मेदार व्यक्तियों** द्वारा की जाए।
- दूषित स्थल ऐसे क्षेत्र हैं, जहां **पहले खतरनाक अपशिष्ट का निपटान** किया जा चुका है, जिससे मिट्टी और पानी प्रदूषित हो रहे हैं। साथ ही, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो रहा है।

**मुख्य नियमों पर एक नजर**

- **कवर किए गए प्रदूषक:** खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा-पार संचलन) नियम, 2016 के अनुसार **189 खतरनाक पदार्थ।**
- **कवर नहीं किए गए प्रदूषक: रेडियोधर्मी अपशिष्ट, खनन, समुद्र में तेल रिसाव तथा ठोस अपशिष्ट डंपों** से होने वाला संदूषण। ये सभी अलग-अलग कानूनों द्वारा शासित हैं।
- **प्रतिक्रिया स्तर: कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों** के लिए अलग-अलग प्रतिक्रिया स्तर निर्धारित किए गए हैं।
- **दूषित स्थल प्रबंधन**
  - **स्थल की पहचान:** स्थानीय निकायों/ जिला प्रशासन द्वारा **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) को वर्ष में दो बार संदिग्ध स्थलों की सूचना** देनी होगी।
  - **स्थल का मूल्यांकन: SPCBs संदिग्ध स्थलों का निरीक्षण** करेंगे और संभावित दूषित स्थलों की सूची बनाएंगे तथा केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को सूचना देंगे।
  - **प्रदूषक की पहचान:** SPCBs प्रदूषक की पहचान करेंगे। यदि जमीन बेची जाती है, तो नया भू-स्वामी जिम्मेदार होगा।
  - **सफाई की योजना:** प्रदूषणकर्ता को एक अनुमोदित एजेंसी की सहायता से सफाई योजना लागू करनी होगी तथा इसके लिए भुगतान करना होगा।
    - हालांकि, यदि **प्रदूषणकर्ता की पहचान नहीं** हो पाती है, तो संबंधित SPCB सफाई की योजना को लागू करेगा।
- **मूल्यांकन और सुधार के लिए वित्त-पोषण: प्रारंभिक आकलन लागत को लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के तहत पर्यावरण राहत कोष** से केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा भी वहन किया जा सकता है।
  - यदि प्रदूषणकर्ता की पहचान हो जाती है, तो ये लागतें **3 महीने के भीतर चुकानी** होंगी।
- **दंड:** विशेषकर यदि स्वास्थ्य को खतरा हो तो, **राज्य बोर्ड सफाई न करने पर जुर्माना लगा** सकता है।

ये नियम, पुराने दूषित स्थलों के सुधार के संबंध में अनुपस्थित कानून की समस्या का समाधान करते हैं। साथ ही, ये **स्वैच्छिक सुधार के लिए प्रावधान** भी करते हैं।

## 5.6.5. ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 जारी (Global Wetland Outlook 2025 Released)

रामसर कन्वेंशन के सचिवालय द्वारा 'ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक, 2025' जारी किया गया।

**आउटलुक के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**

- **कवरेज:** अंतर्देशीय ताजे पानी की आर्द्रभूमियां और तटीय व समुद्री आर्द्रभूमियां लगभग **1,800 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र** पर फैली हुई हैं।
- **आर्द्रभूमि का क्षरण:** 1970 के बाद से अब तक **विश्व की 22 प्रतिशत आर्द्रभूमियां नष्ट** हो चुकी हैं।
- निम्न आय/ निम्न मध्यम आय वाले देशों (LICs/ LMICs) में **अधिकतर आर्द्रभूमियों की स्थिति खराब** बनी हुई है।
  - **अफ्रीका महाद्वीप** की आर्द्रभूमियों का विश्व स्तर पर **सबसे अधिक क्षरण** हुआ है।

- रामसर कन्वेंशन के रणनीतिक लक्ष्य **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (KM-GBF) लक्ष्यों के अनुरूप हैं।**
  - KM-GBF एक **गैर-बाध्यकारी** फ्रेमवर्क है, जिसे जैव विविधता अभिसमय (CBD) के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन (COP15) में अपनाया गया था।
- **आर्द्रभूमियों के समक्ष मौजूद खतरों** में अनियोजित शहरीकरण, तीव्र औद्योगिक और अवसंरचना का विकास आदि शामिल हैं।

**सर्वश्रेष्ठ केस स्टडीज**

- **रीजनल फ्लाईवे इनिशिएटिव:** यह **संपूर्ण एशिया** के लिए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की साझेदारी है। इसके तहत **प्रवासी पक्षियों और लगभग 200 मिलियन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 140 से अधिक आर्द्रभूमियों को पुनः उनकी प्राकृतिक स्थिति** में लाने का प्रयास किया जा रहा है।
- **सेशेल्स** ने दुनिया का पहला संप्रभु **"ब्लू बॉण्ड"** जारी किया है।

**आगे की राह**

- **आर्द्रभूमियों का राष्ट्रीय योजना में समावेशन:** आर्द्रभूमियों के महत्त्व को समझते हुए उन्हें **प्राकृतिक पूंजी लेखांकन** (Natural Capital Accounting) में शामिल करना चाहिए।
- **वैश्विक जल विज्ञान चक्र** में आर्द्रभूमियों की अहम भूमिका को महत्त्व देना चाहिए।
- **अभिनव वित्तीय समाधानों में आर्द्रभूमियों को शामिल करना और प्राथमिकता देना:** जैसे- ऋण उपकरणों (जैसे- ग्रीन बॉण्ड, ब्लू बॉण्ड आदि) की तरह परिणाम-आधारित वित्त-पोषण साधन आदि अपनाने चाहिए।

## 5.6.6. उत्तराखंड में पहली बार नैनीताल जिले की 'पर्यटक वहन क्षमता' का आकलन किया जाएगा (Uttarakhand to Assess 'Tourist Carrying Capacity' in Nainital District)

इस कदम का उद्देश्य जिले के लोकप्रिय हिल स्टेशंस को **अनियंत्रित पर्यटन, बढ़ते वाहन यातायात और जनसंख्या दबाव** जैसे कारणों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए **दीर्घकालिक रणनीति** बनाना है।

- इससे पहले, सितंबर 2024 में **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)** ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि नैनीताल जिले को **यात्री वहन क्षमता और पर्यावरणीय संवेदनशीलता** के आधार पर वर्गीकृत किया जाए।

**वहन क्षमता (Carrying Capacity) क्या होती है?**

- यह किसी क्षेत्र में **उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक निश्चित जनसंख्या की ही आवश्यकताओं को पूरा** करने की क्षमता होती है।
- यह **जैविक (जैसे वनस्पति, हाइड्रोलॉजी) और अजैविक (जैसे भू-भाग, जलवायु)** दोनों कारकों पर निर्भर करती है।
- **किसी क्षेत्र की वहन क्षमता का आकलन करने के लिए दो प्रमुख एप्रोच:**
  - **ग्रहीय सीमा एप्रोच:** इसे जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि, भूमि क्षरण, प्रदूषण, जल संकट जैसे पर्यावरणीय संकटों के संदर्भ में लागू किया जाता है।
  - **बायोकैपेसिटी ओवरशूट एप्रोच:**यह संधारणीयता संबंधी मापदंड है। यह बताता है कि मनुष्य पृथ्वी की प्राकृतिक प्रणालियों पर किस तरह से दबाव डाल रहे हैं। हर साल कुछ महीनों के भीतर ही हम प्राकृतिक प्रणालियों की कुल वार्षिक उत्पादकता का उपभोग कर लेते हैं। उदाहरण के लिए **अर्थ ओवरशूट डे**।
- **सतत विकास की योजना में वहन क्षमता का महत्त्व:** वहन क्षमता संबंधी आकलन **एहतियाती सिद्धांतों** (इन्फोग्राफिक देखें) पर आधारित होता है। यह सिद्धांत **'विकासात्मक गवर्नेंस' और 'विकासात्मक संधारणीयता'** के बीच टकराव से व्यावहारिक रूप से निपटने का विकल्प प्रदान करता है।

वैज्ञानिक तथ्यों और सावधानी पूर्वक तैयार योजना पर आधारित प्रोएक्टिव विनियमन आर्थिक विकास और पर्यावरण की सीमाओं के बीच संतुलन बनाने में मदद कर सकते हैं। अगर इस सोच को संस्थागत रूप दिया जाए तो यह सतत पर्यटन को बढ़ावा देगा, बड़े नुकसान से बचाएगा और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए एक बेहतर शासन मॉडल बन सकता है।

## 5.6.7. ICJ ने जलवायु परिवर्तन से निपटने से जुड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय दिया (ICJ Delivers Decision on Tackling Climate Change)

**जलवायु कार्रवाई के प्रति वैश्विक जिम्मेदारियों** से संबंधित इस मामले को **130 से अधिक देशों का समर्थन** प्राप्त था। प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र **वानुअतु** के नेतृत्व में दायर यह मामला **विशेष रूप से सुभेद्य लघु द्वीपीय देशों (SIDs) की सुरक्षा** से जुड़ा था।

- 2023 में, **संयुक्त राष्ट्र महासभा** ने एक संकल्प स्वीकार किया था, जिसमें ICJ से निम्नलिखित मुद्दों पर एक **सलाहकारी राय** देने का अनुरोध किया गया था:
  - पर्यावरण की रक्षा के लिए **अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत राष्ट्रों के क्या दायित्व** हैं?
  - इन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने पर क्या **कानूनी कार्रवाई** की जा सकती है?

**ICJ के निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**

- **स्वच्छ, स्वस्थ और संधारणीय पर्यावरण एक मानवाधिकार है:** सरकारें मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जैसी संधियों से बंधी हुई हैं तथा इन अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें जलवायु परिवर्तन के समाधान हेतु कार्य करना चाहिए।
- **उत्सर्जन को सीमित करने के लिए सरकारें बाध्य हैं:** देशों को ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन से होने वाले नुकसान को रोकना चाहिए। साथ ही, वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5°C तक सीमित करने के **पेरिस समझौते के लक्ष्य को हासिल करना** चाहिए।
  - पूर्व-औद्योगिक काल से वैश्विक तापमान पहले ही **1.3°C तक बढ़** चुका है।
- **गैर-अनुपालन के परिणाम:** यदि सरकारें अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहती हैं, तो:
  - उन्हें **कानूनी रूप से जिम्मेदार** ठहराया जा सकता है और उन्हें नुकसानदायक गतिविधियां बंद करनी पड़ सकती हैं, तथा
  - इसकी पुनरावृत्ति न करने की **गारंटी देने** और मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर **पूर्ण क्षतिपूर्ति प्रदान** करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

कुछ देशों, जैसे- **संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस** ने किसी भी न्यायिक निर्णय के जरिए अनिवार्य उत्सर्जन कटौती के प्रावधान का विरोध किया है। हालांकि, ICJ की राय उन पर कानूनी दबाव अवश्य डालती है।

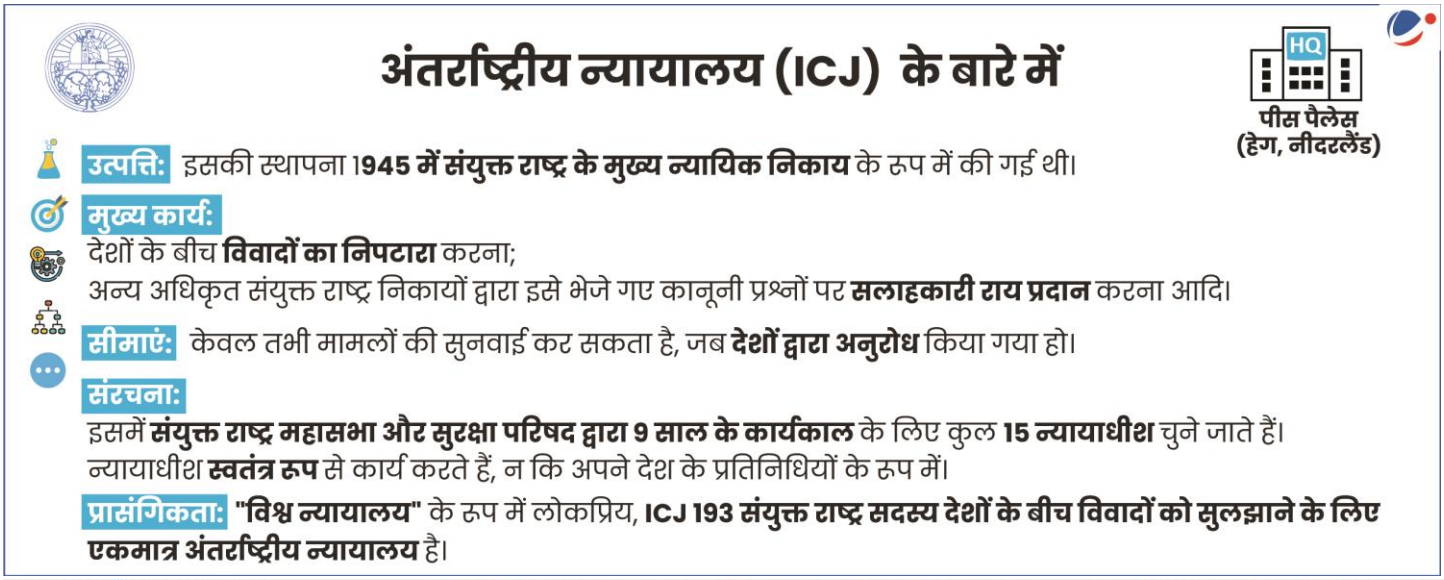


VISIONIAS INSPIRING INNOVATION SANDHAN
Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज

## 5.6.8. ADEETIE योजना शुरू की गई (Adeetie Scheme Launched)

उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के उपयोग में सहायता (ADEETIE)[39] योजना **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को ऊर्जा खपत में 30-50% की कमी लाने; पावर-टू-प्रोडक्ट अनुपात में सुधार लाने और हरित ऊर्जा गलियारों के निर्माण में सहायता** कर सकती है।

- **पावर-टू-प्रोडक्ट अनुपात** ऊर्जा की उस मात्रा को दर्शाता है, जो किसी उत्पाद को बनाने के लिए आवश्यक होती है।

**ADEETIE योजना के बारे में**

- **मंत्रालय:** विद्युत मंत्रालय
- **पात्र उद्यम: उद्यम ID** वाले MSMEs.
  - उद्यमों को अपनाई गई प्रौद्योगिकी से **10% ऊर्जा बचत प्रदर्शित** करनी होगी।
- **कार्यान्वयन:** ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)।
- **योजना अवधि:** 3 वर्ष (वित्त वर्ष **2025-26** से वित्त वर्ष **2027-28** तक)।
- **बजटीय परिव्यय:** 1,000 करोड़ रुपये।
- **लक्षित क्षेत्रक:** इसमें **पीतल, ईंट, चीनी मिट्टी, रसायन, मात्स्यिकी, खाद्य प्रसंस्करण** जैसे **14 ऊर्जा-गहन क्षेत्रकों** को शामिल किया गया है।
- **लागू करने की प्रक्रिया:** चरणबद्ध कार्यान्वयन, पहले चरण में **60 औद्योगिक क्लस्टर और दूसरे चरण में 100 अतिरिक्त क्लस्टर** कवर किए जाएंगे।
- **योजना के घटक:**
  - **ब्याज अनुदान:** ऋण पर **सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए 5% तथा मध्यम उद्यमों के लिए 3%** ब्याज अनुदान।
  - **परियोजना सुव्यवस्थित कार्यान्वयन:** इसमें निवेश ग्रेड एनर्जी ऑडिट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) आदि की तैयारी के लिए सहायता करना शामिल है।
  - **प्रदान की जाने वाली सहायता:** इसमें तकनीकी सहायता, वित्तीय प्रोत्साहन, निवेश ग्रेड एनर्जी ऑडिट आयोजित करने में सहायता आदि शामिल है।

## 5.6.9. बाढ़ की बदलती प्रकृति (Changing Nature of Floods)

बाढ़ की व्यापकता, आकार और तीव्रता में बदलाव हो रहा है

- यह जानकारी **IIT दिल्ली और रुड़की** द्वारा किए गए अध्ययन में सामने आई है। इसके तहत **देश भर में स्थित 170 से अधिक निगरानी स्टेशनों से प्राप्त आंकड़ों के आधार** पर पाया गया है कि **पिछले 40 वर्षों (1970-2010)** में भारत में नदिय बाढ़ की स्थिति में बदलाव आया है।

**इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**

- **बाढ़ की तीव्रता में गिरावट:** लगभग **74% निगरानी स्टेशनों** से बाढ़ की तीव्रता में **कमी** के रुझान प्राप्त हुए हैं, जबकि **26% से वृद्धि** के रुझान प्राप्त हुए हैं। बड़े जलग्रहण क्षेत्रों में बाढ़ की **तीव्रता में कमी** देखी गई है।

[39] Assistance in Deploying Energy Efficient Technologies in Industries & Establishments

- **क्षेत्र विशेष रुझान:-**
  - **पश्चिमी एवं मध्य गंगा बेसिन:** मानसून के दौरान बाढ़ में प्रति दशक **17% की गिरावट** देखने को मिली है। ऐसा **वर्षा और मिट्टी की नमी में कमी के** कारण हुआ है।
  - **नर्मदा बेसिन:** बाढ़ की **व्यापकता में लगातार गिरावट** हुई है। ऐसा मुख्यतः बांध निर्माण के कारण हुआ है।
  - **मराठवाड़ा क्षेत्र:** मानसून के दौरान **नदी के जल प्रवाह में 8%** और मानसून-पूर्व मौसम के दौरान **31% की कमी** हुई है।
- **मानसून-पूर्व बाढ़ की तीव्रता में वृद्धि: मालाबार तट (केरल व तमिलनाडु) क्षेत्र में मानसून-पूर्व बाढ़ की तीव्रता में प्रति दशक 8% की वृद्धि** देखने को मिली है। ऐसा मानसून-पूर्व **वर्षा में वृद्धि** के कारण हुआ है। इससे **चलियार, पेरियार, भरतपुझा** आदि नदियां प्रभावित होती हैं।
- **बाढ़ आने के समय में बदलाव:** इसमें **ऊपरी गंगा क्षेत्र में बाढ़ आने में देरी, मध्य भारत में बाढ़ का समय से पहले आना और दक्षिण भारत में आमतौर पर बाद में बाढ़ आने** जैसी घटनाएं देखने को मिली हैं।

## 5.6.10. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने सी-फ्लड (C-FLOOD) नामक 'एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली' का उद्घाटन किया (C-Flood, A Unified Inundation Forecasting System Inaugurated)

**C-FLOOD** राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंसियों से **बाढ़ मॉडलिंग आउटपुट को समेकित** करने वाली एक एकीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। यह **आपदा प्रबंधन अधिकारियों** के लिए एक व्यापक निर्णय-समर्थन उपकरण प्रदान करेगा।

- भारत के **कुल 329 मिलियन हेक्टेयर (mha) क्षेत्र में से लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर (कुल क्षेत्रफल का लगभग 12% हिस्सा), बाढ़ प्रभावित** क्षेत्र है।

### C-FLOOD के बारे में

- यह एक **वेब-आधारित प्लेटफ़ॉर्म** है, जो बाढ़ के मानचित्रों और जल स्तर की भविष्यवाणियों के रूप में **गांव स्तर तक दो दिन पहले बाढ़ का पूर्वानुमान** प्रदान करेगा।
  - यह बाढ़ परिदृश्यों का अनुकरण करने के लिए **उन्नत 2-डी हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग** का उपयोग करता है।
- यह **बाढ़ जलप्लावन के नक्शे और जल स्तर की भविष्यवाणियां** प्रदान करेगा, ताकि आपदा-पूर्व तैयारी की जा सके।
- **इसे निम्नलिखित संस्थाओं ने मिलकर विकसित किया है:**
  - सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग **(C-DAC), पुणे;**
  - **केंद्रीय जल आयोग (CWC)** (जो देश में बाढ़ पूर्वानुमान और समय रहते चेतावनी देने वाला **नोडल संगठन** है); तथा
  - जल शक्ति मंत्रालय के तहत **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग।**
  - **राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC)** ने भी इसके विकास में सहयोग किया है।
- **कार्यान्वयन:** इस परियोजना का **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM)** के तहत कार्यान्वयन किया जा रहा है।
  - **NSM** की शुरुआत **2015** में हुई थी, जिसका उद्देश्य **भारत को सुपरकंप्यूटिंग क्षमताओं में सशक्त** बनाना है।
  - NSM को **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)** द्वारा मिलकर संचालित किया जा रहा है।
- **वर्तमान कवरेज:** फिलहाल यह प्रणाली **महानदी, गोदावरी और तापी** नदी घाटियों को कवर करेगी।
  - भविष्य में **सभी नदी घाटियों** को इसमें शामिल किया जाएगा।
- पूर्वानुमानों को **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आपातकालीन प्रतिक्रिया पोर्टल (NDEM)** से जोड़ा जाएगा।

## 5.6.11. रिक्लेम फ्रेमवर्क (Reclaim Framework)

कोयला मंत्रालय ने **रिक्लेम फ्रेमवर्क (RECLAIM Framework)** लॉन्च किया है। यह खदान बंद करने और उसके पुनः उपयोग के लिए सामुदायिक सहभागिता एवं विकास पर आधारित एक फ्रेमवर्क है।

**रिक्लेम फ्रेमवर्क**

- **विकास:** इसे कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कोयला नियंत्रक संगठन और हार्टफुलनेस संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है।
- **उद्देश्य:** खदान बंद होने और बंद होने के बाद के चरणों के दौरान समावेशी सामुदायिक सहभागिता और विकास के लिए एक **सुनियोजित मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करना।**
- **फ्रेमवर्क (इंफ़ोग्राफ़िक देखें)**

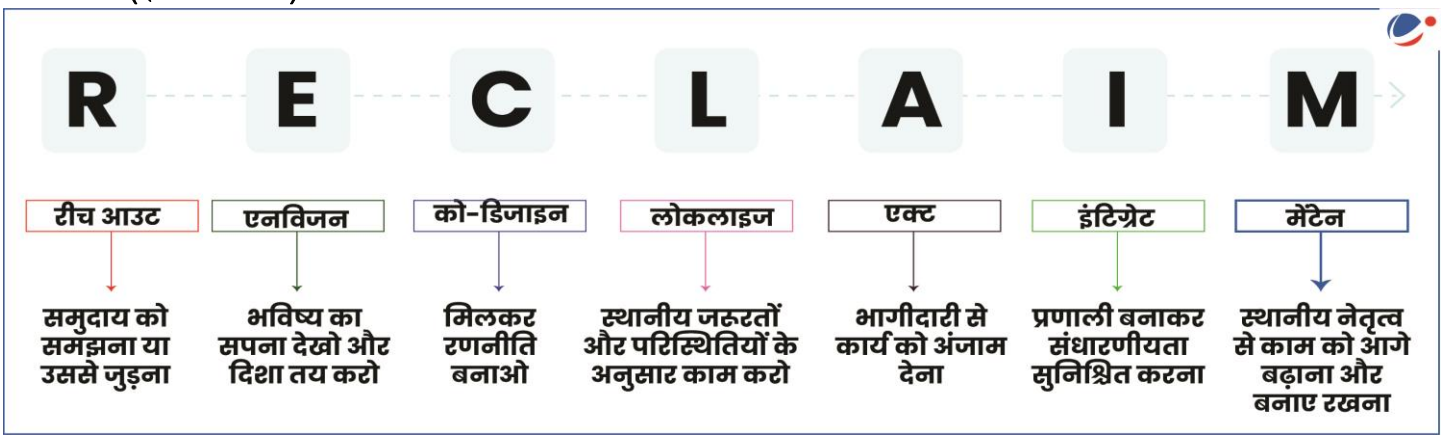


## 5.6.12. वेदर डेरिवेटिव्स (Weather Derivatives)

भारत जल्द ही अपने पहले **वेदर डेरिवेटिव्स** शुरू करने जा रहा है। इसके तहत नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (NCDEX) और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) मिलकर **वर्षा से जुड़े जोखिमों पर आधारित डेरिवेटिव उत्पाद** विकसित कर रहे हैं।

- ये वित्तीय साधन **किसानों और संबद्ध क्षेत्रकों को अनियमित वर्षा, हीटवेव्स और मौसम में असामयिक बदलाव** जैसे खतरों से होने वाले **वित्तीय नुकसान से निपटने में मदद** करेंगे।
- इसमें **IMD का ऐतिहासिक और रीयल-टाइम मौसम डेटा** इस्तेमाल किया जाएगा। इन डेटा-सेट्स के आधार पर ये डेरिवेटिव्स **स्थान-विशिष्ट, मौसम आधारित अनुबंध** (कॉन्ट्रैक्ट) प्रदान करेंगे। ये **सांख्यिकीय रूप से सत्यापित डेटा सेट्स पर आधारित** होंगे।

**वेदर डेरिवेटिव्स क्या हैं?**

- सामान्य डेरिवेटिव्स **वित्तीय संपत्तियों (इंडेक्स या शेयर) पर आधारित** होते हैं, वहीं **वेदर डेरिवेटिव्स** में वर्षा, तापमान जैसे **मौसम संबंधी मापदंडों** को **अंडरलाइंग एसेट्स** के रूप में उपयोग किया जाता है। ये मापदंड **पूर्व निर्धारित मौसम सूचकांक** से जुड़े होते है।
- चूंकि वेदर डेरिवेटिव्स का **कोई अंतर्निहित मूल्य** नहीं होता, इसलिए इन्हें **अपूर्ण बाज़ार** का हिस्सा माना जाता है।
- विश्व स्तर पर, ऐसे उत्पादों में **ओवर-द-काउंटर ट्रेडिंग 1990 के दशक में** शुरू हुई थी। भारत अब इस क्षेत्र में **अपना पहला बड़ा कदम** उठा रहा है।

## 5.6.13. मानव निर्मित बांधों ने पृथ्वी के ध्रुवों में बदलाव किया है (Human-Made Dams Have Shifted Earth's Poles)

एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि बांध निर्माण के कारण पृथ्वी की **घूर्णन धुरी 1835 ई. से अब तक 1 मीटर से अधिक स्थानांतरित** हो चुकी है। इसे **ट्रू पोलर वैंडर (ध्रुवीय भ्रमण/ TPW)** कहा जाता है।

**ट्रू पोलर वैंडर (TPW) क्या है?**

- **परिभाषा:** TPW को **प्लैनेटरी रीयोरिएंटेशन** भी कहा जाता है। इसका अर्थ है **पृथ्वी के क्रस्ट और मेंटल का द्रवीकृत बाह्य कोर के ऊपर घूर्णन** करना।
  - यह पृथ्वी को घूर्णन संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि इसमें **द्रव्यमान का पुनर्वितरण** होता है।

- **TPW को बढ़ावा देने वाले प्राकृतिक कारक:** परंपरागत रूप से TPW का संबंध **हिमनदों के पिघलने, बर्फ की चादरों के पिघलने, टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने और समुद्री महातरंगों** (Ocean swell) जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं से रहा है।

**बांध कैसे TPW को बढ़ावा दे रहे हैं?**

- बांधों के जलाशय बड़ी मात्रा में पानी को रोक लेते हैं, जो सामान्यतः महासागरों में चला जाता।
  - इससे **पृथ्वी का द्रव्यमान अंतर्देशीय (स्थलीय भाग पर) क्षेत्रों में पुनर्वितरित** हो जाता है, जिससे ग्रह के घूर्णन में बदलाव होता है। स्थलीय भाग पर जलाशयों में संगृहीत अत्यधिक जल के भार से **पृथ्वी का द्रव्यमान संबंधी संतुलित वितरण बिगड़ जाता है**, जिससे ग्रह के घूर्णन में बदलाव होता है।
- अध्ययन में यह भी पाया गया कि यह **बदलाव एकसमान नहीं** होता, बल्कि यह **बांधों के आकार और स्थान के अनुसार** होता है।

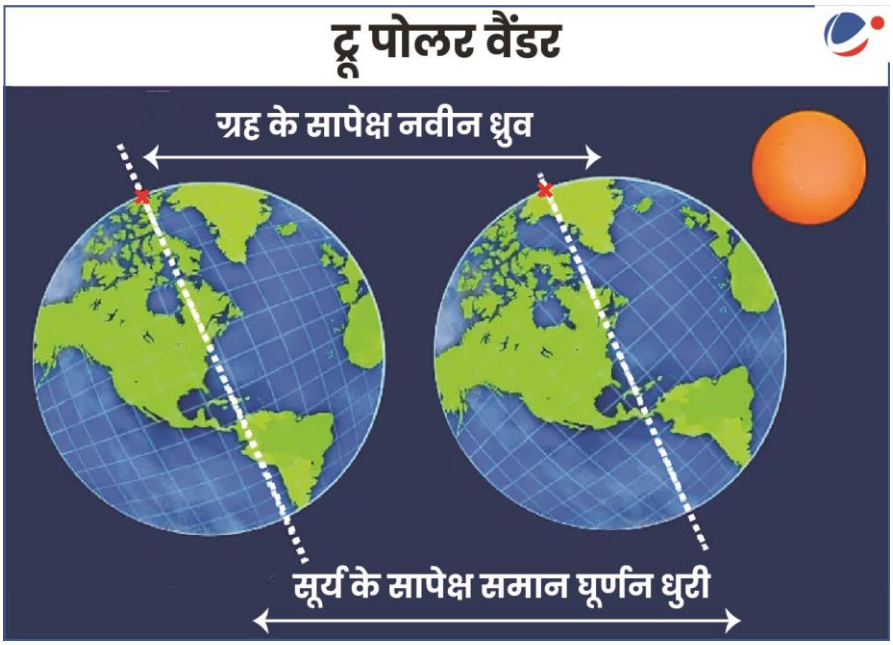


**ध्रुवों के स्थानांतरण के प्रभाव:**

- **नेविगेशन में समस्या:** ध्रुवों के खिसकने से **सैटेलाइट्स और स्पेस टेलीस्कोप** की स्थिति प्रभावित हो सकती है, क्योंकि ये **पृथ्वी के सटीक घूर्णन पर निर्भर** करते हैं।
- **दिन लंबे हो रहे हैं:** पृथ्वी पर दिन धीरे-धीरे लंबे होते जा रहे हैं, और यह प्रक्रिया तेज हो रही है।

## 5.6.14. विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट (Winter Fog Experiment: WIFEX)

**विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट (WiFEX) ने** उत्तर भारत के **घने शीतकालीन कोहरे** और **उसके प्रभाव पर 10 वर्षों का विशेष अनुसंधान** पूरा कर लिया है।

**विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट (WiFEX) के बारे में**

- यह विश्व के उन कुछ दीर्घकालिक **ओपन-फ़ील्ड एक्सपेरिमेंट्स** में शामिल है जो विशेष रूप से **कोहरे** पर किए गए हैं।
- **संस्थान:** यह शोध **भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान** के नेतृत्व में किया गया।
  - यह संस्थान भारत सरकार के **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)** के तहत कार्य करता है।
- **उद्देश्य:** बेहतर **नाउ-कास्टिंग क्षमता विकसित** करना तथा शीतकालीन कोहरे का पूर्वानुमान लगाना।
  - **नाउ-कास्टिंग के तहत अगले 6 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान** जारी किया जाता है।

## 5.6.15. करियाचल्ली द्वीप (Kariyachalli Island)

**निर्जन करियाचल्ली द्वीप** पिछले कुछ दशकों में **तीव्र अपरदन और बढ़ते समुद्री जल स्तर** के कारण काफी हद तक डूब गया है।

**करियाचल्ली द्वीप के बारे में:**

- **स्थान:** यह **तमिलनाडु में रामेश्वरम और तूतूकुड़ी के बीच मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र** में स्थित है।
- इसके संरक्षण के लिए **तमिलनाडु सस्टेनेबली हार्नेसिंग ओशन रिसोर्सेज (TNSHORE) परियोजना** चलाई जा रही है। इसके तहत इस द्वीप के आसपास **कृत्रिम संरचनाओं** के माध्यम से **प्राकृतिक चट्टानों (reefs)** को फिर से बहाल करने**, समुद्री घास के बेड लगाने और समुद्री जीवन को पुनर्जीवित** करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

## 5.6.16. चिनाब नदी (Chenab River)

वन सलाहकार समिति ने चिनाब नदी पर सावलकोट जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए **वन भूमि के उपयोग को 'सैद्धांतिक' मंजूरी** दे दी है।

- सावलकोट जलविद्युत परियोजना उन छह रणनीतिक जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है, जिनका उद्देश्य **भारत द्वारा सिंधु नदी के जल का अधिकतम उपयोग** करना है।

**चिनाब नदी के बारे में**

- **इसका उद्गम स्रोत बारा लाचा के पास** है।
  - **चंद्रा और भागा नामक दो जल धाराएं** दर्रे के पार्श्व ढलान से निकलती हैं और मिलकर आगे चिनाब नदी के रूप में बहती हैं।
- चिनाब घाटी **महान हिमालय और पीर पंजाल पर्वतमाला के मध्य मौजूद एक संरचनात्मक गर्त है।**
- इसकी **सहायक नदियों** में **मियार नाला, सोहल, थिरोट, भूत नाला, मारुसुदर और लिद्रारी** शामिल हैं।
- वैदिक काल में इसे **चंद्रभागा, अश्किनी या इस्कमती** के नाम से भी जाना जाता था।

## 5.6.17. टोकारा द्वीप (Tokara Islands)

हाल में, जापान के दक्षिणी भाग में स्थित टोकारा द्वीपसमूह में **1,000 से अधिक भूकंप** दर्ज किए गए।

- जापान **दुनिया के सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय देशों में से एक है।** यह प्रशांत महासागर के **"रिंग ऑफ फायर"** के पश्चिमी किनारे पर चार प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों के मिलन बिंदु पर स्थित है।

**टोकारा द्वीप के बारे में**

- यह जापान का एक द्वीपसमूह है, जो **क्यूशू के दक्षिण** और **अमामी द्वीपों के उत्तर** में स्थित है।
- जापान का सबसे लंबा गांव '**तोशिमा**' इसी द्वीप पर स्थित है।

## 5.6.18. बिट्रा द्वीप (Bitra Island)

**लक्षद्वीप प्रशासन** रक्षा उद्देश्यों के लिए **बिट्रा द्वीप के अधिग्रहण पर विचार** कर रहा है।

**बिट्रा द्वीप के बारे में**

- यह लक्षद्वीप का मानव बसावट वाला **सबसे छोटा द्वीप है।** इस द्वीप का क्षेत्रफल **0.105 वर्ग किलोमीटर** है।
- **अवस्थिति:** अरब सागर में अगत्ती द्वीप के पास।

- **जलवायु:** कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के तहत **'Aw' अर्थात उष्णकटिबंधीय सवाना** के रूप में वर्गीकृत।
    - **प्रतिवर्ष** औसतन 1600 मिलीमीटर वर्षा होती है।

**लक्षद्वीप के बारे में**

- यह **भारत का सबसे छोटा** केंद्र शासित प्रदेश है।
- लक्षद्वीप **अरब सागर में स्थित 36 प्रवाल द्वीपों से मिलकर** बना है। इसकी तीन मुख्य भौगोलिक विशेषताओं में **एटॉल, लैगून और रीफ** शामिल हैं।

| | | |
|---|---|---|
| QUIZ SMART QUIZ | विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। | |

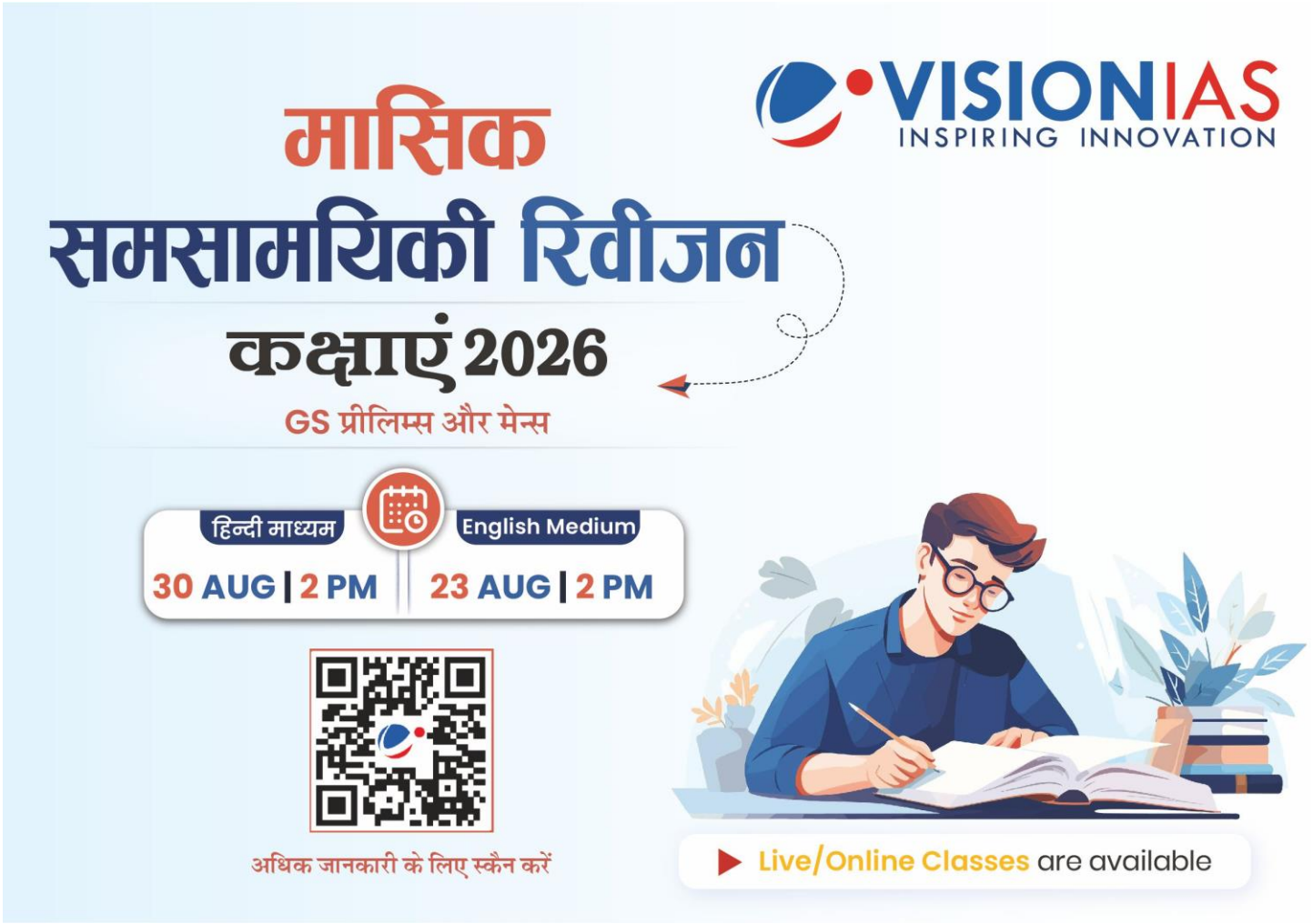

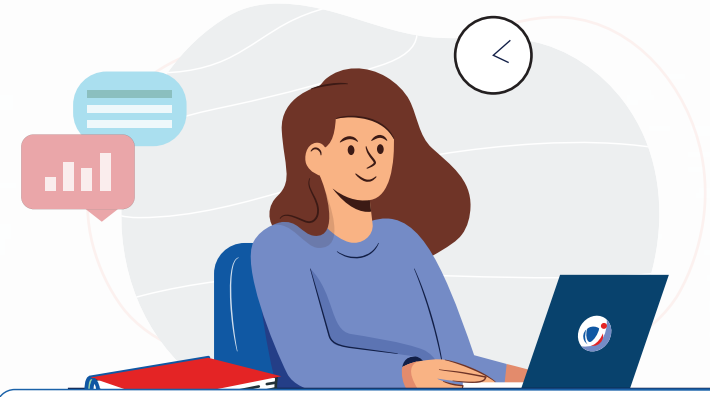

# CSAT में महारत: UPSC प्रीलिम्स के लिए एक रणनीतिक रोडमैप

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के दो पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन (GS) और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT)। ये दोनों पेपर अभ्यर्थियों के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करते हैं।

पिछले कुछ सालों में CSAT पेपर के कठिन हो जाने से इसमें 33% का क्वालीफाइंग स्कोर प्राप्त करना भी कई अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अतः इस पेपर को क्वालीफाइ करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम मैनेजमेंट के साथ–साथ CSAT में कठिनाई के बढ़ते स्तर के साथ सामंजस्य बिठाना और GS पेपर के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही, इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिस मटेरियल से भी काफी मदद मिलती है। ये सारी बातें एक सुनियोजित रणनीति के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

इंस्टैंट पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

## CSAT की तैयारी के लिए रणनीतिक रोडमैप

**शुरुआत में स्व–मूल्यांकन:** सर्वप्रथम पिछले वर्ष के CSAT के पेपर को हल करके हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इससे हमें अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान हो सकेगी और हम उसी के अनुरूप अपनी तैयारी में सुधार कर सकेंगें।

**स्टडी प्लान:** अधिकतम अंक प्राप्त कर सकने वाले टॉपिक पर फोकस करते हुए एवं विश्वसनीय अध्ययन स्रोतों का चयन कर, एक व्यवस्थित स्टडी प्लान तैयार करें।

**रेगुलर प्रैक्टिस एवं पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस:** पिछले वर्ष के पेपर एवं मॉक टेस्ट को हल करके तथा उनका विश्लेषण करके हम एग्जाम के पैटर्न एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे परिचित हो सकते हैं। इस अप्रोच से CSAT के व्यापक सिलेबस को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

**व्यक्तिगत मेंटरशिप प्राप्त करें:** CSAT की बेहतर तैयारी के लिए अपने अनुरूप रणनीति विकसित करने हेतु मेंटर से जुड़ें। इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे और साथ ही फोकस्ड एवं संतुलित तैयारी कर पाएंगे।

**रीजनिंग:** क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, डायरेक्शन, ब्लड–रिलेशन, कोडिंग–डिकोडिंग एवं सिलोगिज़्म जैसे विभिन्न प्रकार टॉपिक के प्रश्नों का अभ्यास करके अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाएं।

एग्जाम के पैटर्न को समझने एवं प्रश्नों को हल करने के लिए स्टेप–बाय–स्टेप अप्रोच को विकासित करने पर ध्यान केंद्रित करें।

**गणित एवं बेसिक न्यूमेरेसी:** बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन एवं रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए मूलभूत गणितीय अवधारणाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करें।

तेजी से कैल्कुलेशन करने के लिए शॉर्टकट और मेंटल मैथ टेक्निक का उपयोग करें।

**रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन:** नियमित रूप से अखबार पढ़कर अपनी पढ़ने की गति और समझ में सुधार करें। समझ बढ़ाने के लिए पैराग्राफ को संक्षेप में लिखने का अभ्यास करें और उसमें निहित मुख्य विचारों का पता लगाएं।


**VisionIAS के CSAT क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़कर अपनी CSAT की तैयारी को मजबूत बनाएं। इस कोर्स को अभ्यर्थियों में बेसिक कॉन्सेप्ट विकसित करने और उनकी प्रॉब्लम–सॉल्विंग क्षमताओं एवं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स की मुख्य विशेषताएं हैं– ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन और रिकॉर्ड की गई कक्षाएं, वन–टू–वन मेंटरिंग सपोर्ट और ट्यूटोरियल्स के जरिए नियमित प्रैक्टिस। यह आपको CSAT में महारत हासिल करने की राह पर ले जाएगा।**

रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

हमारे **ऑल इंडिया CSAT टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम** के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिसमें शामिल हैं:

- UPSC CSAT के सिलेबस का विस्तार से कवरेज
- वन–टू–वन मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल और इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम
- प्रत्येक टेस्ट पेपर की विस्तार से व्याख्या
- लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन टेस्ट डिस्कशन एवं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस

**VisionIAS से जुड़कर सिविल सेवाओं में शामिल होने की अपनी यात्रा शुरू करें, जहां हमारी विशेषज्ञता और सपोर्ट सिस्टम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं।**

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

# 6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

## 6.1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के 5 वर्ष {5 Years of National Education Policy: NEP}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** के **5 वर्ष** पूरे हुए।

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के बारे में**

- यह **स्वतंत्रता के बाद** देश की **तीसरी शिक्षा नीति** है। पहली दो नीतियाँ क्रमशः **1968** और **1986** में जारी की गई थीं। 1986 वाली नीति को **1992** में संशोधित किया गया था।
  - NEP, 2020 का मसौदा **कस्तूरीरंगन समिति** की सिफ़ारिशों के आधार पर तैयार किया गया था।
- **NEP के मूलभूत सिद्धांत**
  - **वैचारिक समझ पर ज़ोर:** इसमें रटने की बजाय समझ विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - **तकनीक का उपयोग:** शिक्षण और सीखने के तरीके में, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने तथा दिव्यांग छात्रों तक पहुंच बनाने के लिए तकनीक को अपनाने पर बल दिया गया है।
  - **'हल्का लेकिन मज़बूत' विनियामक फ्रेमवर्क:** सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और संसाधन दक्षता सुनिश्चित करता है।
  - **विविधता का सम्मान:** सभी पाठ्यक्रमों, शिक्षण कार्य और नीति में स्थानीय संदर्भों को शामिल किया गया है।
  - **समानता और समावेशन:** यह प्रावधान वंचित वर्गों के लिए किया गया है।
  - **अनुसंधान:** यह उत्कृष्ट शिक्षा और विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है।
  - **प्रगति की निरंतर समीक्षा:** निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर निरंतर समीक्षा करना।

**शब्दावली को जानें**

- **सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio - GER):** किसी भी शैक्षिक स्तर पर नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या, भले ही उनकी आयु कुछ भी हो।
- **आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy - FLN):** कक्षा 3 के अंत तक समझ के साथ पढ़ने और बुनियादी गणितीय गणनाएं करने की क्षमता।

**NEP 2020 के प्रमुख फोकस क्षेत्र**

| स्कूली शिक्षा | |
|---|---|
| **प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (Early Childhood Care and Education: ECCE)** | • 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए **प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक ढांचा (NCPFECCE)।** |
| **बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy: FLN)** | • **डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (DIKSHA/ दीक्षा):** यह स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है, जो **133 भारतीय भाषाओं में** डिजिटल शिक्षण सामग्री प्रदान करता है। |
| **नई शिक्षाशास्त्रीय और पाठ्यक्रम संरचना** | • **5+3+3+4 की रूपरेखा** और NCERT द्वारा तैयार किया गया **स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (NCFSE)।** |
| **बहुभाषावाद** | • कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 व उससे आगे तक **शिक्षा का माध्यम, क्षेत्रीय भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा होगी।** |
| **मूल्यांकन सुधार** | • **राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, PARAKH/ परख (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण):** यह छात्रों के आकलन एवं मूल्यांकन के लिए एक **मानक-निर्धारण निकाय** है। |

| | |
|---|---|
| **शिक्षक** | • प्रत्येक स्कूल स्तर पर **छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR)** 30:1 से कम रखना।<br>• **शिक्षक पात्रता परीक्षा (TETs)** को बेहतर बनाना।<br>• प्रत्येक शिक्षक को प्रति वर्ष कम-से-कम **50 घंटे का सतत पेशेवर विकास प्रशिक्षण** लेना होगा। |
| **मानक- निर्धारण और प्रत्यायन** | • राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) द्वारा **स्कूल गुणवत्ता आकलन और प्रत्यायन संरचना (SQAAF)[40] विकसित की जाएगी।** |
| **उच्चतर शिक्षा** | |
| **गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय और कॉलेज** | • विविध निकास विकल्पों के साथ **3 या 4 वर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम।**<br>• विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEIs) से अर्जित **शैक्षिक क्रेडिट्स को डिजिटल रूप से संग्रहीत करने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट (ABC)** की स्थापना की जाएगी, |
| **शिक्षक शिक्षा** | • शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए **SWAYAM/ DIKSHA** जैसे तकनीकी मंचों का उपयोग।<br>• **नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग:** शिक्षकों को अनुभवी पेशेवरों द्वारा गुणवत्तापूर्ण मेंटरिंग सत्रों के जरिए प्रशिक्षित किया जाता है। |
| **नियामकीय रूपांतरण** | • **भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI)** अम्ब्रेला विनियामक संस्था के रूप में कार्य करेगा, जिसके अंतर्गत **चार स्वतंत्र स्तर** होंगे। |
| **अन्य प्रमुख क्षेत्र** | • **व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति (NCIVE)।**<br>• व्यावसायिक शिक्षा।<br>• वयस्क शिक्षा और आजीवन सीखना।<br>• भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना।<br>• एक स्वायत्त निकाय, **राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF)** के माध्यम से प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण, आदि। |

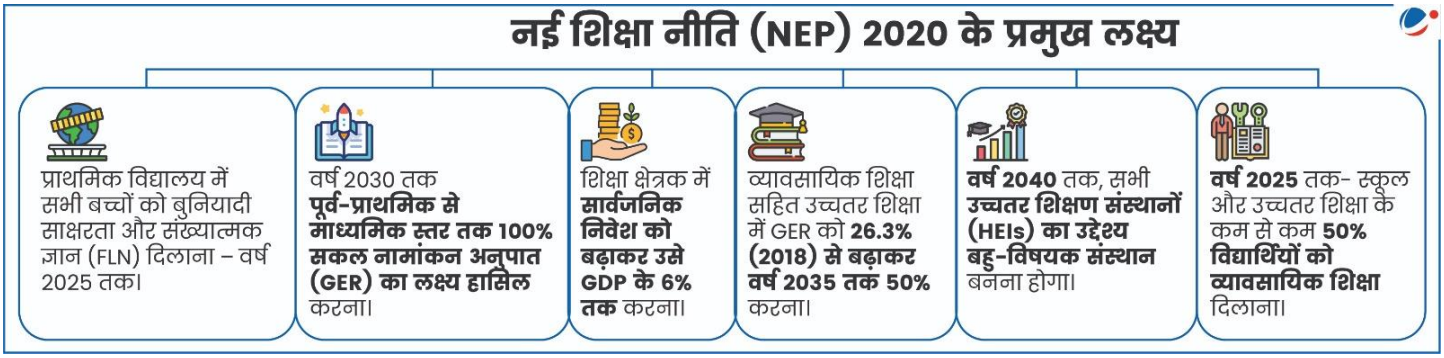


**राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख उपलब्धियां**

- **स्कूली शिक्षा (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25)**
  - प्राथमिक स्तर पर लगभग **सार्वभौमिक सकल नामांकन अनुपात (GER):** 93%
  - **स्कूल ड्रॉपआउट दर में गिरावट:** प्राथमिक स्तर पर 1.9%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.2% और माध्यमिक स्तर पर 14.1%
  - **डिजिटलीकरण:** 2019-20 से 2023-24 के बीच कंप्यूटर की उपलब्धता वाले विद्यालय 38.5% से बढ़कर 57.2% और इंटरनेट सुविधा वाले स्कूल 22.3% से बढ़कर 53.9% हो गए हैं।

[40] School Quality Assessment and Accreditation Form

- **उच्चतर शिक्षा (18-23 आयु वर्ग) (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25)**
  - **GER में वृद्धि:** 2014-15 में 23.7% से बढ़कर 2021-22 में 28.4% हो गया।
  - **कुल उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs) की संख्या में वृद्धि:** इनमें 2014-15 से 2022-23 तक 13.8% की वृद्धि हुई है।
- **ग्रामीण विद्यालय (वार्षिक शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024)**
  - **FLN निर्देश:** 15,728 ग्रामीण विद्यालयों में से 80% से अधिक को FLN निर्देश प्रदान किए जा चुके हैं।
  - **6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में कुल विद्यालय नामांकन दर:** पिछले लगभग 20 वर्षों से 95% से अधिक रही है।
  - **विद्यालय में नामांकन न करवाने वाले 15-16 वर्ष की आयु के बच्चों के अनुपात में गिरावट:** यह 2018 के 13.1% से घटकर 2024 में 7.9% हो गया है।
- **शिक्षक प्रशिक्षण: NISHTHA (शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम)** के तहत **12.97 लाख शिक्षकों** को प्रशिक्षित किया गया है।
- **नवाचार: 2023-24** में पेटेंट की संख्या **92,168** तक पहुंच गई, जिसमें उच्चतर शिक्षण संस्थानों का योगदान 25% था।
- **समावेशिता:** समावेशी आवासीय विद्यालयों में **7.58 लाख लड़कियों** का नामांकन हुआ।
- **अंतर्राष्ट्रीयकरण:** डीकिन और वोलोंगोंग विश्वविद्यालयों (ऑस्ट्रेलिया) तथा साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय (यूके) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के परिसर भारत में भी खोले गए हैं।
- **साक्षरता: लद्दाख** पहला पूर्ण साक्षर प्रशासनिक क्षेत्र बना, जिसके बाद **मिज़ोरम, गोवा और त्रिपुरा** का स्थान आता है।
- **बहुभाषावाद: CUET, JEE (Mains) और NEET (UG) जैसी राष्ट्रीय परीक्षाएं 12 भारतीय भाषाओं** में आयोजित की जा रही हैं।
- **निगरानी और मूल्यांकन: PARAKH/ परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण (दिसंबर 2024)** के तहत 74,000 विद्यालयों के 21.15 लाख छात्रों को कवर किया गया है।

**NEP 2020 को लागू करने में चुनौतियां**

- **अपर्याप्त फंडिंग:** भारत में कुल शिक्षा व्यय **GDP के 3% के आस-पास** है, जबकि **NEP का लक्ष्य इसे GDP का 6% तक** करना है।
  - **वित्त-पोषण मुख्य रूप से इनपुट-आधारित** है, जो अवसंरचना, भर्ती और सामग्री वितरण पर केंद्रित है। इस वजह से **वास्तविक शिक्षण परिणामों में सुधार नहीं** हो रहा है।
- **केंद्र-राज्य नीतिगत विभाजन:** उदाहरण के लिए- केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने **पीएम श्री (PM-SHRI)** विद्यालयों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इसके लिए NEP को पूरी तरह से अपनाने की शर्त है।
- **संस्थागत विलंब:** UGC के उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) के गठन और शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के गठन में देरी हो रही है।
- **अत्यधिक विनियमन:** विनियामक फ्रेमवर्क (UGC/AICTE) में वर्तमान में शिक्षा और अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 50 से अधिक नियम शामिल हैं।
- **प्रतिधारण दर के संबंध में चुनौतियां:** उदाहरण के लिए- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा I से XII) के मामले में प्रतिधारण दर 45.6% है।
- **अन्य मुद्दे:**
  - शिक्षकों को **तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़** रहा है, जिसमें लैपटॉप को स्मार्ट बोर्ड से जोड़ने में कठिनाई आदि शामिल हैं।
  - तमिलनाडु जैसे राज्यों ने **त्रि-भाषा फार्मूला** को थोपने का विरोध किया गया है।
  - प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में **प्रभावी शिक्षण अवधि की कमी** (प्रति दिन केवल 35 मिनट)।
  - **चार-वर्षीय स्नातक डिग्री** को लागू करने में अवसंरचना और फैकल्टी की कमी के कारण चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं।

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत शुरू की गई प्रमुख सरकारी योजनाएं/ पहलें**

- **पीएम श्री/ PM SHRI (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया):** इसका लक्ष्य 2022-2027 तक **14,500 से अधिक स्कूलों का कायाकल्प** करना है।
- **बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता हेतु राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत/ NIPUN Bharat):** इसका उद्देश्य 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (FLN) सुनिश्चित करना है।

- **वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS):** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है, जो एक ही मंच पर **विद्वत्तापूर्ण शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देशव्यापी पहुंच** प्रदान करती है।
- **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) के लिए पहल:** भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए पीएम ई-विद्या DTH चैनल; प्रशस्त (PRASHAST) नामक दिव्यांगता स्क्रीनिंग व्यवस्था आदि।
- **प्रेरणा (PRERNA):** यह **कक्षा 9 से 12 तक** के चयनित छात्रों के लिए एक आवासीय कार्यक्रम है, जो अनुभवात्मक शिक्षा पर केंद्रित है।
- **उल्लास/ ULLAS या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (NILP):** यह 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को सशक्त बनाने के लिए एक केंद्र प्रायोजित पहल है, जो औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए थे।
- **विद्यांजलि:** यह एक स्वयंसेवी आधारित स्कूली कार्यक्रम है, जो सामुदायिक सहभागिता और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
- **राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र (RVSK):** यह **साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने** के लिए स्कूली शिक्षा के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) पर **रियल टाइम आधारित डेटा** प्रदान करता है।

**NEP 2020 को लागू करने संबंधी सुधारों के लिए आगे की राह**

- **परिणाम-आधारित वित्त-पोषण (OBF):** वित्त-पोषण के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें **भुगतान पूर्व-परिभाषित व सत्यापित परिणामों की उपलब्धि के आधार पर दिया जाता हो, न कि इनपुट या गतिविधियों के आधार पर।**
- **बेहतर समन्वय:** प्रगति की **निगरानी** के लिए एक **साझा फ्रेमवर्क** विकसित करने **और स्थानीय संदर्भों के अनुकूल** सुधारों की आवश्यकता है।
- **प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षण इकोसिस्टम:** निरंतर निगरानी के साथ लागू करने पर यह जुड़ाव और प्रतिधारण दर में सुधार कर सकता है।
  - जैसे- शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए AI का लाभ उठाना और छात्रों के लिए AI-संचालित व्यक्तिगत ट्यूटर प्रदान करना।
- **संरचित पीयर लर्निंग को एकीकृत करना:** उदाहरण के लिए- **मिशन अंकुर** (मध्य प्रदेश और गुजरात) के तहत स्कूलों एवं समुदायों की भागीदारी से प्राथमिक छात्रों के समग्र विकास व FLN कौशल की उपलब्धि सुनिश्चित की जाती है।
- **क्षमता निर्माण:** फैकल्टी विकास कार्यक्रमों में निवेश करना, शिक्षकों के लिए एक सहायता प्रणाली का निर्माण करना और संस्थागत नेतृत्व को मज़बूत बनाना।
- **विकेंद्रीकरण और लचीलापन: संस्थानों** को अपने **विशिष्ट संदर्भ के अनुकूल** NEP को अपनाने के लिए **लचीलापन प्रदान** करना, नवाचार एवं स्वामित्व को बढ़ावा देना आदि।

**निष्कर्ष**

अपने कार्यान्वयन के पांच साल बाद, **NEP 2020** ने समावेशिता, गुणवत्ता और प्रासंगिकता पर ध्यान केंद्रित करके भारत के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए एक मजबूत नींव रखी है। हालांकि नामांकन, डिजिटल पहुंच और शिक्षक विकास में प्रगति सराहनीय है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता को साकार करने के लिए वित्त-पोषण में वृद्धि, बेहतर गवर्नेंस व अवसंरचना और नीतिगत बाधाओं को दूर करना महत्वपूर्ण है।

## 6.2. छात्रों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं (Rising Suicides Among Students)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

छात्रों द्वारा आत्महत्या करने की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने **सुकदेब साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य** वाद में कॉलेजों और कोचिंग सेटर्स में **छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा** के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।

**छात्रों के बीच बढ़ता मानसिक स्वास्थ्य संकट**

- **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** ने अपनी **"भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएं" (2022)** रिपोर्ट में पाया कि आत्महत्या के कुल मामलों में से **7.6% छात्रों से संबंधित** हैं।
- 2012 से 2022 के बीच **पुरुष छात्रों के आत्महत्या के मामलों में 99%** और **छात्राओं के आत्महत्या के मामलों में 92% की वृद्धि** हुई है।

## सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्णय

**अमित कुमार बनाम भारत संघ (2025):** विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए एक **राष्ट्रीय कार्य बल** का गठन किया गया।

**शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014) और नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018):** यह माना गया कि मानसिक स्वास्थ्य संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत "प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण" के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।

**छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संकट में योगदान देने वाले कारक**

- **शैक्षणिक दबाव:** सफलता की संकीर्ण परिभाषा, शैक्षणिक असंतोष, शैक्षणिक तनाव और खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के मामले में असफलता।
- **प्रणालीगत मुद्दे:** शैक्षिक परिवेश में **भेदभाव और उत्पीड़न,** जैसे रैगिंग, धमकाना, यौन उत्पीड़न, आदि जो अपनेपन एवं विश्वास की भावना को कमजोर करते हैं।
- **मौन की संस्कृति:** मानसिक स्वास्थ्य पर खुली चर्चा का अभाव और सामाजिक कलंक मानने के साथ-साथ अपर्याप्त सुरक्षा उपाय एक सामाजिक बाधा के रूप में कार्य करते हैं।
- **विधायी और विनियामक शून्यता:** छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए एक एकीकृत व लागू करने योग्य फ्रेमवर्क का अभाव है। यह कमी सामाजिक सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अधिकार-आधारित दृष्टिकोण में बाधा डालती है।
- **पारिवारिक मुद्दे:** उदाहरण के लिए- पारिवारिक संघर्ष और अस्थिरता (जैसे- तलाक, अलगाव, वित्तीय समस्याएं आदि), माता-पिता द्वारा उपेक्षा, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना, अवसाद या अन्य मानसिक बीमारियों का इतिहास, बचपन के प्रतिकूल अनुभव, सोशल मीडिया की लत, आदि।
- **अन्य:** आत्म-सम्मान की भावना में कमी; सामाजिक अलगाव; सामाजिक-आर्थिक भेदभाव (जाति-आधारित व लिंग-आधारित), आदि।

**छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए उठाए गए कदम**

- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017:** यह एक अधिकार-आधारित कानून है, जो **प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा तक पहुंच के अधिकार** को मान्यता देता है।
  - इसकी **धारा 18** सभी को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की गारंटी देती है। अधिनियम की **धारा 115** आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर करती है। इस धारा में आत्महत्या के प्रयास को सजा की बजाय देखभाल और सहयोग की आवश्यकता से देखने की बात कही गई है।
- **राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (2022):** इसका उद्देश्य **2030 तक आत्महत्या के कारण होने वाली मृत्यु दर को 10% तक कम** करना है।
- **राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (Tele MANAS/ टेली मानस):** यह एक **केंद्रीकृत टोल-फ्री हेल्पलाइन** नंबर है। इसका उद्देश्य **सभी को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच** प्रदान करना है।
- **मनोदर्पण पहल:** इसकी शुरुआत **शिक्षा मंत्रालय** ने की है। इसका उद्देश्य कोविड-19 जैसी स्थितियों के दौरान और उसके बाद छात्रों एवं शिक्षकों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की निगरानी करना व उन्हें दूर करना है।
- **सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य, लचीलापन और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत एप्रोच:** इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम** के तहत शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य **संकाय (फैकल्टी)** को छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और शीघ्र हस्तक्षेप करने के लिए सशक्त बनाना है।
- **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को कोचिंग सेंटर्स के विनियमन के लिए दिशा-निर्देश:** इन्हें **शिक्षा मंत्रालय** ने जारी किया है। इनमें कोचिंग सेंटर्स में परामर्शदाताओं द्वारा काउंसलिंग को प्राथमिकता देना; बैचों में कोई अलगाव न रखना; रिकॉर्ड का रखरखाव करना आदि पक्ष शामिल हैं।

**आगे की राह: सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी प्रमुख दिशा-निर्देश**

- **एक समान मानसिक स्वास्थ्य नीति:** यह नीति सभी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अपनाई और लागू की जाएगी। इसकी वार्षिक समीक्षा करने के साथ-साथ इसे लगातार अपडेट भी किया जाएगा। साथ ही, इसे सभी के लिए सुलभ बनाया जाएगा।
- **योग्य परामर्शदाताओं/ मनोवैज्ञानिकों/ सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति:** 100 या इससे अधिक नामांकित छात्रों वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में कम-से-कम एक परामर्शदाता की नियुक्ति का अनिवार्य प्रावधान किया जाएगा।
- **अनिवार्य प्रशिक्षण:** सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए साल में कम-से-कम दो बार प्रमाणित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा, चेतावनी संकेतों की पहचान आदि पर आधारित प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।
- **शिकायत निवारण तंत्र:** सभी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा एक मजबूत, गोपनीय और सुलभ शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा।

- **माता-पिता और अभिभावकों को संवेदनशील बनाना: अनावश्यक शैक्षणिक दबाव डालने** से बचने; **मनोवैज्ञानिक संकट के संकेतों को पहचानने** तथा **समानुभूतिपूर्वक और सहायक रूप से प्रतिक्रिया** देने के लिए माता-पिता एवं अभिभावकों को संवेदनशील बनाना चाहिए।
- **पाठ्येतर गतिविधियां:** खेल, कला और व्यक्तित्व विकास पहलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **कोचिंग संस्थान और हब:** इन्हें **उच्च मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा और निवारक उपायों** को लागू करना चाहिए। साथ ही, छात्रों और माता-पिता/अभिभावकों के लिए नियमित व संरचित करियर परामर्श सेवाएं प्रदान करनी होगी।
- **आवासीय शैक्षणिक संस्थान:** यह सुनिश्चित करने के लिए **सक्रिय कदम उठाए जाएं** कि परिसर उत्पीड़न, दबंगई, नशीली दवाओं और अन्य हानिकारक पदार्थों से मुक्त रहें।

**निष्कर्ष**

छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक **समग्र दृष्टिकोण** अपनाने की आवश्यकता है। इसमें **सहपाठियों की मदद, प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए पर्याप्त फंडिंग, ज़िम्मेदार मीडिया प्रथाओं और मजबूत संस्थागत जवाबदेही** शामिल होनी चाहिए। शुरुआती पहचान, समय पर हस्तक्षेप और सभी छात्रों के लिए सुलभ देखभाल सुनिश्चित करने हेतु जमीनी स्तर पर निगरानी, कलंक मानने की प्रवृत्ति को कम करना, सुरक्षित डिजिटल जुड़ाव और शैक्षिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को समेकित करना आवश्यक है।

भारत में आत्महत्याओं के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए
वीकली फोकस #110
आत्महत्याएं: भारत में एक उभरती सामाजिक समस्या

## 6.3. सामाजिक विलगाव (Social Isolation)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने **'अकेलेपन से सामाजिक जुड़ाव तक: स्वस्थ समाजों के लिए मार्ग तैयार करना'**[41] नामक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट **स्वास्थ्य, कल्याण और समाज पर सामाजिक विलगाव एवं अकेलेपन के प्रभाव** पर प्रकाश डालती है।

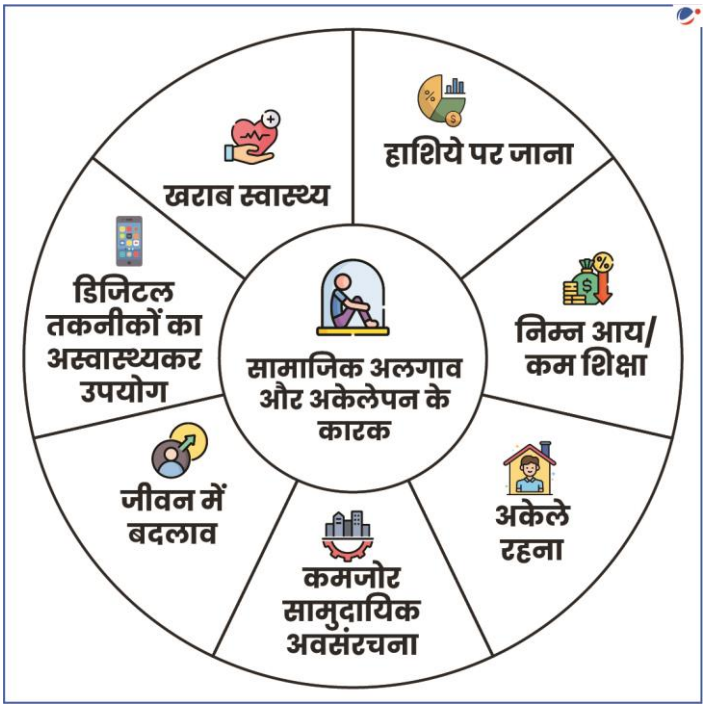


**सामाजिक जुड़ाव और विलगाव क्या है?**

- **सामाजिक जुड़ाव उन कई तरीकों के बारे में** है, जिनसे हम **दूसरों से जुड़ते हैं और उनके साथ अंतर्क्रिया** करते हैं। इसमें **परिवार, दोस्त, सहपाठी, सहकर्मी, पड़ोसी** आदि शामिल होते हैं।
- **सामाजिक विलगाव:** यह तब होता है, जब किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त सामाजिक संपर्क नहीं होता, या उसे अपने रिश्तों से सहयोग और समर्थन नहीं मिलता, या उसके रिश्ते तनावपूर्ण या नकारात्मक होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं:
  - **अकेलापन (Loneliness):** यह तब महसूस होता है, जब किसी व्यक्ति की अपेक्षित और वास्तविक जुड़ाव की स्थिति में अंतर होता है।
  - **सामाजिक अलगाव (Social Isolation):** जब किसी व्यक्ति के बहुत कम मित्र, रिश्तेदार या जान-पहचान के लोग होते हैं, या वह दूसरों से बहुत कम मिलता-जुलता है, तो इसे सामाजिक अलगाव कहा जाता है।

41 From Loneliness to Social Connection: Charting a Path To Healthier Societies

**रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**

- **सामाजिक विलगाव की व्यापकता:** 2014-2023 तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग **प्रत्येक 6 में से 1 व्यक्ति अकेलापन** महसूस करता है। इनमें **युवा (13-29 वर्ष)** सबसे अधिक अकेलापन महसूस करते हैं।
  - 1990-2022 तक के आंकड़ों के अनुसार **प्रत्येक 3 में से 1 वृद्ध वयस्क** तथा 2003-2018 तक के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक **4 में से 1 किशोर** सामाजिक रूप से विलगाव की स्थिति में है।
- **असमानताएं: निम्न आय वाले देशों** में लगभग **24% लोग अकेलापन** महसूस करते हैं, जबकि **अमीर देशों** में यह आंकड़ा **11%** है।
- **सामाजिक विलगाव के प्रभाव:**
  - **शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:** वैश्विक स्तर पर 2014-2019 के दौरान लगभग **871,000 मौतें** अकेलेपन से संबंधित थी।
  - **मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:** इसमें अवसाद, एंजायटी, डिमेंशिया आदि शामिल हैं।
  - **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:** इसमें खराब शैक्षणिक प्रदर्शन और उत्पादकता की हानि शामिल हैं।

**सामाजिक जुड़ाव को सुधारने हेतु रोडमैप**

- **नीति:** सामाजिक जुड़ाव या संपर्क को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। ऐसा कदम **डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी समेत 8 देशों** ने उठाया है।
- **अनुसंधान:** वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान क्षमता का निर्माण करना चाहिए तथा सामाजिक संपर्क में ग्रैंड चैलेंजेस को शुरू करना चाहिए।
- **हस्तक्षेप: इंटरवेंशन एक्सलेरेटर** शुरू किया जाना चाहिए, जो लोगों को जोड़ने वाले नए तरीकों को तेजी से लागू कर सके। साथ ही, सामुदायिक अवसंरचना (जैसे पार्क, सामुदायिक केंद्र आदि) और सेवाओं को मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि लोग आपस में मिलजुल सकें।
- **बेहतर मापन:** यह जानने के लिए कि समाज आपस में कितना जुड़ा हुआ है, एक वैश्विक सामाजिक जुड़ाव सूचकांक (Social Connection Index) तैयार किया जाना चाहिए।
- **जन सहभागिता:** व्यापक जन जागरूकता अभियान, आयोजन, समूह गतिविधियां और सोशल प्रिस्क्रिप्शन (डॉक्टरों द्वारा सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने का सुझाव) को बढ़ावा देना चाहिए।

## 6.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

### 6.4.1. सामाजिक संगठनों की भूमिका (Role of Social Organisations)

लोक सभा अध्यक्ष ने देश और समाज के विकास में सामाजिक संगठनों की भूमिका पर जोर दिया।

- **सामाजिक संगठन** का अर्थ है कि समाज में लोग और समूह किस तरह से एक-दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और कैसे आपस में एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये संगठन **औपचारिक** (जैसे धार्मिक संस्थाएं, शैक्षिक संगठन, श्रमिक संघ आदि) या **अनौपचारिक** (जैसे परिवार, मित्र, सहकर्मी समूह आदि) हो सकते हैं।

| सामाजिक संस्थाएं | राष्ट्र निर्माण में भूमिका |
|---|---|
| परिवार | यह **सामाजिक मानदंडों एवं मूल्यों और अच्छे नैतिक व्यवहारों को सिखाने वाली ऐसी प्राथमिक पाठशाला है,** जो अधिक सामंजस्यपूर्ण व समावेशी समाज बनाने में मदद करती है। |
| धार्मिक संस्था | यह **नैतिक रूपरेखा** प्रदान करती है और करुणा, क्षमा एवं दान जैसे मूल्यों को मजबूत करती है। साथ ही, **सामाजिक व्यवस्था और सामुदायिक सामंजस्य** को बढ़ावा देती हैं; **धर्मार्थ व कल्याणकारी कार्यों से गरीबी को कम** करने में मदद मिल सकती है आदि। |
| शैक्षिक संस्था | यह **ज्ञान एवं कौशल सीखाने,** और कड़ी मेहनत, अनुशासन, टीम वर्क व मूल्यों को बढ़ावा देने, व्यक्तियों को विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने आदि में मदद करती है। |
| गैर-सरकारी संगठन | **नीतियों को दिशा देना और प्रभाव डालना:** उदाहरण के लिए- RTI अधिनियम को प्रभावित करने में मजदूर किसान शक्ति संगठन (NGO) की भूमिका रही है।<br>**जागरूकता एवं क्षमता निर्माण:** जैसे- लैंगिक मुद्दों में सेवा/ SEWA (ट्रेड यूनियन) की भूमिका।<br>**बेहतर सेवा वितरण:** उदाहरण- शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम NGO की भूमिका।<br>**लोकतंत्र को मजबूत करना:** जैसे- राजनीति को अपराध मुक्त करने के प्रयास में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की भूमिका। |

इस प्रकार, प्रत्येक सामाजिक संस्था व्यक्तियों के जीवन के साथ-साथ समुदायों के सामूहिक ताने-बाने को भी आकार देने में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा मानव समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देती है। इन संस्थाओं के महत्त्व को पहचानना और समझना, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनने के लिए तथा संधारणीय, समावेशी व अनुकूलनशील समाजों के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

## 6.4.2. बाल दत्तक ग्रहण (Child Adoption)

CARA ने बाल दत्तक ग्रहण के सभी चरणों में परामर्श सहायता को मजबूत करने के लिए राज्यों को निर्देश जारी किए।

- ये निर्देश **किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) तथा दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के तहत राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों (SARAs)** के लिए जारी किए गए हैं।

**SARAs को दिए गए मुख्य निर्देश:**

- **सभी प्रमुख हितधारकों** जैसे- संभावित दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता, दत्तक ग्रहण किए गए बच्चे और जैविक माता-पिता के लिए **मनोसामाजिक सहायता ढांचे को मजबूत** किया जाए।
- SARAs को जिलों और राज्य स्तर पर **योग्य परामर्शदाताओं को नामित/ पैनल में शामिल** करना होगा।
- यदि **विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियां (SAAs) या जिला बाल संरक्षण इकाइयां (DCPUs)** किसी अन्य स्थिति में भी परामर्श की आवश्यकता महसूस करें, तो **मनोसामाजिक हस्तक्षेप** की व्यवस्था की जाए।

**भारत में बाल दत्तक ग्रहण**

- **नोडल मंत्रालय:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
- **प्राथमिक कानून:** भारत में दत्तक ग्रहण मुख्य रूप से **हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000** द्वारा नियंत्रित होता है।
- **नोडल केंद्रीय एजेंसी: केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)** घरेलू और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करता है। CARA को **किशोर न्याय अधिनियम** के तहत स्थापित किया गया है।
- **बच्चों के संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में सहयोग पर हेग कन्वेंशन (1993):** यह **अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण** की प्रक्रिया को **नैतिक, कानूनी और पारदर्शी** बनाता है। साथ ही, **बाल तस्करी को रोकने** में भी मदद करता है।
- **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी:** राज्य और केंद्र शासित प्रदेश **किशोर न्याय अधिनियम** को निम्नलिखित संस्थानों के माध्यम से लागू करते हैं:
  - **राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियां (SARA);**
  - **स्थानीय बाल कल्याण समितियां; तथा**
  - **जिला बाल संरक्षण इकाइयां (DCPUs)**

## 6.4.3. "नशा मुक्त भारत के लिए युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन" में काशी घोषणा-पत्र पारित हुआ (Kashi Declaration Adopted in Youth Spiritual Summit for Drug-Free India)

**युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन ने राष्ट्रीय युवा-नेतृत्व वाले नशा-विरोधी अभियान** की नींव रखी है। यह शिखर सम्मेलन व्यापक **'मेरा युवा (MY) भारत फ्रेमवर्क' का हिस्सा है।**

- मेरा युवा (MY) भारत, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक **स्वायत्त निकाय** है। इसका उद्देश्य **युवा विकास और युवा-नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक संस्थागत तंत्र** प्रदान करना है।

**काशी घोषणा-पत्र के बारे में**

- इसमें **नशामुक्ति आंदोलन के लिए 5 साल का रोडमैप** निर्धारित किया गया है।
- इसमें मादक पदार्थों के सेवन को **केवल एक व्यक्तिगत समस्या के रूप में ही नहीं बल्कि एक बहु-आयामी लोक स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौती** के रूप मानने पर राष्ट्रीय सहमति बनी है।
- **अपनाए जाने वाला दृष्टिकोण:**
  - यह **बहु-मंत्रालयी समन्वय के लिए एक संस्थागत तंत्र** का प्रस्ताव करता है। इस तंत्र में एक संयुक्त राष्ट्रीय समिति का गठन, वार्षिक प्रगति की रिपोर्टिंग तथा प्रभावित व्यक्तियों को सहायता सेवाओं से जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय मंच शामिल है।
  - नशे से बचाव के लिए **आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और प्रौद्योगिकी प्रयासों** का एकीकरण किया जाएगा।

**नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए उठाए गए अन्य कदम**

- नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985;
- नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अवैध व्यापार रोकथाम अधिनियम, 1988;
- नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन (NAPDDR), 2018-25;
- नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA), 2020 आदि।

**भारत में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की स्थिति** (मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण, 2019 के अनुसार)

- **शराब के उपयोग की व्यापकता: वर्तमान में 10 से 75 वर्ष** की आयु के बीच **14.6% लोग** शराब का सेवन करते हैं।
- **कैनबिस और ओपिओइड** (जैसे- हेरोइन) भारत में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला प्रचलित हो रहा मादक पदार्थ है।

## 6.4.4. तलाश पहल (Talash Initiative)

**नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS)** ने यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर **तलाश (TALASH)** पहल शुरू की है। **NESTS** केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

- तलाश (TALASH) से आशय है; **ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ-एस्टीम हब।**

**तलाश (TALASH) पहल के बारे में**

- यह एक **राष्ट्रीय कार्यक्रम** है। इसका उद्देश्य **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS)** में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास (शैक्षणिक एवं व्यक्तित्व विकास दोनों) को समर्थन देना है।
  - **EMRS केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है। इसके तहत उन ब्लॉकों में **जनजातीय विद्यार्थियों को आवासीय शिक्षा** की सुविधा प्रदान की जाती है जहाँ **अनुसूचित जनजातियों (ST) की आबादी 50% से अधिक** होती है।
- यह एक इनोवेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है:
  - **साइकोमेट्रिक मूल्यांकन**: यह **NCERT की 'तमन्ना' पहल से प्रेरित** है।
  - **कैरियर परामर्श,**
  - **जीवन कौशल और आत्म-सम्मान मॉड्यूल,**
  - **शिक्षकों के लिए ई-लर्निंग।**

## 6.4.5. विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (SOFI, 2025) रिपोर्ट जारी की गई {State of Food Security and Nutrition in The World (SOFI) 2025 Report Released}

**रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**

- **वैश्विक भुखमरी** 2022 के स्तर से घटकर 2024 में अनुमानित **8.2%** रह गई।
  - हालांकि, **अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के अधिकांश उप-क्षेत्रों में भुखमरी बढ़ती** जा रही है।
- वर्ष 2021 से **मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा में कमी** आई है।
- **2023 और 2024 के दौरान खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ीं** हैं। इससे वैश्विक स्तर पर स्वस्थ आहार की औसत लागत बढ़ गई है।
  - **महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध** ने दुनिया भर में **खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति को बढ़ा** दिया है।
  - **इस वृद्धि के बावजूद,** विश्व में स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने में असमर्थ लोगों की संख्या 2019 के 2.76 बिलियन से घटकर 2024 में 2.60 बिलियन हो गई।
- **15-49 वर्ष** की आयु वर्ग की **महिलाओं में एनीमिया** और **वयस्क लोगों में मोटापा** वैश्विक स्तर पर **बढ़** रहा है। वर्ष 2012 में 12.1% तथा 2022 में 15.8% लोग मोटापे से ग्रसित थे।

**भारत से संबंधित निष्कर्ष**

- **भारत को छोड़कर, अन्य निम्न-मध्यम आय वाले देशों में स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने में असमर्थ लोगों** की संख्या में **वृद्धि** देखी जा रही है।
- **केरल** में मछुआरों और थोक विक्रेताओं द्वारा **मोबाइल फोन के उपयोग से मूल्य असमानता एवं अपव्यय में कमी** आई है।

**मुख्य सिफारिशें**

- **समयबद्ध और लक्षित राजकोषीय उपाय** किए जाने चाहिए, जैसे- आवश्यक वस्तुओं पर अस्थायी कर राहत एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम।
- बाजारों को स्थिर करने के लिए **राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को अनुरूप** बनाया जाना चाहिए।
- मूल्य अस्थिरता को प्रबंधित करने और सट्टेबाजी को रोकने के लिए **मजबूत कृषि बाजार सूचना प्रणालियां** महत्वपूर्ण हैं।

| | | |
|---|---|---|
| QUIZ SMART QUIZ | विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। | |

# 7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

## 7.1. नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) उपग्रह {NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) Satellite}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, निसार उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।

**निसार उपग्रह के बारे में**

- यह एक ग्लोबल माइक्रोवेव इमेजिंग मिशन है, जो L और S-बैंड पर कार्य करता है। यह पूरी तरह से पोलरिमेट्रिक और इंटरफेरोमेट्रिक डेटा प्राप्त करने की क्षमता रखता है।

- **ISRO और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने मिलकर इसे विकसित** किया है।
  - इसमें नासा ने L-बैंड रडार, GPS रिसीवर, हाई-रेट टेलीकॉम सिस्टम, सॉलिड-स्टेट रिकॉर्डर और 12-मीटर डिप्लॉयबल एंटीना प्रदान किया है।
  - इसरो ने इसमें ने S-बैंड रडार, स्पेसक्राफ्ट बस, GSLV-F16 प्रक्षेपण यान और संबंधित प्रणालियाँ एवं सेवाएं प्रदान की हैं।
  - इसमें कुल निवेश के संदर्भ में, नासा ने लगभग 1.16 बिलियन डॉलर और इसरो ने लगभग 90 मिलियन डॉलर का योगदान किया है।
- **वजन:** 2,392 किलोग्राम।
- **प्रक्षेपण यान:** ISRO का भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (GSLV)-F16
- **कक्षा (Orbit): सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा**[42]
  - यह पहली बार है, जब **GSLV रॉकेट को 743 किलोमीटर की सूर्य तुल्यकालिक कक्षा (SSO) में उपग्रह स्थापित करने के लिए उपयोग** किया गया है।
  - सामान्यतः GSLV का उपयोग जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (कक्षा) में उपग्रह स्थापित करने के लिए किया जाता है। यह कक्षा पृथ्वी से 35,786 कि.मी. ऊपर है।
  - **सूर्य तुल्यकालिक कक्षा (SSO):** सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है। इस कक्षा में स्थापित उपग्रह ध्रुवीय क्षेत्रों से गमन करते हुए, सूर्य के साथ समकालिक होता है। इसका अर्थ यह है कि उपग्रह हमेशा सूर्य के सापेक्ष एक ही स्थिति में दिखाई देते हैं।
- **मिशन की अवधि:** 5 साल

**तकनीकी विशेषताएं**

- **स्वेप्ट सिंथेटिक एपर्चर रडार (SweepSAR):** यह एक रडार इमेजिंग तकनीक है, जो विस्तृत एवं विविध भू-भाग की हाई-रिज़ॉल्यूशन वाली इमेज लेने के लिए उपयोग की जाती है।

[42] Sun Synchronous Polar Orbit

- **रिपीट साइकल:** निसार मिशन हर 12 दिन में हाई-रिज़ॉल्यूशन डेटा प्रदान करेगा, जिससे भूमि पर होने वाले परिवर्तन की निगरानी की जा सकेगी।
- **ड्यूल-बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR):**
  - **L-बैंड SAR:** यह 24 सेंटीमीटर वेवलेंथ पर काम करता है और वन के वितान, बर्फ, और मिट्टी को भेदने में सक्षम है। यह बायोमास और विकृति अध्ययन के लिए उपयोगी है।
  - **S-बैंड SAR:** यह 12 सेंटीमीटर वेवलेंथ पर काम करता है और वन के वितान की ऊँचाई और बर्फ के पिघलने जैसे परिवर्तनों को मापने में उत्कृष्ट है।
  - यह दुनिया का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह[43] है, जिसमें एक ही प्लेटफार्म पर L-बैंड और S-बैंड SAR को एकीकृत किया गया है।
- **एंटीना और रिज़ॉल्यूशन:** इस उपग्रह में 12 मीटर व्यास वाला एक रिफ्लेक्टर एंटीना है। इसे उपग्रह प्रक्षेपण से पहले **फोल्ड** किया जाता है ताकि इसे प्रक्षेपण के दौरान कम जगह में समायोजित किया जा सके। जब यह उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचता है, तो यह खुलकर अपना पूरा आकार ले लेता है।
  - यह एंटीना प्रणाली ऐसी इमेज प्रदान करने में सक्षम है, जिनका **रिजॉल्यूशन** पृथ्वी पर मौजूद 20 किमी व्यास वाले **एंटीना** के बराबर होगा।
- **ओपन-डेटा नीति:** इस उपग्रह द्वारा एकत्रित जानकारी वैज्ञानिक समुदाय के लिए नि:शुल्क उपलब्ध होगी, जिससे विकासशील देशों को लाभ होगा।

**SAR के बारे में**

- **SAR सक्रिय डेटा संग्रह (Active Data Collection)** का एक प्रकार है, जिसमें यंत्र (Instrument) ऊर्जा का एक पल्स (Pulse) भेजता है और फिर उस ऊर्जा की मात्रा को दर्ज करता है, जो पृथ्वी से टकराने के बाद परावर्तित (Reflected) होती है।
- **ऑप्टिकल इमेजरी** एक ऐसी तकनीक है, जो सूर्य या किसी स्रोत से उत्सर्जित ऊर्जा को कैमरे से कैद करती है। यह एक पैसिव तरीका है। वहीं, **SAR यानी सिंथेटिक एपर्चर रडार** एक एक्टिव तकनीक है, जिसमें खुद उपग्रह से ऊर्जा की किरणें पृथ्वी पर भेजी जाती हैं और पृथ्वी की सतह से टकराकर लौटने वाली तरंगों के आधार पर एक इमेज बनाई जाती है। इससे पहाड़, वन, समुद्री बर्फ और मृदा में नमी की दशाओं जैसी चीजें आसानी से देखी जा सकती हैं।

**यह "सिंथेटिक" क्यों है?**

- किसी निर्धारित तरंग दैर्ध्य के लिए जितना लंबा रडार का एंटीना होगा, स्थानिक रेजोल्यूशन भी **उतना ही अधिक** होगा।
- अगर हमें 10 मीटर का स्थानिक रेजोल्यूशन चाहिए, तो हमें लगभग 4,250 मीटर लंबे एंटीने की आवश्यकता होगी, जो संभव नहीं है।
  - इसलिए वैज्ञानिकों ने SAR तकनीक विकसित की है।
  - इसमें छोटा एंटीना कई अलग-अलग जगहों से डेटा एकत्रित करता है और कंप्यूटर इन सबको ऐसे जोड़ता है कि मानो एक बहुत बड़ा एंटीना इस्तेमाल हुआ हो। इसी वजह से इसे "सिंथेटिक" कहा जाता है, यानी कृत्रिम रूप से बनाया गया बड़ा एंटीना।

**निष्कर्ष**

NISAR एक शक्तिशाली टूल है जो संधारणीय विकास, आपदा से निपटने की तैयारी और क्लाइमेट रेजिलिएंट के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के लिए, यह पृथ्वी अवलोकन क्षमता में एक बड़ी उपलब्धि है, जो बेहतर योजना, नीति निर्माण और विकासात्मक लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करती है।

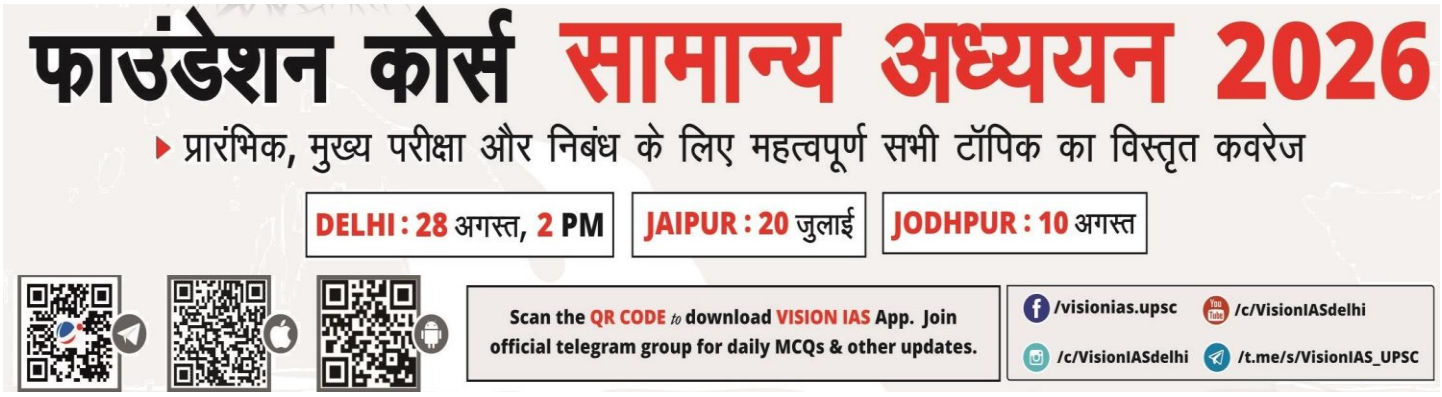


[43] Earth observation satellite

## 7.2. ब्लैक होल विलय (Black Hole Merger)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, गुरुत्वाकर्षण तरंग या गुरुत्वीय तरंग (Gravitational wave) वेधशालाओं के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क ने **दो बेहद विशाल ब्लैक होल्स के विलय का पता लगाया है।**

**अन्य संबंधित तथ्य:**

- इन दो ब्लैक होल्स के विलय से एक ऐसा ब्लैक होल बना है, जिसका आकार सूर्य के आकार की तुलना में 225 गुना अधिक है। **ये दोनों ब्लैक होल्स आकर में सूर्य से क्रमशः 140 गुना और 100 बड़े हैं।**
  - यह घटना असल में **कई अरब साल पहले घटी** थी।
  - यह अब तक अवलोकन किए गए ब्लैक होल विलय की सबसे बड़ी घटना है।
- इस विलय का पता **LVK वेधशाला नेटवर्क** ने लगाया है। LVK नेटवर्क में **संयुक्त राज्य अमेरिका में LIGO डिटेक्टर, इटली में VIRGO और जापान में KAGRA** शामिल हैं।
- इस नवीनतम खोज को **GW231123** नाम दिया गया है, जो इस गुरुत्वाकर्षण तरंग को दिया गया नाम है।

**ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन नेटवर्क**

- **लेज़र इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण-तरंग वेधशाला-LIGO:** यह **अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन (NSF) द्वारा पूर्णतः समर्थित,** दुनिया की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है।
  - वर्तमान में, इसके **दो डिटेक्टर हैं:** हैनफोर्ड, वाशिंगटन और लिविंगस्टन लुइसियाना।
  - LIGO-इंडिया को महाराष्ट्र के हिंगोली में विकसित किया जाना है, जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (भारत सरकार) द्वारा U.S. NSF और अन्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बनाया जाएगा।
- **वर्गो (पीसा, इटली):** यह **इटली और फ्रांस** के सहयोग से **यूरोपीय गुरुत्वाकर्षण वेधशाला (EGO)** द्वारा संचालित है।
- **कागरा, जापान:** यह कामिओका खदान के अंदर स्थित है।

**इस घटना का महत्व:**

- **खगोल-भौतिकी और कॉस्मोलॉजिकल मॉडल को बेहतर करना:** इस खोज से ब्लैक होल के निर्माण, तारों के विकास और संभवतः ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी वर्तमान मॉडल्स के बारे में मौजूदा समझ को बेहतर करने में मदद मिल सकती है।
  - यह गुरुत्वाकर्षण, खगोल-भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान (Cosmology), कण भौतिकी या कॉस्मिक स्ट्रिंग्स के सिद्धांतों के लिए नए मार्ग खोलता है।
- **ब्लैक होल के निर्माण की मौजूदा समझ को चुनौती:** यह विलय अब तक की सभी पूर्व खोजों से अधिक द्रव्यमान वाला है, जिससे ब्लैक होल की चरम सीमाओं की हमारी समझ को नया रूप मिला है।
  - इसके अलावा, ये ब्लैक होल न केवल अत्यधिक विशाल थे, बल्कि **बेहद तेजी से घूम** भी रहे थे। अतः ऐसे में इनसे आने वाले सिग्नल को समझना **कठिन** हो गया था। साथ ही, यह इन ब्लैक होल्स के **निर्माण से जुड़े जटिल इतिहास** का संकेत भी देता है।
- **हाइरार्किकल मर्जर्स के बारे में बेहतर जानकारी:** एक प्रस्तावित सिद्धांत यह है कि ऐसे विशाल **इंटरमीडिएट-मास ब्लैक होल्स** (जैसे, GW231123 में देखे गए) **छोटे ब्लैक होल्स के विलयों की श्रृंखला** के माध्यम से बन सकते हैं।
  - इस तरह की "हाइरार्किकल" यानी बार-बार छोटे ब्लैक होल्स के विलय से बड़े ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया से ही शायद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बनाते हैं, जो किसी भी सर्पिल आकाशगंगा के केंद्र में होते हैं और उसके "इंजन" के रूप में काम करते हैं।
- **गुरुत्वाकर्षण तरंगों को एक नए वैज्ञानिक साधन के रूप में उपयोग करना:** गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करना **डार्क मैटर** और **डार्क एनर्जी** के अध्ययन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी **विद्युतचुंबकीय तरंगों** के साथ क्रिया नहीं करते हैं और इसलिए इन्हे पारंपरिक वैज्ञानिक तकनीकों से 'देखा नहीं' जा सकता होती हैं।
  - **गुरुत्वाकर्षण तरंगें** स्पेस-टाइम में उत्पन्न होने वाली 'लहरें' (Ripples) हैं। ये ब्रह्मांड की कुछ सबसे प्रचंड और ऊर्जावान प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न होती हैं।
  - **अल्बर्ट आइंस्टीन** ने अपने सिद्धांत **'द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी' (1915) में** इनके अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी।

**ब्लैक होल्स के बारे में:**

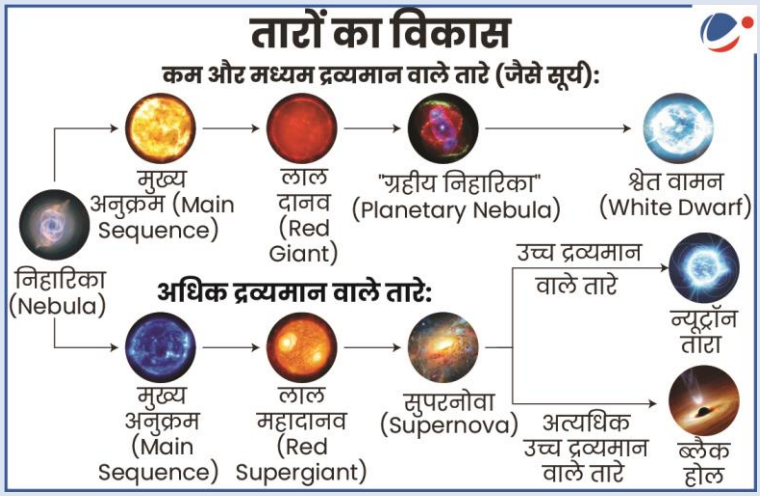


- ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान होता है **जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि यहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता है।** यह गुरुत्वाकर्षण इतना प्रचंड इसलिए होता है क्योंकि सभी पदार्थ एक छोटे से स्थान में संपीडित हो जाते हैं।
- ब्लैक होल प्रकाश को उत्सर्जित या परावर्तित नहीं करते, जिससे इन्हे टेलिस्कोप की मदद से स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। हालांकि, **वैज्ञानिक यह देख सकते हैं कि ब्लैक होल के आस-पास के तारे और गैस पर यह शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण का किस तरह से प्रभाव डालता है।**
  - वैज्ञानिक तारे का अध्ययन कर यह जान सकते है क्या किसी ब्लैक होल के आसपास का कोई तारा ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी परिक्रमा कर रहा है। तारों की यह गति और उनकी दिशा में बदलाव वैज्ञानिकों को ब्लैक होल की मौजूदगी का पता लगाने में मदद करते हैं।
- **ब्लैक होल का निर्माण:** ज्यादातर ब्लैक होल्स सुपरनोवा विस्फोट में नष्ट होने वाले एक बड़े तारे के अवशेषों से बनते हैं।
  - विशेष रूप से, जब तारे बड़े होते हैं, तो उनका कोर संकुचित होकर ब्लैक होल में बदल जाता है। अन्यथा, कोर एक अत्यधिक सघन न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है।
- **ब्लैक होल के प्रकार:** स्टेलर ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल और प्राइमॉर्डियल ब्लैक होल।

## 7.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

### 7.3.1. ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग (Bluetooth Mesh Networking)

ट्विटर के सह-संस्थापक जैक डोर्सी ने ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप "बिटचैट" के बारे में जानकारी दी।

- बिटचैट एक नया **पीयर-टू-पीयर मैसेजिंग ऐप** है, जो बिना किसी **केंद्रीकृत सर्वर या फोन नेटवर्क के संचार या कम्युनिकेशन** को संभव बनाता है।
- बिटचैट **संचार को संभव** करने के लिए **ब्लूटूथ लो एनर्जी मेश नेटवर्किंग** का उपयोग करता है।

**ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग क्या है?**

- यह एक निर्धारित रेंज में मौजूद डिवाइसेस द्वारा निर्मित **ब्लूटूथ क्लस्टर या मेश नेटवर्क्स** पर काम करता है।
- **मेश नेटवर्क को " मल्टी-हॉप नेटवर्क "** के रूप में भी जाना जाता है। यह एक **नेटवर्किंग टोपोलॉजी** है।
  - इसमें **डेटा किसी भी डिवाइस से** अन्य सभी डिवाइसेस तक जा सकता है। साथ ही, कई डिवाइसेस आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं।
  - यदि एक डिवाइस भी खराब हो जाए, तो भी नेटवर्क काम करता रहता है।
- मेसेज **नोड्स द्वारा तब तक प्रसारित या ब्रॉडकास्ट और रिले** किए जाते हैं, जब तक कि वे **निर्धारित गंतव्य तक नहीं पहुंच** जाते।
  - जब कोई ब्लूटूथ डिवाइस मेश नेटवर्क से जुड़ता है, तो वह एक **नोड** बन जाता है।

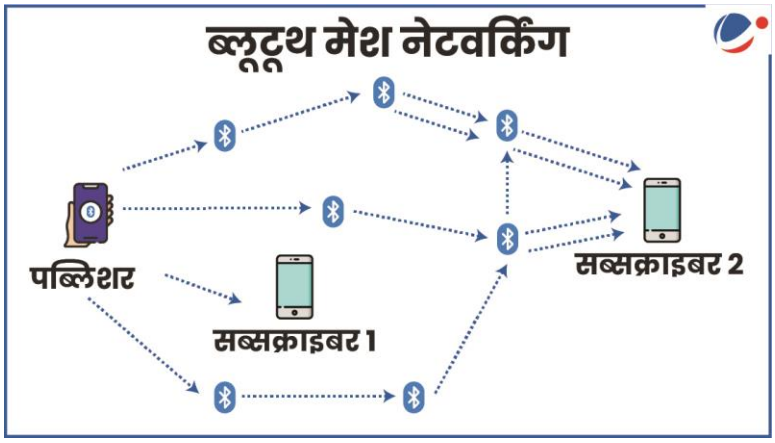


**ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग के संभावित लाभ**

- **केंद्रीय डेटाबेस की आवश्यकता नहीं: मेसेज पूरी तरह से उपयोगकर्ताओं के डिवाइसेस पर संग्रहित** होते हैं और थोड़े समय के बाद डिलीट हो जाते हैं।
  - यह डिजाइन **उपयोगकर्ताओं की निजता को प्राथमिकता** देने के लिए बनाया गया है।
  - इसके अलावा, मेसेज **एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड** होते हैं और **नेटवर्क से बाहर नहीं** जाते हैं।

- **पंजीकरण की आवश्यकता नहीं:** उपयोगकर्ताओं को अपने ईमेल या फोन नंबर के जरिए अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, जिससे संचार या कम्युनिकेशन गोपनीय बना रहता है।
- **अन्य:** बिजली की कम खपत, आदि।

**मुख्य सीमाएं:** इसमें उच्च विलंबता, जटिल नेटवर्क प्रबंधन, डेटा ट्रांसफर की निम्न दर, आदि शामिल है।

## 7.3.2. AI अलायंस नेटवर्क (AI Alliance Network: AIANET)

**डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (DIF)** ने पाकिस्तान के **AI टेक्नोलॉजी सेंटर (AITeC)** के AIANET में शामिल होने के आवेदन पर आपत्ति जताई है।

- **डिजिटल इंडिया फाउंडेशन, AIANET** का संस्थापक सदस्य है।
- **डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (DIF)** एक गैर-लाभकारी थिंक-टैंक है, जिसका उद्देश्य डिजिटल समावेशन और इसके अंगीकरण को बढ़ावा देना है। साथ ही, विकास प्रक्रिया के लिए इंटरनेट और संबंधित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना भी इसका एक उद्देश्य है।

**AIANET के बारे में**

- **परिचय:** यह एक **अनौपचारिक और स्वैच्छिक नेटवर्क** तथा कम्युनिटी है, जो अपने सदस्यों को विचारों का आदान-प्रदान करने तथा सूचना और विशेषज्ञता साझा करने का मंच प्रदान करता है।
- **उद्देश्य:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) **तकनीकों के विकास और उपयोग को तेज करना ताकि दीर्घकालिक सतत समृद्धि, सामाजिक और आर्थिक विकास** को बढ़ावा दिया जा सके।
- **सदस्य:** इसमें **17 सदस्य** हैं।
- **प्रशासन:** इसे **AI अलायंस रूस** द्वारा प्रशासित किया जाता है।

## 7.3.3. WHO ने "3 बाय 35" पहल शुरू की (WHO Launches "3 By 35" Initiative)

इस पहल का उद्देश्य **2035 तक स्वास्थ्य कर (Health Tax)** के माध्यम से तम्बाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थों की कीमतों में **कम-से-कम 50% की वृद्धि** करना है।

- इस पहल के माध्यम से अगले दशक में वैश्विक स्तर पर **1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त सार्वजनिक राजस्व** जुटाया जा सकता है।
- यह पहल **विकासात्मक साझेदारों, नागरिक समाज, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारों के गठबंधन** के समन्वित प्रयासों के साथ एक सहयोगी गठबंधन के रूप में कार्य करेगी।

**स्वास्थ्य कर क्या है?**

- यह कर **लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले उत्पादों** पर लगाया जाता है, जैसे तंबाकू, शराब आदि।
- WHO का मानना है कि मोटापे व अन्य संबंधित गैर-संचारी रोगों (NCDs) की समस्या से निपटने के लिए यह कर सबसे अधिक **लागत प्रभावी साधन है।**

**स्वास्थ्य कर की आवश्यकता क्यों है?**

- **स्वास्थ्य प्रभाव:** तम्बाकू, शराब और शर्करा युक्त **पेय पदार्थों का सेवन NCDs महामारी** को बढ़ावा देता है, जो वैश्विक स्तर पर होने वाली मौतों के **75% से अधिक** के लिए जिम्मेदार है।
- **आर्थिक प्रभाव:** इन उत्पादों से **समाज और अर्थव्यवस्था को भी नुकसान** होते हैं। जैसे- इसमें **नकारात्मक बाह्य प्रभाव (दूसरों को स्वास्थ्य संबंधी नुकसान होना) और आंतरिक प्रभाव (स्वयं के इलाज के लिए लंबे समय तक भारी खर्च करना)** शामिल है।
  - इससे 2012 में **वैश्विक अर्थव्यवस्था को 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** का नुकसान हुआ था।
- **राजस्व सृजन: 50% कर से पांच वर्षों के भीतर वैश्विक स्तर पर 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर या प्रति वर्ष औसतन 740 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया राजस्व** जुटाया जा सकता है। यह वैश्विक **सकल घरेलू उत्पाद के 0.75%** के बराबर है।
- **समानता को बढ़ावा: NCDs से गरीब और निम्न आय वर्ग अधिक प्रभावित** होते हैं।

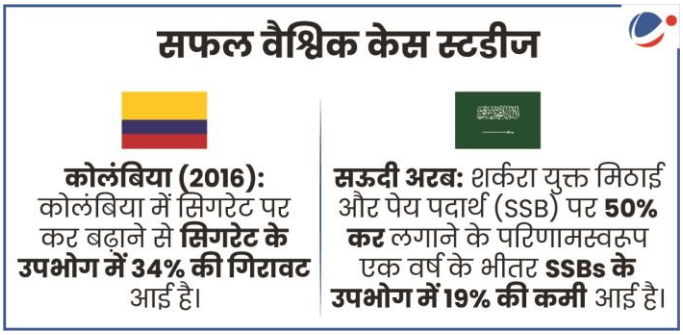

**भारत में अस्वास्थ्यकर उत्पादों के उपभोग पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदम**

- **भारत में एयरेटेड (वातित) पेय पदार्थों पर 28% GST और अतिरिक्त 12% क्षतिपूर्ति उपकर** लगाया जाता है।
- भारत में **उच्च वसा एवं शर्करा व नमक (HFSS) युक्त खाद्य पदार्थों पर 12% GST दर से कर** लगाया जाता है।
- **FSSAI ने खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैटी एसिड (TFA) की मात्रा** को खाद्य पदार्थ में तेलों और वसा की कुल मात्रा के **2% तक** रखने का निर्देश दिया है।

## 7.3.4. टीकाकरण पर WHO/ UNICEF के आंकड़े (WHO/UNICEF Data on Immunization)

WHO/ UNICEF के 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत में टीकाकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

- ये आंकड़ें विश्व में टीकाकरण से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। साथ ही, **14 बीमारियों के खिलाफ टीकों के रुझानों** को प्रदर्शित करते हैं।

**मुख्य बिंदु**

- **वैश्विक स्तर पर:** 2024 में विश्व के **89% शिशुओं को डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस (काली खांसी) (DTP) वाला टीका कम-से-कम एक बार** दिया गया था।
- **भारत:** भारत ने 2024 में अपने **जीरो-डोज बच्चों की संख्या 43% तक कम** कर दी थी। भारत में जीरो-डोज वाले बच्चों की संख्या 2023 की 16 लाख से घटकर 2024 में 9 लाख तक रह गई थी।
  - **जीरो-डोज़ बच्चे** वे होते हैं, जिन्हें **एक भी टीका नहीं** लगा होता है।

**भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के बारे में**

- **शुरुआत:** इसे **1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम** के रूप में शुरू किया गया था। **1985** में इसका नाम बदलकर **सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP)** कर दिया गया था।
- **कवरेज:** यह **12 बीमारियों** के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण प्रदान करता है –
  - **पूरे देश में 9 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण किया जाता है। ये हैं-** डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बचपन की टीबी, हेपेटाइटिस-बी और मेनिन्जाइटिस व निमोनिया।
  - **कुछ विशेष क्षेत्रों में 3 बीमारियों के लिए:** रोटावायरस डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन** के तहत, **UIP भारत के लोक स्वास्थ्य प्रयासों का एक मुख्य हिस्सा** बन गया है।
- इसके तहत, किसी बच्चे को तब **पूरी तरह टीकाकृत** माना जाता है, जब उसे राष्ट्रीय समय-सारणी के अनुसार **जीवन के पहले वर्ष में सभी टीके लग चुके** हों।
- **उपलब्धियां:** पोलियो-मुक्त भारत (2014), नवजात शिशु टिटनेस का उन्मूलन (2015) आदि।
- **मुख्य पहलें:**
  - **गहन मिशन इंद्रधनुष 5.0 (IMI 5.0) अभियान –** खसरा और रूबेला के टीकाकरण कवरेज में सुधार पर विशेष ध्यान;
  - **यू-विन (U-WIN) पोर्टल** आदि।

## 7.3.5. फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक (Phenome India National Bio Bank)

CSIR-इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (IGIB) में राष्ट्रीय बायोबैंक का उद्घाटन किया गया।

- यह नई सुविधा भारत का अपना **लोंगिट्युडिनल हेल्थ डेटाबेस** बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
  - **लोंगिट्युडिनल हेल्थ डेटाबेस:** इसका उद्देश्य व्यक्तियों या समूह की सेहत से जुड़ी जानकारी को लंबे समय तक बार-बार एकत्र करना और उनका रिकॉर्ड रखना है।
- इससे **परिशुद्ध चिकित्सा और जैव-चिकित्सा (Biomedical) संबंधी अनुसंधान** के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं में वृद्धि होगी।

**राष्ट्रीय बायोबैंक के बारे में**

- इसे **फेनोम इंडिया परियोजना** के अंतर्गत लॉन्च किया गया है।
  - यह **यूनाइटेड किंगडम बायोबैंक मॉडल** पर आधारित है, लेकिन इसे भारतीय विविधता के अनुरूप डिजाइन किया गया है।

- **उद्देश्य:**
  - बीमारियों का जल्दी पता लगाना,
  - इलाज को अधिक सटीक बनाना, और
  - मधुमेह, कैंसर, हृदय संबंधी बीमारियों एवं दुर्लभ आनुवंशिक विकारों जैसी जटिल बीमारियों के इलाज में मदद करना।
    - यह **हाई-रिज़ॉल्यूशन डेटा** का निर्माण करेगा। इससे **AI-संचालित डायग्नोस्टिक्स और जीन-गाइडेड चिकित्सा को मजबूती** प्रदान करने में मदद मिल सकती है।
- **कवरेज:** यह **10,000 व्यक्तियों** का व्यापक जीनोमिक, जीवनशैली युक्त और क्लिनिकल डेटा एकत्र करेगा।

**फेनोम इंडिया परियोजना के बारे में**

- इसे आधिकारिक तौर पर **फेनोम इंडिया-CSIR हेल्थ कोहोर्ट नॉलेजबेस (PI-CheCK)** कहा जाता है।
- इसे **2023 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)** ने शुरू किया था।
- **उद्देश्य:** यह एक दीर्घकालिक, डेटा-समृद्ध अध्ययन है, जो कई वर्षों तक व्यक्तियों के स्वास्थ्य की स्थिति पर नज़र रखेगा।

**फेनोम क्या है?**

- फेनोम किसी **कोशिका, ऊतक, अंग, जीव या प्रजाति में फेनोटाइप (दिखाई देने वाली विशेषताओं) का संपूर्ण समूह** होता है।
- **फेनोटाइप किसी जीव की दिखाई देने वाली विशेषताओं** को कहते हैं।
  - इनमें जीव की **शारीरिक की बनावट, रंग, कद, व्यवहार** आदि शामिल होते हैं।
  - किसी जीव का **फेनोटाइप उसके जीनोटाइप** के साथ-साथ उसके जींस पर पड़ने वाले **पर्यावरणीय प्रभावों** द्वारा निर्धारित होता है। **जीनोटाइप** जीव में मौजूद **जींस का समूह** होता है।

| SMART QUIZ | विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। | |
|---|---|---|

# 8. संस्कृति (Culture)

## 8.1. चोल गंगम झील (Chola Gangam Lake)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

तमिलनाडु सरकार ने **गंगईकोंडा चोलपुरम** में 1000 साल पुरानी **चोल गंगम झील** को विकसित करने का फैसला किया है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- यह घोषणा **राजेंद्र चोल प्रथम** की जयंती मनाने के लिए आयोजित **आदि तिरुवथिराई महोत्सव** के दौरान की गई।
- आदि तिरुवथिराई महोत्सव **राजेंद्र चोल प्रथम के दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री अभियान** और गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर के निर्माण के 1,000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया।
  - यह महोत्सव तमिल **शैव भक्ति** परंपराओं, **63 नयनारों** और चोल राजवंश द्वारा संरक्षण प्रदान किए गए संत-कवियों के प्रति सम्मान है। इसके अलावा, यह शैव सिद्धान्त दर्शन को भी रेखांकित करता है।

**क्या आप जानते हैं?**

> **चोल शासन को दो कालों में विभाजित किया गया है:**
- **प्रारंभिक चोल:** ये चोल **संगम काल** से जुड़े थे। इनका पहला उल्लेख **अशोक के द्वितीय और तेरहवें शिलालेखों** में मिलता है।
  - **करिकाल चोल** सबसे महान प्रारंभिक चोल शासक माना जाता है। उसे **कावेरी नदी के मुहाने पर पुहार नगर की स्थापना** का श्रेय दिया जाता है।
- **साम्राज्यवादी चोल:** ये चोल **9वीं सदी ईस्वी** में प्रमुखता से उभरे।

**चोल गंगम झील के बारे में**

- चोला गंगम झील को **पोन्नेरी झील** के नाम से भी जाना जाता है। यह **इंसान द्वारा निर्मित** भारत की **सबसे बड़ी प्राचीन झील** मानी जाती है।
- **स्थान:** यह झील भारत के तमिलनाडु राज्य के **अरियालुर जिले** में गंगईकोंडा चोलपुरम के नजदीक स्थित है।
- **निर्माण:** इसका निर्माण **राजेंद्र चोल प्रथम** ने करवाया था।
  - राजेंद्र चोल प्रथम (**1014 से 1044 ईस्वी**) सबसे शक्तिशाली चोल शासक **राजराज प्रथम** के सुपुत्र थे।
  - **राजेंद्र चोल प्रथम** गंगा घाटी को जीतकर '**गंगईकोंडा चोल**' (**"गंगा को जीतने वाला चोल"**) की उपाधि धारण की थी।
    - **तिरुवलंगडू ताम्रपत्रों** के अनुसार, राजेंद्र चोल प्रथम ने गांगेय क्षेत्र अभियान (**कलिंग शासक और बंगाल के पाल शासक महिपाल सहित कई राजाओं पर विजय**) की सफलता के उपलक्ष्य में **गंगईकोंडा चोलपुरम** को अपनी राजधानी बनाया।

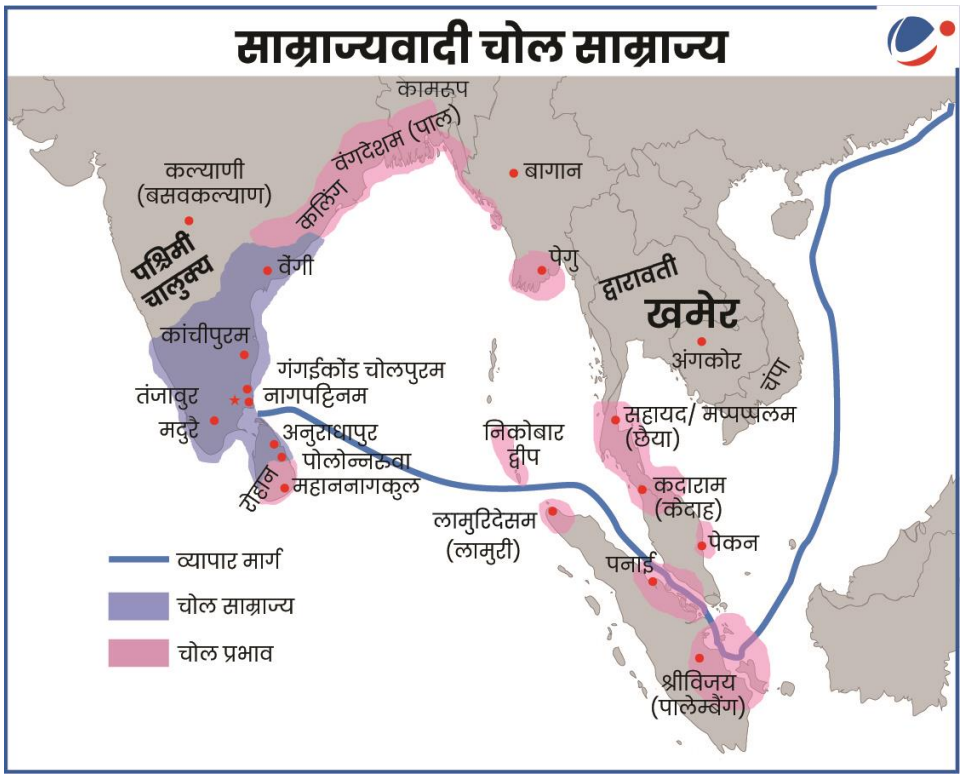


- **इतिहास**
  - राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा नदी का पवित्र जल इस झील में डाला था। इसी वजह से झील का नाम **चोल गंगम** रखा गया।
  - यह झील राजेंद्र चोल द्वारा स्थापित विजय का '**जल स्तंभ**' मानी जाती है।
  - विजयनगर काल के दौरान इस झील को **पोन्नेरी** कहा जाता था।
- **जल स्रोत:** इस झील को एक नहर से **कोलिडाम नदी** से जोड़ा गया है। **कोलिडाम कावेरी नदी** की एक सहायक नदी है।
- **संरचना:** झील के **अंडाकार** तटबंध को **लैटेराइट चट्टानों** से मजबूती प्रदान की गई है।
- **उद्देश्य:** गंगईकोंडा चोलपुरम झील का निर्माण पेयजल और सिंचाई के लिए कराया गया था।

**चोल साम्राज्य (9वीं शताब्दी - 13वीं शताब्दी) के बारे में**

- **उत्पत्ति:** शुरुआत में चोल पल्लवों के अधीन उरैयूर में सामंत के रूप में कार्य करते थे। **9वीं शताब्दी में विजयालय चोल के नेतृत्व में मध्यकालीन चोल साम्राज्य की स्थापना** मानी जाती है।
- **प्रमुख अभिलेख:** चोलों की प्रशासनिक और स्थानीय स्वशासन चुनाव प्रणाली का विवरण **उत्तरमेरुर अभिलेख में मिलता** है।
- **प्रशासन:** चोल साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था जिन्हें **मंडलम** कहा जाता था। मंडलम के नीचे की प्रशासनिक इकाइयां **वलनाडु → नाडु → कुर्रम** और **कोट्टम** थीं।
- **स्थानीय स्व-शासन:** भारत के इतिहास में चोलों की स्थानीय स्वशासन प्रणाली का विशिष्ट महत्त्व है। चोल काल में ग्राम सभा को **उर** या **सभा** के नाम से जाना जाता था। इसके सदस्यों का चुनाव पर्चियां निकालकर की जाती थीं, जिसे स्थानीय भाषा में **कुडावोलाई प्रणाली** कहा जाता था।
- **कर प्रणाली: वेट्टि** (बंधुआ मजदूरी), और **कडमई** (भू-राजस्व)।
- **समुद्री:**
  - **शक्तिशाली नौसेना:** चोल शासक राजराज चोल ने शक्तिशाली नौसेना का गठन किया जिसे राजेंद्र चोल ने और मजबूत किया। सबसे प्रसिद्ध सैन्य अभियान- 1025 ई. में **श्रीविजय साम्राज्य (दक्षिण-पूर्व एशिया)** पर नौसैनिक अभियान था।
  - चोल शासकों के श्रीलंका, चीन, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध थे।
  - **प्रमुख चोल बंदरगाह: महाबलीपुरम**, **कावेरीपट्टनम** (जिसे **पूम्पुहार** भी कहा जाता है), और **कोरकई**।
- **सांस्कृतिक उपलब्धियां:**
  - **भव्य मंदिर: महान चोल मंदिर** (गंगईकोंडा चोलपुरम, ऐरावतेश्वर और बृहदेश्वर) **यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** है।
  - **मूर्तियां:** चोल कालीन कांस्य प्रतिमाओं का भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में उल्लेखनीय स्थान है। इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण चोलकालीन **नटराज शिव** की प्रतिमा है।

**महत्त्वपूर्ण चोल मंदिर**

| विवरण | बृहदेश्वर मंदिर के बारे में | गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर के बारे में | ऐरावतेश्वर मंदिर के बारे में |
|---|---|---|---|
| | 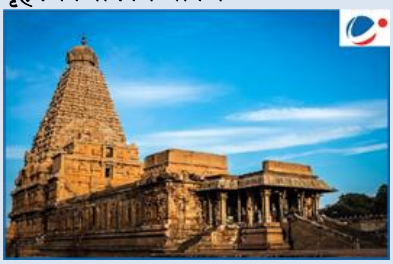 | | 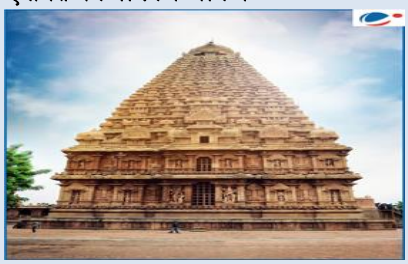 |
| **स्थान** | तंजावुर जिला | गंगईकोंडा चोलपुरम | तंजावुर जिले के दारासुरम में |
| **स्थापत्य शैली** | द्रविड़ | द्रविड़ | द्रविड़ शैली, यह मंदिर रथ जैसा प्रतीत होता है। |
| **अधिष्ठाता देवता** | भगवान शिव | भगवान शिव | भगवान शिव |
| **निर्माण काल** | 1010 ईस्वी | 1035 ईस्वी | 12वीं शताब्दी |
| **निर्माता** | राजराज चोल प्रथम | राजेंद्र चोल प्रथम | राजराज चोल द्वितीय |
| **अन्य तथ्य** | इसे **पेरुवुदैयार कोविल** के नाम से भी जाना जाता है। | इसके विमान की ऊंचाई 55 मीटर है। इसे भी **बृहदेश्वर मंदिर** के नाम से जाना जाता है। | इसका नाम भगवान इंद्र के वाहन सफेद हाथी **'ऐरावत'** के नाम पर रखा गया है। |
| **यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** | सूची में शामिल | सूची में शामिल | सूची में शामिल |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **प्रमुख विशेषता** | मंदिर के अभिलेख और भित्तिचित्र शहर के भाग्य के उदय और पतन का वर्णन करते हैं। | मंदिर के ताखों में पत्थर की मूर्तियां विराजमान हैं: जैसे- **नटराज, दक्षिणामूर्ति, हरिहर, लिंगोद्भव, विष्णु, ब्रह्मा, महिषासुरमर्दिनी, ज्ञान सरस्वती आदि।** | मंदिर पर उत्कीर्ण नक्काशी और अभिलेख भारतीय पुराणों में वर्णित कथाओं का विवरण प्रदान करते हैं। मंदिर की **सीढ़ियों पर सुंदर सजावटी उत्कीर्ण संगीत की सात धुनों का प्रतिनिधित्व करते हैं।** |

**निष्कर्ष**

चोल गंगम झील और चोल काल के मंदिर सम्मिलित रूप से चोलों की **इंजीनियरिंग प्रतिभा, समुद्री शक्ति, संस्कृति के संरक्षण की प्रतिबद्धता और प्रशासनिक दूरदृष्टि** की कहानी बयां करते हैं। चोल स्थापत्य में **उपयोगिता, कला और आध्यात्मिकता** का सहज मिश्रण देखने को मिलता है। उनकी जल प्रबंधन प्रणाली, स्थापत्य विशिष्टता, समुद्री अभियान और **शैव परंपराओं के संरक्षण** जैसे कार्य आज भी भारतीय संस्कृति के गौरव को बढ़ाते हैं।

## 8.2. मराठा मिलिट्री लैंडस्केप (Maratha Military Landscape)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारत के **मराठा मिलिट्री लैंडस्केप** यानी **'मराठा सैन्य किलें'** को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में **भारत के 44वें यूनेस्को धरोहर स्थल** के रूप में शामिल किया गया।

**मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स के बारे में**

- इसे 2021 में विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था।
- **भौगोलिक विस्तार:** ये किलें महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित हैं।
- **विविध और रणनीतिक अवस्थिति:** इनमें तटीय किले से लेकर पहाड़ी दुर्ग शामिल हैं। ये सह्याद्री पर्वतमाला, कोंकण तट, दक्कन पठार और पूर्वी घाट सहित विभिन्न भूभागों में स्थित हैं।
- **निर्माण/विकास: छत्रपति शिवाजी महाराज** के शासनकाल के दौरान **17वीं शताब्दी** में आरंभ हुआ और 19वीं शताब्दी में **पेशवाओं** के काल तक जारी रहा। ये किलें मराठा साम्राज्य की **सामरिक सैन्य दृष्टि और स्थापत्य कौशल** के प्रमाण हैं।

| मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स के किलें (12) | प्रमुख विशेषताएं |
|---|---|
| **साल्हेर पहाड़ी किला** | यहां 1672 में मराठों और मुगलों के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। |
| **शिवनेरी पहाड़ी किला** | छत्रपति शिवाजी का जन्मस्थान। |
| **लोहगढ़ पहाड़ी किला** | भज बौद्ध गुफाओं के पास स्थित है। |
| **रायगढ़ पहाड़ी किला** | इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी स्थायी राजधानी के रूप में चुना था। |
| **राजगढ़ पहाड़ी किला** | **'हिंद स्वराज'** के पहले **राजनीतिक अड्डे के रूप में मान्यता** प्राप्त; मुरुमबदेव पहाड़ी पर होने करण इसे पहले **मुरुमदेव** के नाम से जाना जाता था।<br>**मराठा साम्राज्य की राजधानी थी।** यह उन 17 किलों में से एक था जिन्हें **छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर** करते समय अपने पास रखा था। |

| | |
|---|---|
| **जिंजी पहाड़ी किला (तमिलनाडु)** | इसमें तीन अलग-अलग पहाड़ी दुर्ग तथा मोटी दीवार का किला और खड़ी चट्टानें हैं। |
| **प्रतापगढ़ पहाड़ी वन किला** | इस किले के पास अफजल खान के साथ एक बड़ा युद्ध हुआ था। |
| **पन्हाला पठारी किला** | ताराबाई के अधीन मराठा राज्य की राजधानी बना। |
| **सिंधुदुर्ग द्वीपीय किला** | अरब सागर में एक लघु द्वीप पर स्थित है। |
| **सुवर्णदुर्ग द्वीपीय किला** | इसका निर्माण संभवतः 16वीं शताब्दी ईस्वी में **बीजापुर के शासकों ने कराया** था। |
| **खंडेरी द्वीपीय किला** | इसका निर्माण 1679 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में हुआ था। निर्माण का उद्देश्य मुरुद-जंजीरा दुर्ग में **सिद्दियों पर नियंत्रण** रखना था। |
| **विजयदुर्ग तटीय किला** | शिवाजी ने इस किले को बीजापुर के आदिल शाह से छीना था। बाद में इसका नाम बदलकर **"विजयदुर्ग"** कर दिया गया। इसे **"पूर्व का जिब्राल्टर"** कहा जाता है। |
| ***नोट:** उपर्युक्त में से केवल जिंजी पहाड़ी किला तमिलनाडु में है, जबकि शेष 11 किलें महाराष्ट्र में स्थित हैं।* | |

**मराठा साम्राज्य के बारे में**

- **स्थापना:** 1674 में **छत्रपति शिवाजी** महाराज के उदय के साथ।
  - 17वीं शताब्दी में शिवाजी ने विभिन्न दक्कन राज्यों से एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य का गठन किया। इसने 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया।
- **राजधानियां: रायगढ़ दुर्ग, जिंजी, सतारा** और **पुणे**।
- **शासन:** अपने चरम पर, मराठा साम्राज्य उत्तर में **पेशावर** से लेकर दक्षिण में **तंजावुर** तक फैला हुआ था।
- **प्रशासन:** शिवाजी द्वारा स्थापित '**अष्टप्रधान**' परिषद। इसमें आठ मंत्री शामिल थे:
  - आठ मंत्री थे: **पेशवा (प्रधान मंत्री), अमात्य (वित्त मंत्री), सचिव, मंत्री (गृह मंत्री), सेनापति (कमांडर-इन-चीफ), सुमंत (विदेश मंत्री), न्यायाध्यक्ष (मुख्य न्यायाधीश)**, और **पंडितराव (सर्वोच्च पुरोहित)**।
- **राजस्व नीति:**
  - **सरदेशमुखी:** संपूर्ण मराठा साम्राज्य के राजस्व पर लगाया गया 10% कर।
  - **चौथ:** पड़ोसी सरदारों (जिनके क्षेत्र मराठा साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे) के कुल राजस्व का 1/4 हिस्सा।
- **पतन:** 1761 में **पानीपत के तृतीय युद्ध में** अहमद शाह अब्दाली से **पराजय** के बाद मराठा साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ।

**निष्कर्ष**

भारत अपने समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में भारत में **44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** हैं और भविष्य में सूचीबद्ध होने के लिए **62 स्थलों को यूनेस्को की संभावित या अस्थायी सूची** में शामिल किया गया है।

**यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (WHS) के बारे में**

- यूनेस्को के 1972 के विश्व धरोहर कन्वेंशन के तहत ये ऐसे क्षेत्र या ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें **उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य** के कारण विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है।
  - इन स्थलों को तीन श्रेणियों- **सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित में सूचीबद्ध** किया जाता है।
- **भारत में यूनेस्को धरोहर स्थल:** यूनेस्को-विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में **छठे** और **एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दूसरे** स्थान पर है।
  - भारत में कुल **44 यूनेस्को-विश्व धरोहर स्थल** हैं (36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित)।
- ऐसे स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय संस्थान **वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर** (पेरिस, फ्रांस) है।
  - **वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की स्थापना** 1992 में की गई थी। यह यूनेस्को में विश्व धरोहर से जुड़े सभी कार्यों का मुख्य केंद्र और समन्वयक है।

- **विश्व धरोहर स्थलों के चयन के लिए मानदंड:**
  - स्थल का उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य होना चाहिए और दस चयन मानदंडों में से कम-से-कम एक मानदंड पूरा करना अनिवार्य है; जैसे- वह मानव की सृजनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति हो, या मानवीय मूल्यों का आदान-प्रदान प्रदर्शित करता हो, आदि।
  - हर साल, प्रत्येक सदस्य राष्ट्र केवल एक स्थल को विश्व धरोहर समिति द्वारा विचार के लिए नामित कर सकता है।
  - **नामांकित स्थलों का मूल्यांकन: इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स (ICOMOS)** और **इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN)** द्वारा किया जाता है।
  - **अंतिम निर्णय:** विश्व धरोहर समिति द्वारा लिया जाता है। भारत 2021-25 तक इस समिति का एक सदस्य है।
- **भारत में नोडल एजेंसी: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)**[44]।

## 8.3. अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) शतरंज चैंपियनशिप {International Chess Federation (FIDE) Chess Championship}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**दिव्या देशमुख** ने जॉर्जिया के बाटुमी में खेले गए फाइनल में अपने ही देश की कोनेरू हम्पी को हराकर **FIDE महिला विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला** शतरंज खिलाड़ी बन गईं।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- इस उपलब्धि के साथ, दिव्या **देशमुख ग्रैंडमास्टर** बनने वाली चौथी भारतीय महिला बन गई हैं। अन्य भारतीय महिला ग्रैंडमास्टर हैं; **कोनेरू हम्पी, द्रोणावल्ली हरिका** और **आर. वैशाली**।
- इस जीत के साथ ही दिव्या **कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026** के लिए क्वालीफाई हो गई है।

**भारतीय खिलाड़ियों द्वारा शतरंज में हाल में अर्जित की गई अन्य उपलब्धियां**

- **2024** में, ग्रैंडमास्टर **गुकेश डोम्माराजू** सबसे कम उम्र (**18 वर्ष**) में विश्व शतरंज चैंपियन बने। उन्होंने डिंग लिरेन को हराया।
- **2024** में, भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों ने बुडापेस्ट (हंगरी) में आयोजित **45वें FIDE शतरंज ओलंपियाड** में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा।
- **2023** में, ग्रैंडमास्टर **प्रज्ञानानंद रमेशबाबू** विश्व कप फाइनल में पहुँचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र (**18 वर्ष**) के शतरंज खिलाड़ी बने। **विश्वनाथन आनंद** के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे केवल दूसरे भारतीय हैं।

**FIDE विश्व चैंपियनशिप चक्र के बारे में**

- **FIDE विश्व कप:** यह FIDE की सबसे अहम प्रतियोगिताओं में से एक है। इसमें शीर्ष तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को **FIDE महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट** में प्रवेश मिलता है।
- **कैंडिडेट्स टूर्नामेंट:** यह वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल से पहले की अंतिम प्रतियोगिता होती है।
  - कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का विजेता विश्व चैंपियनशिप मैच में पिछले विश्व चैंपियन के खिलाफ खेलता है।
  - कैंडिडेट्स टूर्नामेंट **आठ-खिलाड़ियों का एक डबल राउंड-रॉबिन खेल** आयोजन है।
  - **कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में क्वालीफाई करने के तरीकों में शामिल हैं:**

**क्या आप जानते हैं?**

> **एक अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा ने साल 2019** में मात्र 10 साल की उम्र में **सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल मास्टर बनने का रिकॉर्ड** बनाया था। उन्होंने साल 2021 में **ग्रैंडमास्टर** बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं हासिल करना शुरू किया था।

[44] Archaeological Survey of India

- पिछले विश्व चैंपियनशिप मैच का उपविजेता।
- FIDE विश्व कप के शीर्ष तीन फिनिशर।
- FIDE ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट के शीर्ष दो फिनिशर।
- **FIDE सर्किट विजेता** (जनवरी से दिसंबर तक खेले गए टूर्नामेंटों के अंक पर आधारित) तथा।
- कैंडिडेट्स टूर्नामेंट वर्ष के जनवरी में उच्चतम FIDE रेटिंग वाला खिलाड़ी।

- **विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैच** पिछले विश्व चैंपियन और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विजेता के बीच खेला जाता है।

**अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) के बारे में**

- यह शतरंज खेल की **वैश्विक शासी संस्था** है, जो सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को प्रशासित करती है।
- **स्थापना:** 1924 में पेरिस में एक **गैर-सरकारी संस्था** के रूप में हुई।
- **मान्यता:** 1999 में इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी।
- **मुख्यालय:** लॉज़ेन (स्विट्जरलैंड)।
- **सदस्य:** इसमें 201 देश राष्ट्रीय शतरंज संघों के रूप में संबद्ध सदस्य के रूप में शामिल हैं।

## 8.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

### 8.4.1. कश्मीरी पश्मीना शॉल (Kashmiri Pashmina Shawl)

भारत के प्रधान मंत्री ने अपनी **घाना यात्रा** के दौरान, देश के शीर्ष नेताओं को कुछ **हाथ से बनी कलाकृतियां जैसे- कश्मीरी पश्मीना शॉल** भेंट की।

**कश्मीरी पश्मीना शॉल**

- यह **चांगथांगी बकरी के मुलायम ऊन** से बुनी जाती है।
  - चांगथांगी बकरी, जिसे पश्मीना बकरी भी कहा जाता है, भारत के लद्दाख के ऊंचे इलाकों में पाई जाने वाली नस्ल है।
- यह अपनी **कोमलता और गर्माहट** के लिए मशहूर है।

**अन्य हस्तशिल्प**

- **बिदरीवेयर फूलदान (बीदर, कर्नाटक):** इन फूलदानों का आधार **जस्ते-तांबे की मिश्रधातु** से बना होता है, जिस पर **काले रंग की पॉलिश** की जाती है और **चाँदी की महीन नक्काशी** होती है।
  - इन पर **फूलों के डिजाइन** होते हैं, जो **सुंदरता, समृद्धि एवं सद्भाव** का प्रतीक हैं।
- **चाँदी का तारकशी पर्स (कटक, ओडिशा):** यह अपनी **तारकशी कलाकृति** के लिए विख्यात है।
  - इस पर्स पर **फूलों और बेलों के डिजाइन** होते हैं, जिन्हें आधुनिक शैली के साथ मिश्रित किया जाता है।
- **मिनिएचर अंबावारी हाथी (पश्चिम बंगाल):** यह **पॉलिश किए गए कृत्रिम हाथी-दांत** से बना होता है, जो **प्राकृतिक हाथी-दांत का नैतिक विकल्प** है।

**नोट: मिनिएचर अंबावारी हाथी** को छोड़कर, उपर्युक्त सभी हस्तकलाओं को **भौगोलिक संकेतक (GI) टैग** मिला हुआ है।

### 8.4.2. पिपरहवा अवशेष (Piprahwa Relics)

**भगवान बुद्ध के** पवित्र **पिपरहवा अवशेषों** की भारत वापसी हुई।

**पिपरहवा अवशेषों के बारे में**

- **खोज:** 1898 में ब्रिटिश सिविल इंजीनियर **विलियम क्लैक्सटन पेप्पे** द्वारा **पिपरहवा, सिद्धार्थनगर (प्राचीन कपिलवस्तु), उत्तर प्रदेश** में की गई।

- **महत्त्व:** ये अवशेष भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर के अवशेषों से जुड़े हैं।
- **मुख्य विशेषताएं:** इसमें **हड्डियों के टुकड़े, सोपस्टोन और क्रिस्टल के ताबूत, बलुआ पत्थर का संदूक और स्वर्ण आभूषण** आदि शामिल हैं।
- **समयावधि:** लगभग ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में इन अवशेषों को मंदिर में रखा गया था।
    - एक अस्थि-पेटी पर ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख अंकित है, जो बताता है कि ये अवशेष **शाक्य वंश द्वारा** रखे गए **बुद्ध के अवशेष** हैं।
- **वर्तमान स्थिति:** भारतीय कानून के तहत इन्हें **'AA' श्रेणी की प्राचीन वस्तुएं** घोषित किया गया है, जिनका **निर्यात या बिक्री प्रतिबंधित** है।

| | | |
|---|---|---|
| QUIZ SMART QUIZ | विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। | |

# 9. नीतिशास्त्र (Ethics)

## 9.1. सेलिब्रिटीज़ और उत्पादों का प्रचार (Celebrities and Endorsement of Products)

**भूमिका**

लोकमत को आकार देने में मशहूर हस्तियों (सेलिब्रिटीज) की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हाल ही में, **प्रवर्तन निदेशालय (ED)** ने कई मशहूर हस्तियों पर **अवैध सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने, जुआ और धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) कानूनों का उल्लंघन करने** का आरोप लगाया है। इनमें लोकप्रिय अभिनेता और टीवी होस्ट शामिल हैं। यह घटना भी **पहले के विवादों की तरह** ही है, जैसे- तंबाकू के सेरोगेट उत्पादों का प्रचार करना, शराब, अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ और अनियमित क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जैसे हानिकारक उत्पादों का प्रचार करना। यह मशहूर हस्तियों की नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं।

**प्रमुख हितधारक और उनके हित**

| हितधारक | प्रमुख हित |
|---|---|
| **मशहूर हस्तियां** | • **वित्तीय लाभ** और ब्रांड की दृश्यता (विजिबिलिटी) बढ़ाना चाहते हैं।<br>• **जन कल्याण सुनिश्चित करना** अन्यथा व्यक्तिगत विश्वसनीयता का जोखिम।<br>• **रोल मॉडल का नैतिक कर्तव्य, उच्चतम नैतिक मानकों** को बनाए रखना है। |
| **कंपनियां/ प्लेटफॉर्म** | • **लाभ को अधिकतम करना** और बाजार में पहुंच को बढ़ाना।<br>• **देश के कानून का पालन करना** और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी को बनाए रखना। |
| **सरकारी एजेंसियां** | • कानूनों को लागू करना, **उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना**, धन शोधन को रोकना।<br>• अवैध प्रचार पर अंकुश लगाकर **सार्वजनिक प्रणालियों में विश्वास बनाए रखना।** |
| **समाज (विशेषकर युवा)** | • मशहूर हस्तियों के प्रभाव में **सूचना पर आधारित निर्णय लेना।**<br>• **वित्तीय नुकसान, लत** या गैरकानूनी गतिविधि में भागीदारी की संभावना। |

**हानिकारक उत्पादों के प्रचार से संबंधित प्रमुख नैतिक मुद्दे**

- **स्वायत्तता और सूचना आधारित सहमति:** प्रचार संबंधी कैंपेन अक्सर जोखिमों को छिपाते हुए भावनात्मक अपील का उपयोग करते हैं, जो **कांटियन नैतिकता** का उल्लंघन है। कांटियन नैतिकता के तहत लोगों को साधन के रूप में नहीं, बल्कि साध्य (लक्ष्य) के रूप में मानना चाहिए।
  - **भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI)** के दिशा-निर्देशों में भी "विज्ञापन" के स्पष्ट लेबल, भुगतान/ उपहार का खुलासा और सत्यापित दावों का प्रावधान है।
- **जवाबदेही और जिम्मेदारी: गांधीवादी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत** के अनुसार, प्रसिद्धि का उपयोग जन कल्याण के लिए एक भरोसे के रूप में किया जाना चाहिए।
  - **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** भी झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के लिए प्रचार करने वालों को जवाबदेह ठहराता है।
- **परोपकार और गैर-हानिकारकता:** मशहूर हस्तियों का कर्तव्य **'अच्छा करना'** और **'कोई नुकसान नहीं पहुँचाना'** है। हानिकारक या अवैध उत्पादों को बढ़ावा देने से इन दोनों का उल्लंघन होता है।
  - उदाहरण के लिए: मशहूर हस्तियां टीवी पर चीनी के उपभोग की आलोचना करती हैं, लेकिन चॉकलेट और आइसक्रीम का प्रचार करती हैं।

- **रोल-मॉडल की सत्यनिष्ठा का क्षरण: सद्गुण नैतिकता (वर्चू एथिक्स)** ईमानदारी, विवेक और सामाजिक जिम्मेदारी को महत्व देती है।
  - बार-बार संदिग्ध उत्पादों का प्रचार करने से नैतिक प्राधिकार को नुकसान पहुंचता है और रोल मॉडल के रूप में उनका प्रभाव कमजोर होता है।

**हानिकारक उत्पादों के प्रचार को रोकने में प्रमुख चुनौतियां**

- **वित्तीय प्रोत्साहन नैतिकता पर हावी होते हैं:** मशहूर हस्तियों को प्रचार के लिए भारी राशि मिलती है, जिससे उन्हें लाभकारी वित्तीय प्रोत्साहन मिलते हैं। ये प्रोत्साहन उनके नैतिक विचारों पर हावी हो सकते हैं।
- **सूचना संबंधी कमियां:** मशहूर हस्तियां अक्सर स्वतंत्र सत्यापन के बिना कंपनी द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर करती हैं। इससे वे निर्माताओं या सेवा प्रदाताओं के भ्रामक दावों पर भरोसा कर लेते हैं।
- **सेलिब्रिटी को पूजने की संस्कृति:** कई समाजों में मशहूर हस्तियों के लिए गहरा सांस्कृतिक सम्मान उन्हें जवाबदेह ठहराना मुश्किल बना देता है, क्योंकि विनियमों के उल्लंघन पर उनके खिलाफ कार्यवाही को हस्तियों पर हमला माना जा सकता है।
- **विकसित होती उत्पाद श्रेणियां:** डिजिटल संपत्ति और ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म जैसी नई उत्पाद श्रेणियां नियामक फ्रेमवर्क की तुलना में तेजी से उभरती हैं। इससे अस्थायी नियामक रिक्तियां (Regulatory Voids) पैदा हो जाती हैं, जिनका फायदा उठाया जा सकता है।
- **सीमित नियामक संसाधन:** निगरानी एजेंसियों के पास अक्सर अत्यधिक प्लेटफॉर्म्स और मीडिया चैनलों पर मशहूर हस्तियों के प्रचार के विशाल परिदृश्य की निगरानी के लिए पर्याप्त कार्यबल और तकनीक की कमी होती है।

**नैतिकतापूर्ण प्रचार अभियानों के लिए आगे की राह**

- **नैतिक स्व-लेखापरीक्षा:** मशहूर हस्तियों को व्यक्तिगत प्रचार दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए, ब्रांड की वैधता को सत्यापित करना चाहिए और सभी सशुल्क प्रचारों को पारदर्शी रूप से घोषित करना चाहिए।
  - मशहूर हस्तियों को अपनी लोकप्रियता का उपयोग स्वास्थ्य, पर्यावरण, कानूनी जागरूकता और वित्तीय साक्षरता जैसे सार्वजनिक भलाई के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए।

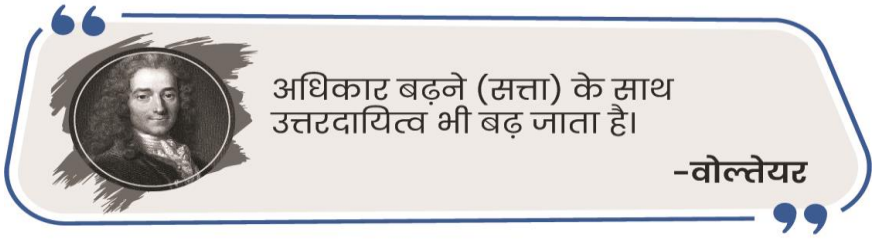


- **जिम्मेदार उद्योग प्रथाएं:** ब्रांडों और एजेंसियों को त्वरित लाभ की तुलना में दीर्घकालिक सामाजिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **मजबूत नीतिगत फ्रेमवर्क:** उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों (जैसे- जुआ, वित्त) के लिए क्षेत्र-विशिष्ट नियम विकसित करना, अनिवार्य खुलासे और मशहूर हस्तियों, विशेषज्ञों और उपभोक्ताओं की स्व-नियमन परिषदों का गठन करना चाहिए।
- **जन जागरूकता अभियान:** मशहूर हस्तियों के प्रचार के संबंध में आलोचनात्मक उपभोक्ता दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी:** नैतिक व्यवहार केवल दंड के डर से नहीं, बल्कि सार्वजनिक भलाई के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित होना चाहिए।

**निष्कर्ष**

एक ऐसे समाज में जहां लोकप्रियता विश्वास को संचालित करती है, मशहूर हस्तियों को उस विश्वास के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। प्रचार केवल वाणिज्यिक कार्य नहीं हैं; बल्कि ये वास्तविक सामाजिक प्रभावों वाले नैतिक विकल्प हैं।

**अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए**

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के उदय के साथ, अवैध या हानिकारक उत्पादों को बढ़ावा देने वाली मशहूर हस्तियों पर निगरानी बढ़ी है। यद्यपि भारतीय कानून जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, ASCI दिशा-निर्देश और उपभोक्ता मामलों के विभाग के हालिया निर्देश इन प्रचारों को विनियमित करते हैं, किंतु पारदर्शिता और नैतिक जिम्मेदारी में कमी के कारण फ़िलहाल चुनौतियां बनी हुई हैं।

इस पृष्ठभूमि में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- नैतिक विज्ञापन और प्रचार को बढ़ावा देने में विभिन्न हितधारकों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इसके प्रवर्तन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
- डिजिटल युग में मशहूर हस्तियों के आचरण को बेहतर बनाने में सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी और नैतिक शिक्षा के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- ऑनलाइन सट्टेबाजी और इसी तरह के हानिकारक उत्पादों के लिए मशहूर हस्तियों द्वारा अनैतिक प्रचार पर अंकुश लगाने के लिए कानूनी सुधारों, जवाबदेही तंत्रों और जागरूकता अभियानों को शामिल करते हुए एक मजबूत रणनीति प्रस्तावित कीजिए।


Lakshya

लक्ष्य प्रीलिम्स और मेन्स इंटीग्रेटेड मेंटरिंग प्रोग्राम 2026

प्रारंभः 29 अगस्त

- जीएस प्रीलिम्स और मेन्स के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस हेतु 12 महीने की रणनीतिक योजना।
- यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन्स के सिलेबस का संपूर्ण कवरेज।
- सीनियर मेंटर्स की अत्यधिक अनुभवी और योग्य टीम द्वारा मार्गदर्शन।
- प्रीलिम्स और मेन्स के लिए अधिक स्कोरिंग क्षमता वाले विषयों पर बल।
- ठोस प्रैक्टिस के माध्यम से करेंट अफेयर्स और सीसैट की तैयारी पर ध्यान।
- लक्ष्य प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट (LPPT) और लक्ष्य मेन्स प्रैक्टिस टेस्ट (LMPT) की उपलब्धता।
- 25,000+ प्रश्नों के व्यापक संग्रह के साथ संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज।

UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2026 के लिए रणनीतिक रिवीजन, प्रैक्टिस और परामर्श हेतु 12 माह का कार्यक्रम)

- बेहतर उत्तर लेखन कौशल का विकास।
- प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के लिए विषय–वार रणनीतिक डॉक्यूमेंट और स्मार्ट कंटेंट।
- निबंध और नीतिशास्त्र के प्रश्नपत्र पर विशेष बल।
- ग्रुप और व्यक्तिगत परामर्श सत्र।
- लाइव प्रैक्टिस, साथी अभ्यर्थियों के साथ डिस्कशन और स्ट्रेटजी पर चर्चा।
- नियमित मूल्यांकन, निगरानी और प्रदर्शन में सुधार।
- आत्मविश्वास निर्माण और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयारी पर बल।
- टॉपर्स, नौकरशाहों और शिक्षाविदों के साथ इंटरैक्टिव सत्र।

WWW.VISIONIAS.IN 8468022022

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION

SANDHAN

Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज

(UPSC प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस और समग्र तैयारी हेतु ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

2026 | ENGLISH MEDIUM 24 AUGUST | हिन्दी माध्यम 24 अगस्त

अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

# 10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

## 10.1. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana: PMKSY)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान जारी केंद्रीय क्षेत्रक योजना "प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना" (PMKSY) के लिए 1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय को मंजूरी दी।

| PMKSY का उद्देश्य | PMKSY की मुख्य विशेषताएं |
|---|---|
| • **खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक को बढ़ावा देने** के उद्देश्य से खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक आपूर्ति श्रृंखला के बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए **आधुनिक अवसंरचनाओं का निर्माण** करना।<br>• **किसानों को उनकी कृषि उपजों के बेहतर मूल्य प्रदान** करने और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर **रोजगार के अवसर पैदा करने** में मदद करना।<br>• **कृषि उपज की बर्बादी को कम करना**, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देना। | • **क्रियान्वयन मंत्रालय:** केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (**MoFPI**)।<br>• **योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक योजना**।<br>• **योजना अवधि:** 2021-22 से 2025-26 तक।<br>• **पृष्ठभूमि:** केंद्र ने 2017 में **संपदा (SAMPADA)**[45] नामक अम्ब्रेला योजना को मंजूरी दी।<br>○ बाद में, कुछ घटकों को बंद करके इस योजना का नाम बदलकर **'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)'** कर दिया गया।<br>**PMKSY के घटक**<br>• **एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना: इस घटक का उद्देश्य** खेत से लेकर उपभोक्ता तक फसलों की बाधा रहित आपूर्ति हेतु कोल्ड चेन सुविधाएं स्थापित करना है।<br>○ ये सुविधाएं पात्र फर्मों, कंपनियों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों (**SHGs**), **किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), PSUs** आदि द्वारा स्थापित की जा सकती हैं।<br>○ योजनाओं के मध्य समन्वय सुनिश्चित करने के लिए फलों और सब्जियों के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं को **ऑपरेशन ग्रीन्स (OG)** योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।<br>• **एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर (APC) के लिए अवसंरचना का निर्माण:** इसका उद्देश्य **मेगा फूड पार्क्स** की तरह लघु पैमाने की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना है।<br>○ इसके लिए कम-से-कम 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता निर्धारित की गई है।<br>• **खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का निर्माण/ विस्तार (यूनिट योजना):** यह मेगा फूड पार्क्स (**MFPs**) और APCs के भीतर प्रसंस्करण सुविधाओं के निर्माण और विस्तार पर केंद्रित है।<br>○ इसे **PSUs, संयुक्त उद्यमों, FPOs, NGOs, सहकारी समितियों, SHGs, निजी फर्मों** और व्यक्तियों द्वारा खाद्य इकाई की स्थापना या आधुनिकीकरण के लिए लागू किया जा रहा है। |

[45] Scheme for Agro-marine processing and Development of Agro-processing Clusters

## खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए QCI की पहलें

- QCI ने **"इंडिया GHP"** और **"इंडिया HACCP"** नामक योजनाएं बनाई हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए गए **कोडेक्स मानकों (Codex Standards)** पर आधारित हैं।
- इन योजनाओं से भारत की खाद्य उद्योग श्रृंखला को वैश्विक मानकों का पालन करने में मदद मिलेगी। इससे महंगे और समय लेने वाले विदेशी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि कई देशों ने इस सर्टिफिकेशन को अनिवार्य किया हुआ है।
  - **हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट (HACCP):** उच्च जोखिम वाले क्षेत्रकों जैसे मांस, मछली, डेयरी आदि में लागू होना अनिवार्य है।
  - **गुड हाइजेनिक प्रैक्टिसेज़ (GHP):** सभी खाद्य क्षेत्रकों में लागू।

- **खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (FTL)[46]:**
  - यह खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला मानकों और वैश्विक प्रमाणपत्रों (**HACCP, ISO 22000**) का अनुपालन में मदद करता है।
- **मानव संसाधन और संस्थान (HRI) - अनुसंधान और विकास: 15वें वित्त आयोग (15th FC)** की सिफारिश अवधि के लिए 100 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- **ऑपरेशन ग्रीन्स (OG):** इसे **ऑपरेशन फ्लड** की तर्ज पर केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषित किया गया था।
  - शुरुआत में, यह योजना टमाटर, प्याज और आलू (**TOP**) मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए शुरू की गई थी।
  - **इस योजना के दो घटक हैं:**
    - **दीर्घकालिक उपाय-एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं:** केंद्रीय बजट 2021-22 में इस घटक को विस्तार देकर शीघ्र नष्ट होने वाली 22 फसलों को इसके दायरे में लाया गया।
    - **लघु-अवधि उपाय:** 2020 के **"आत्मनिर्भर भारत पैकेज"** के तहत, इसका दायरा **TOP** फसलों से बढ़ाकर सभी फलों और सब्जियों (**यानी TOP से TOTAL**) तक कर दिया गया।
- **योजना के अन्य घटकों के बीच बजटीय आवंटन का पुनर्वितरण:** मध्यावधि समीक्षा के आधार पर, किसी भी योजना-घटक के मूल आवंटन के **25%** तक **MoFPI** के प्रभारी मंत्री की मंजूरी से किसी अन्य घटक को पुनः आवंटित किया जा सकता है।
- **प्रतिबद्ध वित्तीय दायित्व से बचत का उपयोग:** किसी भी योजना के लिए प्रतिबद्ध आवंटन से हुई बचत का उपयोग उस योजना के तहत नई परियोजनाओं की मंजूरी देने के लिए किए जाने का प्रावधान है।
- **जागरूकता:** हितधारक इसके लाभों का पूरा फायदा उठा सके, इसके लिए PMKSY की योजनाओं का **व्यापक प्रचार-प्रसार** किया जाएगा।

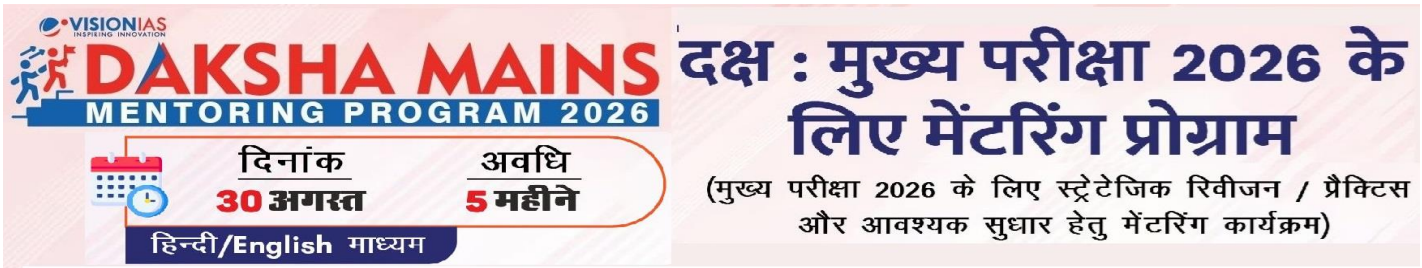


[46] Food Safety and Quality Assurance Infrastructure

## 11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News)

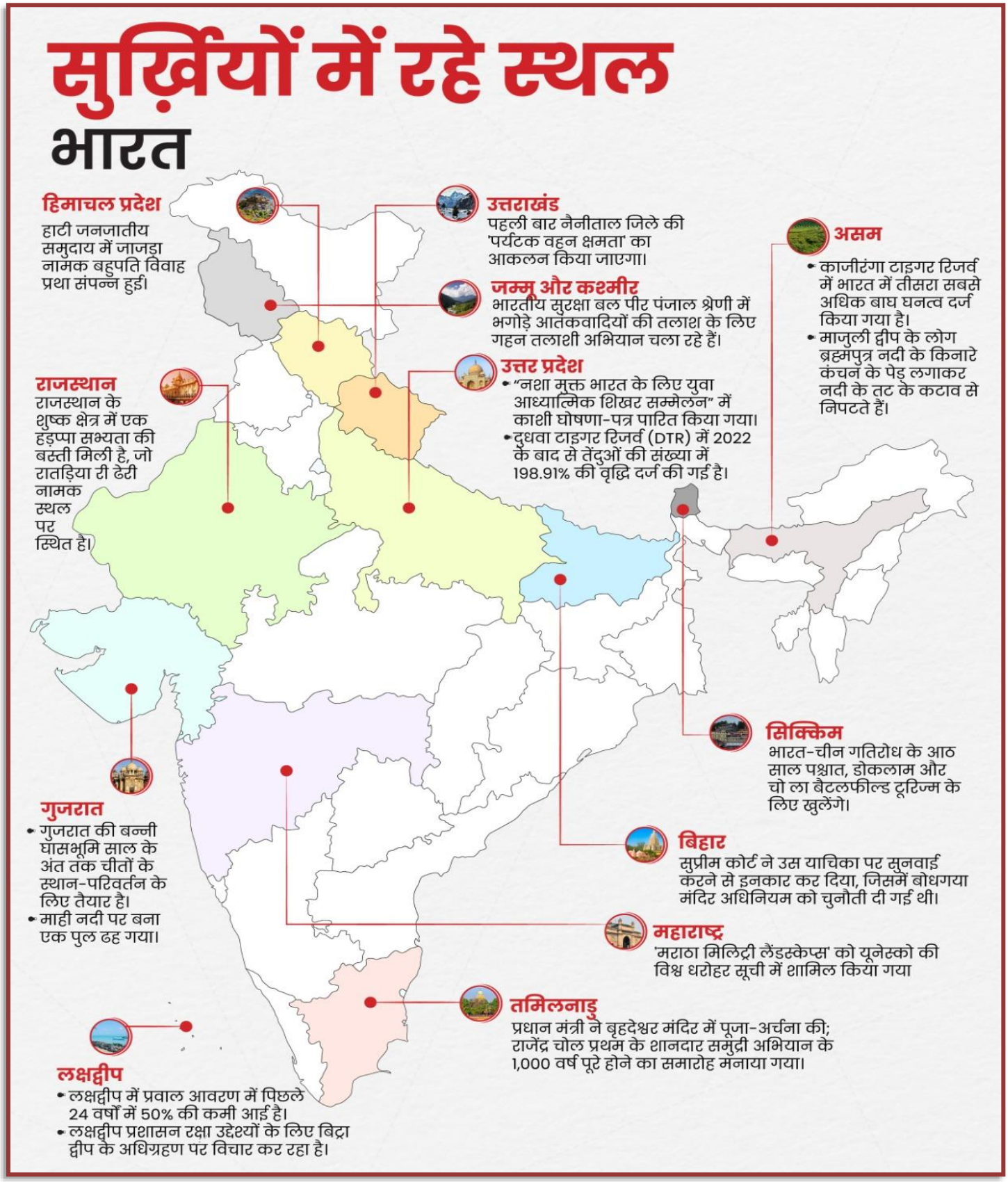

# सुर्ख़ियों में रहे स्थल

## विश्व

**सीरिया**

असद शासन के पतन के बाद भारत की पहली आधिकारिक पहल के तहत, विदेश मंत्रालय (MEA) के अधिकारियों ने सीरिया की अंतरिम सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की।

**सिएरा लियोन**

दक्षिणी सिएरा लियोन के टर्टल आइलैंड्स में स्थित न्यांगाई बढ़ते समुद्री-जलस्तर के कारण अपना दो-तिहाई हिस्सा खो चुका है।

**घाना**

भारत के प्रधान मंत्री ने घाना की राजकीय यात्रा की। यह पिछले तीन दशकों में घाना की पहली यात्रा थी।

**बोलीविया**

भारत ने बोलीविया को खसरा-रूबेला के प्रकोप से निपटने के लिए 3 लाख वैक्सीन की खुराक भेजी हैं।

**तुर्काना झील**

वैज्ञानिकों ने तुर्काना झील में खोजी गई विलुप्त स्तनधारियों के दांतों की एनामेल से 18 से 20 मिलियन वर्ष पुराने प्रोटीन निकालने में सफलता प्राप्त की है।

**लेसोथो**

भारत के विदेश राज्य मंत्री की यात्रा के दौरान भारत और लेसोथो द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर सहमत हुए हैं।

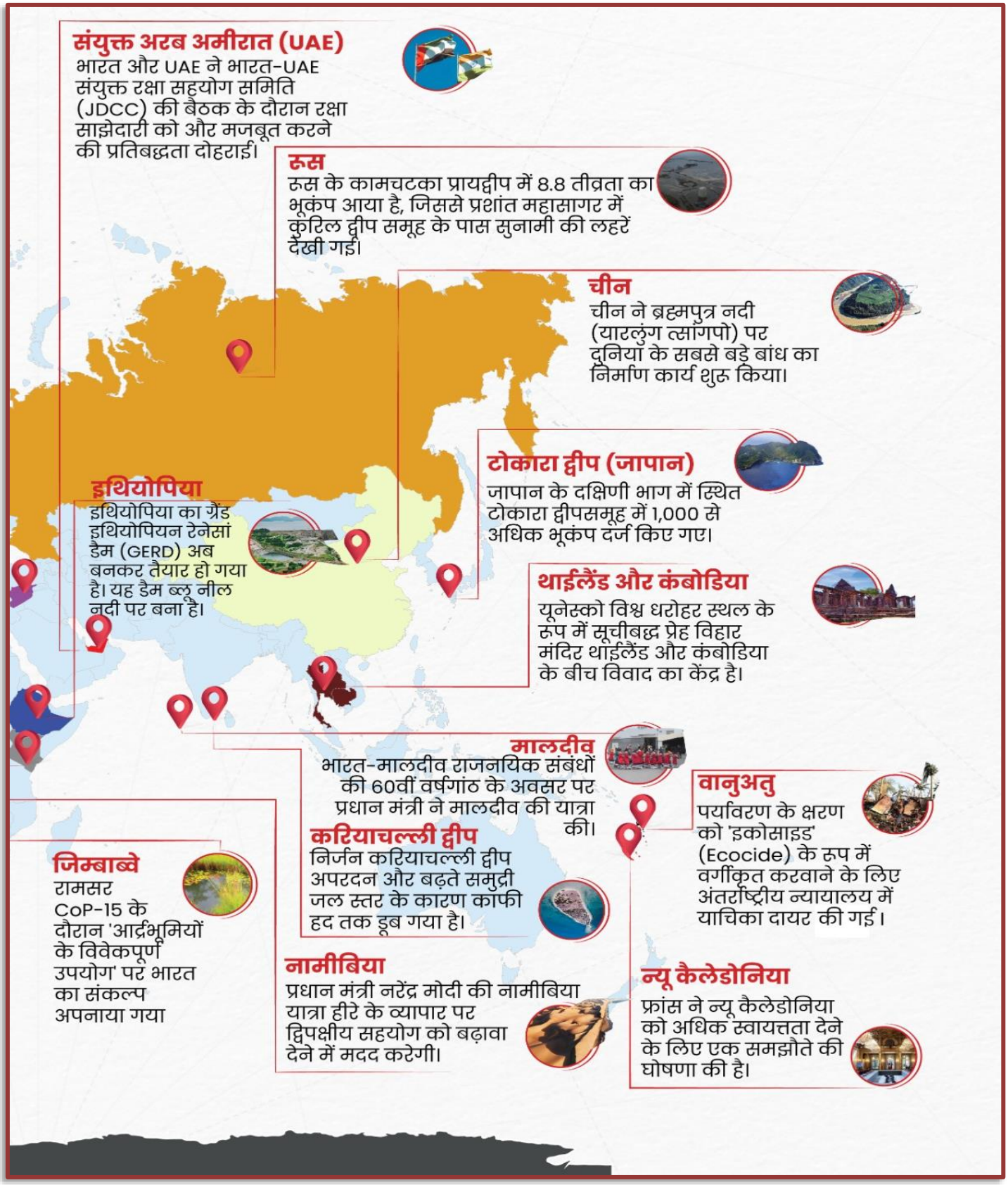


**Copyright © by Vision IAS**
*All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.*

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

# सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2026

## प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

**दिल्ली**

**28 अगस्त, 2 PM**

**अवधि – 12 महीने**

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए **QR कोड** को स्कैन कीजिए

**निःशुल्क काउंसिलिंग** के लिए **QR कोड** को स्कैन कीजिए

**डेली MCQs** और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल **टेलीग्राम ग्रुप** को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोट: अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

## GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

### नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन

अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

### सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित

विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

### नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन

इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

### ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

### कोई क्लास मिस ना करें

प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

### बाधा रहित तैयारी

अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

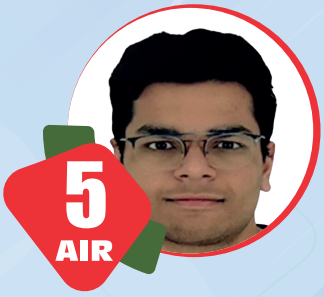

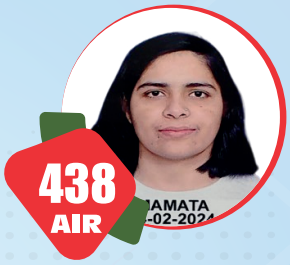

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates
10
in TOP 10 Selections in CSE 2024
from various programs of Vision IAS
1 AIR
Shakti Dubey
2 AIR
Harshita Goyal
GS Foundation Classroom Student
3 AIR
Dongre Archit Parag
GS Foundation Classroom Student
4 AIR
Shah Margi Chirag
5 AIR
Aakash Garg
6 AIR
Komal Punia
7 AIR
Aayushi Bansal
8 AIR
Raj Krishna Jha
9 AIR
Aditya Vikram Agarwal
10 AIR
Mayank Tripathi
हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में
137 AIR
Ankita Kanti
182 AIR
Ravi Raaz
438 AIR
Mamata
448 AIR
Sukh Ram
509 AIR
Amit Kumar Yadav
DELHI
HEAD OFFICE
33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005
MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar
GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009
FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066
enquiry@visionias.in
/@visioniashindi
/visionias.upsc
/vision_ias_hindi/
/hindi_visionias
अहमदाबाद
बेंगलूरु
भोपाल
चंडीगढ
दिल्ली
गुवाहाटी
हैदराबाद
जयपुर
जोधपुर
लखनऊ
प्रयागराज
पुणे
रांची